राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1] चौदहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का नवां दिवस [संख्या : 7

बुधवार,

29 जनवरी, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 50.

सिवाना की ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने हेतु कार्य योजना

50. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से ग्रामीण रोडवेज बस सेवा लागू की गई है? यदि हां, तो सिवाना विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कितनी ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिवाना से समदड़ी-कल्याणपुर-जोधपुर, बालोतरा-समदड़ी-करमावास-पाली, सिवाना-मिठोड़ा-सिणधरी एवं सिवाना-मोकलसर-खण्डप-पाली मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर रोडवेज बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां। सिवाना विधान सभा क्षेत्र में बस सेवा से वंचित ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत को नहीं जोड़ा गया है।

(2) जनता, जन-प्रतिनिधियों, आदि की मांग एवं प्रस्ताव पर जन हित में जन सामान्य को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा किसी मार्ग या मार्गांश को राष्ट्रीयकृत मार्ग के रूप में अधिसूचित किया जाता है। प्रश्नगत सिवाना से समदड़ी-कल्याणपुर-जोधपुर,

(श्री युनुस खान)

बालोतरा-समदड़ी-करमावास-पाली, सिवाना-मिठोड़ा-सिणधरी एवं सिवाना-मोकलसर-खण्डप-पाली मार्गों को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने सम्बन्धी कोई मांग/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, अत: विचाराधीन नहीं हैं।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या मार्ग सिवाना वाया समदड़ी-कल्याणपुर-जोधपुर तक व बालोतरा-समदड़ी-करमावास-पाली तक, सिवाना-मिठोड़ा-सिणधरी, सिवाना-खण्डप-पाली तक, ग्रामीण परिवहन सेवा योजना से लाभांवित करने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अलग-अलग चार रूट्स के बारे में जानकारी चाही है। बालोतरा-समदड़ी-करमावास-पाली मार्ग पर आपने जो बताया है, वह कुल 127 किलोमीटर की दूरी है और चूंकि यह मार्ग पंचम अध्याय का है, इस पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आर एस आर टी सी हो आपरेटर के रूप में या प्राइवेट व्यक्ति हो, वहां पर परमिट ले सकता है।

चूंकि पिछली सरकार ने 2012 के बजट में एक नई योजना शुरू की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में निगम और पी पी पी माडल पर अपनी सेवाओं का विस्तार किया जायेगा और अगले तीन वर्ष में समस्त पंचायत मुख्यालय बसों से जोड़े जायेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक यह योजना की शुरुआत थी और शुरुआत में रोडवेज ने लगभग 70 करोड़ रुपये देकर, इस योजना को पांच सौ मेडी बसों के माध्यम से जोड़ने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्योंकि बीच में चुनाव आ गये, आचार संहिता लागू हो गई, कुछ मार्ग तो खोले गये और कुछ नहीं खोले गये।

चूंकि माननीय सदस्य इस बात को दोबारा उठा रहे हैं और यह बात सही भी है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले, दो जिले ऐसे हैं जिनमें अभी भी पर्याप्त संख्या में जितनी यातायात की सुविधा...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीच में टोका है, मैं गुजारिश करूंगा कि नागौर की स्थिति वह नहीं है, नागौर की स्थिति बहुत सुदृढ़ है। जहां तक बाड़मेर और जैसलमेर में...(व्यवधान) उनकी स्थिति आप और हम सब जानते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी बाड़मेर जिला बहुत बड़ा जिला है, उसमें भी अभी बहुत सारे गांवों में सड़क भी नहीं पहुंची है और उनमें वास्तव में यातायात के साधन भी नहीं पहुंचे हैं। जैसा मेरा जवाब है, अभी भी

(श्री युनुस खान)
कोई भी ग्राम पंचायत जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य, जिन्होंने एक तो यह बताया कि बालोतरा-समदड़ी और दूसरे आपने जो मार्ग बताये हैं, वे हैं; आपका मार्ग सिवाना-समदड़ी और कल्याणपुर, यह लगभग 54 किलोमीटर का मार्ग है, यह भी पंचम अध्याय का मार्ग है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी वास्तव में जरूरत है और उसका अब सारा सर्वे करवाकर, क्योंकि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, राजस्थान परिवहन सेवा में बार-बार ये चीजें आती रहती हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि पी पी पी माडल पर एक विकसित की जाए नई चीज और उसमें उन बसों के साथ एक एग्रीमेंट करके, बस आपरेटर्स के साथ एग्रीमेंट करके नए रूट खोलें। नए रूट खोलने के बाद सरकार ने यह भी फैसला किया, पिछली सरकार ने, इनकी वाएबिलिटी लगभग नहीं है; क्योंकि पी पी पी माडल पर जब पहले निविदा निकाली थी, उसमें लोग आए भी नहीं; बिलकुल नहीं आये थे, इसलिए नहीं आने की वजह से दूसरी बार भी निविदा निकाली।

ये जो क्लस्टर नए खोले गए, उनके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मार्ग की, माननीय सदस्य ने जिस मार्ग की बात कही है, उन पर भी हम करेंगे; जो पी पी पी माडल वाले हैं, उनमें अभी खोले हैं। आपका ही जिला नहीं है, लगभग वंचित ग्राम पंचायतों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, वे हैं 5,022 । राजस्थान में 9,177 ग्राम पंचायतों में अभी तक सिर्फ 4,155 ग्राम पंचायतें ही ऐसी हैं जो रोडवेज परिवहन सेवा से जुडी हुई हैं; अन्य हैं, लगभग 5,022 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई नहीं हैं। इसको देखते हुए नया माडल शुरु किया गया था। इस नए माडल में अभी तक जो प्रगति हुई है, उसमें पी पी पी माडल पर लगभग 2,484 ग्राम पंचायतों को अभी तक जोड़ा गया है और रोडवेज के माध्यम से 1,937 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। बाकी अभी पी पी पी माडल पर 37 कलस्टर के माध्यम से 276 बसें चल रही हैं।

माननीय सदस्य ने जो मांग रखी है, उसका भी सर्वे करवा कर, पी पी पी माडल पर इनके साथ बैठकर, हमारे अधिकारी भी बैठ लेंगे; चूंकि इनके पूरे के पूरे विधान सभा क्षेत्र में भी इस तरीके की सुविधा नहीं है, तो सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस तरीके की सुविधा उपलब्ध करायें।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष जी,...

श्री अध्यक्ष: बहुत विस्तार से जवाब आ गया है। जवाब विस्तार से आ गया है। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): आपसे थोड़े ली है, अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली है मैंने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रतापगढ़ में मंत्रीजी अभी देखकर आए हैं, पिछले तीन महीने से आपकी बसें खड़ी हैं वहां पर, लेकिन ड्राइवर नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि एक तरफ तो आप ग्रामीण बस परिवहन योजना चलाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ड्राइवर्स की ही व्यवस्था नहीं है। तो ड्राइवर्स की व्यवस्था करायें आप, ताकि बसें चल सकें। चित्तौड़गढ़ जिले और प्रतापगढ़ जिले में कितनी बसें आबंटित हुई...

श्री अध्यक्ष: इसको राजस्थान के स्तर पर मत ले जाइये। सिवाना के बारे में प्रश्न हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान में जहां-जहां बसें भेजी हैं, ड्राइवर नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य: जैसलमेर जिला ऐसा जिला है, जिसमें केवल दो ग्राम पंचायतों में जा रही हैं। टोटल ग्राम पंचायतें रोडवेज से वंचित हैं। मंत्रीजी जैसलमेर का विशेष नाम लें, केवल दो ग्राम पंचायतें ही रोडवेज से जुड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न कीजिये; नागौर से आये हैं, आप कीजिये। (व्यवधान) एक मिनट, यह हो जाने दीजिये। आपको अवसर दूंगा। आपको अवसर दूंगा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मंत्रीजी ने कहा है मुझे। मुझे आसन से परमिशन मिली है। एक मिनट, अध्यक्ष जी ने कहा है। मंत्रीजी ने कहा कि नागौर की सुदृढ़ स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा कि अभी दस दिन पहले ही जायल विधान सभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री ने बसों को झण्डी दिखाई है। तो नागौर भी है उसमें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बसें चालू नहीं हुईं। मंत्रीजी, कब चालू करेंगे नागौर विधान सभा क्षेत्र में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका जवाब दे दीजिये। नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजसमन्द जिले में राजस्थान पथ परिवहन की ग्रामीण बस सेवा चालू कर रखी है, उसमें मेरा निवेदन है कि जो बस रूट हैं आलरैडी, उन पर प्राइवेट बसें चल रही हैं। उसी

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

रूट पर उन्होंने अंकित करके रूट बता रखा है, जबकि यह जिस रूट पर बस नहीं चल रही थी उस गांव के लिए बस सेवा चालू की थी। वह बिलकुल ही गलत चल रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं..

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये, ध्यान में आ गया।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): पूरे राजसमन्द जिले के बस एसोसिएशन की तरफ से दे रखा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंत्रीजी इसमें जांच करा लें और इनको अगर ये दस रुपये दे रहे हैं, वह पैसा प्राइवेट बस वालों को, अगर यह अनुदान उन्हीं प्राइवेट बस एसोसिएशन वालों को दे दें, तो उन्हीं रोड पर वे बस चलाने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि करौली डिपो की बसें हैं, उनको अलवर में क्यों ट्रांसफर कर दिया गया है? जो बसें वहां लगायी गयी थीं, वे बसें सारी अलवर में ट्रांसफर हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि व्यापक स्तर पर कुछ प्रश्न पूछे गये हैं, इनका व्यापक स्तर पर जवाब दे दें सबका। सबका जवाब आ रहा है। विस्तार से जवाब दे दीजिए। (व्यवधान) जवाब आ रहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक और पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। 5 पूरक प्रश्न हो गये, पहले जवाब दीजिए। (व्यवधान) आप जवाब दीजिए। अब नहीं होगा, 5 का जवाब आने दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मेरे जवाब के बाद सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): मेरा छोटा-सा सवाल है कि बस डिपो में बसें खड़ी हैं, आप कब तक ड्राइवर और कंडक्टर की व्यवस्था कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विस्तार से जवाब आ रहा है। आपके सबके प्रश्न इनके पास पहुंच चुके हैं। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, आपने कहा कि विस्तार से दें, तो मैं विस्तार से देने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले हमारे वरिष्ठ, मैं वरिष्ठ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका लोक सभा का बहुत लम्बा अनुभव है और विधान सभा में भी आप

(श्री युनुस खान)

आये हैं, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है, वह जायज है कि अभी भी रोडवेज में ड्राइवर्स की कमी है। क्योंकि रोडवेज के पास में आज की तारीख में लगभग 8 हजार परमिट हैं और उन 8 हजार परमिट में इनके पास लगभग 4,600 बसें उपलब्ध हैं, उस अनुपात में ड्राइवर नहीं हैं और ड्राइवर नहीं होने की वजह से कई जगह यह समस्या आयी है। आर एस आर टी सी ने ड्राइवर्स की परीक्षाएं ली हैं, जिनका परिणाम 5 फरवरी, 2014 तक अपेक्षित है और परिणाम आने के तुरन्त बाद में नयी नियुक्तियां देकर, जो समस्या माननीय निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी है, उसका रोडवेज समाधान अतिशीघ्र कर देगा। तो इस तरीके की शिकायत नहीं आएगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। काफी कर लिए सवाल।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) माननीय जीजी ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट; जोधपुर का सवाल है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए। आपको मना नहीं कर सकता।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अब फिर वही जोधपुर की बात है, जोधपुर को तो बंद करो, बाकी राजस्थान बहुत बच रहा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी आज्ञा से, माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि जोधपुर के अन्दर बस स्टैण्ड बहुत छोटा पड़ रहा है और पूर्व सरकार थी, उसने एक एलान किया था कि इस बस स्टैण्ड का विस्तार करेंगे, क्या वह कागजों में ही रहेगा या आपके आने के बाद उसका कुछ विस्तार होगा?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने 'माननीय जीजी' कहा है; मंत्रीजी ने 'माननीय जीजी' कहा। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने भूल सुधार तुरन्त कर ली; मैंने कहा, 'जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या' बोल दिया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 'जीजी' कहा था।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य का और हमारा प्रेम है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। जवाब दें आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मंत्रीजी, जवाब तो दो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि बहुत सारे सदस्यों ने सवाल उठाये हैं, सबके जवाब मैं दूंगा लेकिन ... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने, जो वास्तव में इस सदन की वरिष्ठतम सदस्या हैं और बार-बार इन्होंने, वहां की समस्याओं को लेकर सदन में अपनी बात को किसी न किसी तरीके से कहा है, लेकिन दुर्भाग्य है जोधपुर का कि जोधपुर को लगातार पांच प्लस पांच, 10 वर्षों तक, बीच में 5 वर्ष का गैप आया, मुख्य मंत्री जैसा पद मिला और उन मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान में बखान किया कि हम राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बना रहे हैं लेकिन जिस तरह से समस्याएं जोधपुर की आ रही हैं, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जोधपुर में भी बस स्टैण्ड का सवाल उठ रहा है! तो पूरे राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में क्या हालात हुए होंगे, यह आप कल्पना कर सकते हैं।

जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या को मैं कहूंगा कि आपके बस स्टैण्ड को हम वहां जाकर, हमारे अधिकारी भी देखेंगे और उसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी और चूंकि अब माननीय वर्तमान मुख्य मंत्रीजी का यह निर्देश हुआ है, जो बस स्टैण्ड राजस्थान भर में हैं उन बस स्टैण्डों की हालत ठीक नहीं है, उनमें जो यात्री होते हैं उन यात्रियों को उस अनुरूप सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो मिलनी चाहिए, इसलिए यह भी निर्देशित किया है कि क्यों नहीं हम इन बस स्टैण्ड को पी पी पी माडल पर डवलप करें और डवलप करके उन पर यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं, चाहे पेशाब घर हैं, पीने के पानी की है, बैठने की जगह है, कुर्सियां हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों? इसी परिप्रेक्ष्य में जोधपुर को भी देख लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने...(व्यवधान) सारी, नाथद्वारा।

श्री अध्यक्ष: शुरू-शुरू में यह गलती होती है। मेरे से भी हो रही है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया कि जो ग्रामीण सेवा है, इसमें भ्रष्टाचार है और जो वी जी एफ, वाएबिलिटी गैप फण्ड सरकार दे रही है पी पी पी माडल की बसों को, उसमें आपने भ्रष्टाचार बताया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ रहा हूं; आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा। उन्होंने यह जो मुद्दा उठाया, क्योंकि पहली बार जब इस माडल की निविदाएं निकाली गयीं तो राजस्थान में किसी भी क्लस्टर में इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। तो सरकार ने कहा, चूंकि गांवों में सुविधा नहीं है, पी पी पी माडल पर बजट की घोषणा थी, तो वहां एक वाएबिलिटी गैप फण्ड डवलप किया और 9 रुपये 54 पैसे प्रति किलोमीटर उनको देने का निर्णय किया, पिछली सरकार ने और इस स्कीम में चलने वाली ग्रामीण बस सेवाएं हैं, उनको, जो पी पी पी माडल पर आ रही हैं, उनको दिया जा रहा है। आपने कहा, यही चीज निजी बस संचालन के क्षेत्र में दी जाए तो ठीक रहेगा, तो उसको देख लिया जाएगा।

क्योंकि राजस्थान में 45,459 राजस्व गांव हैं और आज की तारीख में लगभग 31 हजार स्टेट कैरिज के परमिट हैं और वे स्टेट कैरिज के परमिट भी, एक रूट पर भी तीन परमिट कई बार जारी हो जाते हैं। उदाहरण देकर बताऊंगा, अगर कोई पहली बार परमिट जारी हुआ, यहां से लेकर अजमेर तक और उसी बस को अगर ब्यावर तक बढ़ा दिया गया तो वे परमिट दो कहलाएंगे, लेकिन वह रूट एक ही है। इसी तरीके से, जो 45,459 गांवों में यह सेवाएं नहीं जा रही हैं और रोडवेज की बसों में, जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों का संचालन करती है, मात्र 4,600 बसें हैं और 4,600 बसें भी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलती हैं। जो अध्याय पंचम के मार्ग हैं, वे खाली पड़े हैं। तो राजस्थान की यह समस्या है।

इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है कि क्यों नहीं, राजस्थान के जनसाधारण को, जो गांवों के अन्दर बैठा है, 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में है और हमारी ग्राम पंचायतें जो नहीं जुड़ी हुई हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र बसों से नहीं जुड़े हुए हैं, इसका रिव्यू किया जाए। तो उसमें आर एस आर टी सी, जो स्टेट कैरिज का परमिट होल्डर है और निजी बसों का संचालन करने वाले हैं, जो पी पी पी माडल पर तीसरा माडल आया, इन तीनों को किस तरीके से रिव्यू करके, नये मार्गों का निर्धारण करके, जिससे ओवरलैपिंग न हो और इसमें हमारा परिवहन विभाग, लार्जर परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करके जन-समस्याओं का समाधान करेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती

51.श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार संविदा पर नियुक्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थी मित्रों को नियमित नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती हेतु राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा में जवाब दिया, तब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। समिति की रिपोर्ट मुझे कल शाम को प्राप्त हो गई है। इस पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। नम्बर एक।

(2) संविदा पर नियुक्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थी मित्रों को नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय (विभागाध्यक्ष स्तर पर प्रथम स्तर, अति. मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में द्वितीय स्तर एवं मंत्रिमण्डलीय उप समिति-तृतीय स्तर) समितियों का गठन किया गया है। इनकी समीक्षा के उपरांत कार्यवाही की जावेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खण्ड-एक में यह कहा है कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सदन के पटल पर भी रखें और हमें बताएं कि क्या समिति की रिपोर्ट आयी है? क्योंकि सदन की नेता ने अपनी सुराज संकल्प यात्रा में यह कहा था कि हम आर पी एस सी से थर्ड ग्रेड की भर्ती कराएंगे। 25.1.2014 को माननीय मंत्री महोदय ने सार्वजनिक समारोह में, जयपुर के विधि कालेज में यह कहा था कि हम आर पी एस सी से कराएंगे और 2.1.2014 को माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हमने प्रस्ताव भिजवाया है कि थर्ड ग्रेड की भर्ती, टैट की मैरिट, दसवीं, बारहवीं व

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ग्रेजुएशन के 10-10 प्रतिशत देकर हम कराएंगे। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, घनश्यामजी तिवाड़ी साहब ने भी 28.1.2014 को कल इसी सदन में अपने अभिभाषण में कहा था कि सरकार को टैट समाप्त करके और बी एड से सीधे भर्ती कर देनी चाहिए और वर्तमान में जिला परिषदों से भर्ती करने का प्रावधान, कानून बना हुआ है।

इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, सदन में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार की मंशा क्या है? कमेटी की रिपोर्ट क्या है? हर व्यक्ति हर अलग-अलग बयान दे रहा है। बेरोजगार, जो हमारे शिक्षक बनने वाले लोग हैं, वह एक तरह से उनका मानसिक शोषण हो रहा है। इसलिए आप कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा कहा कि बेरोजगार नवयुवकों का मानसिक शोषण हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा; किसी भी प्रकार का मानसिक शोषण किसी का नहीं किया जाएगा।

जहां तक आपने यह कहा कि परीक्षा आर पी एस सी के माध्यम से करेंगे, या किसी और माध्यम से करेंगे, कल रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी नहीं है, रिपोर्ट पढ़ने के बाद कई विकल्प हैं, उन विकल्पों में से कौनसा विकल्प बेरोजगार नवयुवकों के लिए बढ़िया रहेगा, उसको ही हम चुनेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय मंत्री महोदय यह कहते हैं, मैंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं सदन में कि विकल्प कई तरह के आए हैं, कमेटी की रिपोर्ट में। यह नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने यह नहीं कहा, श्रीमान्।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** इस सदन से बड़ा कुछ भी नहीं है...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनिए, मैंने यह नहीं कहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे न्याय की उम्मीद है, आप न्याय करेंगे, मुझे पूरी आशा है। सदन से बड़ा कुछ भी नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री):...(व्यवधान) सुनते ही नहीं हों +++

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, वह क्या रिपोर्ट आई है, उसको आप बताने का कष्ट करें। (व्यवधान) आप नहीं, बीच में नहीं; बीच में नहीं। प्रश्न काल में बीच में नहीं।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** आप जवाब तो दिलवाइए।

श्री अध्यक्ष: जवाब दिलवा रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** हां, रिपोर्ट क्या है? यह सदन से बड़ा कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह उनके ऊपर निर्भर है कि वे क्या जवाब दें। मैं उनसे निवेदन करूंगा। कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां। मैंने यह कहा कि कई विकल्प हैं, उन विकल्पों पर विचार करने के लिए, अच्छे से अच्छा विकल्प कौनसा हो सकता है। हमने कमेटी को निर्देशित किया है, कमेटी की रिपोर्ट कल रात को मुझे प्राप्त हो गई है; अभी तक रिपोर्ट पढ़ी नहीं, रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो-जो विकल्प उन्होंने सुझाए होंगे, उनमें से जो सबसे बढ़िया विकल्प होगा, जो बेराजगारों के हित का होगा...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** नहीं, नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं हो सकता कि मैंने पढ़ी नहीं है। तो ये रात भर क्या कर रहे थे? फिर पिक्चर देख रहे थे क्या? इनको पढ़ना चाहिए था। यह सदन में आते हैं तो फिर तैयारी करके आना चाहिए था...(व्यवधान) यह नहीं चलेगा, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) काम होने का मतलब नहीं है, आपसे न्याय की उम्मीद है।...(व्यवधान) यह इस तरह का जवाब सहन करने योग्य नहीं है कि कमेटी की रिपोर्ट आ गई, कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी नहीं है। तो इस सदन में आने का औचित्य क्या है? (व्यवधान) यह बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नहीं चलेगा। इस तरह से गुमराह करने का...(व्यवधान) ये सरकार चलाने की स्थिति में नहीं हैं, बिलकुल असक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। नैक्स्ट। श्री रमेश।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं चलेगी। सदन में एक मंत्री यह कहे कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई लेकिन नहीं पढ़ी है, यह नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। बार-बार आप रिपीट कर रहे हैं। वे क्या कह रहे थे, क्या नहीं, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** यह नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: यह चलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** साहब, सदन में ऐसे कैसे चलेगा?

श्री अध्यक्ष: यह चलेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** यह जवाब तो देना पड़ेगा इनको। (व्यवधान) जवाब तो देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: यहां पर सारे सदन को आप इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जवाब आ गया। आ गया जवाब, जो उनको देना था। आपकी इच्छा के अनुरूप जवाब नहीं आएगा। बैठिए।

नैक्स्ट। श्री रमेश।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** अध्यक्ष महोदय, यह कहा है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** इन्होंने यह कहा है, मैंने पढ़ी नहीं, तो पढ़ कर आना चाहिए सदन में।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। नहीं आए तो नहीं आए। आपके हिसाब से आएंगे क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** यह क्या बात हुई? यह क्या जवाब हुआ?

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** यह पढ़ कर नहीं आए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह पढ़ कर ही नहीं आए।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। मुझे कठोर होना पड़ेगा आपके प्रति। उन्होंने जो कहा, वह जवाब आ गया।

श्री रमेश। अपना प्रश्न पढ़ें। (व्यवधान)

टोंक जिले में बजरी खनन ठेके में अनियमितता

52. श्री रमेश (सपोटरा): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में बजरी खनन के ठेके किस-किस फर्म को कितने-कितने क्षेत्रफल व कितनी-कितनी राशि के आबंटित किये गये हैं? उक्त ठेकों की स्वीकृति के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं किन शर्तों, नियमों के अन्तर्गत ठेके स्वीकृत किये गये? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बजरी खनन के ठेकों के आबंटन में निर्धारित प्रक्रिया, शर्तों एवं नियमों की अनदेखी की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) जिला टोंक में वर्तमान में किस-किस स्थान पर बजरी का खनन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा कब-कब किस-किस बजरी खनन लीज धारक को आबंटित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं क्या-क्या अनियमितताएं पाई गईं व दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, (1) जिला टोंक में बजरी खनन के ठेके नहीं दिये गये हैं, वरन् खनन पट्टों के लिए मंशा-पत्र जारी किये गये हैं। खनन पट्टों हेतु मंशा-पत्र जारी करने हेतु निविदा प्रक्रिया, अपनाई गई शर्तें एवं नियम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अनुसार हैं। सम्बन्धित नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है तथा खनन पट्टा क्षेत्र, मंशा-पत्र धारकों के नाम एवं निविदा राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2013 अन्तर्गत एस.एल.पी. संख्या 34134/13 की पालना में 8 मंशा-पत्र धारकों को अपने खनन पट्टा आवेदित क्षेत्र में बजरी खनन की कार्यानुमति जारी की गई। कार्यानुमति की शर्तें परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जिला टोंक में जिन खनन पट्टा क्षेत्रों में बजरी का खनन किया जा रहा है, उसका विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) एल.ओ.ई. होल्डर्स को जारी अस्थायी कार्यानुमति के क्षेत्र के लिए किये गये निरीक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं हेतु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पट्टाधारकों को नोटिस जारी किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है। अनियमितताओं का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध नोटिसों की प्रतियों में अंकित है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत, पैरा नम्बर चार पर जो आपके माध्यम से जवाब दिया गया है, वह पूर्ण जवाब नहीं है। मैंने पूछा था कि अनियमितताएं पाई गईं; तो नोटिस दिया है केवल और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? इसके अलावा, साथ-साथ में, इस संदर्भ में इन्के नोटिस का जो विवरण है, निरीक्षण तहसील पीपलू, बनास में 24.12.13 को किया और नोटिस 1.1.14 को दिया; इसी तरह, तहसील टोंक में निरीक्षण 24.12 को किया और नोटिस 1.1.14 को दिया। सेम इसी तरह, उनियारा में एक तारीख को निरीक्षण किया और एक को ही उसको नोटिस दिया। तो यह इस तरह की अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं।

दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि संथली, मंथली, राजमहल, ये तहसील देवली में हैं, इन क्षेत्रों में बजरी का भंडारण और स्टाक हो रहा है और इनकी हाइट है, वह अप-टू दस मीटर तक है और स्टोर लगे हुए हैं। यह शर्त नम्बर 6 का उल्लंघन किया गया है।

इसी प्रकार, पीपलू में गहलोत, उनियारा में बनेठा, टोंक में बहीर, मोलाइकापुरा के पास जो वन क्षेत्र है, उस वन विभाग की जमीन पर भी अवैध खनन हो रहा है और 6 मीटर गहराई तक इसको खोदा जा रहा है, जो शर्त नम्बर 12 और 9 का उल्लंघन करते हैं। इसी प्रकार, टोंक शहर के 80 के आसपास के जो कुएं हैं, बहीर, मोलाइपुरा, लहन के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां आसपास एल एण्ड टी मशीनों ने इनका भी नामोनिशान मिटा दिया है और वे कुएं समाप्त हो गये हैं। तो यह शर्त नम्बर 9 का उल्लंघन करते हैं। इसी प्रकार, बनास नदी में जो मेनस्ट्रीम है, जो डाउनस्ट्रीम है, उसका 5 मीटर गहराई तक खनन किया गया है और उसकी जो मेनस्ट्रीम है, सेंट्रल, वहां उसको इतना खोदा है कि उसका जो बहाव क्षेत्र है, उसकी दिशा ही बदल दी है। तो शर्त नम्बर 13 का उल्लंघन भी किया गया है। गांव मंडावर से मारखेड़ा तक इतनी गहराई में खोदा गया है कि नीचे पत्थर आ गया है, अप-टू सात से आठ मीटर।

(श्री रमेश)

तो इन सभी फर्मों, ने जो जितने भी मैसर्स हैं, उनका नाम मैं आपको बता दूं, श्री सोम प्रकाश सेठी, श्री प्रदीप कुमार, एस आर एसोसिएट्स, मैसर्स चांडक एसोसिएट्स, श्री राहुल पंवारजी, श्री मंगलसिंहजी, श्री शेखावत। इन्होंने पैरा के उत्तर में जो मुझे बताया है, शर्त नम्बर 7, 13, 15, 16 और 17 का उल्लंघन किया और मात्र इन्होंने उसका जवाब यह दिया है कि हमने नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री रमेश (सपोटरा): तो मैं यह चाहता हूं पहले तो इसका बताएं कि अब तक इन्होंने क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री):अध्यक्ष महोदय, जैसा कि परिशिष्ट-4 में अंकित है, समय-समय पर निरीक्षण हुए और 8 धारकों को नोटिस दिये गये। निरीक्षण की तारीख और नोटिस की तारीख, इसमें कोई लम्बा-चौड़ा अन्तर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि किसी भी धारक को कोई नोटिस दिया जाता है, उसके प्रत्युत्तर भी आते हैं और ये निरीक्षण कई अधिकारियों ने किये हैं, ये सारे आकस्मिक निरीक्षण हैं। अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है कि किसी को कह कर किये गये हैं। इन निरीक्षणों के अलावा भी, हो सकता है, कुछ और जगह पर अवैध खनन की बात भी हो; कुछ और जगह भी, जो निष्पादित शर्तें हैं, उनके उल्लंघन की भी बात हो। अगर माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे तो मुझे उनकी भी जांच कराने में कोई गुरेज नहीं है।

परन्तु, अध्यक्ष महोदय, अब रिकार्ड पर 8 नोटिस हुए हैं, जिनमें रायल्टी की रसीदों के समस्त कालम नहीं भरना; अध्यक्ष महोदय, जो नोटिस दिये गये हैं, उनमें मुख्य रूप से जो रायल्टी की रसीद जारी की गई, उसके कालम नहीं भरना; स्वास्थ्य, पर्यावरण और सुरक्षा की शर्तें; संविदा की शर्त नम्बर सात के अनुसार पालना नहीं करना; नदी के क्षेत्र में खनन के बाद उसको समतल नहीं करना; और खनन के बाद ग्रेवल/बोल्डर को इधर-उधर छोड़ देना; इस प्रकार के हैं। इनके अलावा और कोई स्पेसिफिक शिकायत होगी तो निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ये सारी पैदा क्यों हुई? निश्चित तौर पर सदन की चिंता भी है....

श्री रमेश (सपोटरा): मुझे जवाब चाहिए, मंत्री महोदय, यह भाषण मत दो। जवाब चाहिए, मैंने जिन चीजों का क्वेश्चन किया है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 19.7.2012 को तत्कालीन सरकार ने पूरे राजस्थान को 128 पट्टों में बांटा। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि 5 हेक्टेयर से कम के पट्टे जारी नहीं किये जाएं, परन्तु....

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, साहब, उसका जवाब दें। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये, दे रहे हैं। समाप्त करने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि उस समय जो पट्टे जारी करने की निविदाएं इन्होंने आमंत्रित कीं, उसमें एक हजार हैक्टेयर से ज्यादा के 43 पट्टे, 300 से 1000 हैक्टेयर के 32 पट्टे, 50 से 300 हैक्टेयर के 17 और सबसे कम 50 हैक्टेयर रखा जिसमें 7 आये।

श्री रमेश (सपोटरा): इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये मत सुनाओ, साहब। मेरा जो क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन का जवाब दें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्षजी, पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं! गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा। मेरी बिना अनुमति के आप बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: यह नहीं चलेगा। आप इस तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वह उनका पूरक प्रश्न है, उसका देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि इन बड़े-बड़े पट्टों की तत्कालीन सरकार ने निविदाएं आमंत्रित कीं, मोनोपाली हुई और मोनोपाली के कारण बजरी की दरों में वृद्धि हुई।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आप मंत्रीजी को बिठाइये, एक मिनट बिठाइये।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। उनका जवाब आयेगा पूरा। जवाब आ रहा है।

श्री रमेश (सपोटरा): सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं!

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मोनोपाली हुई और मोनोपाली के कारण बजरी की दरों में वृद्धि हुई। अब सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय देकर, बजरी की दरें कम हों, उपभोक्ता पर भार नहीं पड़े, इसके लिए कई कदम उठाये हैं। सरकार पहले मंशा स्पष्ट कर चुकी है कि बजरी की जो खनन नीति है, इसके अन्दर आवश्यक संशोधन सरकार लेकर आ रही है और सरकार राजस्थान के उपभोक्ता पर बजरी की दरें पिछली बार से कम हो जाएं, इसका प्रयास कर रही है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब नहीं दे पाये, इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने छोटा-सा क्वेश्चन पूछा है कि शर्त नम्बर 7, 13, 15, 16, 17 का आपने उत्तर में बताया कि इसके उल्लंघन उन्होंने किया; उसके बाद इन्होंने उस फर्म को स्पष्टीकरण के लिए तीन दिन का समय दिया। उसको, एक-दो तारीख तक लास्ट मान लें तो आज तारीख कितनी हो गई, आज 29 तारीख हो गई, तो उन फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यह बता दें मुझे। पहला क्वेश्चन मेरा यह है।

दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा, जिन फर्मों ने, एल.ओ.आई. धारकों ने 3, 6, 9, 12 शर्तों का भी उल्लंघन किया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? यदि सबूत के तौर पर ये जानना चाहते हैं कि हमने गलत कहा है, तो आप यह देख लीजिये कि 9 से 10 मीटर तक यह खोदा जा रहा है, यह गहराई है और दो जगह के खुद मैंने फोटो लिए हैं, मैं खुद वहां पर गया हूं। यह देखो कि नीचे पत्थर तक आ गये हैं। जो दोनों तटों पर होना चाहिए, जीव-जन्तुओं का संरक्षण, पेड़-पौधों का संरक्षण, उसका भी इन लोगों ने विनाश कर दिया है।

तीसरा, ये 10-10 मीटर हाइट के ढेर लग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): यह ओवर-लोड ट्रक भरकर जा रहे हैं और ये भी पहाड़ जैसी स्थिति में हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कब खोदे हैं; यह तो बता दें। कब खुदाई की, यह तो बता दें।

श्री रमेश (सपोटरा): अब आप मुझे जवाब दें कि दोषी अधिकारी और दोषी जो फर्म हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? आप पुरानी सरकार पर

(श्री रमेश)

डालना चाहते हैं तो अब आपको कितने दिन हो गये, सरकार में काम करते हुए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): डालना क्या, डाला हुआ ही है। एक महीने में इतना काम होता है क्या?

श्री रमेश (सपोटरा): यह 60 दिन का मैटर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र 60 मिनट का है कि दोषी फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। यह मुझे सदन में बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नोटिस दिये गये हैं और नोटिस में स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपके विरुद्ध संविदा की शर्तों के उक्त उल्लंघन के कारण आपके पक्ष में जारी अस्थायी कार्यानुमति को निरस्त क्यों नहीं कर दिया जाए, आप अपना स्पष्टीकरण दें। अध्यक्ष महोदय, उनका स्पष्टीकरण आ जाएगा तो गुणावगुण के आधार पर हम फैसला करेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): यह तो तीन दिन की बात है, तीन दिन के भीतर आना था उसका स्पष्टीकरण तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य, आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

आपने टोंक शहर की बात बताई तो टोंक शहर में पेयजल और कुआं, उनका सेफ्टी जोन बना हुआ है, 45 मीटर को छोड़ते हुए लगभग 1,150 हैक्टेयर क्षेत्र में बजरी की लीज नहीं दी गई है। सड़क और पुलियाओं के क्षेत्र में भी 45 मीटर को छोड़कर लीज दी गई है और वन भूमि को छोड़कर लीज दी गई है।

इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक बात होगी, कोई डिफाल्टर होगा... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ...सीवरेज और लाइट के खंभों को भी तोड़ा जा रहा है इसमें।

श्री अध्यक्ष: रमेश जी, आप बैठिये। निवेदन आपने कर लिया और जवाब भी आ गया है।

श्री रमेश (सपोटरा): जवाब नहीं आ रहा। यह जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मुझे यह अफसोस है। जहाजपुर से आने वाले विधायक अपना प्रश्न करेंगे, उनके बाद आप करेंगे। (व्यवधान) आप बैठिये। यह नहीं चलेगा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मंत्री महोदय... वहां देवली में यह मुद्दा उठा था, यह मुद्दा अति-महत्वपूर्ण है। (व्यवधान) क्षेत्र में इसमें एक हत्या भी हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं, बैठिये आप, मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रश्न करें, उसका जवाब आये। प्रश्नकर्ता के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से जवाब नहीं आये, तब तक वह लगातार उठता रहे, बार-बार हस्तक्षेप करता रहे, यह स्थिति नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने जवाब दे दिया, अगर आप असंतुष्ट हैं तो कई और तरीके हैं इस विधान सभा में उस विषय को उठाने के, आप उनसे उठाइये, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप जैसा चाहें वैसा ही जवाब आये।

जहाजपुर के माननीय विधायक। मैं दूंगा, आपको भी मौका दूंगा, आप बैठिये। जहाजपुर के माननीय विधायक, पूरक प्रश्न कीजिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि बात इस सरकार या उस सरकार की गलती की नहीं है, यह सारा खेल जो बजरी माफियाओं का चल रहा है, यह अधिकारियों की और बजरी माफियाओं की मिलीभगत से चल रहा है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के अन्दर जो भीलवाड़ा, टोंक, बीसलपुर में यह बनास नदी है, यह एक तरह से गंगा के समान पवित्र है और हमारी जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा को तहस-नहस करने का काम बजरी माफिया कर रहे हैं। खासकर, टोंक की देवली और भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के अन्दर बजरी माफियाओं के द्वारा चरागाह के अन्दर पेड़े बनाये जा रहे हैं, नदी के अन्दर पाइप रखकर अस्थायी पुलिया बनाई जा रही है और उस पुलिया के माध्यम से 9-9, 10-10, 15-15 मीटर तक एल एण्ड टी, 15-15, 20 -20 एल एण्ड टी नदी के अन्दर खड़ी है। जनता, पब्लिक, गांव वाले और बजरी माफिया आमने-सामने हो चुके हैं और एक विधायक की इस चक्कर में गाड़ी टूट चुकी है, लोगों पर मुकदमे लग गये हैं। जनता यह चाहती है कि एल एण्ड टी के माध्यम से खनन नहीं हो क्योंकि एल एण्ड टी इसको जमीन तक खोद देती है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): दूसरी बात यह है कि इस नदी का इन्होंने स्वरूप बदल दिया है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि भीलवाड़ा के कोटड़ी और टोंक के देवली में क्या सरकार कार्यवाही करने की मंशा रखती है? और एल एण्ड टी को वहां से बाहर निकालने की इजाजत है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, पूरक प्रश्न का जवाब दीजिये। इसके बाद, प्रद्युम्न सिंहजी, आप करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह मामला टोंक जिले से सम्बन्धित है, यह सवाल भी स्पेसिफिक उसी क्षेत्र का है। टोंक में 8 खनन क्षेत्र के बारे में....

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी, भीलवाड़ा में कोटड़ी और जहाजपुर भी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल है, इसे आप देख लें, यह सवाल सिर्फ टोंक से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय, जब 3 करोड़ 4 लाख 47 हजार की रिजर्व प्राइस की बोली तत्कालीन सरकार 120 करोड़ 15 लाख 80 हजार में छोड़ेगी, तो, अध्यक्ष महोदय, जब ठेकेदार इतनी बड़ी राशि में ठेका लेगा, क्योंकि बड़े-बड़े ठेके करके मोनोपाली देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसके बाद यह बजरी महंगी हो गई। मैं तत्कालीन खान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 4 जनवरी को मीटिंग बुलाकर, वर्तमान में इस पर पूरा अंकुश है; दरों को ठीक करने का सरकार प्रयास कर रही है; बजरी की नीति में संशोधन भी लेकर आ रही है।

जो स्पेसिफिक शिकायत माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे मुझे लिखकर दे दें, मैं 15 दिन में जांच करवा कर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा। माननीय सदस्य, अगर आप भी साथ जाना चाहो तो मैं जांच की टीम जो भेजूंगा, उसमें अगर माननीय सदस्य खुद साथ जाना चाहें तो अधिकारियों को कहूंगा कि माननीय सदस्य को साथ लेकर जाएं और जांच करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय मंत्रीजी, नुकसान तो एल एण्ड टी कर रही है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जवाब सही नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: ऐसे ही चलेगा। आप बैठिये। मैं जैसे चलाऊंगा, वही चलेगा। आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ऐसे काम नहीं चलेगा। सही उत्तर दिलवायें, माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां मंत्री ही इन्वाल्व है और मंत्री ने वहां के एस.पी. को फोन किया है कि इसमें ऐसे ही कार्यवाही चलेगी। ऐसे कैसे चलेगा? आपकी मर्जी से जवाब देते रहेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अपने विधायक को आप कंट्रोल कीजिये।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक। आप चुप रहिये, वरिष्ठ विधायक अपनी बात कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, अदालत के आदेश के तहत नीलामी हुई, आपने फरमाया कि अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया, बड़ी-बड़ी लीजें दी गईं। सवाल यह है, आपने जैसा यहां बताया कि शर्तों का उल्लंघन किया गया लीजधारकों द्वारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्तों का उल्लंघन किया गया। आपने तीन दिन के अन्दर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। नोटिस का जवाब आ गया तो क्या आपने उस नोटिस के जवाब का अध्ययन करके, अगर आप कुछ लोगों के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे, उनका लीज लाइसेंस अगर आप कैंसिल कर देंगे तो और लोगों को भी एक मेसेज जायेगा कि वे नियमों का और शर्तों का उल्लंघन नहीं करें और उसके बाद बहुत सारी चीजें अपने आप, स्वत: ही ठीक हो जायेंगी।

यह बात सही है, जब आप टेण्डर पद्धति से ओपन आक्शन के द्वारा बेचेंगे तो प्राइसेज हाई जायेंगी। अब आप ऐसी कौनसी नीति बनायेंगे जिसके तहत, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सब चीजें आक्शन ही जायेंगी, तो फिर आप उसके बारे में कुछ यहां पर कह सकें।

उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की; वह तो आगे की बात है, पालिसी जब बनेगी तब बनेगी; आप इमिजिएट उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो और जो दूसरे लीजधारक हैं, दूसरे जिलों के, उनके लिए एक मेसेज चला जायेगा कि अगर हमने शर्तों का उल्लंघन किया तो हमारी लीज भी कैंसिल हो जायेगी। इसके बारे में आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा, माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि जिनको नोटिस दिया गया है, मैं अधिकारियों से बात करूंगा कि नोटिस का प्रत्युत्तर क्या आया। अध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम है कि इसके अन्दर नोटिस का उत्तर देने का उनको अधिकार भी है, मैं उसका अध्ययन भी करूंगा, अगर उसमें कोई कमी-खामी पाई गई, अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर, नोटिस के आधार पर, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। राजस्थान में खनन माफिया को, बजरी माफिया को पनपने नहीं देंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: कपासन से आने वाले माननीय विधायक बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, आप बोलिये।

श्री रमेश (सपोटरा):...हो गया क्या, जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं?

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह रेत माफिया, पूरा का पूरा ग्रुप, 25 रुपये टन की बजरी को 200 और 300 रुपये टन में बेचने पर आमादा है और इस प्रकार से खुली लूट, इस राजस्थान में आम उपभोक्ता, जो मकान बनाना चाहता है, उसके साथ हो रही है। तो क्या उन पर रेट कंट्रोल करने का विचार है कि नहीं? सबसे पहले तो यह है।

श्री अध्यक्ष: बस एक काफी है। बस एक काफी है, विराजें आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप, जहाजपुर के विधायक, कर चुके हैं। नहीं, आप कर चुके हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरा बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक साथ जवाब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आप इनका जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइन का सवाल है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि पाली जिले में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं? (व्यवधान) यह प्रश्न काल का समय है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड। (व्यवधान) एक सेकण्ड। यह सारा सदन उद्वेलित है तो क्यों नहीं, सदन की कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा ली जाये? (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। (व्यवधान) आप शांत रहिये, शांत रहिये।

हमारी व्यवस्था में मूल प्रश्नकर्ता को दो पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया है और उसके बाद तीन पूरक प्रश्न अन्य विधायक कर सकते हैं। उन तीन के अलावा कई आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए मैं इसको यहीं स्टाप करता हूं। (व्यवधान)

नैक्स्ट प्रश्न। डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड। जवाब तो दिलवा दो, साहब। जवाब दिलवा दो।

एक माननीय सदस्य: जवाब दिलवा दो, अध्यक्ष महोदय। जवाब तो मिला ही नहीं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): प्रश्न संख्या 53 ।

श्री अध्यक्ष: आ गया, जवाब आ गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)**:** अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा मुद्दा है। एक सेकण्ड, एक मिनट; एक मिनट का समय तो दे ही सकते हैं। (व्यवधान) आप इतने उदारमना हैं, एक मिनट का समय दे ही सकते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) आप भी कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): साहब, नेक्स्ट प्रश्न आ गया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, बजरी का बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आपने व्यवस्था दी थी, आधे घंटे की चर्चा रखेंगे। आधा घंटे की चर्चा की बात है।

श्री अध्यक्ष: वह हो जायेगी, वह भी कर लेंगे, आप विराजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आसन ने व्यवस्था दी थी...

श्री अध्यक्ष: हां, हां, तो इंतजार कीजिये ना। लगाया जायेगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, नहीं, आसन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष: आसन की तरफ से व्यवस्था दे दी गई। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ...आसन की तरफ से बजरी के घोटाले पर कोई व्यवस्था नहीं आई। आपके आसन से व्यवस्था आनी थी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। अगला सवाल आ चुका है। मैंने अगला सवाल पुकार लिया है।

बहरोड़ के स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

53. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में कितने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये एवं कितने क्रमोन्नत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम शेरपुर, पंचायत समिति बहरोड़ तथा नांगलीबलाई, डाबड़वास एवं डूमरोली, पंचायत समिति नीमराना में खोले गये हैं। इसी प्रकार, ग्राम पहाड़ी, पंचायत समिति बहरोड़ में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ को 50 से 100 शय्याओं में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृतियों की प्रतियां परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का भी मेन उद्देश्य यही है कि ये खोल दिये गये, यह इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ महकमा है, ये कागजों में तो खुले हैं; अब सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है तो वहां पर स्पेशलिस्ट डाक्टर भी चाहिए, पैरा-मेडिकल

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

स्टाफ भी चाहिए, भवन भी चाहिए, मेडिसिन भी चाहिए, तब उसको खुला हुआ माना जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मेरे खुद के क्षेत्र में जहां ये खुले हैं, केवल कागजों में खुले हुए हैं। अब तक इनके अन्दर 17 तो स्पेशलिस्ट डाक्टर्स के पद रिक्त पड़े हुए हैं, पांच रेडियोग्राफर के पद रिक्त पड़े हुए हैं, आठ लैब टेक्निशियन के पद नहीं हैं, 23 वार्ड ब्वाय नहीं हैं और 10 मेल नर्स नहीं हैं।

अब आप देखिये, क्रमोन्नत कर दिये, पिछली सरकार ने केवल वाहवाही लूटने के लिए, वोट के लिए जनता को गुमराह किया। मेडिकल जैसे डिपार्टमेंट को बिलकुल चरमरा दिया था। जहां बिल्डिंग नहीं है, जहां एम्बूलेंस नहीं है, जहां स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं हैं और वहां खोलने का शब्द जोड़ दिया।

तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी, आप इन रिक्त पदों को कब तक भर देंगे? जो खोले गये हैं, उनका कब तक भवन निर्माण हो जायेगा? कब तक उनके अन्दर मशीनरी आ जायेगी? कब तक उनका पैरा-मेडिकल स्टाफ पूरा कर दिया जायेगा? यह मेरा आपसे आग्रह है, मुझे बताया जाये कब तक आपकी योजना है इनको सही तरीके से सुचारु रूप से चालू करने के लिए?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, पिछली सरकार के अंतिम समय में 650 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा हुई थी, उन्हीं के अन्दर यह चार प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र शामिल हैं और पिछली सरकार ने अंतिम समय में 185 सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की घोषणा की थी, उसी के अन्तर्गत पहाड़ी, यहां का सी.एच.सी. खोला गया और पिछली सरकार ने 50 से 100 बेडेड, बढ़ाने के लिए भी घोषणा की थी। इसमें कोई शक नहीं कि पहाड़ी के अन्दर पांच पद सृजित किये गये, परन्तु सृजित किये गये सारे पद वर्तमान में रिक्त हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि बहरोड़ के अन्दर 50 से 100 बेडेड, अपग्रेड किया गया और वहां जे एस (मेडिसिन),...

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह सुनने की बात है, आप लोगों की सरकार ने क्या घोटाला कर रखा है, यह देखो। यह देखिये हालात! केवल वोट के लालच में खिलवाड़ किया है लोगों से। (व्यवधान) सुन लीजिये। यह तो लोगों के जीवन का सवाल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...जे एस (सर्जरी), जे एस (गायनी), जे एस (पीडियाट्रिक), जे एस (आर्थोपेडिक), ये सारे पद सृजित करने के बाद अब तक रिक्त हैं और इसमें कोई शक नहीं...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सदन में तो बहुमत से गला घोंट दोगे लेकिन लोक सभा के बाद सड़कों पर आएंगे हम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें भी कोई शक नहीं कि राजस्थान के अन्दर 288 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई चिकित्सक नहीं, कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि व्यवस्था विरासत में जैसी मिली, वह सामने है। इसी महीने हम 126 चिकित्साधिकारियों को पदस्थापित कर रहे हैं। माननीय सदस्य, आपने प्रश्नगत जो पी एच सी और सी एच सी की बात कही है, जो 126 मेडिकल आफिसर्स आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा, उनमें से इनको पदस्थापित करके, इनको वास्तव में चालू कर दें। अभी 31,209 पैरा-मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे पास डाक्टर्स अवेलेबल कम हैं, तो कोशिश करेंगे कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भरकर इनको सुचारु रूप से चलायें।

अब ये कागजों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और रेफरल चिकित्सालय नहीं रहें, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी, अध्यक्ष महोदय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): धन्यवाद, साहब, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री बाबू सिंह।

प्रदेश में नवीन डिजिटल राशन कार्डों का वितरण

54. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन डिजिटल राशन कार्डों का वितरण अभी तक नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक वितरण करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकार के तहत पात्र व्यक्तियों की सार्वजनिक राशन वितरण के लिये बनाई गई सूचियों में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

(श्री बाबू सिंह)

अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून के तहत पात्र व्यक्तियों की पुन: सूचियां तैयार करवाकर सार्वजनिक राशन व खाद्य सामग्री वितरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितनी राशन की लाइसेंसशुदा दुकानें कहां-कहां कब से संचालित हैं? पंचायत समितिवार, स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में अधिकतर राजस्व गांव सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकान से वंचित हैं? यदि हां, तो वंचित राजस्व गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन दुकानों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उसके प्रभावी संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता, भ्रष्टाचार व कालाबाजारी को रोकने हेतु कार्ययोजना बना कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी हां। यह सही है कि सम्पूर्ण प्रदेश में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्डों का वितरण सभी जिलों में नहीं हो सका है। वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में कुल 1,05,26,396 राशन कार्ड तैयार कर लिए गये हैं तथा 50,81,048 राशन कार्ड सम्बन्धित जिलों में वितरित किये जा चुके हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

नवीन राशन कार्ड बनाये जाने की अवधि के दौरान ही राज्य सरकार की अनेक फ्लैगशिप योजनाओं जैसे मनरेगा, पेंशन अभियान, ग्रामीण मुख्य

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

मंत्री आवास योजनाएं, प्रशासन-गांवों-के-संग, प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान, बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षा, इत्यादि को समानान्तर रूप से किया जा रहा था। इस कारण राशन कार्ड कार्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका और कार्य में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, सभी जिलों में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड वितरण नहीं होने का कारण यह भी है कि राशन कार्ड कार्य हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया अत्यधिक विस्तृत एवं जटिल रखी गयी थी। विभाग द्वारा राशन कार्ड कार्य हेतु जिले के लिए चयनित 11 फर्मों के माध्यम से आवेदकों से प्राप्त राशन कार्ड आवेदन फार्मों की स्कैनिंग, फार्म में उल्लिखित विवरणों की डैटाफीडिंग एवं चैकलिस्ट तैयार कराई जाकर, तैयार चैकलिस्टों को प्राधिकृत अधिकारियों को सुपुर्द करने तथा प्राधिकृत अधिकारियों से प्राप्त जांचशुदा चैकलिस्टों के आधार पर फर्म द्वारा पुन: डैटा अपडेशन किया जाकर, उन पर डिजिटाइज्ड हस्ताक्षर कराये जाने के पश्चात्, राशन कार्ड प्रिंट कर सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों को राशन कार्ड वितरण हेतु उपलब्ध कराने तक की लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया के कारण राशन कार्ड निर्धारित समय पर तैयार होकर वितरित नहीं हो पाए। सम्पूर्ण राज्य में नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड तैयार कर यथाशीघ्र वितरण कराये जाने के लिए विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

(2) जी हां। खाद्य सुरक्षा अधिकार के तहत व्यक्तियों की सार्वजनिक राशन वितरण के लिए बनाई गई सूचियों में नाम दर्ज होने को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 को उक्त अधिनियम प्रदेश में लागू किया गया एवं दिनांक 4 अक्टूबर, 2013 को प्रदेश में विधान सभा आम चुनाव, 2013 के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी हो जाने के कारण कई नाम, जो एक बार से ज्यादा जुड़ गये, वे नहीं हटाये जा सके। वहीं, दूसरी ओर, कुछ पात्र व्यक्ति चयन से वंचित रह गये।

यही नहीं, किसी भी चयनित का नाम दो बार नहीं आ पाए, इसके सम्बन्ध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए। अत: राज्य में निर्धारित संख्या से 84 लाख यूनिट अधिक चयनित हो गईं। साथ ही, चयन की निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाने से बहुत से पात्र व्यक्ति भी सम्मिलित होने से रह गए, जिसके सम्बन्ध में राज्य भर से शिकायतें विभिन्न स्तरों एवं जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में 446.62 लाख व्यक्तियों का ही चयन किया जाना था

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

और भारत सरकार से गेहूं का आबंटन भी इसी अनुसार प्राप्त हो रहा है, किन्तु प्रदेश में अधिक संख्या में, अतिरिक्त 84 लाख व्यक्ति चयनित हो गये। इस प्रकार, जिला स्तर पर दोहरे चयन एवं पात्र व्यक्तियों के चयन से वंचित रहने के मामलों की जांच कराई जाकर, नियमानुसार दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किये जाने एवं इसकी क्रियान्विति के सन्दर्भ में अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा करने जा रही है। समीक्षा-उपरान्त प्राप्त तथ्यों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा। वर्तमान सरकार सम्पूर्ण प्रक्रिया की पुन: समीक्षा करेगी एवं निर्धारित मानदण्डों का पालन करते हुए, पात्र व्यक्तियों के चयन के बारे में एवं अपात्र व्यक्तियों के निष्कासन के बारे में समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्य-योजना बनाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ (तहसील शेरगढ़ व बालेसर) में वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 167 राशन की लाइसेंसशुदा दुकानें कार्यरत हैं। पंचायत समितिवार, स्थानवार एवं उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कब से संचालित हैं, की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ (तहसील शेरगढ़ व बालेसर) में कुल 56 ग्राम पंचायतें एवं 419 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें से 122 ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम केन्द्र पर उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिनके साथ शेष 297 राजस्व ग्रामों को सम्बद्ध (अटैच) किया हुआ है। विभाग द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम में उचित मूल्य दुकान स्वीकृत नहीं की गई है, वरन् 500 राशन कार्ड एवं 2,000 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

(6) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.17(1)खा.वि./विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 द्वारा 500 राशन कार्ड अथवा 2,000 यूनिट होने पर ही नई उचित मूल्य की दुकान सृजित करने के निर्देश हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। खाद्य सुरक्षा के तहत प्रदेश में 2,000 अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानें प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

यूनिट एवं राशन कार्डों की संख्या के नार्म्स पूर्ण होने पर नई उचित मूल्य की दुकान खोली जाने का प्रावधान है।

(7) जी हां। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उसके प्रभावी संचालन हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-4 पर संलग्न हैं।

(8) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता, भ्रष्टाचार व कालाबाजारी को रोकने हेतु एवं व्यवस्था में सुधारात्मक उपायों को लागू करने के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारियों, प्रवर्तन स्टाफ, उपभोक्ता संगठनों तथा जन-प्रतिनिधियों से गहन विचार-विमर्श कर, प्राप्त सुझावों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सुलभ बनाये जाने की दृष्टि से परिपत्र दिनांक 17.02.2010 जारी किया जाकर, जिला रसद अधिकारियों एवं प्रवर्तन स्टाफ को पालना किये जाने हेतु पाबंद किया गया है। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण, सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में छतीसगढ़ माडल अपना कर व्यवस्था सुधारने एवं पारदर्शिता लाने का विचार रखती है?

साथ ही, क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तीस दिन उचित मूल्य की दुकानें खुली रखवाने का विचार रखती है? इसको भी स्पष्ट करिये।

प्रश्न दो के खण्ड एक में मैंने पूछा कि राशन कार्ड कब तक वितरण करेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह राशन वितरण की प्रक्रिया 2010 में शुरु हुई और जिस संवेदक को यह ठेका दिया गया था, उसने समय सीमा में राशन कार्ड वितरित नहीं किये। वहां भी इन्होंने कई कमियां-खामियां और त्रुटियां रखी हैं। जो वितरित हो गये हैं, उन त्रुटियों को दूर करते हुए, अब कितनी समय-सीमा में आप पूरा कर लेंगे? इसको आप स्पष्ट करिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शेरगढ़ से आने वाले सदस्य ने चाहा है छतीसगढ़ के खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का, उस पर हम अधिकृत रूप से समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यकता हुई तो उसका अध्ययन कर, उस पर जो

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

सही और खाद्य सुरक्षा नियम के लिए, राजस्थान के लिए सुलभ और सही मापदण्डों में अगर लागू करना होगा तो समय-सीमा में रह कर उसका अध्ययन करेंगे और आवश्यकता हुई और हमें जब समीक्षा-उपरांत यह लगा कि राजस्थान के व्यक्तियों के लिए राजस्थान खाद्य सुरक्षा का सही महत्व रहेगा, तो उस पर हम विचार करेंगे।

दूसरा इन्होंने जवाब पूछा है कि राशन कार्ड वितरण में, चूंकि राशन कार्ड पूर्ववर्ती सरकार की देन है, इन्होंने जुलाई-सितम्बर, 2012 में राशन कार्ड वितरण के लिए टेण्डर किये और अक्टूबर, 2012 में टेण्डर आमंत्रित होकर वर्क-आर्डर नवम्बर में सभी जिलों में दे दिये गये। 33 जिलों में 11 फर्मों द्वारा टेण्डर दिये गये और उनकी समय-सीमा थी, फरवरी 2013 तक राशन कार्ड पूर्ववर्ती सरकार को बांट देने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद, आज तक भी, वितरण की व्यवस्था हमको चालू करनी पड़ी।

यह स्थिति हुई है कि इन्होंने जो फूड सिक्योरिटी एक्ट को किस तरह से जल्दबाजी में लागू किया, जिस तरह से बल्ब बांट दो, ट्यूबलाइट बांट दो, उसी तरह से वह किया, 2 अक्टूबर को लागू कर दिया। उसके मापदण्ड सही नहीं हुए, अपात्र व्यक्ति रह गये; पात्र व्यक्ति उसमें आने चाहिए थे, वह नहीं हुआ; अपात्र व्यक्ति हो गये। बहुत लम्बा-चौड़ा बखेड़ा ये छोड़ कर गये हैं। उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं।

29 प्रतिशत राशन कार्ड पूरे प्रदेश में वितरित कर दिये गये हैं; 56 प्रतिशत राशन कार्ड तैयार हो चुके हैं और जल्दी से जल्दी, हमारा प्रयास रहेगा कि इन्होंने जो ढाई साल में नहीं काम किया, वह हम जितनी जल्दी हो सके, वह जल्दी करने का प्रयास करेंगे।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): तीस दिन, तीस दिन; सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दुकानें तीस दिन खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? यह बताओ आप।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि दुकानें राजस्थान में तीस दिन खुली रहेंगी, लेकिन उस वितरण की व्यवस्था, जो पूर्ववर्ती सरकार में....

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पन्द्रह दिन...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था।

(12.00 बजे)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि बजरी वाला जो मामला है, उसमें आपने आधा घंटे की चर्चा का समय दिया था। तो मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि सत्र का आज लास्ट दिन है, इसलिए इसमें विशेष निवेदन है कि इसमें आप आधा घंटे की चर्चा का समय दें।

श्री अध्यक्ष: आज लास्ट नहीं है, लास्ट दिन नहीं है, आगे चल रहा है सत्र।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, यह सत्र 29 तक ही है।

श्री अध्यक्ष: यह सत्र नहीं, सत्र तो कंटिन्यू करेगा, इसके बाद भी कंटिन्यू करेगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आधा घंटे की चर्चा का जो आसन ने समय दिया, उस पर हम यह चाह रहे हैं कि आज ही इस पर आधा घंटे की चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष: इसी सत्र में लिया जाएगा। नहीं, आज लिस्ट नहीं हुआ है। मैंने कहा न, आप विराजिए, ...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि नागौर के अन्दर, जो माननीय सदस्य खींवसर मुद्दा सत्र में उठा रहे हैं, उसके विषय में सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हज़ारों किसान जो हैं, आपके नागौर में इस ठण्ड के मौके रात-दिन बैठे हुए हैं। तो इस पर कहीं-न-कहीं सरकार को जवाब देना चाहिए। कहीं ऐसा जो है, एक वातावरण तैयार करके और उसमें जो है, या तो विशेष निवेदन है सदन की नेता से कि उसमें आप कहीं-न-कहीं जो है, इन्टरफेस करके और एक कमेटी बनाकर और उन किसानों के बीच में जाकर उन किसानों का हाल तो जानें।

यही जो आपका बजरी के खनन वाला मामला है, इसी तरीके का वहां पर भी अवैध खनन जो चल रहा है, उस विषय को लेकर किसान वहां धरने पर बैठे हैं। आज एक महीना हो गया और उस एक महीने के अन्दर सरकार

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)
यह कह रही है कि हम संवदेनशील सरकार बनाएंगे, संवेदनशीलता कहां रही है इन पर? एक महीने से किसान जो है, सड़कों पर बैठा है इस ठण्ड में और उसका कोई हालचाल जानने के लिए सरकार उसमें कुछ कर नहीं रही है।

मेरा आपके माध्यम से विशेष निवेदन है कि आप इसमें कहीं-न-कहीं व्यवस्था देकर, उन किसानों के बीच में जाकर, उन किसानों की समस्या का समाधान करें। यह मैं विशेष निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैं प्रतिपक्ष के नेता का जवाब दे रहा हूं।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप और हम लोक सभा में साथ रहे हैं और आप उस नियम से भली-भांति परिचित हैं कि सदन में सत्ताधारी पार्टी को या सरकार को कोई जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आप बोलते हैं, उन तक पहुंचती है बात; वे उचित समझें तो रेस्पोण्ड करें और उचित नहीं समझें तो नहीं करें। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं कि सरकार बोलना उचित नहीं समझती तो नहीं समझती। बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं निवेदन भी कर सकता हूं लेकिन उनको यह डायरेक्शन नहीं दे सकता। यह तो आप जानते हैं।

सवाल आपने दूसरा उठाया आधा घंटे की चर्चा का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सत्र चल रहा है, इसी सत्र में आधा घंटे की चर्चा आ जाएगी। हम लगा देंगे। यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मामला उठाया प्रतिपक्ष के नेता ने भी...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप हमेशा इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं। ध्यान खींच लिया आपने, पर्याप्त है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपने अभी फरमाया कि मैं निवेदन कर दूंगा, तो निवेदन तो कर दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: मैं कर दूंगा, मैं जब चाहूंगा, तब कर दूंगा। आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कब चाहोगे? आज-आज में हो जाएगा सब?

श्री अध्यक्ष: आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते। आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो आपके कहने से रोज ही बैठ जाता हूं, लेकिन कब तक बैठा रहूंगा, यह तो बताओ आप!

श्री अध्यक्ष: नहीं, मेरे कहने से नहीं बैठते हो, आप अपनी बात कहते हुए बैठते हैं। अच्छा, बैठिये। चलो, मेरे कहने से बैठते हैं। मैं हाथ जोड़ कर के कहता हूं, बैठ जाइए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आज तो, अध्यक्ष जी, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं आ रहा है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अगर आप हम पर गुस्सा करेंगे तो हमको भी बहुत आता है।

श्री अध्यक्ष: मैं आप सबको एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं...। माननीय किरोड़ी लालजी, आपसे कम आ रहा है मुझे। आप गुस्से में क्या-क्या कर बैठते हो, यह मुझे ज्यादा मालूम है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप पर मेरा असर नहीं आना चाहिए। फिर हमको कौन बचाएगा?

श्री अध्यक्ष: अच्छी बात हो तो आ जाए; क्या बुरा है? अच्छा, बैठिये।

ऐसा है कि कुछ तो मेरी आवाज तेज है और कुछ डिबेट में जैसी भाषा आती है, उस भाषा में जवाब देने से डिबेट में रोचकता आ जाती है। यह भी मैं आपको बता देता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई विधायक मेरे जोर से बोलने से या उसको बार-बार बैठने की कहने से, यह नहीं समझे कि मेरी उससे नाराजगी है। मुझे इस सदन को चलाना है, कम समय में, ज्यादा समय में, आप सबके सहयोग से चलाना है। इस सदन को चलाने के लिए आप सबने मुझे सामूहिक रूप से यहां बिठाया है। हो सकता है, मैं भी गलती कर दूं कभी, आवेश में भी, इधर-उधर। तो उसके लिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। मैं किसी के प्रति जोर से बोलता हूं तो उसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं उससे नाराज होता हूं। यह आप बिलकुल स्पष्ट करके चलिये।

हमको पांच साल तक बड़े प्रेम से इस सदन को चलाना है; राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाना है कि उनका एक प्रतिनिधि सदन है, जहां

(श्री अध्यक्ष)

से उनकी समस्याओं के, अभाव-अभियोग के निराकरण के समाधान और रास्ते निकलते हैं। यह विश्वास हो हमारे यहां की कार्यवाही से, यह हमारा सबका प्रयत्न होना चाहिए।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री धीरज गुर्जर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से नगरपालिका जहाजपुर में गत दिनों सफाई कर्मचारियों की भर्ती में भारी अनियमितताएं होने के सम्बन्ध में;

(2) श्री भंवर सिंह भाटी, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, द्वितीय चरण में किसानों की फसल को बचाने के लिए उक्त एरिया सिंचित करने के सम्बन्ध में; व

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा हाल ही में महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों पर की गई नियुक्तियों में कथित आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के चयन से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

आज बहुत व्यस्त है, हमारे पास बिजनेस ज्यादा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप दो मिनट दे दीजिए। आप महान हो, साहब। 295 को पढ़ा हुआ मान लें, आप महान् हो।

श्री अध्यक्ष: वह भी पढ़ा हुआ ही मानेंगे। यह दो मिनट समय देना, मेरा अधिकार है, आज मैं उस अधिकार को काम में नहीं ले रहा हूं। इसलिए आप विराजिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, एक मिनट दें, साहब, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: बैठो, माननीय धीरजजी, बैठो।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से सम्पूर्ण प्रदेश, विशेषकर फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में फसलों को आवारा पशुओं से हो रहे नुकसान की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में;

(2) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में;

(3) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में सड़कों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में;

(4) श्री मानसिंह किनसरिया, सदस्य की ओर से परबतसर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में;

(5) श्री नरेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्याज भण्डारण इकाई के लिए वर्ष 2012-13 की कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि, किसानों को दिलाने के सम्बन्ध में;

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा तैयार कराकर वितरित कराए जा रहे नये राशन कार्ड में सामने आ रही भारी त्रुटियों के सम्बन्ध में;

(7) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के शिक्षण ढांचे में सुधार करते हुए शिक्षण शुल्क, आदि कम करने के सम्बन्ध में;

(8) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लालसोट में पिछले तीन वर्षों से सर्व सामान्य उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(9) राजकुमारी दीया कुमारी, सदस्या की ओर से राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सवाई माधोपुर शहर के लिए स्वीकृत कार्य पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में;

(10) श्री भंवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में दो नये 132 के.वी. के जी.एस.एस. का निर्माण करने तथा उपखण्ड कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने, नवीन पद सृजित करने, आदि के सम्बन्ध में;

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित बीसलपुर विस्थापित पुनर्वास कालोनियों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में; व

(12) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की सी एच सी, भीम देवगढ़ में कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं भीम ट्रोमा सेंटर में रिक्त पदों को तत्काल भरने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को आज पढ़ा हुआ माना जा रहा है।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

पर्ची पर बोलने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शुभकरण चौधरी।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से आश्वासन दिया था कि आधा घंटे पर बजरी की चर्चा होगी और आपने सत्रावसान से पहले-पहले की बात कही है। तब तक 28 फरवरी आ जाएगी और इनका पैकेज पूरा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विशेष मुद्दा बजरी का, तो आज लास्ट दिन है...

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता ने कह दी है।

श्री रमेश (सपोटरा): वह हो गई बात, लेकिन हमारे हितों की रक्षा कीजिए। हम आपके आदेश की पालना करते हैं। +++

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष ने नेता ने यह विश्वास...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आसन पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): आसन की व्यवस्था का सम्मान करते हैं लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष: ऐसे ही चलेगा। इस सदन को मैं चलाऊंगा।

श्री रमेश (सपोटरा): बिलकुल ठीक बात है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अध्यक्षीय व्यवस्था पर प्रश्न करके अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। प्रताड़ित करिये इनको।

श्री अध्यक्ष: ऐसे नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? मुझे चलाने के लिए अधिकृत किया है; इस पोथी के अनुसार, ये जो पोथी है, इस पोथी के हिसाब से मुझे सदन चलाने के लिए अधिकृत किया है। बार-बार आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा? बैठिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): सम्मान कर रहे हैं, आपके आदेश की पालना। हमारे हितों की रक्षा की, हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हां, आपके हितों की सुरक्षा हो रही है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इनको प्रताड़ित करिये।

श्री अध्यक्ष: आपके ही हितों की सुरक्षा की आपको चिन्ता है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने उठा लिया सवाल, मैंने उनको आश्वस्त कर दिया और उसके बाद बार-बार मत उठिये, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं।

श्री शुभकरण चौधरी। कम समय लीजिये कृपया, आज बिजनेस ज्यादा है, यह निवेदन करना चाहता हूं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बड़ा ग्राम (उदयपुरवाटी) में डकैती व गोलीबारी की घटना

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है; आपका बिजनेस ज्यादा है पर मेरे साथ समस्या भी बहुत बड़ी है।

श्री अध्यक्ष: बड़ी है लेकिन...

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): रात को ढाई बजे मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव बड़ा गांव में सरेआम गोलियां चलाई गईं। बीस-पच्चीस लोगों ने पचास लाख रुपये की डकैती कर ली। ढाई बजे उस परिवार पर जब गोलियां चलीं, तो वे घायल अवस्था में हैं, बड़ी गम्भीर अवस्था में हैं और ढाई बजे के बाद, साढ़े चार बजे तक पुलिस नहीं गई। वहां के मुखिया से जब मैंने सुबह 8.57 बजे सम्पर्क किया तो एस.पी. मुझे कह रहा है कि मैं अभी जा रहा हूं, देख कर आपको बताता हूं।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा प्रशासनिक अमला कांग्रेस के समय से बैठा है, जिन्होंने पहले भी बहुत सी हत्याएं करवाई हैं, बहुत सी जमीनों के कब्जे किये गये हैं। मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को हटना चाहिए, वरना कहीं किसी दिन ऐसा नहीं हो कि मैं जो आपके बीच में वहां से चुन कर आया

(श्री शुभकरण चौधरी)

हूं, मेरी भी वहां से बाडी आये और आप लोगों को देखने को नहीं मिले। बहुत बुरी स्थिति है।

25 लोग, रात को 12 बजे तक उस आदमी के घर में शादी थी और 12 बजे से लेकर दो घंटे में, कहां से 25 लोग आ गये? उस आदमी का घर ऐसी जगह है जहां व्यक्ति सीधे तरीके से जा नहीं सकता, वहां लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। रिवाल्वरों से चली 25 गोलियां वहां मिली हैं और पुलिस अब तक यह पता नहीं कर पाई कि किसने गोली चलाई, कहां गाड़ी खड़ी हुई, पचास लाख का लूटा हुआ सोना कहां गया। उस व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया।

अब मैं समझता हूं, आपके पास समय नहीं है पर वह का वह तंत्र, वह ही सी.आई. वो ही डिप्टी वह ही एस.पी. जो पहले साल भर से वहां थे। जिन्होंने पहले जमीनों पर कब्जे करवाये, इंसानों की चिमटों से हत्याएं करवाईं और हत्या करने के बाद, 302 की एफ.आई.आर. दर्ज होने के उपरांत, अपने अधिकारियों को लगा कर, कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने 304 का मुकदमा दर्ज करवाया, उनकी जमानतें करवाईं; वे ही अधिकारी आज बैठे हुए हैं। यही स्थिति रही तो हम किस प्रकार संवेदनशील सरकार देंगे? हमारा सुराज का संकल्प कैसे पूरा होगा?

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और गृह मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त प्रभाव से उस एस.पी., डी.एस.पी. और सी.आई. को वहां से हटाना चाहिए और उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और शाम पहले उन लोगों को गिरफ्तार करके उसकी बरामदगी होनी चाहिए।

यही स्थिति रही तो हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। मुझे भी सरेआम इस बात की धमकी दी जाती है कि बतायेंगे, कितने दिन सुराज की बातें करता है; हमने पहले भी उदयपुरवाटी में हत्याएं की हैं और हम पुन: वापस करेंगे, और जीताजागता नमूना उन्होंने वहां आज पेश किया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि दुबारा आप सदन में मुझे बुलाएं और मेरी लाश यहां आये, अगर यही स्थिति रही तो। वरना तो मैं गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि शाम पहले वह एस.पी., डी.एस.पी. और सी.आई. वहां से हटना चाहिए और उस आदमी को न्याय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपकी उम्र सौ साल तक होनी चाहिए। हम ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहते।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुरवाटी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो घटना कही है, वह वास्तव में कल रात को ढाई बजे से तीन बजे के बीच में हुई। लगभग पचास लाख से अधिक जेवर की। इसमें डकैती हुई है। कुछ लोग हथियारबंद आये थे और उन्होंने फायरिंग की उससे परिवार के दो लोगों को लगी है। लेकिन एस.पी. वहां कैम्प कर रहा है, डीवाई.एस.पी. वहां है।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मंत्री महोदय, एस.पी. सुबह 8.57 बजे मुझे कह रहा था कि मैं अभी रास्ते में हूं, पहुंचा नहीं हूं और मैं ढाई बजे से उससे सम्पर्क कर रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वहां पर जांच की दृष्टि से एफ एस एल टीम भेज दी गई है, एम ओ टी टीम वहां है, कुत्तों का स्क्वाड वहां भेज रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसका पता लगे। निश्चित रूप से गोली चली है, डकैती हुई है, परिवार के लोगों के लगी है, इसमें कोई दोराय नहीं है।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी ताकत लगा करके इसको खोलने का प्रयास करेंगे। सफलता कब मिलेगी, यह एकदम तो नहीं कह सकता पर पूरी टीम कैम्प कर रही है। जो भी हमें वहां एविडेंस मिलेगी, जिस ढंग का भी हमको वहां कोई आधार मिलेगा, उस आधार पर हम आगे जांच करेंगे।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सवालों का भी तो जवाब दिलवा दिया करो कभी, पर्ची पर। इतने गम्भीर मामले हैं। कलेक्ट्रेट पर हजारों किसान धरने पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से जवाब आ जाए। अगर करना चाहें तो ठीक है और करना नहीं चाहें तो भी बोल दें...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर):...कि उन किसानों की मांग नाजायज है और सरकार उनको सुनना नहीं चाहती। इस तरह का +++ सदन में हो रहा है। आप हमारे हितों का संरक्षण करें, अध्यक्ष महोदय। हमारे जवाब तो कम से कम दिलवायें। दो मिनट लगेगी, मंत्रीजी बोल दें मेरे मामले में।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।...शब्द अपलोपित किया जाए।

108 एम्बुलेंस सेवा के संचालन में अनुभूत अनियमितताएं

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे व्यक्ति की जिन्दगी से सम्बन्धित अतिआवश्यक विषय पर बोलने की अनुमति दी।

कहा गया है कि 'पहला सुख निरोगी काया' और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की पूर्व और वर्तमान यशस्वी मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजेजी ने 108 की सेवाएं राजस्थान को प्रदान की थीं। पूर्व के कार्यकाल के दौरान इनकी सेवाएं बराबर, लगातार शांति से चलती रहीं, परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने इन सेवाओं को न केवल खराब किया, न केवल अव्यवस्थित किया, बल्कि एक तरह से समाप्त करने की ओर कर दिया। सरकार के सबसे बड़े अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब जोधपुर गये तो एक मां की आवाज आई, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उसने कहा, ये डाक्टर हैं या यमदूत हैं? उस अधिकारी, सरकार के इतने बड़े मुखिया को भी लगा कि नहीं, वाकई स्थिति बड़ी खराब है।

राजस्थान में नयी कम्पनी जो प्रभाव में आयी, उसे कुल 522, 108 की एम्बुलेंस उपयोग हेतु दी गईं, लेकिन उस कम्पनी ने सरकार की बार-बार चेतावनी के बावजूद भी, नोटिस देने के बावजूद भी, डायरेक्टर के नोटिस के बावजूद भी कोई सुधार नहीं किया। जो 108 की एम्बुलेंस हैं, वे बिना आक्सीजन के चल रही हैं, बिना दवाइयों के चल रही हैं, बिना उपकरणों के चल रही हैं।

यह सेवा प्रदाता जो कम्पनी है, जी वी के ई एम आई आर आई के स्टेट हैड ने खुद ने स्वीकार किया है कि प्रदेश भर में औसतन रोज तीस से चालीस एम्बुलेंस आफ-द-रोड हो रही हैं। श्रीमान्‌जी, इतना ही नहीं, सरकार ने इस कम्पनी को पांच सौ एम्बुलेंस जो संचालन के लिए दी थीं, उनमें से जोधपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र को पच्चीस एम्बुलेंस रोज के लिए संचालन हेतु देती, लेकिन वे भी रोजाना आफ-हैंड हो रही हैं।

(श्री जोगाराम पटेल)

कम्पनी को नोटिस के बावजूद भी, जान-बूझकर उसकी शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार के जो तत्कालीन और वर्तमान कानून हैं, उनकी जान-बूझकर अवहेलना की जा रही है। उसमें यह तय हुआ था कि सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, वह किया जा रहा है, परन्तु उसके बावजूद भी आठ हजार पांच सौ व पांच हजार रुपये सिक्योरिटी के नाम पर उन कर्मचारियों से वसूल किये जा रहे हैं, जो कम्पनी पहले ही सरकार से वसूल कर चुकी है और वसूल कर रही है। ऐसे करके करोड़ों रुपये कम्पनी ने इस सिक्योरिटी के नाम पर, 8,500 व 5,000 के तौर पर कर्मचारियों से वसूल कर लिए हैं।

श्रीमान्, इतना ही नहीं, आठ घंटे से अधिक, लगातार एक कर्मचारी से सेवाएं ली जा रही हैं और उनको 7,500 के स्थान पर सिर्फ 7,000 का वेतन दिया जा रहा है। यह रिलेवेंट जो ला हैं, लेबर लाज हैं, उनका डाइरेक्टली उल्लंघन हो रहा है। इस सम्बन्ध में भी नोटिस दिया गया है।

श्रीमान्, इतना ही नहीं, आज दिन तक 81 एम्बुलेंस आफ-द-रोड हो चुकी हैं और 91 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनमें न दवाई हैं, न उपकरण हैं, न आक्सीजन है और तीस एम्बुलेंस ऐसी हैं जिनमें स्टाफ ही नहीं हैं। यह सारा का सारा, जो एक योजना थी कि सभी लोगों को, चाहे वह एक्सीडेंट हो जाए, अकस्मात् बीमारी हो जाए, कहीं पर बीमार हो जाए, उनको तुरन्त अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन ये सेवाएं मात्र एक यातायात का साधन बन कर रह गई हैं और इनसे कोई सहायता नहीं मिल रही है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा, इतना ही नहीं, इसके एग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि पांच ट्रिप रोजाना करेंगी लेकिन कई एम्बुलेंस ऐसी हैं जो कोई ट्रिप नहीं कर रही हैं, उसके बावजूद भी वे बराबर सरकार से पैसा उठा रही हैं।

ऐसी स्थिति में मेरा आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है, जी वी के ई एम आर आर ई इस कम्पनी का नाम है, इस कम्पनी के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जावे। जान-बूझकर यह कम्पनी सभी नियमों का उल्लंघन कर रही है; जो सेवाएं उसके मार्फत मिलनी चाहिये थी उन सेवाओं का उल्लंघन कर रही है। इतना ही नहीं, यह कर्मचारियों के साथ अन्याय भी कर रही है; पब्लिक के साथ ही नहीं, कर्मचारियों के साथ भी अन्याय कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि अखबारों में खबरें ही नहीं छपीं, जिन कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा जाहिर की, उन कर्मचारियों को हटाने के लिए भी नोटिस दिये जा

(श्री जोगाराम पटेल)

रहे हैं, धमकाया जा रहा है कि आपने सही बात क्यों बताई, आपने शिकायत क्यों की। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जिन स्थानों पर ऐसी-ऐसी शिकायतें आ रही हैं, उनकी तुरन्त जांच करवाई जावे।

श्रीमान्, इतना ही नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणी में डाक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है और रात्रि के समय कोई भी डाक्टर उपलब्ध नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में, रात्रि के दौरान अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर कोई डिलिवरी का केस आ जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई सेवा वहां उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में, दो-तीन दिन तक वहां हड़ताल हुई, सी एच सी के दरवाजे बंद किये गये और यह बताया गया कि समय पर यहां कर्मचारी रहे, नर्सिंग स्टाफ रहे, डाक्टर रहे, लेकिन कोई भी उपलब्ध नहीं है।

मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस एम्बुलेंस की व्यवस्था को तुरन्त प्रभाव से सुधारें; इस कम्पनी के खिलाफ तुरन्त प्रभाव से व्यवस्थित कार्यवाही करें क्योंकि नोटिस के बावजूद भी कम्पनी अपनी सेवाएं बराबर नहीं दे रही है। मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि यह अतिआवश्यक सेवा है, इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जी वी के ई एम आर आर ई कम्पनी, हैदराबाद को 23 मई, 2013 को एक एग्रीमेंट के माध्यम से दो वर्ष के लिये अनुबंधित किया गया था; यह भी सही है कि एक एम्बुलेंस के संचालन के लिये 1,12,500/- रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया; यह भी सही है कि औसतन पांच ट्रिप होने चाहिये; और यह भी सही है कि उसमें आवश्यक जीवनरक्षक दवाइयां, जो लगभग 35 हैं, और छोटे-मोटे इक्विपमेंट्स, आक्सीजन होनी चाहिये। आपने मुझे बताया कि इस पूरी सेवा में कुछ कमी-खामी है, मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय, 2008 में तत्कालीन मुख्य मंत्री, वसुंधराजी ने धन्वंतरि एम्बुलेंस सेवा के नाम से इस सेवा को प्रारम्भ किया था। तब से लेकर प्रारम्भ तक यह सेवा अच्छी चली। बीच में जिगित्सा कम्पनी आ गई और जिगित्सा कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर, कीर्ति चिदम्बरम से लेकर मैं किस किस का नाम लूं, ऐसे बड़े-बड़े लोग थे, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के पुत्र, उन्होंने पूरी इस सेवा को व्यवसाय में बदल दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सदस्य, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपने जिन खराब एम्बुलेंस के बारे में बात की और मैं स्वीकार भी करता हूं कि 522 एम्बुलेंसों में से 59 एम्बूलेंस खराब हैं, हम इसी महीने न केवल पैसा काटेंगे, बल्कि इन 59 एम्बुलेंसों को ठीक भी करवायेंगे और जो कर्मचारियों से सिक्योरिटी के नाम पर पैसा वसूल किया जा रहा है, या कम वेतन दिया जा रहा है, या लेबर ला के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, इस पर भी सख्त से सख्त कार्यवाही करके, मैं आपको निवेदन करूंगा, जो भी कार्यवाही हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

पाल पंचायत (बड़ी सादड़ी) में आधारभूत सुविधाओं का अभाव

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की पाल पंचायत, जिसकी आबादी पांच हजार है, के मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की ओर आकर्षित करूंगा।

माननीय, इस पूरी पंचायत में न तो पक्की सड़क है, न बिजली है, न हैंडपम्प हैं। सड़क की स्थिति तो यह है कि लगभग 20-20 किलोमीटर तक, कहीं से भी जाएं, भले ही बड़ी सादड़ी से जाएं, प्रतापगढ़ से जाएं, धरियावद से जाएं, कहीं से भी जाएं, तो तीन-तीन घंटे पहले वहां नहीं पहुंच सकते। बिजली की यह स्थिति है कि इस पूरी पंचायत में न तो एक भी घरेलू बिजली का कनेक्शन है और न ही कृषि कनेक्शन है। इस पूरी पंचायत में एक भी हैंडपम्प नहीं है। पीने के पानी के लिए कितने परेशान हैं, यह हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। वहां जो लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति इस आजाद देश में इतने वर्षों बाद भी ऐसी स्थिति है, जो विचारणीय है।

मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा पाल पंचायत वासियों को शीघ्र राहत प्रदान कराने का आश्वासन चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि यह पाल पंचायत सीतामाता की सैंक्चुअरी में है और इनमें से अधिकांश लोग जो माही और कड़ाना से विस्थापित हुए थे, उन लोगों को उस समय किया। लेकिन चूंकि यह सीतामाता का अभयारण्य होने के कारण से, सड़क ले जाने में भी वन विभाग की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्वीकृति नहीं मिलती, पोल गाड़ने की भी नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी मोटर को भेजकर के हैंडपम्प उस गांव के लिये, जहां-जहां भी, जिस तरह से भी आवश्यक होगा, वह व्यवस्था उनके लिए जरूर करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

पीलीबंगा-रावतसर (हनुमानगढ़) में सेम की समस्या का स्थायी निराकरण

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के पीलीबंगा-रावतसर, जिला हनुमानगढ़ में पिछले 35-40 वर्षों से सेम की बहुत बड़ी समस्या है। इससे क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन सेम से नष्ट हो चुकी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय माननीया मुख्य मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था, माननीय महोदयाजी ने निरीक्षण करके आई जी एन पी की 96 आर डी पर दोनों तरफ पानी उठाने के लिए पम्प लगाये थे, एक पम्प बड़ोपल गांव के झुरीया वाला चक के पास लगाया था, जिससे सेम समस्या का कुछ हद तक समाधान हुआ था। कांग्रेस सरकार के समय में तीनों पम्प बन्द हो गये, जिससे सेम के पानी का स्तर बढ़ गया। इससे जमींदारों की जमीन खेती योग्य नहीं रही।

अत:, माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि सेम समस्या का स्थायी निदान करके, इसकी कार्यवाही करावें, जिससे किसान बरबाद होने से बचें। जब तक सेम समस्या का स्थायी निदान न हो जावे, तब तक सेम-पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाया जावे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ, रावतसर में सेम के पानी की निकासी की कोई स्थायी योजना नहीं बनी हुई है। ज्यादा सेम का पानी बढ़ जाता है तो शहर डूबने की स्थिति में हो जाता है। बाहर पानी निकाला जाता है तो खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो जाती है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि पानी की निकासी की व्यवस्था करवाई जावे। साथ ही, सेम-ग्रस्त क्षेत्र में जो खालों के निर्माण के नक्शे बनाये गये हैं, वे अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। अत: उनको भी लागू करवाया जावे।

(श्रीमती द्रोपती)

अध्यक्ष महोदय, सेम की वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी और खड़ी हो गई है। जो 12वीं कक्षा तक की लड़कियों का वहां स्कूल है, वह सेम की वजह से बिलकुल जर्जर हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि एक नया स्कूल भवन बनवाया जाए ताकि वहां की लड़कियों के पढ़ने के लिये अच्छी व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

आई आई एच एम आर विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, आई आई एच एम आर विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आई आई एच एम आर विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, आई आई एच एम आर विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत आई आई एच एम आर विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश संख्या 30) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमसिंह भड़ाना।

राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री राजेन्द्र राठौड।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

उपनिवेशन विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या : एफ.21(01)उप/2004 दिनांक 14.2.2013, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को भी राजस्व ग्रुप-6 विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.6(9)राज-6/96-पार्ट-39 दिनांक 8.12.2010 के अनुसार ही ग्राम पंचायतों में भी कार्यवाही करने का एतद् द्वारा निर्देश प्रदान किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.3(38)उप/2000-पार्ट-5 दिनांक 28.3.2013, जिसके द्वारा उपनिवेशन क्षेत्र की समस्त परियोजनाओं के काश्तकारों (सभी श्रेणी के आबंटियों यथा-सामान्य आबंटन, विशेष आबंटन व मोहरबन्द नीलामी द्वारा आबंटन, आदि) को आबंटित भूमि की कीमत के पेटे बकाया समस्त किश्तों को दिनांक 31.12.2013 तक एक-मुश्त जमा कराने पर उस पर देय ब्याज की राशि की शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.19(25)उप/2012 दिनांक 23.5.2013, जिसके द्वारा पेच की बावड़ी लघु सिंचाई परियोजना के वर्णित क्षेत्र (अधिसूचना में) को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

4- अधिसूचना संख्या : एफ.19(19)उप/2013 दिनांक 5.6.2013, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.24(4)राज/उप/68 दिनांक 21.2.1969 से घोषित कालोनी क्षेत्र में से जिला चित्तौड़गढ़, तहसील-बेगूं, ग्राम बरनियास एवं मकनपुरा क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के प्रवर्तन से प्रत्याहृत किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)कोल/96 दिनांक 27.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 की शर्त संख्या-9 में संशोधन किया गया है; एवं

6- अधिसूचना संख्या : एफ.3(16)उप/13 दिनांक 30.9.2013, जिसके द्वारा राजस्थान मृतक प्रतिरक्षा कर्मियों के आश्रितों एवं विकलांग प्रतिरक्षा कर्मियों को विशेष सहायता (भूमि का आबंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम-6(3)-डी के अन्तर्गत जिला जैसलमेर, तहसील रामगढ़-1 की भूमि आबंटन करने के लिए आरक्षित की गई है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष (2012-13)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वित्त-लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखता हूं ।

(12.31 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री गजेन्द्र सिंह जी।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (सं. 12) तथा लेखे वर्ष (2011-12)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदया, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल जी सैनी।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (सं. 42) वर्ष (2010-11)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदया, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: याचिका का उपस्थापन। श्री तरुण राय कागा।

याचिका

चौहटन की पेयजल समस्या का समाधान

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): सभापति महोदया, मैं, आपकी अनुमति से, चौहटन विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

श्री सभापति: श्री कालूलाल जी गुर्जर।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदया, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

1. "इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2014-2015 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।
2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क', 2014-2015 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।
3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232 (1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख', 2014-2015 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।
4. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।"

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री सभापति: वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। श्री कालूलाल जी गुर्जर।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं :

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2014-2015, प्राक्कलन समिति ''क'', 2014-2015, प्राक्कलन समिति "ख", 2014-2015 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2014-2015, प्रत्येक के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।"

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से जो उत्तर आना है, उससे पहले जो वाद-विवाद में हमारे...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। दो मिनट की बात करूं।

माननीय सभापति महोदया, मैं जोधपुर के सूरसागर से निर्वाचित हुई हूं और सूरसागर में सड़कों की ऐसी स्थिति है, पांच साल से सड़कें चल रही हैं, मैं दो सड़कों के नाम बताऊं, मैं चाहूंगी कि वर्तमान में, अभी मुख्य मंत्रीजी ने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जो 60 दिन की योजना बनाई है, उसके अन्दर उनको सम्मिलित किया जाए, पालवा...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, यह समस्या है, इस समस्या को यहां पर अभी व्यवस्था के प्रश्न में नहीं। आप अपनी समस्या दीजिए मंत्रीजी को।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदया, यह समस्या का, मतलब यह हुआ कि अभी एम्स रोड जो पांच साल से ऐसे की ऐसे पड़ी हुई है, उस पर दो मृत्यु ही नहीं हुई हैं, बल्कि एक का तो पैर ही कट गया है। यह स्थिति है। मैं यह यहां सूचना देना चाहती हूं। मैं इसलिए सूचना देना चाहती हूं, काकलिया चौराहे से लेकर चौपासनी की रोड ऐसे ही पड़ी है। पांच साल से काम चल रहा है, मैं पांच साल से बोलती रही हूं...

श्री सभापति: लेकिन इसको अभिभाषण के दरमियान, जब चर्चा में आप बोलें, तब इस बात को...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैंने व्यवस्था के प्रश्न से बात कही है, ऐसे नहीं कही है। इसलिए कहा है, ताकि मालूम पड़े कि वहां काम कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए कही है।

श्री सभापति: ठीक है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं चाहूंगी, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहेंगे।

श्री सभापति: चर्चा हेतु, श्री ओम बिरला।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदया जी ने राज्य सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज सदन में रखा। कल राज्य सभा के चुनाव थे और राज्य सभा के चुनाव में, शायद 1952 के बाद पहला इतिहास होगा, जब कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। कांग्रेस का प्रत्याशी शायद इसलिए नहीं था कि आजादी के बाद पहली विधान सभा बनी, 1952 से लेकर अभी तक, इस राजस्थान की विधान सभा के अन्दर कांग्रेस की सरकार, 2009 के अन्दर संवैधानिक लोकतंत्र के भ्रष्टाचार से चुनी सरकार को बहुत अहंकार था कि हम हमारी प्रदेश की नीतियों, कार्यक्रमों, नकद राशि बांटकर फिर से सत्ता में लौटेंगे, पर, माननीय सभापति महोदया, यह भी एक

(श्री ओम बिरला)

इतिहास रहा होगा कि इस मंत्रिमण्डल का एक मात्र सदस्य जीतकर आया और 76 विधायकों में से केवल 4 विधायक जीतकर आएं। 96 इनके कुल विधायक थे, 76 को इन्होंने टिकट दिया।

2009 के अन्दर महामहिम राज्यपाल महोदय से इन्होंने अभिभाषण में बहुत बातें कहलाई थीं; 2003 से 2008 तक वर्तमान मुख्य मंत्रीजी की सरकार की आलोचनाएं भी की थीं; प्रदेश को यह कहा था कि हम ऐसी सरकार देंगे जो संवेदनशील होगी, पारदर्शी होगी; उत्तरदायी प्रशासन देने के वादे के साथ इस सरकार ने 2009 में अभिभाषण में राज्यपाल महोदय के मुख से कहलवाया था। इतना ही नहीं, सभापति महोदया, इन्होंने कहा था, हम राजस्थान के किसान, मजदूर, कर्मचारी-हितैषी; सुशासन, जवाबदेह, मूर्त रूप और आधुनिक विकास के राजस्थान की सरकार है हमारी। इन्होंने बहुत बड़ी बातें की थीं 2003-2008 तक कि शराब की दुकानों में बहार बहती है; हम 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद करेंगे; शराबबंदी करेंगे; क्या हुआ? सभापति महोदया, शराब का अवैध कारोबार और कारोबारियों में लिप्त यह सरकार रही। इन्होंने कहा था कि पिछली जो सरकार थी, वह कानून-व्यवस्था से लचर सरकार थी; हम कानून-व्यवस्था लागू करेंगे; कानून-व्यवस्था के साथ महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे।

माननीय सभापति महोदया, इतना ही नहीं, 2003 के विश्वास मत के समय, उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत साहब ने यह कहा था कि भाजपा सरकार के अन्दर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं; महिला मुख्य मंत्री होने के बाद भी महिलाओं की चैन खींची जाती है; बलात्कार, डकैती, हत्या, आमजन सुरक्षित नहीं हैं; यह सरकार है? बहुत वादों के साथ यह सरकार और बहुत सपने दिखाकर यह सरकार जनता से जनादेश मांगने गई।

हम विधान सभा में पांच साल तक सरकार को आईना दिखाते रहे; हमने कहा, मुख्य मंत्रीजी, हम पिछले आपके कार्यकाल की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कार्यकाल की आपकी चर्चा इतनी कर रहे हैं कि आपने जो बातें विधान सभा में 2003 के विश्वास मत के समय कही थीं, पूरे पांच साल हम उन बातों को लेकर विधान सभा में कहते रहे।

सभापति महोदया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें परिवर्तित हो जाती हैं, सरकार आती-जाती रहती हैं लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा, हम सबकी मुख्य मंत्रीजी ने कहा, प्रतिपक्ष की भी वाजिब बात, प्रतिपक्ष की

(श्री ओम बिरला)

आलोचना, प्रतिपक्ष का विरोध, उन बातों को लेकर चलेंगे; कहीं हम अंधेरे में होंगे तो उनको जो रोशनी दिखाएंगे, उस रोशनी में चलने का काम करेंगे, लेकिन, सभापति महोदया, इस सरकार में हम उनकी हर बातों को लेकर चलेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य अभिभाषण पर अपने विचार रख रहे हैं, एक भी मंत्री यहां पर नहीं है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं बैठा हूं यहां।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक ही! एक ही! केवल एक बहुत हो? वह भी राज्य मंत्री! एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है।

श्री सभापति: आप बैठिये। आप बैठिये। आप अपने स्थान पर बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। ऐसी क्या सरकार हो गई? इतने बहुमत के जोर पर, सभापति महोदया, एक भी मंत्री नहीं है; कैबिनेट मंत्री एक भी नहीं है यहां पर।

श्री सभापति: ठीक है, आप बैठिये। मंत्री बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य, आप डिस्टर्ब मत करिये। वे बात कह रहे हैं और मंत्री भी बैठे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक ही बैठे हैं।

श्री सभापति: बैठे हैं, बैठे हैं। बैठिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक ही बहुत है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदया, इस 2009 से 2013 तक, उस समय तत्कालीन सरकार ने राजस्थान को जिस स्थिति में छोड़ा है, आज जो राजस्थान की हालत आर्थिक रूप से छोड़ी है, सामाजिक बुनियादी ढांचे पर छोड़ी है, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, आने वाले उद्योगों में निवेश बंद, भ्रष्टाचार, कानून में राजनीति करने वाली सरकार, जिसके कारण आज राजस्थान की यह हालत बनी है। आज हालत यह है राजस्थान के अन्दर, पिछले पांच साल के अन्दर इस सरकार ने बहुत बड़ी बात कही थी कि

(श्री ओम बिरला)

1998 से 2003 की सरकार हम पर 53 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गई है; इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान आर्थिक रूप से जर्जर अवस्था में पहुंच गया; सभापति महोदय, आपने कितना कर्जा छोड़ा है? मेरे प्रतिपक्ष के नेता यहां पर नहीं हैं, नहीं तो उन्हें हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। मुख्य सचेतकजी, पहली बार विधायक चुनकर आये हैं, प्रतिपक्ष के नेताजी को सिखाओ कि सदन में बैठा करें। हमसे मत सवाल पूछो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदया, आपसे ज्यादा सीनियर हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरे से सीनियर-जूनियर का सवाल नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेम्बर आफ पार्लियामेंट रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, प्रधान रहे हैं और इस सदन के सदस्य भी हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, पहली बार चुनकर आये हैं, हम तीन बार के विधायक हैं। दूसरी बार भी चुनकर आये हैं, तो प्रतिपक्ष के 6 बार भी चुनकर आये हैं। हमारे घनश्याम तिवाड़ी जी बैठे हैं, छह-छह बार चुनकर आने पर भी सदन में पूरे टाइम बैठते हैं।

इसलिए, सभापति महोदय, देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र होना चाहिए; पक्ष भी होना चाहिए, प्रतिपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन कैसा दुर्भाग्य राजस्थान का कि इस निकम्मी सरकार के कारण, इनके भ्रष्टाचार, अराजकता, राजस्थान का किसान, नौजवान, मजदूर ने जिस तरीके की हालत इनकी की, आज हालत यह है कि प्रतिपक्ष के पास बैठने वाले विधायक जरा-सी कुर्सियों पर सिमट चुके हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हम तो 53 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गये थे, आप कितना कर्जा छोड़कर चले गये? हमसे चार गुणा कर्जा आप छोड़कर गये हैं, इस राजस्थान के अन्दर।

आपने राजस्थान के अन्दर, जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र के अन्दर माना जाता था कि इस राजस्थान में सरकार के धन से वोटों को नहीं खरीदा जा सकता है, यह साउथ के राज्यों के अन्दर होता था, यहां लोकतांत्रिक अच्छी प्रक्रिया थी, अच्छे नेता यहां के मुख्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आपने हालत क्या की? आपने जिस तरीके से नकद पैसे के आधार पर, वोट खरीद कर राजस्थान के इस लोकतंत्र, प्रजातंत्र की मजाक की है, इसी कारण राज्य की जनता ने आपको इस स्थिति में छोड़ा है।

(श्री ओम बिरला)

आप तो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि हम पेंशन योजना दे रहे हैं, गरीबों को मुफ्त दवा दे रहे हैं, कम्बल बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, लैपटाप बांट रहे हैं, साइकल बांट रहे हैं; आपने तो राजस्थान के इस सामाजिक ढांचे को शायद बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया होगा, आपने तो उस गरीब-मजदूर की आमदनी को बढ़ा दिया होगा, आपने किसान की उत्पादकता को बढ़ा दिया होगा, आपने शायद राजस्थान के कर्मचारी और युवा-नौजवानों की बेरोजगारी समाप्त कर दी होगी। माननीय सभापति महोदया, यह राजस्थान का इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, इन्होंने राजस्थान के अन्दर एक नई दिशा दी है और एक ऐसी दिशा दी है जो राजस्थान के लोकतंत्र के लिए सबसे दिशाहीन नीतियां हैं।

आपने 1,200 करोड़ रुपए का कर्जा, 1,200 करोड़ रुपया आप नकद बांट कर इस राजस्थान की स्वाभिमानी जनता के ईमान को खरीदना चाहते हो? महिलाओं को दो साड़ी के अन्दर, एक कम्बल के अन्दर क्या ईमान खरीदना चाहते हो? आपने राजस्थान की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा; राजस्थान कलंकित हुआ तो आपके मंत्रियों के कारण कलंकित हुआ। आपके समय जिस तरीके से राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित रहीं, उसके कारण राजस्थान कलंकित हुआ। दो साड़ियां बांट कर, एक कम्बल बांट कर, 1,500 रुपए बांट कर इस गरीब के ईमान को खरीदने की कोशिश मत करो।

राजस्थान की स्थिति तो अभी यह है कि यहां पर 40 परसेंट लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता; अस्पताल में चिकित्सक नहीं हैं; स्कूलों में जाएं तो अध्यापक नहीं हैं; गरीब मजदूर को दो टाइम खाने की रोटी नहीं है। आवश्यकता थी तो पहले राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करते, आम आदमी की इन्कम को बढ़ाते, आम आदमी को दो टाइम रोटी कमाने की, इन्कम को बढ़ाने का साधन देते, इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर पैसा खर्च करके उस मजदूर, किसान, नौजवान को रोजगार के आधार पर खड़ा करने का काम करते, लेकिन इस सरकार ने 1,200 करोड़ रुपया नकद बांटा।

आपने जिस हालात पर पहुंचाया, एक-एक को गिनाऊं? माननीय सभापति महोदया, इनके युवराज कहते हैं दिल्ली के अन्दर कि भाजपा मार्केटिंग के आधार पर जीतती है; मार्केटिंग करके वोटों को खरीदती है; गलत तथ्य देकर वोट लेती है और सरकारें बनाती है। माननीय सभापति महोदया,... (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम नहीं ले सकते।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपके युवराज नहीं हैं क्या? आपके नेता नहीं हैं?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आसन ने व्यवस्था दी थी।

श्री सभापति: नाम नहीं बोला है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नाम नहीं बोला है।

आप मार्केटिंग की बात करते हों, इस राजस्थान की जनता का 400 करोड़ रुपया, एक विज्ञापन एजेंसी को देने के नाम पर आपने, भ्रष्टाचार की परत पर चढ़ा। माननीय सभापति महोदय, 400 करोड़ रुपए के विज्ञापन होर्डिंग्स, जिसमें मुख्य मंत्रीजी नारा दे रहे थे- 'नया राजस्थान' का नारा, 'गरीब को स्वावलंबन', 'किसान के हाथ को मजबूत करना', 'नौजवान को मजबूत करना', इस आधार पर आप जनता से वोट मांगना चाहते थे, यह मिथक भी टूट गया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदया, जब गवर्नर के अभिभाषण पर वाद-विवाद चलता है, तब किसी न किसी कैबिनेट मंत्री का यहां पर रहना आवश्यक है। यह अध्यक्षीय परम्पराएं भी रही हैं। (व्यवधान) एक मिनट रुको तो सही।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कहां है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): है हमारे पास। आप तो ऐसे ही, आप कैबिनेट नहीं हों, बनोगे भी नहीं। सुनो, यही रहोगे, इसमें।

श्री सभापति: आप बैठिए। अभी बी.ए.सी. की मीटिंग है, वे उसमें से आ रहे हैं। बोल दिया, कहलवा दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर इन्होंने नेता, प्रतिपक्ष के लिए कैसे कहा? इन्होंने नेता, प्रतिपक्ष के लिए कहा, तो वे भी बी.ए.सी. की मीटिंग में हैं। उसके मेम्बर हैं।

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इधर का जवाब उधर लेकर मत बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिए। माननीय सदस्य, अब आपको समाप्त करना है। थोड़ा सा करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मुख्य सचेतक महोदय, विधान सभा के अन्दर जानकारी से बोला करो। इधर की बात उधर मत बोलो, मुख से।

(श्री ओम बिरला)

माननीय सभापति महोदय, 400 करोड़ रुपए का विज्ञापन, मार्केटिंग के द्वारा राजस्थान की जनता से वोट खरीदना चाहते हों? यह मिथक टूट गया है। वहां दिल्ली में बता दो युवराज जी को। फिर देश की सरकार का, पांच हजार करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन देकर, नए भारत का पैसा खर्च मत करो। गरीब तो भूखे मर रहा है, उसके तन पर रोटी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, आप विज्ञापनों पर पैसा खर्च कर रहे हों। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें और थोड़ा जल्दी समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि शायद इन्होंने गुजरात की धरती नहीं देखी है, इन्होंने जिक्र किया तो मैं बता दूं, गुजरात जाकर देखो। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गुजरात से आपको कुछ सीखना चाहिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं मिलती।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड डवलप्ड हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): डीजल का क्या भाव है गुजरात में? पेट्रोल का क्या भाव है? खाद कितनी महंगी है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने अभिभाषण की चर्चा पर आ जाएं और उसको समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, हाउस आर्डर में आएगा तब ही तो बोलूंगा।

इन्होंने गुजरात की चर्चा की है तो गुजरात के बारे में बताना पड़ेगा, इनको गुजरात का दिग्दर्शन कराना पड़ेगा। ये गए थे। तो गुजरात जाकर देखो। इसी विधान सभा में हमने कहा था कि एक तरफ गुजरात की सरकार है, जो निवेश ला रही है, उद्योग ला रही है...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कलेक्टर जेल में बैठे हैं, एस.पी. जेल में बैठा है, गुजरात में। 22 कलेक्टर जेल में बैठे हैं; दो कलेक्टरों ने तो वी.आर.एस. ले ली। यह गुजरात की हालत है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया है।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आपके मंत्री कैसे बैठे हैं, वह तो ध्यान करो आप, सेण्ट्रल के मंत्री। (व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): बाबूलाल नागर जयपुर की जेल में बैठा है, महिपाल मदेरणा जयपुर की जेल में बैठा है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कटारियाजी को पूछो कि गुजरात कैसी है। पूछो कटारियाजी को।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अपने राजस्थान के देखिए न कि आपके कितने मंत्री, विधायक जेल में हैं!

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आपके भी कितने मंत्री जेल में हैं! 'कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में'। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): 'कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में' ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सदस्य, गुजरात की जेल की चर्चा मत करो, नहीं तो राजस्थान की जेलें देखोगे न, मंत्री लोगों के, तो हालात सामने आ जाएंगे। सीखो, प्रशिक्षण लो, ट्रेनिंग लो। गुजरात की चर्चा करोगे, तो आपके मंत्री कितने जेल में हैं? वहां पर कोई मंत्री जेल में नहीं है, बलात्कार के, गुंडा-गर्दी के आरोप में जेल में नहीं हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अमित शाह, आपका गृह मंत्री कहां था, अमित शाह? (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): आपकी सरकार के सारे मंत्री जेल में थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभिभाषण पर बोलें। (व्यवधान)

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): दिल्ली की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 60 सीटें लाएगा वह यू.पी. से। उत्तर प्रदेश में प्रभारी है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, ऐसे टोकेंगे तो मेरी लय टूट जाती है। मैं कोई किताब से नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: अब आप जल्दी समाप्त करें क्योंकि काफी लोग बोलने वाले हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, मैंने इसलिए इस विधान सभा के अन्दर तत्कालीन उद्योग मंत्रीजी को निवेदन किया था, हमने राज्य हित में कहा था कि राज्य में उद्योग, निवेश लाना चाहिए; उद्योग आएंगे, निवेश आएंगे तो राजस्थान के नौजवान लोगों की बेरोजगारी समाप्त होगी।

माननीय सभापति महोदया, इस सरकार ने तो जो बेरोजगारी भत्ता तत्कालीन माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धरा जी ने शुरु किया था, इनकी सरकार ने आते ही उस बेरोजगारी भत्ते को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदया, राजस्थान का बेरोजगार नौजवान यहां विधान सभा के बाहर दस्तक देता रहा, पांच साल तक हम यहां पर चिल्लाते रहे कि राजस्थान के नौजवान लोगों की तकदीर और तस्वीर को पलटो लेकिन, माननीय सभापति महोदया, पांच साल के अन्दर एक उद्योग इनके राज में ये लेकर नहीं आएं।

(13.00 बजे)

पांच साल तक इन्होंने राजस्थान के नौजवानों के साथ, नौकरी से लेकर उसके निजी उद्योग के कामगार को बंद किया, जिसके कारण उस नौजवान को गुजरात में जाकर काम करना पड़ा।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, राजस्थान की सरकार को हमने कहा, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये; पंजाब, हरियाणा के अन्दर 263 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिलती है, यहां के मजदूर को भी न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिये। सभापति महोदय, इस सरकार ने उस मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दी; हमने कहा, महंगाई के इंडेक्स से उनको न्यूनतम मजदूरी देंगे, हमने कहा, राजस्थान के इन्फ्रास्ट्रक्चर और निवेश के प्रोत्साहन को देखते हुए 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे।

माननीय सभापति महोदया, ये किसान की बात करते हैं, आपके घोषणा-पत्र में था, आठ घंटे बिजली देंगे; घोषणा पत्र में क्यों लिखा था, 24 घंटे सिंगल फेज देंगे? पांच साल तक....(व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने घोषणा-पत्र में कहा था, 8 घंटे बिजली देंगे, आप 6 घंटा दे रहे हों।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): देंगे। आप जो हालात छोड़कर गये हों, बिजली के...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पांच साल में एक मेगावाट।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदया, इन्होंने घोषणा-पत्र में कहा था कि एक नया पैसा बिजली के दाम नहीं बढ़ायेंगे, बिजली तो नहीं आ रही थी पर बिजली के बिलों में करंट आने लग गया था। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदया, इन्होंने बिजली की बात की है, मैंने इस विधान सभा के अन्दर कहा था कि आपने यह वादा पूरा नहीं किया। 50 परसेंट बजट आपने बिजली उत्पादन पर रखा। माननीय सभापति महोदया, इस सरकार में बिजली खरीद पर भ्रष्टाचार चलता रहा, बिजली खरीद पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया। किसान का मीटर खराब हो जाता, उपभोक्ता का मीटर खराब हो जाता, हम विधान सभा में चिल्लाते रहते, लेकिन उस किसान का, उस उपभोक्ता का मीटर परिवर्तन करने का काम नहीं किया। नकली ट्रांसफार्मर घोटाला, तमाम अनियमितताओं और घोटालों के कारण एक उपभोक्ता को, जो बिजली खरीद होती है, उससे डेढ़ी रेट पर बिजली खरीदी गयी। इतना ही नहीं, 16 बार आपने बिजली की रेटें बढ़ाईं।

माननीय सभापति महोदया, बिजली एक ऐसी चीज है जिस पर सारे राजस्थान की इकोनोमी टिकी रहती है, किसान की हो, मजदूर की हो, औद्योगिक क्षेत्र की हो, लेकिन किसान, मजदूर, औद्योगिक क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों के अन्दर इनकी बिजली नीति के कारण आज हमारे औद्योगिक और किसानों के उत्पादन का विकास रुक गया है।

माननीय सभापति महोदया, मैं ज्यादा आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं, ताकि आप भी हमें आइना बताते रहना। हमने आपको बहुत आइना बताया था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। अब दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदया, मैं एक बात कर रहा हूं, इस राजस्थान के अन्दर यह सरकार 153 विधेयक लाई, लोक सेवा गारण्टी लाई, सुनवाई का अधिकार लाई, भ्रष्टाचार से पकड़ी सम्पत्ति को जब्त करने के लिए विशेष कानून लाई; ये वन अधिनियम लायें। माननीय सभापति महोदया, हम राजस्थान की विधान सभा में कहते रहे कि विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायी कार्य होता है, बिल बनाना, जिस बिल से कानून लागू होता है राज्य की जनता पर, लेकिन, सभापति महोदया, 119 दिन विधान सभा चली और 153 विधेयक लेकर आयें! सभापति महोदया, मेरा सरकार से भी निवेदन है, यह परम्पराएं नहीं बननी चाहिये। विधायी कार्य का काम होता है, कानून बनाना और उस कानून में अगर हम गम्भीर नहीं होंगे, तो शायद राज्य की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।

(श्री ओम बिरला)

इसीलिए, मैं, सभापति महोदया, उन 153 विधेयकों का हाल बता दूं, ये फुटकर थड़ी होल्डर्स के लिए बिल लायें कि हम थड़ी पर बैठे गरीब लोगों को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन, सभापति महोदया, उस बिल के लाने के बाद राजस्थान के अन्दर उस बिल के अनुसार एक व्यक्ति को भी कानूनी रूप से उस थड़ी पर बिठाने का काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदया, सरकार की पारदर्शिता की बात कर रहा हूं, 15 हजार सूचना-कानून के तहत आयोग में एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, जिनमें इस सरकार के भ्रष्टाचार की परतें खुलने वाली थीं; 9 सूचना के अधिकार में लगने वालों के पद रिक्त पड़े हैं। लोक सेवा गारण्टी लायें, सुनवाई का अधिकार का कानून लायें, राजस्थान के अन्दर लोक सेवा गारण्टी और सुनवाई के अधिकार के तहत आपके राज में नीचे से ऊपर तक जिस तरीके से आमजन को अपनी वाजिब समस्या के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़े, इतनी करप्ट और भ्रष्ट सरकार नहीं बनी कभी, जहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हों। आप तो लाये थे कि हम भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति को जब्त करेंगे, जनता को देंगे, कितनी लोगों की सम्पत्तियां जब्त कर लीं? कितने भ्रष्टाचारी पकड़ लिये? जिस राज के अन्दर एस.पी. से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की परतों से राज चल रहा हो, हाई कोर्ट ने भी कई बार इस राज को कहा हो, उस राज की आप चर्चा करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए कह रहा था कि ये बिल जो लायें, मेरा इतना ही निवेदन है कि इन बिल के अन्दर पिछली बार भी कुछ विधायक ही बिल पर अपनी बात रखते थे, चर्चा करते थे, डिबेट करते थे। इन 200 विधायकों की संख्या में 10 प्रतिशत, 20 विधायकों से ज्यादा बिलों पर डिबेट नहीं करते थे, चर्चा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे, माननीय सभापति महोदया, जैसे आज बांटा है ना, यह रात को बिल देते थे, सुबह डिबेट कराते थे। सभापति महोदया, यह न्याय नहीं है। आप भी इस विधान सभा की सदस्या रही हों, लोक सभा की सदस्या रही हों, विधान सभा गम्भीरता से चलनी चाहिये और कानून और विधेयक लाने के पहले पर्याप्त समय विधायक को भी देना चाहिये, पर्याप्त समय जनता को भी देना चाहिये, डिबेट होनी चाहिये, जन मत जानना चाहिये और जन मत जानने के बाद इस राज के अन्दर कानून बनना चाहिये।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, तमाम कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। दुनिया कहती है कि अंग्रेजों के कानून चल रहे हैं और उस

(श्री ओम बिरला)

कानून को हम लागू कर रहे हैं। विधान सभा, लोक सभा इसलिए बनी हैं कि कानूनों की समीक्षा हो, कानून जनता के लिए हो; जनता को अधिकार मिले; जनता सुरक्षित रहे; हमारे मौलिक अधिकार, जो संविधान में हैं, उसकी मर्यादा के अनुसार, उस कानून की पालना करते हुए राज कर सकें, पर, सभापति महोदया, कानून बनाने में सरकार को गम्भीरता से काम लेना चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो रहा है। और बहुत सारे सदस्य हैं, जिनको बोलना है। अब आप जल्दी से समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं इसलिए समाप्त कर रहा हूं कि आप मुझे समय नहीं दे रही हो।

श्री सभापति: आपको समय बहुत दे दिया। अब आप इसको समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, इसीलिए राजस्थान की जनता ने इनकी यह हालत की है। माननीय सभापति महोदया, हम चिल्लाते रहे हैं कि कोटा की आई आई टी छीन ली है, ट्रिपल आई टी दे दी, जनता ने उनको घर बिठा दिया। लेकिन सभापति महोदय, हाड़ौती की जनता के साथ यह इन्जस्टिस किया है। जिस इलाके का मुख्य मंत्री है, वहां आई आई टी ले जायें, क्षेत्रवाद के आधार पर राज्य की सरकारें चलें, माननीय सभापति महोदया, यह राज्य के साथ न्यायोचित नहीं है। हमारी आई आई टी छीन ली, ट्रिपल आई टी को सरकार ने पांच साल तक चालू नहीं किया।

राजस्थान में आपकी सरकार थी, आज हालात क्या रहे? कोटा के एयरपोर्ट पर पानी भर गया, जिसके कारण एक व्यक्ति का प्लेन उतर नहीं सका; वह जिन्दगी और मौत से जूझते हुए उसका अन्त हो गया। माननीय सभापति महोदया, राजस्थान और दिल्ली में इनकी सरकार रही, हम चिल्लाते रहे, एयरपोर्ट लाओ; एयरपोर्ट लेकर नहीं आये।

माननीय सभापति महोदया, इन्होंने पांच साल तक कोटा के मेडिकल कालेज, वहां के बंद उद्योगों के लिए, उद्योग बंद होते गये, नौजवान बेरोजगार होता गया, इस सरकार ने सुध नहीं ली।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदया, जिस तरीके के हालत राजस्थान में पिछले 2009 से 13 तक रहे हैं, जिस तरीके से आर्थिक रूप से जर्जर हालत इन्होंने राजस्थान की की है, माननीय सभापति महोदया,

(श्री ओम बिरला)

हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम वह सरकार देंगे जो पांच साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर, डवलपमेंट के आधार पर खड़ी होगी, नये निवेश आयेंगे;...

श्री सभापति: कन्क्लूड करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): किसान, मजदूर, नौजवान को रोजगार के नये साधन मिलेंगे। हम नकद पैसा नहीं बांटेंगे, हम लैपटाप, साड़ी नहीं, हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, ढांचागत विकास करते हुए, नया राजस्थान, जिसमें हर हाथ को काम मिले, हर मजदूर को मजदूरी मिले, हर किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी खेती को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस काम को करें और एक ऐसा राजस्थान जहां महिलाएं भी सुरक्षित रहें, जहां आम जन सुरक्षित रहें, ऐसे राजस्थान की कल्पना हमने की है।

मैं इस मौके पर महामहिम राज्यपाल महोदया जी ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी जो बातें कहें, गम्भीरता से कहें; मैं वादा करता हूं कि आपकी हर गम्भीर बात को हम अमल में लायेंगे; आपकी हर चीज को, राजस्थान के हर महत्वपूर्ण विषय को, जो राजस्थान के विकास के लिए आवश्यक होंगे, प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, दल से ऊपर उठ कर करेंगे।

आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी जी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदया, पिछले तीन दिनों से राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। इस वाद-विवाद में कई बातें उधर से कही गयीं, कई बातें इधर से कही जा रही हैं, लेकिन जो रिजल्ट राजस्थान की जनता ने राजस्थान में दिया है, यह इस लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक क्षण है, इतना बड़ा बहुमत आजादी के बाद पहली बार मिला।

सभापति महोदय, जीत हमेशा जिम्मेदारी लेकर आती है। जो विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि अभिमान मत करो, अभिमान मत करो, निश्चित रूप से जीत का अभिमान नहीं होना चाहिए, जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए और वह अहसास हमको है।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

जीत के बाद, जो इन्होंने पांच साल में राजस्थान की बरबादी की, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, उस बरबादी को समेटने में टाइम लगेगा। आज से आप सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया; हमने अभी तक वह किया, जो आपने किया उसको समेटने में लगे हैं। उस बिखरे को समेटने में टाइम लगेगा। मैं निश्चित रूप से आप सबको कहना चाहता हूं कि एक साल का वक्त दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे और पाजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 60 दिन से एक साल पर आ गये!

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 60 दिन तो आपके इन कामों का, आपकी बरबादी को निपटने में ही लग जायेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक साल में आ गये!

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): समेटने में टाइम लगेगा, जो बरबादी कर के गये हो।

सभापति महोदया, जो हालात इन्होंने राजस्थान में किये, मैं मेरे एक विधान सभा क्षेत्र की बात बताता हूं कि मेवाड़ मिल का घोटाला हुआ, इसमें 500-600 करोड़ की हेराफेरी हुई और नेताओं ने उन जमीनों को खरीदा। डालडा मिल का घोटाला हुआ, जिसमें 700 करोड़ का घोटाला हुआ। एक विधायक को 700 करोड़ की जमीन ग्यारह करोड़ में दी गयी। जिंदल खान का घोटाला हुआ। हजारों-हजारों करोड़ की जमीनें इन्होंने जिंदल के नाम पर कर दीं। आज पूरे काश्तकार परेशान हैं, वहां का आम आदमी परेशान है। बिना नियम-कानून के उन्होंने माइनिंग दी। उसके पास जो खनन कार्य हो रहा है, वह भी बिना किसी कायदे-कानून के हो रहा है। सभापति महोदया, जो हालात इन्होंने किये। एक विधान सभा क्षेत्र में हजारों-हजारों करोड़ के घोटाले इन्होंने किये। पूरे राजस्थान की क्या दुर्दशा हुई होगी, भगवान ही मालिक है!

मैं आपको निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सरकार आयी है और जो अभिभाषण राज्यपाल के मुंह से कहलवाया गया है, उस अभिभाषण में जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं, उन भावनाओं को पूरा करने का समय अब आया है और निश्चित रूप से, इस राजस्थान में जो बरबादी आप छोड़ कर गये हैं, उसमें वापस राजस्थान को पटरी पर लाने में हम सफल होंगे, कामयाब होंगे, यह विश्वास हमको है।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

भीलवाड़ा में आज महात्मा गांधी अस्पताल है, 90 डाक्टर्स की पोस्ट हैं, पिछले पांच साल में हम लगातार चिल्लाते रहे कि डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं, 28-30 कुल डाक्टर्स हैं। उन 60 डाक्टर्स की कमी के कारण से, उस हास्पिटल की, जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल था, उसकी ऐसी दुर्दशा हुई कि वहां न कोई मरीज जाना चाहता है, न वहां कोई डाक्टर रहना चाहता है। जनता परेशान है, रोज डाक्टरों का घेराव करती है, चिकित्सा-कर्मियों के साथ आये-दिन मारपीट होती है। कारण एक ही था, कि इन्होंने कभी चिकित्सा के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया कि नये डाक्टर कैसे सरकार में आयें और किस तरह से हमारे चिकित्सालयों की व्यवस्था सुधरे। इन्होंने चिकित्सा का पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ कर रख दिया। मुफ्त दवाइयां, मुफ्त जांचें, इन्होंने घोषणाएं जरूर कीं लेकिन उनको लागू करने का तंत्र इनके पास नहीं था। सारी योजनाएं व्यर्थ गयी हैं और जनता को इनका कोई लाभ नहीं मिला।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अब समय आया है, आज चम्बल के पानी की व्यवस्था है। इन्होंने पांच साल पहले बजट में घोषणा की थी, चम्बल का पानी लेकर आयेंगे, चम्बल का पानी लेकर आयेंगे, एक चार-पांच किलोमीटर का टुकड़ा इन्होंने पाइपलाइन के लिए खोद दिया और इस विधान सभा चुनाव में उसके नाम से इन्होंने वोट लेने चाहे। पांच साल में केवल पांच किलोमीटर की पाइपलाइन भी इन्होंने नहीं बिछाई और हजारों करोड़ का बजट इन्होंने पहले बजट में पास किया। पांच साल बरबाद किये।

इनको योजनाएं ऐसी थीं, सारी कागजी घोषणाएं, जिनके कारण से आज राजस्थान की जनता ने इनको यह रिजल्ट दिया है।

मैं इस अभिभाषण के माध्यम से, राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में अपने विचार रखते हुए यह अभिव्यक्त करता हूं कि आने वाले पांच साल में राजस्थान प्रगति के नये पथ ढूंढेगा, नये विकास के आयाम खड़े करेगा और जो राजस्थान विकास के मामले में 16वें पायदान पर चला गया है, वापस वह देश में अपना स्थान बनायेगा। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदया, इस सदन में झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किया गया है कि हम राज्यपाल महोदया को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करें, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में कुछ निवेदन सदन में करता हूं।

सभापति महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में पैरा 12 और 13 में जो राज्य की स्थिति का वर्णन किया है, इस पैरा 12 में रिफाइनरी पर महत्वपूर्ण बात सदन के सामने रखी गयी है कि हम 3,736 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, बिना ब्याज के, पन्द्रह वर्ष तक, इसकी कुल राशि 56 हजार है और जिसमें 4.5 मिलियन मैट्रिक टन, 45 लाख मैट्रिक टन क्रूड पैदा होना चाहिए और कम होता है तो उसके अनुपात में उनको अधिक रुपया हमें देना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ब्याज को ही आप कैलकुलेट कर लें, 56 हजार पर 15 वर्ष का जो ब्याज है, जो पहले वर्ष के रुपए पर 14-15 साल का ब्याज और आगे वर्ष के रुपए पर 14 साल का ब्याज और फिर 13 साल का ब्याज, वह ब्याज हम सिम्पल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करें, सभापति महोदया, तो जितना रुपया हम दे रहे हैं, ब्याज की राशि भी उससे अधिक होगी, कम नहीं होगी। वस्तुत: हम 56 हजार करोड़ नहीं, 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए वास्तव में दे चुके होंगे।

सभापति महोदया, मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इसमें तो सेंट-परसेंट रिफाइनरी स्टेट की तरफ से, राज्य के सेक्टर में, जो निश्चित रूप से बहुत मुनाफे का काम है, वह खोली जा सकती है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सरकार, जो एक बड़े भारी परिवर्तन की आंधी के ऊपर इस सदन में आयी है, उन्होंने कहा, हम इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं।

सभापतिजी, इसी के साथ, मेट्रो फेज-1 पर जो 3,400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि न सिर्फ रिफाइनरी को पुनरावलोकन किया जाए और उन सारी शर्तों को जो राजस्थान के हितों के विपरीत हैं, उनको भी निरस्त किया जाए; आवश्यकता हो तो वर्ल्ड टेंडर फ्लोट करके, रिफाइनरी लगाने वाले दुनिया में बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिन्दुस्तान का रिलायंस ही लगा सकता है, अन्य भी आ सकते हैं; राज्य के हित में जो सबसे मुफीद बात हो, चाहे वर्ल्ड टेंडर फ्लोट करना पड़े और चाहे यह वर्तमान का कैंसिल करना पड़े लेकिन राज्य के हित में 56 हजार करोड़ रुपए देने की कोई आवश्यकता वर्तमान में जो भी एग्रीमेंट है, उसके तहत नहीं है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा, इस मेट्रो में क्या राज है, माननीय सदस्यों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेट्रो की पहली योजना

(श्री मानिक चन्द सुराना)

1,250 करोड़ की पहले फेज की बनी थी, जिसमें मानसरोवर से चांदपोल तक आना था, 9.2 किलोमीटर; मात्र 1,250 करोड़ रुपए में और आज वह योजना 3,400 करोड़ की है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 3,400 करोड़ रुपए 2.72 गुना है; आपकी मूल लागत की पौने तीन गुना लागत 3,400 करोड़ रुपया बनती है, 1,250 करोड़ की। सेकण्ड फेज जो 7,850 करोड़ रुपए का है, यदि मैं इसको दुगुने से भी कैलकुलेट करूं तो यह राशि 15,600 करोड़ बनती है। तो 15,600 करोड़ और 3,400 करोड़, पूरे 19,000 करोड़ हो गये । जो योजना नौ हजार करोड़ की थी, वह 1,250 करोड़ और 7,850 करोड़, सेकण्ड फेज 27 किलोमीटर बनना है, मैं अर्ज करता हूं कि जो योजना सिर्फ नौ की थी, आज उन्नीस की हो रही है और उन्नीस करोड़ के साथ में, नौ हजार करोड़ रुपए तो भूमि जो कैबिनेट ने ट्रांसफर की है, उसका मूल्य नौ हजार करोड़ है।

मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा, विपक्ष के नेता नहीं, बल्कि विपक्ष में जो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपने सदन को तो 2010-11 के बजट में सिर्फ यह कहा था कि ''राज्य सरकार के अंशदान के पेटे आगामी वर्ष में 179 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावत किया गया है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार के सहयोग से यह परियोजना निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित होगी। सदन को यह मुगालता दिया गया कि यह परियोजना केन्द्र सरकार के फण्ड से क्रियान्वित होने वाली है। डी पी आर बनाई गयी और डी पी आर में भी बीस परसेंट शेयर भारत सरकार के और बीस परसेंट शेयर राज्य सरकार के। यह प्रावधान उसके पेज-409 पर रखा गया कि भारत सरकार पूंजी देगी, बीस परसेंट शेयर उसका होगा, बीस परसेंट हमारा होगा।

जो जोइंट वेंचर होने वाला था, मैं निवेदन करता हूं कि भारत सरकार ने अपने पत्र द्वारा साफ-साफ मना कर दिया कि हमारा कोई जोइंट वेंचर नहीं है और आपकी इस मेट्रो में यदि घाटा होता है..., तो जो सदन के प्रमुख माननीय मंत्री गण बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि मेट्रो के घाटे से हमारा कोई लेना-देना नहीं है और घाटा होगा तो आपका है सम्पूर्ण रूप से; आप इस घाटे की पूर्ति हमसे कभी नहीं मांगोगे। यह क्लाज भी उन्होंने डाल दिया।

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं, मैं कहता हूं कि हमको नौ हजार करोड़ की योजना भी बहुत भारी और कम लाभ की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दिख रही थी, तो आज इसकी वैल्यू 19 हजार तो यह हो गयी; राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने, यह कैबिनेट प्रस्ताव है, सभापति महोदया, 132/2010 21 जुलाई, 2010 का, इसके द्वारा नौ बड़ी-बड़ी भूमियां स्थानान्तरित की गयीं मेट्रो को सीधे ही, जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन को।

माननीय सभापति महोदया, मैं नौ भूमियों का ब्योरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सदन का समय बहुत मूल्यवान है, पर मैं अर्ज करता हूं कि इस पर जो आर. टी. आई. से सूचनाएं मंगवाई गईं, उन सूचनाओं के आधार पर ये सारी नौ भूमियां 1,690 करोड़ की हैं और इसके अलावा भी, उनको दो हजार करोड़ की अन्य भूमियां, कोई कास्टिंग यार्ड के लिए मानसरोवर में दी गयी और सीतापुरा में भी कास्टिंग यार्ड के लिए उससे दुगनी भूमि देने का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको कैलकुलेट तो करें।

वर्तमान सरकार इस भ्रम में न रहे कि जो रोजी पिक्चर उन्होंने राइडरशिप का दिया है, यात्री भार का दिया है कि छह लाख यात्री ट्रेवल करेंगे, यह बात बिलकुल बेमानी है, सभापति महोदया। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इसी रूट पर चलती है। माननीय यातायात मंत्री महोदय इस बात को देखें कि 2010 में राइट-टू-इन्फार्मेशन में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 8,200 यात्रियों को 28 बसों में ले जाते हैं, लो फ्लोर बसों में मानसरोवर से चांदपोल। जब यात्री भार 8,266 है, और 18 बसें चल रही हैं, दुर्गापुरा से अम्बाबाड़ी के बीच में और उसमें यात्री भार 4,376 है; कुल यात्री भार ही जब साढ़े बारह हजार है तो यह साढ़े बारह हजार का यात्री भार कैसे तो दो लाख हो जाएगा मानसरोवर से चांदपोल में? और कैसे चार लाख हो जाएगा दुर्गापुरा से अम्बाबाड़ी में? यात्री भार साढ़े बारह हजार जहां है, उसको 28 गुना करेंगे तो दो लाख पर आएगा और उसको नब्बे गुना करेंगे 4,300 से, तो चार लाख पर आएगा। ये सारे जो फैंटास्टिक फिगर्स उसने दिए हुए हैं। आज भी जे सी टी एल आपके नीचे है, जे सी टी एल से आप रिकार्ड मंगाएं कि आज यात्री भार क्या है और यात्री भार आज जो भी है, बसें बढ़ाई जा सकती हैं, आप बसें बढ़ा लें और यात्री भार एक्चुअल क्या है, वह निकालें। यदि बसों की कमी हो तो यात्री भार निकाल लें।

मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी से पूछता हूं कि आपको कौनसा अधिकार था कि आप इस सदन की जानकारी में लाए बिना, सदन की अनुमति के बिना आपने कुल मिलाकर चार हजार करोड़ से ऊपर की भूमियां

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कैसे स्थानांतरित कर दीं जे एम आर सी को? क्या सदन को बाई-पास करके, चार हजार करोड़ की भूमि किसी भी कम्पनी को, आखिर वह भी एक कम्पनी है, उसको दी जा सकती है? और क्या आर्टिकल 202 जिसमें एप्रोप्रिएशन के प्रावधान हैं और आर्टिकल-266(3), यह दोनों आर्टिकल्स सदन के माननीय सदस्यों के ध्यान में हैं और नहीं हैं तो मैं सिर्फ आर्टिकल कोट करता हूं, आप एप्रोप्रिएशन के प्रावधानों को देखें, सौ रुपये भी कोई बिना विधान सभा की सहमति के खर्च नहीं कर सकता। विपक्ष के माननीय प्रद्युम्न सिंह जी यहां विराजे हैं, खुद वित्त मंत्री भी रहे हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप भी रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): और मैं भी रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बात आप भी बता दीजिये। एक भी प्रोजेक्ट, चाहे भाखड़ा का हो, चाहे इंदिरा गांधी कैनाल का हो, चाहे बिजली के कारखाने लगे हों, एक भी प्रोजेक्ट जो लगा है, उसका ब्याज का पैसा भी आज वसूल नहीं हो रहा है। केवल यह मेट्रो पर ही लागू क्यों है ?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं निवेदन करता हूं कि पानी और बिजली बिलकुल डिफरेंट स्केल पर हैं, यात्री भार उस स्केल पर नहीं है।

आप उसकी इकोनोमिक्स को कहीं तो देखने का कष्ट करेंगे। यदि...

श्री सभापति: वरिष्ठ माननीय सदस्य, डिस्कशन के अलावा, आप अपनी बात को विराम दें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं मेरी बात ही कह रहा हूं। अधिक से अधिक जो बात उन्होंने कही है, 6 लाख यात्री भार है। 3 लाख आदमी जायेंगे, 3 लाख वापस आयेंगे, तब ही तो 6 लाख का यात्री भार होगा। 3 लाख आदमियों की ट्रैवलिंग को देखें तो कुल मिलाकर, उसमें ज्यादा से ज्यादा पर-डे 30 रुपये आना है, 15 जाने के और 15 आने के और आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर-यात्री, 3 लाख यात्री भी मान लिए जायें तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 9.33 लाख पर-यात्री है। 10 लाख रुपये पर-यात्री उसका भार है।

आप इसकी समालोचना करें। राज्य सरकार जो निर्णय चाहे, ले ले, पर इस बात को ध्यान में लेकर ले कि आज उसकी कास्ट 19 हजार करोड़ रुपये है और 19 हजार करोड़ रुपये में यदि जयपुर को मेट्रो मिलनी है, तो जैसे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दिल्ली में किसी एक स्थान पर नहीं रुकी है, उसका विस्तार रोज होता है, तो राज्य के सारे विकास को हमें जयपुर में ही केन्द्रित करना हो तो राज्य सरकार निर्णय लेने को स्वतन्त्र है कि नहीं, हमे तो इसी को सजाना है, जैसा कि पूर्व सरकार चाहती थी कि इसको मेट्रो से सजा दें, यह उनका अपना लुक-आउट है। मैंने ये तथ्य आपके सामने रखे हैं कि 3 लाख यात्री भार मानेंगे तो भी 10 लाख रुपये पर कैपिटल...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): ..कर्जा लो पर जयपुर के लिए मेट्रो तो जरूरी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जरूरी है तो बढ़ाइये, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे मेरी बात कहने का तो अधिकार है कि मैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब बना दी तो स्वीकार कर लीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): जो बना दिया, वह ठीक है; जो बन चुका, वह ठीक है, सवाल है कि आपने 34 सौ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं ? इसके अलावा और कोई विषय है ?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदया, मेरा निवेदन बेसिक पर है कि कैबिनेट को क्या अधिकार था कि बिना विधान सभा की परमिशन और उनकी जानकारी में लाये हुए वह 4 हजार करोड़ की भूमियां उनको दे दो? यह भूमि जे डी ए को देते, आक्शन कराते, रुपया संग्रहण निधि में आता और उसके बाद विधान सभा की मर्जी थी, राज्य सरकार की मर्जी थी कि वह उसको उस प्रक्रिया से जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन को अलाट करते। विधान सभा की पीठ के पीछे जो 4-4 हजार की भूमियां ट्रांसफर की गयी हैं, मैं आज भी निवेदन करता हूं कि उन भूमियों को कैबिनेट पुनः अपने में रेस्टोर करे, जे डी ए के मार्फत नीलाम करे और उसके बाद विधान सभा की मर्जी और विधान सभा के एप्रोप्रिएशन के द्वारा ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको अलाट करे।

सभापति महोदय, मैं इस मेट्रो के चैप्टर को, मैं सिर्फ यह बात अर्ज कर रहा हूं कि जो डी पी आर बनी है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय की सीमा है अपनी, इसको आप जल्दी से सम-अप करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं सम-अप कर रहा हूं, सभापति जी।

तो इस डी पी आर के पेज 427 में, डी पी आर का मतलब है ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 2015 से लगाकर 2044 तक प्रत्येक वर्ष 192 करोड़ का घाटा ओ एण्ड एम में दिखाया गया है। यह साफ है उनकी खुद की रिपोर्ट से कि 2044 तक, आने वाले 30 सालों तक मेट्रो में 192 करोड़ प्रति वर्ष देना पड़ेगा और यदि कीमतें बढ़ती हैं तो उन्होंने आकलन किया है कि 211 करोड़ रुपये का लास प्रत्येक वर्ष राज्य को भुगतना पड़ेगा।

मैं अर्ज करता हूं कि इन सब तथ्यों के सन्दर्भ में इसका पुनरावलोकन किया जाये। जहां तक मेट्रो बन गयी है, बहुत ठीक है, उसके आगे जो सेकण्ड फेज है, उसको विराम देना चाहिये। ऐसा मेरा सदन से निवेदन है।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं एक और बड़े मुद्दे पर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय बहुत हो चुका है और बहुत लम्बी सूची है बोलने वालों की। आज ही रिप्लाई भी है, आज सब है। तो आप कृपया समय सीमा में, केवल 2 मिनट में...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ठीक है। मैं आपकी परमिशन से 2-3 मिनट में ही बात खतम करूंगा।

राज्य में, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले बिजली के मुद्दे पर आम उपभोक्ता को 24 घण्टे बिजली देने की घोषणा की; किसानों को साढ़े 6 घण्टे बिजली दिन में और रात में 7 घण्टे देने की घोषणा की। 5 साल में कांग्रेस की सरकार जो कुछ नहीं कर पायी बिजली के मुद्दे में, 6 घण्टे बिजली की घोषणा करके, किसानों को 3 घण्टे, साढ़े 3 घण्टे, 4 घण्टे और 2 घण्टे बिजली देकर जिसने किसानों की फसलों को बरबाद कर दिया, यह भा ज पा सरकार आते ही बिजली के क्षेत्र में ऐसी नीति का अख्तियार कर लिया गया जिससे किसानों में बहबूदी आ जाये।

चाहे विद्युत मंत्री नहीं हैं, पर हम जो 30-40 हजार लोगों को विद्युत कनेक्शन देते हैं, मेरा निवेदन है कि इसका चौथाई भाग 5 हार्स-पावर के छोटे कनेक्शंस को दिया जाये। हम बिजली के कनेक्शन दे रहे हैं 3 सौ फीट, 4 सौ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

फीट गहरे और जहां पानी उपलब्ध है 20 फीट में, जिन किसानों की बारानी जमीनें हैं, बारानी जमीन को सिंचित करने के लिए 5 हार्स-पावर मोटर की जरूरत है, मैं निवेदन करता हूं कि यदि 40 हजार कनेक्शंस में से 10 हजार कनेक्शंस 5 हजार हार्स-पावर के दिये जायें तो छह गुने कनेक्शंस उसी क्षमता में 60 हजार लोगों को उपलब्ध हो जायेंगे। क्योंकि हम दे रहे 30 हार्स-पावर, 40 हार्स-पावर और 5 हार्स-पावर में 6 को हम कनेक्शन देंगे, तब 30 हार्स-पावर की शक्ति का उपयोग होगा। तो छोटे किसानों को और बारानी क्षेत्र जहां सिंचित हो रहा है, बारानी क्षेत्र में एक तरफ तो नहर चल रही है, दूसरी तरफ बहुत ऊपर आ गया है, पूंगल हो, चाहे छतरगढ़ हो, चाहे लूणकरणसर हो। मेरा निवेदन है कि बिजली तो हमको देनी ही देनी है 30 हजार, 40 हजार किसानों को, तो 30 हजार तो हम दें रूटीन कनेक्शंस 30-40 हार्स-पावर के...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब अपनी बात को समाप्त करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): और 10 हजार कनेक्शंस, अभी जो हमारी संख्या है, उसमें 60 हजार लोगों को कनेक्शंस देकर...

श्री सभापति: आप इसे कन्क्लूड करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ...नीति अख्तियार करें। यह मेरा निवेदन है।

इस निवेदन के साथ, सभापति महोदया, मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: डा. राजकुमारजी शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा सदन में रखे गये प्रथम अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। पिछले पूरे 5 साल में हमने...(व्यवधान) न लेफ्ट, न राइट; हम तो स्ट्रेट हैं। राइट, लेफ्ट नहीं; हम बीच वाले कई बार काम कर जाते हैं। आपको पता नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बीच वाला...(व्यवधान) बीच में ही रह जाता है। न इधर के, न उधर के।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अब, पटेल साहब, बैठो। नये-नये सदस्यों को बोलने दो ना।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बीच वाला स्वतन्त्र होता है, मर्जी हो उधर जा सकता है। इसलिए बीच वाले की इम्पोर्टेंस ज्यादा रहती है...

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): सभापति महोदया, अभिभाषण पर वाद-विवाद, यह बात सही है क्या? वाद तो सही है लेकिन विवाद क्यों आता है? विवाद ही तो झगड़ा होता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बीच वाले की इम्पोर्टेंस ज्यादा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आप तो अध्यक्ष महोदय की जो कुर्सी है, उसको चैलेन्ज कर रहे हों। वह बिलकुल सेण्टर में लगी हुई है। ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग? बोलने दो। हिम्मत करके खड़ा हुआ हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी हिम्मत की ताइद करते हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदया, मैं सीधे-सीधे कुछ चीजें रखना चाहता हूं, क्योंकि वाद-विवाद...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप प्लीज, माननीय सदस्य,..

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ): जब सत्ता में दूसरी पार्टी होती है तो वह उस पर आरोप लगाती है, वह उस पर आरोप लगाती है।

श्री सभापति: आप प्लीज अपनी बात को कहें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ): 5 साल हमने वह चीज देखी है। मैं तो कह रहा हूं, इसमें परिवर्तन होना चाहिये। 5 साल जिस सरकार ने काम किया, उसमें उनकी गलतियां क्या थीं, उस पर बोल-बोलकर, मैं तो यह कह रहा हूं कि 'छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नये दौर में लिखो, हम सब मिलकर नयी कहानी।' अब आप लोग कहोगे कि हमने तो लिख दी, 163 आ गये, 163 के चक्कर में हम लोगों को नहीं भूल जाना। उसका कारण है, मैं बता रहा हूं ना वही चीज, यह जो सुनामी चली राजस्थान में, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि 'हम लाये हैं तूफान से कश्ती निकाल के, मुख्य मंत्रीजी, हमको रखना जरा संभाल के।'

जो काम 5 साल में पिछली सरकार ने किये, अब उसमें आगे क्या कर सकते हैं। सभापति महोदया, अभी अवस्थी जी बोल रहे थे, बहुत सारे विधायक सुबह प्रश्न काल के अन्दर भी बोल रहे थे, वही बात डाक्टर्स की। चिकित्सा विभाग में मैंने काम किया है, इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो हम नहीं कर पाये, वह आप करो ताकि उस समस्या से निजात मिले, वरना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पहले सत्र के अन्दर जो बातें विधायक महोदय कह रहे हैं बार-बार कि हमारे यहां डाक्टर्स नहीं हैं, स्पेशलिस्ट

(डा. राजकुमार शर्मा)

नहीं हैं, पूरे 5 साल बाद में भी यही बातें करते रहोगे। उसका कारण है कि डाक्टर्स हैं ही नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि डाक्टरों की भर्ती करें, भर्ती की, लेकिन जोइन नहीं करते। अब कुछ अच्छा काम हमने किया तो थोड़ा-सा आप आगे बढ़ जाओ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डाक्टर्स आ जायेंगे।

सभापति महोदया, जब पिछली सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मैडम उस समय मुख्य मंत्री थीं, तब 16,800 रुपये एक डाक्टर को मिला करते थे, एक एम ओ को, हम थोड़ा-सा आगे बढ़ें, हमने 30 हजार रुपये कर दिये उसके; थोड़ा-सा उनको यह कहा कि जो ग्रामीण अंचल में रहेगा, उसको प्री-पीजी के अन्दर हम लोग बेनेफिट्स देंगे और ग्रामीण भत्ता भी आपको अलग से देंगे; थोड़ा-सा हमने उनको सरकारी सेवा के लिए जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 30 हजार रुपये पर्याप्त नहीं हैं, आप बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकारी सेवा के अन्दर वे डाक्टर्स आने लग जायेंगे।

सभापति महोदया, क्या कारण है कि सरकारी सेवा से डाक्टर्स का मोह भंग हो गया? इसका कारण है कि या तो वह निजी चिकित्सालय चलाता है, खुद का, या फिर जो बड़े-बड़े अस्पताल हैं फोर्टिस जैसे, जो बड़े अस्पताल खुल गये हैं, वह बड़ी पगार पर उनमें चला जाता है। वहां उनको बड़ी-बड़ी तनख्वाह मिलती है। हमारे समय थोड़ा-सा इसमें सुधार हुआ, हमने लोगों का प्रमोशन किया।

सभापति महोदया, मैं आज कह रहा हूं आपको, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मेडिकल कालेजों की हालत खराब है, आप सुधारो ना उसको? हमने उस समय खूब कहा था, उस सरकार के अन्दर, मैंने तो प्रस्ताव बना-बनाकर भेजे थे। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप एक साल में, दो साल में सुधार लो, आपके सरकारी मेडिकल कालेज, वे सब आक्सीजन पर हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आक्सीजन पर हैं और पहले भी कहा है। जब मेडिकल कालेज, बीकानेर का इंस्पेक्शन करने के लिए एम सी आई की टीम आती है तो एस एम एस के लोगों को उठाकर, उधर व्यवस्था के लिए लगाया जाता है और जब कोटा आती है तो बीकानेर वालों को कोटा शिफ्ट कर दिया जाता है। रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, प्रोफेसर्स से कि 2 महीने के लिए चले जाओ, वापस आपको ले आयेंगे, गारंटी के साथ; स्टाम्प पर लिखकर देना पड़ता है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

सभापति महोदया, लाओगे कहां से? डाक्टर्स की कमी है। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने पूरी कोशिश की सबको मनाने की, अलग से इनका कैडर बना दिया, मेडिकल आफिसर्स का; इनको जितनी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे थे, वह कर दीं। थोड़ा और आप लोग बढ़ा दो तनख्वाह, 1 लाख रुपये कर दो।

सभापति महोदया, 108 की बात करते हैं, 108 एन आर एच एम का उपक्रम है, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। हम पूर्व मुख्य मंत्रीजी से यह लिखवाने में कामयाब हो गये थे कि एन आर एच एम कर्मियों को आप स्थायी कीजिये; 108 एम्बुलेंस चलाने वाले, जितने भी उनमें ए एन एम बैठते हैं, जो ड्राइवर बैठते हैं, उनको आप स्थायी कीजिये। आप 7 हजार रुपये के अन्दर ड्राइवर रखते हो, ड्राइवर भी कौन रखता है, वह भी तीसरा, एक बीच के अन्दर मीडिएटर है, वह रखता है। उसकी जिम्मेदारी क्या है, उस ड्राइवर की? वह उस 108 को जहां चाहेगा, वहां पटकेगा, क्योंकि 7 हजार रुपये के अन्दर वह व्यक्ति एम्बुलेंस चला रहा है। 108 एम्बुलेंस जो चल रही है, वह आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए संजीवनी बन चुकी है। किसी भी सरकार में ताकत नहीं है कि वह 108 को बंद कर दे। जब हमें हमेशा चलानी है तो क्यों नहीं, हम लोग इस पर कोई स्थायी नियुक्ति करें, ताकि उसकी जिम्मेदारी तय हो? आज मोटर गैराज का जो ड्राइवर है, मोटर गैराज की गाड़ी होती है, अगर उसके थोड़ा-सा भी टच हो जाता है तो शाम को ड्राइवर को बुखार चढ़ जाता है। वह हमारे पीछे-पीछे घूमता था कि लिखकर दे दो कि गलती से यहां पर गाय आकर पड़ गयी अन्दर, कोई भैंस आकर पड़ गयी अन्दर। उसकी जिम्मेदारी तय होगी तब, जब हम 108 के अन्दर स्थायी नियुक्तियां देंगे। तब जाकर 108 की सुविधाएं सही हो पायेंगी। वरना तो वे आफ-रोड चलती रहेंगी और माननीय सदस्य, सारे के सारे मिलकर, जिस प्रकार पिछले पूरे 5 साल तक चिल्लाते रहे, आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे।

सभापति महोदया, दूसरी बात यह है, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहल की कि हम 163 हैं, लेकिन जो बच गये उनका हम ध्यान रखेंगे। अब विपक्ष का मतलब तो कांग्रेस ही समझते हैं। अगर सामने सत्ता में बी जे पी है तो कांग्रेस विपक्ष में और सामने कांग्रेस है तो बी जे पी विपक्ष में हो गयी। लेकिन हम लोगों का क्या? हम लोगों का तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमने बी जे पी और कांग्रेस, दोनों पार्टियों

(डा. राजकुमार शर्मा)

को धूल चटायी है। इसलिए हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोनों पार्टियों को मिलाकर के, दोनों पार्टियों का वोट भी जोड़ लें तो हमको नहीं हरा सकते। उसका कारण है कि ठीक है, सरकार ने जो भी किया, हमने हमारा काम किया, हम ईमानदारी के साथ में जनता के बीच में लगे रहे। हमारे पास पक्ष का आया तो भी काम किया, विपक्ष का आया तो भी काम किया। हमने किसी को निराश नहीं किया क्योंकि जनता राजस्थान की है। हो सकता है, विधायक से मतभेद होंगे, विधायक से मनभेद होंगे, लेकिन जनता से अगर मतभेद और मनभेद कोई भी राजा करता है, कोई भी सरकार करती है तो उसकी दुर्गति होती है।

सभापति महोदया, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, इस दवा योजना के बारे में चाहे कोई कितना भी कुछ कह ले, आपको आज बता दूं, आम गरीब आदमी को इसका फायदा हुआ है। आज डा. राजकुमार जो कुछ भी है, एस एम एस अस्पताल में उन गरीब लोगों की दवा करके, उनकी दुआओं की वजह से मैं जीता, दुबारा भी उनकी दुआओं की वजह से जीता। हम हमारी जेब से पैसे खर्च किया करते थे; जब से यह योजना लेकर आये हैं, उसके बाद से पैसे नहीं लगते, उन गरीब आदमियों की मदद होती है।

सभापति महोदया, अब बात आती है कि एस एम एस से बाहर कैसे करें? मैंने, उस समय नवाब साहब थे, उनको भी कहा; मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी थे, उनको भी कहा, कि आप सीकर के अन्दर मेडिकल कालेज खोल दो। आपको भी राय देना चाहता हूं, सीकर के अन्दर सरकारी मत खोलना। सरकारी खोल दोगे तो फिर आक्सीजन पर उसको चलाना पड़ेगा। आपके पास कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि तनख्वाह आपकी थोड़ी-थोड़ी है। महात्मा गांधी मेडिकल कालेज वाला 7-7 लाख रुपये देता है, हम लोग क्या देते हैं, डेढ़ लाख रुपये और उसके बाद में मंत्री का फोन आ जाये, एम एल ए का फोन आ जाये; कोई भी जनता आकर के मारपीट कर ले, वह डाक्टर उसमें अग्रेसिव हो जाये। वही जनता अगर प्राइवेट अस्पताल में जायेगी तो अदब से बात करेगी; जूते बाहर खोलकर जायेगी; अगर हम कह दें कि आई सी यू में नहीं जाओगे, सरकारी अस्पताल में, तो वह फोन करवायेगा हमसे, क्यूं नहीं जायेंगे, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन अगर वह प्राइवेट अस्पताल में जायेगा तो वहां पर वह बाहर ही खड़ा रहेगा, अगर किसी गार्ड ने भी कह दिया कि अन्दर नहीं जा सकते।

(डा. राजकुमार शर्मा)

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि सीकर के अन्दर मेडिकल कालेज खोल दो, पी पी पी मोड में खोल दो, 5 जिले आपके वहीं रुक जायेंगे। झुंझुनूं का पेशेंट आपका वहां रुक जायेगा, गंगानगर का पेशेंट वहां रुक जायेगा, हनुमानगढ़ का रुक जायेगा, आधा नागौर का रुक जायेगा, चूरू का रुक जायेगा और सीकर का रुक जायेगा। लोगों की जान भी बचेगी और एस एम एस से भार भी कम होगा। आपके अलवर के अन्दर मेडिकल कालेज खोल दो, पांच के पांच जिले उस तरफ के आ जायेंगे। जिस तरह से अजमेर के लोग अब जयपुर नहीं आते, उदयपुर के लोग जयपुर नहीं आते, जोधपुर के जयपुर नहीं आते, अगर इन जिलों को वहीं रोक दिया जाये, अच्छी सुविधा वहीं मिल जाये तो वहां के लोगों की जान भी बचेगी और एस एम एस से भार भी कम होगा। यह मैं मेडिकल पर आपसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा सम-अप करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैडम, अभी तो शुरू किया है। आप लोगों ने 13 घंटे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शुरू नहीं किया है; आप घड़ी देखकर शुरू करा कीजिये, आप टाइम देखिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैडम, अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति: आप टाइम देखिये। थोड़ा सा जल्दी सम-अप करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग डाक्टरों को सरकारी सेवा से कैसे जोड़ें? उसमें इनका पैसा आप बढ़ा दो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग आयेंगे और जब आयेंगे तो लोगों की सेवा होगी।

सभापति महोदया, पेंशन योजना के मामले में कहना चाहता हूं, पेंशन के मामले में रेवड़ियां,बांटने की कोई बात कहते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। ये रेवड़ियां नहीं हैं। ठीक है, इन्होंने 500 रुपये दिये, 750 रुपये 75 साल से ऊपर वालों को दिये। आप गांव के अन्दर जाकर के पूछिये उस महिला से, उस बड़िया से, बड़िया बोलते हैं जो बुजुर्ग लेडी होती है; मैंने पूछा, बड़िया, यह 750 रुपये आपको मिले, इसका क्या करोगे, जो पेंशन मिली है आपको? उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के ऊपर या वार-त्यौहार के ऊपर मेरी बेटी जब आती है, मेरा दामाद आता है, तो पहले मैं मेरे बेटे से कहती थी कि मेरे दामाद का तिलक करना है, बेटी को पैसे देने हैं, मेरे को 100 रुपये दे दे, तो

(डा. राजकुमार शर्मा)

वह 10 रुपये दे देता था। आज 750 रुपये मुझे मिले हैं, मैंने 100 रुपये का तिलक मेरे दामाद को किया है और 100 रुपये मेरी बेटी को मैंने दिये हैं। उसके लिए कितने गर्व की बात है! यह कितने गर्व की बात है! इसको आप चुनाव से मत जोड़िये। माननीय सदस्य, मैं तो सुझाव दे रहा हूं, उस 500 रुपये का, 750 रुपये का, हो सकता है, पैसे वाले व्यक्ति के लिए कोई मोल नहीं हो लेकिन एक गरीब आदमी के लिए, एक बुजुर्ग आदमी के लिए उसका मोल होता है।

अब पिछली सरकार ने एक अच्छा काम किया कि 21 साल का, 25 साल का बेटा होगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उस अवरोध को पिछली सरकार ने हटा दिया। आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक अवरोध और है कि जिसके सरकारी सेवा के अन्दर कोई बेटा है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इस बैरिकेड को आप हटा दीजिये, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरकारी सेवा के अन्दर जिसका बेटा है, वह अपने मां-बाप का खयाल रखता होगा। वह अगर बुजुर्ग है तो पेंशन का उसको भी हक मिलना चाहिए। इसलिए हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब रिप्लाई दें तो इन चीजों को भी जोड़ें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आम जनता तक जायेगा।

माननीय सभापति महोदया, इसके आगे मैं कहना चाहता हूं बिजली वाले मामले में। वी सी आर के बारे में लोग कहते हैं, गरीब आदमी पिस रहा है वी सी आर में। उसका कारण क्या है, पिछली सरकार के अन्दर भी हमने खूब कहा था कि गैर-आबादी का जो बैरिकेड है, उसको हटा दो। जो व्यक्ति कृषि कनेक्शन लेकर बैठा हुआ है, आजकल शहरों के अन्दर ही नहीं, गांवों के अन्दर भी जिस तरह से लोग खेतों के अन्दर जाकर बसने लग गये, उसके पास कृषि कनेक्शन तो है लेकिन अगर उसने झोंपड़ी बना ली या घर बना लिया तो उसके अन्दर बिजली नहीं है उसके पास। तो वह क्या करता है, माननीय सभापति महोदया, वह अपने कृषि कनेक्शन से एक तार लेकर अपनी झोंपड़ी में लगा लेता है। दूसरे ही दिन दस्ता पहुंचता है और उसके दस हजार रुपये का, पन्द्रह हजार रुपये का वी सी आर का बिल देता है। मैं कहता हूं, यह गैर-आबादी का जो बैरिकेड है, उसको हटा दें; गैर-आबादी का हटा देंगे तो उस व्यक्ति को कृषि कनेक्शन, हो सकता है, आप प्रायोरिटी के हिसाब से दे रहे हों, जिस तरह से आपके पास बिजली है, उस तरह से देते रहना लेकिन कम से कम घरेलू कनेक्शन तो उसको दे दो ताकि वह व्यक्ति उस वी सी आर की

(डा. राजकुमार शर्मा)

मार से बच जाये। पिछली सरकार ने यह नहीं किया, इस सरकार का, मैं तो आपसे कहता हूं, आप कर दो, ताकि निश्चित रूप से उस आदमी को फायदा होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम-अप कर लें। आपका समय पूरा हुआ। (व्यवधान) सिर्फ दो मिनट में अपनी बात सम-अप कर लें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदया, बी पी एल परिवार के लिए भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बी पी एल कार्ड जारी होते हैं, केन्द्र सरकार द्वारा तय होता है लेकिन उसमें भी एक है, वह थोड़ा-सा आप भी उसमें आगे बढ़ जाइये; जिस व्यक्ति के घर पर कच्चा मकान है, चाहे उसने टेण डाल रखे हैं उस मकान के ऊपर, वह व्यक्ति बी पी एल में नहीं आ सकता। माननीय सभापति महोदया, एक कमरे का जुगाड़ तो गरीब आदमी कहीं से मांग-तांग करके, ईंट कहीं से लाकर, पट्टियां कहीं से लाकर, बना ही लेता है लेकिन वह ग्राम सेवक लिख कर दे देता है कि नहीं, इसके तो पक्का मकान है, यह बी पी एल में नहीं आ सकता। कम से कम यह चीज, राज्य सरकार पहल तो करे, केन्द्र सरकार को लिखे, केन्द्र सरकार को मजबूर करे और हो सकता है कि अभी आप कह दो कि हमारी सरकार केन्द्र में नहीं है, कोई बात कोनी, थांकी सरकार आ जाय, जणा बणा दीज्यो। उसमें क्या दिक्कत है? उस समय बना देना।

मैं तो आपसे ये चीजें कहना चाहता हूं। ये सारे सुझाव मैंने दिए हैं। बात बहुत बोलने की है लेकिन, माननीय सभापति महोदया, ...

श्री सभापति: समय की भी अपनी एक सीमा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदया, निर्दलीय होने का इतना खामियाजा मत भुगतने दो। कम से कम आप लोगों को भी बड़ा दिल रखना चाहिए। जब आपका छोटा भाई बोल रहा हो तो कोई कह दे, हमारा समय इसको दे दो। हम तो सुझाव दे रहे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, हम सदन का समय जाया नहीं कर रहे, किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो आपसे यह कहना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में हमने जो सीखा, वह चीज आपको बताना चाहते हैं कि आप उसमें आगे बढ़ो ताकि ...(व्यवधान) मैं तो आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं लेकिन समय की सीमा है, बहुत सारे माननीय सदस्यों को और बोलना है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): शुक्रिया, सभापति महोदया।

श्री सभापति: श्रीमती द्रोपती मेघवाल।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): बोल दिया।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): बोल दिया? इस लिस्ट में है।

श्री बाबूलालजी वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदया, 4 अप्रैल, 2013 से जब हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान की एक यात्रा शुरू की और उस यात्रा में इस प्रदेश की पूरी जनता से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने रूबरू होकर उनकी बात को सुना, महिलाओं को सुना, युवाओं की समस्याओं को देखा और एक विश्वास दिलाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो निश्चित रूप से सुराज होगा और उसी विश्वास के आधार पर राजस्थान की जनता ने अपना समर्थन, अपना विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिलाया और जो सरकार बनी, उस राजस्थान सरकार ने सुराज का संकल्प किया।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुराज का मतलब है, हर आम आदमी की आवाज को सुना जाये, हर वर्ग की बात का ध्यान रखा जाये और आम आदमी की आम समस्या समाधान हर स्तर पर, एक समयबद्ध तरीके से किया जाये। यह सुराज का मतलब है। इसके लिए राज्य सरकार ने जो अपनी कटिबद्धता दिखाई है, निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं।

माननीय सभापति महोदया, इस चीज के लिए राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में जो 'राजस्थान सम्पर्क पोर्टल' प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है, इससे निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को लाभ होगा। माननीय सभापति महोदया, हमारे सुराज संकल्प का सपना तब पूरा होगा, जब राजस्थान अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, स्वावलम्बी बने और इस प्रदेश में रहने वाली प्रत्येक महिला अपनी आत्म-सुरक्षा के आधार पर, उसको सुरक्षा के पर्याप्त अवसर मिलें और उन्नति का भी अवसर मिले; युवाओं को बेरोजगारी दूर करने का पूरा मौका मिले; चिकित्सा जगत में, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। तब हमारा सुराज का संकल्प स्थापित होगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं इस मौके पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में राजस्थान प्रदेश के

(श्री बाबूलाल वर्मा)

आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया। इसका परिणाम हुआ कि राजस्थान हिन्दुस्तान के 20 राज्यों में 16वें स्थान पर आ गया, जबकि, माननीय सभापति महोदया, आपको जानकारी होगी, जब 2003 से 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यही हमारी माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी ने प्रदेश का नेतृत्व किया था तो राजस्थान की गिनती पूरे हिन्दुस्तान में विकासशील प्रदेशों में की जाने लगी थी, राजस्थान प्रदेश को ऐसा देखा जाने लगा था, आम आदमी यह महसूस करता था कि निश्चित रूप से राजस्थान ने विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने का काम किया है। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान राजस्थान के विकास की गति रुक गई और राजस्थान के आधारभूत ढांचे में जो एक ब्रेक लग गया, उसकी वजह से हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान के विकास की दृष्टि से काफी पीछे हैं। माननीय सभापति महोदया, शिशु मृत्यु दर और जन्म दर के आधार पर राजस्थान 'बीमारू' राज्य की श्रेणी में गिना जाने लगा है।

माननीय सभापति महोदया, मैं इस मौके पर, ऐसी स्थिति से राजस्थान को कैसे उबारा जाये, राजस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाये, इसके लिए राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि राजस्थान की विकास दर 12 प्रतिशत के आसपास रहनी चाहिए और जब तक हम राजस्थान की विकास दर को 12 प्रतिशत के आसपास नहीं ले जायेंगे, तब तक हम राजस्थान को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। इसके लिए आज आवश्यकता है, राजस्थान की विकास दर को हम 12 प्रतिशत तक कैसे ले जायें? क्योंकि राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, आज राजस्थान में औद्योगिकीकरण होना चाहिए। यदि औद्योगिकीकरण पूरे अच्छी तरीके से नहीं होगा तो हम विकास की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते; यदि हम आज राजस्थान में सिंचाई के पूरे साधनों को आगे नहीं बढ़ा सकते तो राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकते; यदि हम राजस्थान में कृषि व्यवस्था को नहीं सुधार सकते तो राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकते। माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक हम सारे सेक्टर्स में, सारे क्षेत्रों में, राजस्थान में इन सारी व्यवस्थाओं को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम राजस्थान को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पायेंगे।

इस अभिभाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो संकल्प दिखाया है, वह इस बात के लिए है, उन्होंने सबसे पहले बिजली की इम्पोर्टेंस दिखाई। यदि आज हमारे पास बिजली की अवेलेबिलिटी होगी, यदि आज बिजली की उपलब्धता हमारे पास होगी, तो मान कर चलिये, इन्वेस्टर्स चलकर यहां उद्योग

(श्री बाबूलाल वर्मा)

लगाने के लिए आयेंगे; जब उद्योग लगाने के लिए आयेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे यहां का बेरोजगार युवा घूम रहा है रोजगार के लिए, उसके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसके लिए, बिजली की उपलब्धता कैसे बढ़े, बिजली की अवेलेबिलिटी हम कैसे बढ़ायें राजस्थान में, इसके लिए आज इस अभिभाषण में जो हम देख रहे हैं, इसके लिए हमारे डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को मजबूत किया

(14.00 बजे)

जायेगा, इसके लिए हमारे जो लाइन लासेज हैं, उनको कंट्रोल में किया जाएगा। निश्चित रूप से, यदि हमने बिजली की स्थिति को पूरी सुधारने की कोशिश की तो सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में निश्चित रूप से विकास होगा; जो निवेशक हैं, वे इस प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आएंगे और हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदया, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक परियोजना है, जिसको अभिभाषण में बहुत महत्वपूर्ण रूप से दिखाया गया है, यह हमारे राजस्थान के लिए लाइफलाइन है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। निश्चित रूप से, इस योजना के लागू होने के बाद, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि राजस्थान की विकासशील प्रदेशों में गिनती होगी, औद्योगिक दृष्टि से हम लोग स्वावलम्बन के साथ आगे खड़े हो पाएंगे।

माननीय सभापति महोदया, इसके तहत एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि औद्योगिकीकरण होना चाहिए, बड़े-बड़े उद्योग आने चाहिए, लेकिन इसके साथ एक बहुत आवश्यक चीज है, भौगोलिक दृष्टि से हमारे पास चाहे माइंस हों, भौगोलिक दृष्टि से हमारे पास रा-मैटेरियल हो, जिंस हों, यदि हमने उस चीज को बेस बनाकर वहां उद्योग को लागू करने की कोशिश की, तो आप मानकर चलिए, स्थानीय रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हम औद्योगिक रूप से भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग इस चीज को लागू करने की पूरी-पूरी कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में एक चीज और आकर्षित हो रही है, निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाये जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले न्यूज़पेपर्स में बहुत विज्ञापन देखे थे, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को डवलप किया जा रहा है। जब राजस्थान सरकार द्वारा कोई चीज की जाती है तो उसमें कई प्रकार की

(श्री बाबूलाल वर्मा)

रुकावटें आती हैं, लेकिन जिस प्रकार से, ये प्राइवेट सेक्टर्स में, रीको के अलावा जो दूसरे इंडस्ट्रियल पार्क बनाये जा रहे हैं, यदि इसी तरीके से हमने इनको मोटिवेट किया, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

सभापति महोदया, चूंकि राजस्थान एग्रीकल्चर के नाम से बहुत बड़ा स्टेट है, एग्रीकल्चर का हमारे यहां बहुत बड़ा महत्व है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृषि का उत्पादन हमारे यहां बहुत ज्यादा, हर जिले में प्रोडक्टिविटी है, काफी मात्रा में होता है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से उस प्रोडक्टिविटी का लाभ इस राजस्थान को नहीं मिल रहा है। उसका कारण यह है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे यहां भण्डारण की सुविधा नहीं है। अगर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास भण्डारण की सुविधा हो और आप लोगों ने देखा होगा, पिछली सरकार के कार्यकाल में मैंने कुछ न्यूजपेपर्स में देखा था, जब न्यूजपेपर्स में बार-बार कोई इस तरह की चीज हाइलाइट हो रही है कि सिर्फ भण्डारण की वजह से करोड़ों रुपये का अनाज, खाद्यान्न वेस्ट हो रहा है, सड़ रहा है, तो मानकर चलिए, मुझे याद आ रहा है, प्रतिवर्ष हिन्दुस्तान में लगभग 45-50 हजार करोड़ रुपये का खाद्यान्न वेस्ट होता है, जिस देश में 45-50 हजार करोड़ का खाद्यान्न नष्ट हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रखने की सुविधा नहीं है, इस चीज पर हमें कहीं न कहीं विचार करने की आवश्यकता है। (व्यवधान) सभापति महोदया, मैं बहुत जल्दी अपनी बात कंक्लूड करूंगा। (व्यवधान) यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल की बात है, कनकपुरा में 2,500 मैट्रिक टन की एक खेप उतरी थी और वह खेप राशन डीलरों को गेहूं वितरित करने के लिए आई थी, सभापति महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उस सड़े हुए गेहूं की वजह से पूरे कनकपुरा स्टेशन के आसपास मजदूरों का काम करना दूभर हो गया। वहां मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस मामले में इंटरवीन

(14.04 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

किया, तब जाकर वह मामला थोड़ा कंट्रोल में आया। ऐसे मामले के लिए, मैं कहना चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

सभापति महोदय, किसी भी स्टेट या किसी भी देश के विकास के लिए, मैं समझता हूं, एक बेहतर प्रबंधन की जरूरत होती है, चाहे फाइनेंशल प्रबंधन हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। जब तक हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि हम लोग कोई ग्रोथ कर पाएंगे। मैं इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले आवश्यकता यह है कि हमें बिजली के प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा जल्दी-जल्दी करें। आज तीन बजे सदन के नेता का जवाब होगा।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): मैं अपनी बात दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता भी बोलेंगे।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): खतम कर रहा हूं, साहब।

पिछली सरकार के कार्यकाल में तीन रुपये प्रति यूनिट की अधिक दर से बिजली खरीदी गयी। किसान बिजली के लिए चिल्लाता रहा, राजस्थान बिजली के लिए हाहाकार करता रहा और उसी बिजली को एक रुपया 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बेचा गया। यह इस बात का उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, यदि इस तरह राज्य सरकार अपनी व्यवस्था करती रही, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ, इससे निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा।

मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, आज पूरी एग्रीकल्चर इर्रिगेशन पर डिपेंड होती है और मैं विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं, केशोरायपाटन क्षेत्र का अधिकांश भाग सी ए डी में कवर होता है, 60-70 प्रतिशत भाग नहरी तंत्र से जुड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को कि जब मैंने वह बात आपके सामने रखी कि पिछले 5 साल के दौरान उन नहरों पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, न उन नहरों का कोई रखरखाव हुआ...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): आज स्थिति यह है, मैंने जब चीफ इंजीनियर, सी ए डी के साथ दौरा किया, इसी महीने के अन्दर, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितना पानी हम लोग वहां से ड्रा कर रहे हैं, उसका 30-40 परसेंट वाटर वेस्टेज होकर राजस्थान की सीमा के बाहर जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): यदि ऐसी स्थिति रही तो मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे लिए बहुत..(व्यवधान)

श्री सभापति: 10 मिनट हो गये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): एक मिनट में बात खतम कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, 2003 से 2008 के बीच में हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री, वसुंधराजी थीं, उन्होंने जेता माता की बहुत बड़ी पुलिया के निर्माण की घोषणा की थी और उसको बजट में लेकर आये थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो पुलिया कोटा-बूंदी जिले को जोड़ने के लिए 160 किलोमीटर में से 130 किलोमीटर की दूरी को कम करती है, आज अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यदि हम लोगों ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोस्टिंग इतनी आती है तो आप मानकर चलिए, हम विकास दर को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे?

ये कुछ ऐसे सुझाव हैं, निश्चित रूप से इस अभिभाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी कटिबद्धता दिखायी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम सब लोग इसके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद आपका।

श्री कैलाश भंसाली। सब माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि आज तीन बजे सदन के नेता जवाब देंगे, उसके पहले प्रतिपक्ष के नेता भी बोलेंगे, अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है। इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापतिजी, महामहिम द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण, जो इस सदन में 23 जनवरी को प्रस्तुत किया... (व्यवधान)

श्री सभापति: वैसे, माननीय सदस्य, मैं बता दूं कि सत्ता पक्ष का ही समय बचा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): विद्याधर नगर से आने वाले माननीय विधायक द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं पक्ष ले रहा हूं।

गत विधान सभा चुनावों में जिस तरह से जनता ने श्रीमती वसुंधरा राजेजी को तथा नरेन्द्र भाई मोदी की झोली में, 163 सीटें भा ज पा की

(श्री कैलाश भंसाली)

झोली में डालीं, वह जनता की जीत थी और जनता ने जनता के लिए वोट दिया था।

राजस्थान की पिछली सरकार का 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड हम लोगों ने यहां अच्छी तरह से सुन लिया है, पूरे 5 साल प्रदेश के व्यर्थ में चले गये क्योंकि एक योजना कारगर नहीं रही। योजनाओं की घोषणा बहुत हुई, फीते बहुत काटे, शिलान्यास बहुत किये, परन्तु कार्य एक भी प्रारम्भ नहीं हुआ और न उसकी कोई मानिटरिंग की गई।

आज आवश्यकता है इस प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने की और उसके लिए जो भी आवश्यकता हो, विशेषकर, रीको द्वारा जगह जगह पर औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाये जाएं और निवेशकों को कम मूल्य पर, वाजिब मूल्य पर प्लाट अलाट किये जाएं ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन राजस्थान का हो सके। रोजगार के साधन, जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार स्वयं बढ़ जाएगा।

यह सोची समझी चाल थी कि केवल घोषणाएं करो, करो कुछ नहीं। एक भी जोधपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र प्रारम्भ नहीं किया गया। आर्थिक ढांचे का सुदृढ़ीकरण तभी होगा, जब औद्योगिकीकरण होगा।

क्योंकि कृषि क्षेत्र में तो हमने काफी अच्छी प्रगति की है, गुजरात का माडल देकर, उस माडल पर हम, हमारी सरकार के काम चलेंगे तो अवश्य कृषि क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, बात धीरे-धीरे करें। बहुत वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं, आपके लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): औद्योगिक विकास के बिना रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते। मेरा मेरी सरकार से निवेदन है कि ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कालीचरणजी, आप मंत्री हैं, सुनो कोई बात। दो-तीन बार कह दिया। अब आप विपक्ष में थोड़े ही बैठे हो। आप तो, वही आदत पड़ती है; लगा दो स्थगन, वेल में आ जाते थे।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): तो आर्थिक ढांचा जब हम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तभी बढ़ सकेगा। जमीन की उपलब्धता हो, किसानों को उसका वाजिब मूल्य मिले, परन्तु फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सस्ती दर पर प्लाट औद्योगिक घरानों को मिलना जरूरी है। तभी वे राजस्थान में आकृष्ट होंगे और निवेश करेंगे।

(श्री कैलाश भंसाली)

शिक्षा, स्वास्थ्य और नि:शक्तजन के लिए सरकार ने काफी घोषणाएं की हैं, मैं समझता हूं कि वसुंधराजी के शासन में सरकार उनको क्रियान्विति देगी और आम आदमी को, विशेषकर नि:शक्तजन का विशेष खयाल रखा जाएगा। सुराज संकल्प यात्रा के साथ जो नई सोच, सुशासन स्थापना की, सब का भला हो, जन अभियोगों का जल्दी से जल्दी निराकरण हो।

गांधी मैदान में, जोधपुर की सभा में ढाई लाख की उपस्थिति तथा 29.11 को आखिरी सभा में साढ़े तीन लाख लोगों द्वारा डा. नरेन्द्र भाई मोदी को सुनने के बाद में ऐसा लगा, जोधपुर के हमारे जाए-जन्मे, एक मात्र 10 सीटों में से जीतने वाले मुख्य मंत्रीजी को लगा कि अब मैं खुद चला जाऊंगा, क्योंकि इस तरह की हवा बह रही है, सारे राजस्थान में मोदी के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने मीडिया में यह कहा कि हम उस आंधी में, मोदी की आंधी में बह गये और हम हार गये, और हारे भी इतने बुरे हैं, इतने वोटों से, माननीय सभापति महोदय, इसने तो रिकार्ड ही कायम किया है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई हैं। मुख्य मंत्रीजी बाल-बाल बच गये। निश्चित रूप से, उनका हारना तय था परन्तु उन्होंने जिस तरह से +++ तीन रात, तीन दिन, चौबीसों घंटे उन्होंने यही काम किया; रेविड़यां बांटीं, मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब अनाप-शनाप पैसे खर्च किये और वे जीत गये। नहीं, अन्यथा वे भी आज 21 की जगह 20 ही रहते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 50 होते तो क्या कर लेते?

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी नाम नहीं, मैं तो हमारे शहर के एक विधायक का नाम ले रहा हूं।

मेरा एक निवेदन है कि 60 दिन की कार्ययोजना में जोधपुर में कुछ ऐसे कामों को जोड़ा जाए, जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो; रीको द्वारा नई भूमि का अधिग्रहण कर सस्ते दामों पर उद्योगपतियों को प्लाट आबंटित किये जाएं; नई सड़क का विस्तार किया जाए; रोडें बड़ी की जाएं। जयपुर मेट्रो की बहुत कहानियां सुनीं, मेरा एक निवेदन है कि जोधपुर की डी पी आर बन गई है, 50 करोड़ में मोनो ट्रेन शुरु हो सकती है। जोधपुर के चारों तरफ एक सुव्यवस्थित ढंग से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकेगा; नहीं, अन्यथा जोधपुर में अभी बहुत मुश्किल है सड़क पर चलना।

(श्री कैलाश भंसाली)

हास्पिटल की हालत हमारे सदस्यों ने कही, दो सदस्यों ने जोधपुर के, मैं आज कह रहा हूं, बहुत खराब है, परन्तु स्पेशल सेक्रेटरी, हैल्थ ने जोधपुर में आकर जिस तरह से हमारी व्यवस्था को सुधारा है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, परन्तु मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये व्यवस्थाएं आगे भी चलती रहें, सारे हास्पिटल साफ सुथरे रहें और डाक्टर्स की जो कमी है, उसको सारा राजस्थान भुगत रहा है। मैं यह चाहता हूं कि एक लाख रुपये दे दीजिए परन्तु उनको लाइए। बिना उनके आए, स्पेशलिस्ट अगर नहीं आएंगे तो लोग इलाज कराने नहीं आएंगे और प्राइवेट हास्पिटलों में तो भारी भीड़ बढ़ रही है, बड़ा पैसा लोगों को खर्च करना पड़ता है।

मेरा एक निवेदन है मुख्य मंत्रीजी से कि वे बिजली की दर में एक रुपये प्रति यूनिट कम कर दें तो इससे जनता को सीधा लाभ होगा और आम आदमी आपकी सरकार की तारीफ करेगा और आपके लिए निश्चित रूप से अगला वोट भी तैयार रखेगा कि वसुंधराजी ने यह बड़ा महान् काम किया है, एक रुपया बिजली की दर में कटौती की है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा और रिफाइनरी अवश्य खोली जाए। डी पी आर 50 वर्ष की हो सकती है, सौ वर्ष की हो सकती है परन्तु उसका खुलना राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना की कैसी भी समीक्षा करो परन्तु यह जोधपुर के पचपदरा में लगनी ही चाहिए; लगनी ही चाहिए।

इसी के साथ-साथ, हाई कोर्ट की बेंच की यहां बात हुई, मैं कहता हूं, हमारी तो यह मांग है कि एकत्रित किया जाए कि जो बेंच जयपुर में है, उसको भी जोधपुर में लाया जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): एक मिनट। दो बातें और।

श्री सभापति: श्री संजीव कुमार।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): 24 घंटे डोमेस्टिक लाइट दी जाए...

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): सोलर पार्क को बनाया जाए और माइनिंग इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए; एजुकेशन के लिए अधिक प्रयास किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संजीव कुमार।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, दिनांक 23 जनवरी, 2014 को इस पवित्र सदन में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा और उस अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में राजस्थान की विधान सभा के चुनाव सम्पन्न हुए और राजस्थान की जनता ने इस चुनाव में सर्वाधिक मतदान करके और प्रचण्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है। उसके लिए मैं राजस्थान की बहादुर जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर से राजस्थान की महान् जनता ने सुराज के संकल्प के साथ वर्तमान सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पूर्ण विश्वास के साथ जो सत्ता सौंपी है और प्रदेश की लोकप्रिय नेता, वसुंधरा जी को एक बार फिर से राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाने में जनता ने जो अपनी भूमिका अदा की है, उसके लिए राजस्थान की जनता बहुत-बहुत धन्यवाद की, साधुवाद की पात्र है।

माननीय सभापति महोदय, गत पांच वर्षों में कांग्रेस के शासन की यदि हम समीक्षा करें...

श्री सभापति: विराज जाएं, माननीय सदस्य, आप। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं; माननीय जोशीजी, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, गत पांच वर्षों के शासन को, कांग्रेस के शासन को, यदि हम उसकी समीक्षा करें तो हम देखेंगे, हम पाएंगे कि कांग्रेस का वह शासन शासन नहीं, बल्कि कुशासन था, क्योंकि इस दौरान जन-साधारण को घोर निराशा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का नौजवान बेरोजगारी के कारण हताशा में रहा, राजस्थान का किसान निश्चित तौर से बिजली की भारी कमी की वजह से, डीजल और खाद के दामों में भारी बढ़ोतरी की वजह से लगातार परेशान रहा। माननीय सभापति महोदय, पूरे पांच साल के इस कुशासन में राजस्थान की जनता परेशान रही, कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब रही।

(श्री संजीव कुमार)

माननीय सभापति महोदय, इस कुशासन से मेरा निर्वाचन क्षेत्र भादरा भी अछूता नहीं रहा। मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा की कुछ समस्याओं का जिक्र करना चाहूंगा और वे समस्याएं इन लोगों की वजह से पैदा हुईं, इन लोगों के कुशासन की वजह से पैदा हुईं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र भादरा में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, यह वह परियोजना है, जहां 2002 में इस परियोजना में पानी छोड़ा गया। इस परियोजना को और विशेषकर, भादरा विधान सभा क्षेत्र की नोहर सिद्धमुख सिंचाई परियोजना और अमरसिंह सिस्टम को, दोनों सिंचाई परियोजनाओं को कांग्रेस के शासन में ठप करके रख दिया। माननीय सभापति महोदय, पांच साल के इस कुशासन में जो दुर्गति भादरा विधान सभा क्षेत्र के किसानों की इन लोगों ने की, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की जो दुर्गति इन लोगों ने की, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के क्षेत्र में चकबंदी का काम ये लोग पूरा नहीं करा पाये; आज तक कमाण्ड, अन्कमाण्ड एरिये के सर्वे का काम ये लोग पूरा नहीं करा पाये; आज तक उस नहर के अन्दर आउटलेट लगाने का, मोगे लगाने का काम ये पूरा नहीं करा पाये; आज तक सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में हैड रेग्यूलेटर और क्रोस रेग्यूलेटर लगाने का काम इन लोगों ने नहीं किया; निश्चित तौर से जो बाराबंदी लागू हो जानी चाहिए थी, उस बाराबंदी को ये लोग लागू नहीं कर पाये। आज इस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं कि हरियाणा से पूरा पानी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। आज जो नहरें बनी हुई हैं, वे नहरें क्षतिग्रस्त हैं। उनमें सफाई का काम, सिल्ट का काम इन लोगों ने नहीं किया, जिससे निश्चित तौर से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में स्टाफ का भारी अभाव है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम एक अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोलना चाहिए; कम से कम दो डिविजनल कार्यालय खुलने चाहिए; दो एक्स.ईएन. के कार्यालय खुलने चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के अन्दर, टेल के किसान को जो पूरा पानी नहीं मिल रहा है, पानी चोरी की जो घटनाएं बढ़ रही हैं और पानी के चोरी होने की वजह से टेल के किसान को पूरा पानी नहीं मिल रहा, तो अगर स्टाफ का अभाव इस तरह से बना रहेगा तो किसान की, उस पानी की रक्षा कौन करेगा?

(श्री संजीव कुमार)

उस पानी की रखवाली कौन करेगा? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका के टेल के किसान को पूरा पानी नहीं मिल रहा है; ...

श्री सभापति: थोड़ा संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): नथवानिया माइनर, बोदला माइनर, गुंजासरी माइनर के टेल के किसान को पानी नहीं मिल रहा और अमरसिंह सिस्टम का पानी भी टेल के किसान तक पूरा नहीं पहुंच रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त किया जाए।

इसी तरह से, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पांच साल के इस कुशासन में कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब रही। वहां लगातार हत्या और लूटपाट की घटनाएं बढ़ीं, निश्चित तौर से भू-माफियाओं का, शराब-माफियाओं का आतंक बढ़ा, गुंडागर्दी बढ़ी और दो-तीन तरह के हत्याकांड वहां इस तरह के हुए कि लोगों को आंदोलन करना पड़ा। माननीय सभापति महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र भादरा, जो कि हरियाणा बोर्डर से लगता है, वहां अपराध पिछले पांच साल के शासन में काफी बढ़े हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए, भादरा चूंकि एक उप-खण्ड मुख्यालय है, तो वहां पर सी.ओ., डीवाई.एस.पी. का कार्यालय खुलना चाहिए ताकि वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जा सके।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर से महामहिम राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण पढ़ा और उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, उसमें मैं अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए, उसका पूरा समर्थन करते हुए, आपने जो समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए, मेरी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय श्री प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदया ने जो यहां अभिभाषण दिया है, एक परम्परा के रूप में अभिभाषण दिया जाता है। आपने कहा कि सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया जाता है, तो मैं इसका विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : थोड़ा तेज बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बूढा आदमी हूं, जितनी आवाज है, उतनी तेज ही बोल सकता हूं।

श्री सभापति: फेफड़ों में ज्यादा ताकत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कटारियाजी के फेफड़ों में ताकत है, मेरे फेफड़ों में ताकत नहीं है।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आम तौर से स्टेट के फाइनेंसेज के बारे में चर्चा होती नहीं है, जहां तक मेरा ध्यान है, आम तौर से, लेकिन यह पहली दफे, पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट को दरकिनार करके स्टेट के फाइनेंसेज के बारे में भी उनके श्रीमुख से कुछ कहलवाया गया है। उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा।

फेयर डिस्कशन के लिए सरकार ने बहुत चतुराई से सी.ए.जी. की रिपोर्ट, जो आम तौर पर सरकार को अगस्त-सितम्बर में प्राप्त हो जाती है, उसको यहां आज, जो सदन का आखिरी दिन है, उसको यहां पेश किया। अभी तक हम लोगों को मिली भी नहीं है। खैर, बहुत जल्दी हम उसका अध्ययन करने की स्थिति में भी नहीं थे। जब आपने फाइनेंसेज के बारे में कुछ कहलवाया है तो आप ईमानदारी के साथ सी.ए.जी. की रिपोर्ट भी पहले पेश कर देते तो बेहतर रहता, डिबेट अच्छी हो जाती।

इस अभिभाषण में बहुत सारी बातें कही गईं 'बीमारू' राज्य, जब यह सरकार आती है तभी राजस्थान को 'बीमारू' राज्य बना देती है। ठीक है, 1998-2003 के बीच में पूरे देश के राज्यों की फाइनेंसेज की हालत खराब थी, राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं था, लेकिन आपने आते ही फिर 'बीमारू' राज्य का कर दिया। आखिर क्या प्लानिंग कमीशन ने राजस्थान को 'बीमारू' राज्य कहा? मेरे कहीं पढ़ने में तो आया नहीं। आते ही आपने कहना शुरु कर दिया।

'बीमारू' राज्य की परिभाषा क्या है? मोटी-मोटी बातें अगर आप देखें, तो जी.डी.पी. राजस्थान की बढ़ी; पर-कैपिटा इन्कम राजस्थान की बढ़ी; रेवेन्यू रिसीट्स राजस्थान की बढ़ी; कृषि के क्षेत्र में, दलहन के क्षेत्र में राजस्थान को पुरस्कार मिला; पंचायती राज के क्षेत्र में राजस्थान को पुरस्कार मिला; नि:शुल्क दवा योजना शुरु की; सोशल सेक्टर के अन्दर विधवा, वृद्धों को पेंशन दी। तो आखिर 'बीमारू' राज्य का कंसेप्ट क्या है? आपने आते ही 'बीमारू' राज्य कह दिया। साल भर बाद आप कह देंगे कि हमने राजस्थान को....

श्री सभापति: जो रिपोर्ट आई, उसमें यह है कि छह करोड़ और कुछ जनसंख्या अपनी थी और बारह करोड़ लोगों को अपन ने दवाई दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देखिये, यहां सदन में पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्रीजी थे। यह तो निश्चित है, मैं इसके बारे में बाद में कहूंगा, मैं थोड़ा डिरेल हो जाऊंगा; खैर, एक्चुअल फिगर्स मेरे पास नहीं हैं तो मैं इसके बारे में कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूं लेकिन मुफ्त दवा योजना से लाखों लोगों को लाभ मिला है और यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। मेरे पास एक्चुअल फिगर नहीं हैं कि कितने इसके बेनेफिशियरीज थे और इसके बारे में कुछ कहने में अभी असमर्थ हूं।

यहां पर आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की, आपने राज्यपाल महोदया के मुंह से कहलवा दिया कि आपका फिस्कल डेफिसिट 28 हजार करोड़ हो जाएगा। चार साल में तो 29 हजार करोड़ हुआ और एक साल में 28 हजार करोड़ हो जाएगा। तो ये फिगर्स मेरी समझ में तो कम से कम आते नहीं हैं। बढ़ा-चढ़ा कर, एक ऐसा वातावरण पैदा करने के लिए कि राज्य की आर्थिक स्थिति को कांग्रेस बिलकुल चौपट करके गई है, यह कहलवाने के लिए आपने कहलवा दिया।

आपने 2009-10 के बाद के आंकड़े पेश नहीं किये। 2008-09 में आपने रेवेन्यू डेफिसिट बताया था। कारण क्या था? सिक्स्थ पे कमीशन का टोटल इम्पेक्ट राज्य सरकार के ऊपर आया था। इसलिए डेफिसिट तो होगा ही बजट के अन्दर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सबसे वरिष्ठ हैं, मैं कह रहा हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आम तौर पर नीतियों पर, सिद्धांतों पर, कार्यक्रमों पर चर्चा होती है और आप बजट की चर्चा में ले जा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जब आया है, जिक्र हुआ है तो कुछ तो कहना चाहिये ना। नहीं, नहीं, अन्रिप्लाइड जायेगा तो जो कुछ राज्यपाल महोदया के मुख से कहलवाया गया है, वह बात सच्ची मानी जायेगी। कहीं रिबट तो करना पड़ेगा इसको। आप रिबट नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा?

खैर, क्योंकि समय कम है, मैं आपसे कहूं, फिर यहां पर आपका इस साल के अन्दर भी रेवेन्यू, मैं आपका एक मिनट लूंगा, 2013-2014 में भी आपका, क्योंकि सी ए जी रिपोर्ट नहीं है, सी ए जी की रिपोर्ट के बिना मालूम पड़ेगा, इस साल भी सरप्लस रहा है; इस साल भी आपका रेवेन्यू सरप्लस रहा है, रेवेन्यू एकाउंट के अन्दर, लेकिन यहां पर कहलवा दिया गया तो उसका मेरे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पास कोई इलाज है नहीं। इसलिए मैंने ब्रीफ के अन्दर ये आपके सामने कुछ चीजें पेश की हैं। फिर यहां पर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन में कही हुई बातों का नियमों में इलाज है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): चलिये, वह इलाज आपसे बाद में पूछूंगा।

अब यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा रिफाइनरी के मुद्दे पर। How is the refinery losing proposition? यह मेरी समझ से परे हो रहा है।

यहां पर कहा गया कि आप इतना पैसा देंगे रिफाइनरी का, मैं आपके सामने दो-तीन फिगर रखकर बताता हूं, आज तक अपने को रायल्टी से, सी एस टी तो भूल जाइये आप, सी एस टी दो प्रतिशत मिल रहा है, वह तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में आ जाती है; रायल्टी-रायल्टी से आपको 2015, अप-टू दिसम्बर एंड तक, अभी जनवरी-फरवरी-मार्च बाकी हैं, आपको करीब 4,800 करोड़ रुपया मिल चुका है। 2009-2010 में 110 करोड़ रुपया मिला; 2010-2011 में 1,630 करोड़ रुपया मिला रायल्टी से; 2011-2012 में 3,435 करोड़ रुपया मिला; 2012-2013 में आपको 5,050 करोड़ रुपया मिला; और 2013-2014 में, टिल दिसम्बर, आपको मिल गया 4,800 करोड़ रुपया। I think, तीन महीनों के अन्दर this figure will touch, करीब 5,500 करोड़ रुपया आपको प्राप्त हो जायेगा। चलिये, यह तो आपको मिला। सी एस टी का पैसा अलग है, उसके फिगर्स मेरे पास नहीं हैं।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, अब आप देंगे, कामर्शियल प्रोडक्शन शुरु हो जायेगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान तो आप 800 करोड़ रुपया हर साल देंगे, करीब-करीब, उनको; फिर जमीन आप देंगे बाजार कीमत के ऊपर। कुछ जमीन आप एक्वायर करेंगे; सारी सरकारी जमीन अवेलेबल नहीं है, कुछ जमीन आप एक्वायर करेंगे। तय यह हुआ है कि जो आप एक्वीजिशन की दर देंगे, नये लैण्ड रेवेन्यू एक्वीजिशन एक्ट के तहत, तब वही कीमत आपकी जमीन की मान ली जायेगी and it will be converted to equity. आप इस दौरान सिर्फ चार साल के लिए 800 करोड़ रुपया हर साल देंगे और उसके बाद आप इंटरेस्ट फ्री उनको पैसा देंगे, कामर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसके ऊपर कहा, यहां पर ब्याज लगाया जा रहा है, और कुछ चीजें कही जा रही हैं। इन्डाइरेक्ट बेनेफिट्स क्या होंगे, उसके बारे में तो चर्चा नहीं की गई है और जब रिफाइनरी के अन्दर, 15 साल बाद वह पैसा, आपको वह भी लौटायेंगे, इसका यहां किसी ने जिक्र नहीं किया है। वह पैसा आपको रिफाइनरी लौटायेगी। कामर्शियल प्रोडक्शन शुरु हो जायेगा, तब तो 15 साल तक हम उनको देते रहेंगे and after that they will return the money. मैं आपसे कह रहा हूं, कहां से यह घाटे का सौदा है?

अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, उस रीजन से आने वाले सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रिफाइनरी लगनी चाहिए। किसी प्राइवेट सेक्टर को दिया नहीं है यह। एच पी सी एल, गवर्नमेंट की कम्पनी है। पुरानी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही थी, मामला बैठ नहीं रहा था रिफाइनरी के लिए।

जिन रिफाइनरीज की आप बात कर रहे हैं, जहां पर क्रूड अवेलेबल है, मुझे दो जगह की बात मालूम है, मुझे और जगह की बात मालूम नहीं है, मथुरा रिफाइनरी, वहां पर पाइपलाइन से क्रूड आता है; भटिण्डा रिफाइनरी, वहां भी पाइपलाइन से क्रूड आता है, तब आप रिफाइनिंग करते हैं। यहां तो आपको साइट के ऊपर आयल अवेलेबल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन की कोस्ट कम आयेगी। फिर उसके साथ-साथ आज जो प्रोडक्शन है, वह 1.85 लाख बैरल पर-डे का है। अभी नये कुएं निकले हैं, ऐसा अख़बार में भी आया है and this production will be increased. दो लाख बैरल पर-डे से ज्यादा का प्रोडक्शन हो जायेगा। वाएबिलिटी तो आपकी वैसे ही होगी। आप एप्रिहेंशन कर रहे हैं कि साढ़े चार लाख मिलियन टन नहीं मिलेगा तो यह वाएबल नहीं रहेगी, साथ-साथ जो आपकी कैपेसिटी है, आप दूसरा तेल इम्पोर्ट करके रिफाइनरी लगा सकेंगे, उसको भी रिफाइन करेंगे। उस सूरत में आपको पांच प्रतिशत की दर से वैट मिलेगा। जब आपको वैट मिलेगा तो लूजिंग प्रपोशन नहीं है; बाकी सरकार है, तय करे; जो करना चाहे, कर सकती है। तो रिफाइनरी के बारे में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, जो आपकी तरह पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 1.12 लाख करोड़ रुपया लगेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वह ब्याज लगा रहे हैं, साहब। अब ब्याज का तो नहीं है। जितने भी पब्लिक सेक्टर के अण्डरटेकिंग्स हैं, चाहे स्टील

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

प्लांट लगे, बांध बने हैं, दुनिया भर की चीजें की गई हैं, अब उसके ऊपर ब्याज लगायेंगे; अपन सरकार हैं, कोई साहूकार की दुकान तो चल नहीं रही कि आप ब्याज लगाते फिरो इसके ऊपर। आपको नहीं मालूम है, पूरे जोधपुर डिविजन के अन्दर, पूरे राजस्थान में कितनी इण्डस्ट्रीज लगेंगी इसके ऊपर। किसी ने सोचा नहीं है इस बारे में। मैं धौलपुर वाला हूं लेकिन उसके बाद भी मैं कहता हूं, व्यापक राजस्थान के हित में, अगर आपने इस रिफाइनरी प्रोजैक्ट को बंद किया तो राजस्थान की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है।

इसी तरह जयपुर मेट्रो की यहां बात हुई, उसके लिए कह दिया कि आपने इतने हजार करोड़ रुपये की जमीन दी। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जैसे ही 20 लाख की आबादी हो जाये, मेट्रो प्रोजैक्ट के ऊपर कार्यवाही शुरु करनी चाहिए। आपकी इजाजत है तो पानी पी लूं?

श्री सभापति: हां, इजाजत है। पानी पी-पीकर बोलो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, कोसूंगा नहीं, पीऊंगा। पानी पीकर कोसूंगा नहीं, आप बेफिक्र रहें।

मेट्रो की यहां बात चली, मेट्रो का कह दिया, लूजिंग प्रपोजिशन। क्या जरूरत थी? 11 किलोमीटर की मेट्रो के लिए आपको भारत सरकार ने कहा है। यहां पर झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, उन्होंने कहा कि किसी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जयपुर के अन्दर मेट्रो की आवश्यकता नहीं है, वे यहां होते तो पूछता कि भाई, किस कमेटी ने रिपोर्ट दी है? जब भारत सरकार एडवाइजरी के रूप में राज्य सरकारों को लिख रही है कि 20 लाख की आबादी होते ही मेट्रो के ऊपर कार्यवाही राज्य सरकारों को शुरू करनी चाहिए, जिस शहर की है, कार्यवाही शुरू हुई। मैं आपको सेंसस के फिगर बता रहा हूं, मान्यवर, 1991 में जयपुर कितना था? आज जाकर 2011 में 30.10 लाख की आबादी सेंसस कहती है। तीन गुना आबादी हो गई है आपके जयपुर की और 2021 के अन्दर 50 लाख। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, शारीरिक आवश्यकताओं को नहीं रोकना चाहिए। वेगात न धार्यत।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, भविष्य के हिसाब से, उसकी फंडिंग के ऊपर, अब यह किसी प्राइवेट कम्पनी को दिया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

होता तो तूफान मच जाता कि मुनाफा पहुंचा दिया, पैसे खा गये, बहुत बड़ा स्कैण्डल हुआ है। यह तो दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन को आपने इसको दिया है; जिन्होंने दिल्ली की रेल बनाई थी, उन्हीं को दिया है। उनको आपने दे दिया। वह श्रीधरन का नाम है, आज पूरे हिन्दुस्तान में श्रीधरन का नाम है। वह अथोरिटी इसके ऊपर एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। उस वक्त उनको दिया है बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि यह जयपुर के लिए बहुत आवश्यक है। आप सोचिये, 2031 में, आज के 17 साल बाद जयपुर की पापुलेशन 80 लाख हो जायेगी और मेट्रोपालिटन एरिया की नब्बे लाख, करीब-करीब एक करोड़ की पापुलेशन होने जा रही है। आज ट्रैफिक का क्या हाल है, माननीय सभापति महोदय? पोल्यूशन का क्या हाल है? कंजेशन की क्या पोजिशन है? जयपुर कहां तक पहुंच गया? उधर सीतापुरा से भी आगे निकल गया, इधर बगरू से आगे, उधर कानोता से आगे। जयपुर चारों तरफ बढ़ रहा है। आज समय की आवश्यकता को देखते हुए, मेरी समझ में, जयपुर के लिए मेट्रो रेल बहुत अति-आवश्यक है। इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता आपको नहीं है।

यहां पर बिजली कम्पनियों के लोन की बात की, राज्य सरकार के लोन की बात की गई। एक बात आपको महत्वपूर्ण बताना मैं, सदन को, भूल गया। माननीय सभापति महोदय, जो यहां पर कर्जे का फिगर दिया गया है, कोई यह पांच साल के कर्जे का फिगर नहीं है, एक लाख करोड़ से ऊपर का। यह पुरानी सरकार, जितनी सरकारें थीं, शुरु से लेकर, यह जो कर्जा चला आ रहा है, रिपेमेंट के बाद जो नेट कर्जा रह जाता है, ब्याज और वह, उसकी शीट चली आ रही है। आपकी पूर्ववर्ती सरकार के वक्त में भी तीस हजार करोड़ का कर्जा लिया गया; उसके पहले हमारी सरकार में लिया गया; उससे पहले आदरणीय स्वर्गीय भैरोंसिंहजी की सरकार के वक्त में लिया गया। तो यह तो परपीचुअल चला आ रहा है। कोई आप यह कह दें कि आपके वक्त में कर्जा इतना बढ़ गया, यह बात, यह भ्रम को दूर किया जाना आवश्यक है। यह वर्षों का है कर्जा, यह पांच साल का कर्जा नहीं है कि पिछली सरकार के रिजिम का कर्जा हो।

श्री सभापति: पांच साल का कितना है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपको बता देता हूं न। अब तक पांच साल का, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, by and large this is a revenue gap, यह करीब है, 29,254 करोड़ रुपये, टिल 12-13 की आर.ई. के हिसाब से।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह तो वैसे भी, सभापति महोदय, एक बात है, प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस मिनिस्टर, भारत सरकार के तय करते हैं राज्य की कर्ज सीमा, कांस्टिट्यूशन के प्रावधान 293(3) के तहत। यह थोड़े ही है कि आपकी मर्जी है, इमरजेंसी का पैसा अपनी मर्जी जहां से उठा लीजिये। तो राज्य तो दीवालियादास हो ही जायेगा, राज्य में फाइनेंशल इमरजेंसी फैल जायेगी। तो ये चीजें कह रहे हैं ये कि आपने मनमर्जी के हिसाब से कर्जा उठाया है।

फिर आपने बिजली कम्पनियों का कर्जा लेकर कह दिया कि बिजली कम्पनियां, सारे हिन्दुस्तान के बिजली बोर्ड बुरी हालत के अन्दर हैं। लीकेज, पिल्फरेज और किसान को जो हम सस्ती दर के ऊपर बिजली दे रहे हैं, 98 पैसे के हिसाब से आज बिजली दे रहे हैं सब किसान को, एक पैसा पिछले पांच साल में बढ़ाया नहीं। जब आप इतनी हैवी सब्सिडी देंगे किसान को बिजली के ऊपर, तो घाटा होना स्वाभाविक है। फिर सिस्टम इम्प्रूवमेंट, आपने सैकड़ों सब स्टेशन्स बनाये; मैं आपको सब-स्टेशन्स की बताता हूं, 400 के वी के पांच जी एस एस, 220 के वी के 28, मतलब सैकड़ों तो आपने सिस्टम इम्प्रूवमेंट करने के लिए सब-स्टेशन्स बनाये, जी एस एस बनाये आपने।

तो मेरा आपसे अनुरोध यह है, माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार की ग्लूमी पिक्चर, ग्लूमी पिक्चर जो सरकार की, पिछली सरकार की इस सरकार ने पेश करने की कोशिश की है, मैं इसको कतई उचित मानता नहीं हूं।

जनरेशन के सेक्टर में देख लीजिये अब आप, जनरेशन के अन्दर ऐसा तो नहीं है कि नया जनरेशन नहीं हुआ, सब-स्टेशन नहीं बने। सस्ती बिजली के आधार पर लोसेज तो होंगे।

अगर आपको ध्यान है, माननीय सभापति महोदय, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बैंकों ने स्टेट बिजली कम्पनियों को, राज्य की बिजली कम्पनियों को फाइनेंस करने से मना कर दिया था। सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने दिल्ली में जाकर के, केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी; प्रणब मुखर्जी साहब उस वक्त वित्त मंत्री थे, रिस्ट्रक्चरिंग का उन्होंने प्रोविजन रखा कि उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाय, और इस रिस्ट्रक्चरिंग के जरिये कुछ राहत बिजली कम्पनियों को मिली। आप तय कर लीजिये... (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आप फरमायें ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तय कर लीजिये, तय कर लें राज्य सरकार कि हम भविष्य के अन्दर, या तो राज्य सरकार बिजली बोर्ड को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सब्सिडी दे या लोन दे। तो बिजली कम्पनियां चलेंगी कैसे? आप लोन देना नहीं चाहते; कर्जा लें तो राज्य सरकार को गारंटी देनी पड़ती है, कर्ज की। इस तरह से वह फिगर बढ़ता है, कि आप उनका जोड़ लें तो इतना हो गया। आप तय कर लीजिये, आप नहीं लेंगे। आपसे दो साल बाद पूछ लेंगे, आपने कितना लिया? वह तो है नहीं इनके पास।

तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, श्रीमान्, इन्होंने जो ग्लूमी पिक्चर यहां पर राज्य की फाइनेंशल स्थिति के बारे में जो पेश की है, मैं उससे सहमत कतई नहीं हूं।

जब आप अपने इस गवर्नर रिप्लाई के अन्दर, सदन की नेता, मुख्य मंत्रीजी जब उत्तर दें तो इन पाइंट्स के ऊपर दें, अपना नजरिया साफ करें, रिफाइनरी के बारे में, आप बंद करना चाहती हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती हैं? मेट्रो के बारे में भविष्य की आपकी योजना क्या है? बिजली के बारे में आपकी योजना? खाली कह देने से काम नहीं चलेगा कि हम छह घंटे, आठ घंटे बिजली दे देंगे। पिछली सरकार ने ढाई लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन दिये थे...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय प्रद्युम्न सिंहजी, यह सब बजट के अन्दर की बातें हैं। यह तो बजट में आप सब बोलेंगे और वहां उसमें सब प्रावधान होंगे।

श्री सभापति: सम्माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बजट में जिक्र किया है, कालू लालजी महाराज, चीफ व्हिप महोदय, आप पढ़ो। अभी गवर्नर के भाषण में फाइनेंसेज के बारे में चर्चा नहीं होती है, चर्चा की है, इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है; नहीं तो, बोलता भी नहीं यहां पर।

बिजली के बारे में आप तय कर लीजिये। यहां पर जो बातें कही गई हैं, आपको ये बातें मजबूरी में करनी पड़ेंगी।

डाक्टरों की कमी का हल्ला मचाया गया। राजकुमारजी शर्मा, पूर्व राज्य मंत्री, हैल्थ ने कह ही दिया कि डाक्टर हैं कहां? ले आइये आप। मिलेंगे ही नहीं। डाक्टरों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई डाक्टर जाना नहीं चाहता। आप आरोप लगा रहे हैं, पिछली सरकार ने छिन्न-भिन्न कर दी व्यवस्था। यहां पर आज एक प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हम 160 डाक्टरों की, 126 डाक्टरों की नई नियुक्ति कर रहे हैं, क्या 126 डाक्टरों की नई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नियुक्ति से राज्य में चिकित्सकों की कमी पूरी हो जायेगी? नहीं होगी। उनकी भी मजबूरी है, उनकी भी परेशानी है, क्योंकि डाक्टर मिल नहीं रहे, किसी कीमत के ऊपर। 500-600 डाक्टरों ने तो वालंटरी रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्तें लगा रखी हैं, जो सरकार मंजूर नहीं कर रही है। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, आप निकलवा लीजिये, कम से कम 500 डाक्टरों की वालंटरी रिटायरमेंट की दरख्वास्तें हैं आपके यहां। आपके महकमे में वालंटरी रिटायरमेंट की दरख्वास्त कितनी हैं, आप फिगर निकलवा लीजिये। तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं, डाक्टर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट दे नहीं रहे हैं और अगर आप उनका रिटायरमेंट मंजूर नहीं करेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए लगे हुए हैं नौकरी के ऊपर।

तो मेरा आपसे कहने का मतलब है कि यहां पर जितने भाषण हुए, जमकर कोसा गया। ब्राइटर साइड आफ द पिक्चर, कुछ अच्छे काम किये हैं। हां, यह आज संकल्प लें, अपोजिशन भी ले, सत्ता पक्ष भी ले, कि भविष्य के अन्दर और क्या बेहतर किया जा सकता है। हर सरकार की इच्छा होती है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई सरकार आयेगी, विकास की दिशा में कदम नहीं छोड़ेगी, विकास के लिए काम करेगी। हम सब को मिलकर नया राजस्थान बनाना है, राजस्थान का विकास करना है। खाली यह सरकार की नेगेटिव, अगर हमारे कामों से जनता सहमत होती तो आज शायद हमारी यह स्थिति नहीं होती। हम में कोई कमी निश्चित रूप से रही है। उन कमियों को आप दूर करके राजस्थान को आगे ले जायेंगे, हमारा आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना। श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, गत सरकार ने संविधान के 73वें संशोधन की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया और उसके तहत 2 अक्टूबर, 2010 को पांच विभाग पंचायती राज मंत्रालय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को हस्तांतरित किये। माननीय सभापति महोदय, इस क्रम में माननीय मुख्य

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

सचिव महोदय द्वारा, राजस्थान सरकार की आज्ञा से, 2.10.2010 को उक्त विभागों को पूर्ण रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द करने हेतु, मंत्रिमण्डल की आज्ञा सं. 154/2010 दिनांक 30.9.2010 के तहत प्रथम चरण में सामाजिक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कृषि विभाग, जिला स्तर पर निधि गतिविधियां एवं स्टाफ, पूर्ण कटिबद्धता के साथ, प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में, मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा से, 30.9.2010 द्वारा गठित मंत्री-गण की समिति के निर्णयानुसार, निर्देश जारी किये गये। इसी क्रम में, मंत्रिमण्डल की आज्ञा दिनांक 30.9.2010 एवं माननीय मुख्य सचिव महोदय की आज्ञा दिनांक 2.10.2010 की पालना में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिव महोदयों द्वारा हस्तान्तरित पांचों विभागों के क्रियाकलाप, निधियां, गतिविधियां एवं स्टाफ, फण्ड, फंक्शंस और फंक्शनरीज, पंचायती राज के तीनों स्तरों पर सुपुर्द किये गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की नीति और जिस प्रकार की सारी नीति को गत सरकार ने प्रचारित किया, उसके विपरीत पंचायती राज विभाग में इन पांचों विभागों की जो दुर्दशा हुई, उस पर मैं अपना प्रतिवेदन देना चाहूंगा।

प्रारम्भिक शिक्षा की इस प्रकार की स्थिति बनी, कहने को तो सरकार के द्वारा जिस प्रकार के आदेश जारी किये गये, उन आदेशों के बावजूद, जिला स्तर पर, जिले से 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद, छात्र संख्या अधिक थी, शिक्षकों का अभाव था। जहां, जितने शहर से पंचायत समिति के नजदीक आते गये, वहां शिक्षकों की संख्या अधिक थी और छात्रों का अभाव था। इस प्रकार से, सारी व्यवस्थाओं को, जो जिला परिषदों के अधीन की गई; उनमें उनका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रखा गया और बार-बार पंचायती राज व्यवस्था के अधीन जिला प्रमुखों को राज्य सरकार का इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी, समानीकरण के नाम पर या अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर पंचायती राज व्यवस्था में कुछ भी उनका हस्तक्षेप नहीं रह पाया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो सारे राजस्थान प्रदेश की स्थिति इस प्रकार रही। जहां सी एच सी की बात करें या पी एच सी की बात करें, तो जो सी एच सी में सर्जन लगाए हुए थे, वहां पर एनेस्थेसिया

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

के लिए डाक्टर का अभाव था; जहां पर महिला रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता थी, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। सारी सी एच सी इस प्रकार की दुर्दशा से ग्रसित थीं; सारी पी एच सी इस दुर्दशा से ग्रसित थीं और चिकित्सा सेवा के नाम पर, जिला प्रमुख या प्रधान या सरपंच, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाया।

यही स्थिति कृषि विभाग की रही है। पंचायती राज संस्थाओं के सुपुर्द किये गये विभागों की तरह, समस्त जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक के कृषि अधिकारियों एवं कृषि पर्यवेक्षकों के पद रिक्त चलते रहे। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले कृषि जिंसों का वितरण केवल प्रभावशाली व्यक्तियों तक ही होता रहा। इसके लिए समय-समय पर पंचायतों में, पंचायत समितियों में और जिला परिषद की साधारण सभा बैठकों में सभी माननीय सदस्यों द्वारा उसमें अपना हस्तक्षेप किया जाता रहा।

महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के सुपुर्द किये गये, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत, जिला स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं महिला सुपरवाइजर के पद, और कई ब्लाकों में तो बाल विकास परियोजना के अधिकारियों के पद भी रिक्त रहे। इसका यह प्रभाव रहा कि पांच विभागों में यह महिला बाल विकास विभाग भी, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत दिया गया, उसमें उनका कोई प्रकार का नियंत्रण नहीं हो पाया।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाह रहा हूं कि इन पांचों विभागों की तो दुर्दशा रही ही रही; इसके अतिरिक्त भी, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग के माध्यम से तृतीय श्रेणी अध्यापक व कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती कराई गई। इसमें सारा नियंत्रण राज्य सरकार का रहा। राज्य सरकार ने ही तो सारे पेपर तैयार किये और परिणामों की घोषणा भी राज्य सरकार ने ही की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विट्ठल शंकरजी। माननीय सदस्य, कृपया ध्यान रखें, जब सदस्य बोल रहे हैं और उनके और आसन के बीच में से...। बार-बार कह दिया मैंने।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): सभापति महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि आखिरकार लगभग 2 हजार 743 अध्यापक, सरकार की इस

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

नीति के कारण उन्हें धरने पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कई रिट याचिकाएं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के द्वारा और कनिष्ठ लिपिकों के द्वारा, पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ उनको न्यायालयों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में महानरेगा योजना के अन्तर्गत वर्षों से कार्यरत समस्त कर्मियों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, परन्तु यह प्रक्रिया नहीं अपनाते हुए, भर्ती का लाभ सीधे महानरेगा कर्मचारियों को मिलने के स्थान पर, गैर-सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को तथा परित्यक्तता, विधवाओं व अन्य श्रेणी को मिलने से, महानरेगा योजना में कार्यरत कर्मचारियों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया।

सरकार द्वारा मुख्य मंत्री बी पी एल आवास के लिए, जिस प्रकार योजना को प्रचारित किया किया, उसमें पहली ही किश्त में राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि दिए जाने के कारण लाभार्थियों द्वारा उस पैसे का दुरुपयोग किया गया और आज हम उस योजना की समीक्षा करें तो सभी जिला स्तर पर काफी ऐसे मामले लम्बित हैं, जहां पहली किश्त के बाद लाभार्थी द्वारा कोई भी काम नहीं कराया गया। यदि इसमें 20 प्रतिशत राशि पहली किश्त में दी जाती, तो हम उस पर मानिटरिंग कर सकते थे और उस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकता था।

माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु राज्य स्तर पर फार्म भरने की प्रक्रिया नहीं अपनाने से, एक ही अभ्यर्थी द्वारा कई जिलों में फार्म भरे गए, जिससे परिणाम घोषित होने पर, एक ही अभ्यर्थी का चयन अन्य जिलों में भी हो गया। इस प्रकार, एक अभ्यर्थी द्वारा एक जिले में उपस्थिति देने से, अन्य जिलों में काफी पद रिक्त रह गए थे।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): एक सेकण्ड। माननीय सभापति महोदय, काफी माननीय सदस्यों द्वारा महानरेगा योजना के सम्बन्ध में भी अपनी बात कही गई है। महानरेगा योजना में फार्म नंबर 6, जो किसी भी अकुशल व्यक्ति को भर कर दिए जाने पर, उनकी संख्या यदि पांच है तो उसके लिए सरपंच, वार्ड पंच को अधिकृत किया हुआ है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या पूरे जिले भर के अन्दर यह मानकर के चलें कि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया और लगातार इस प्रकार के प्रयास रहे। मेरा इसमें एक सुझाव भी है कि इसके लिए एस डी ओ स्तर पर फार्म नम्बर 6 भरकर दिया जाए, तो उस पर सही रूप से अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। चूंकि यह फार्म नम्बर 6 भरकर पंचायती राज व्यवस्था में ही दिया जाना होता है, इसलिए इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं होती।

दूसरा, मेरा एक विषय है कि जो व्यक्तिगत लाभ के काम हैं, उन व्यक्तिगत लाभ के कामों में भी गत सरकार के समय में लगातार गिरावट आती चली गई। इसमें जो लाभार्थियों को लाभ मिलना चाहिए था, वह लाभ नहीं मिल पाया है।

मैं आपके इस अवसर पर, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के पक्ष में अपना मत व्यक्त करता हूं और, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती कमसा।

(अनुपस्थित)

जगह किसी की किसी को नहीं मिलती।

श्री सुरेन्द्रपाल टीटी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के रूप में मुझे आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, पिछले पांच साल में जो सरकार चली, उसने कृषि क्षेत्र में राजस्थान की जितनी प्रगति पिछले सन् 2003 से 2008 में हमने शुरु की थी, उन सब नये कामों पर ब्रेक लगा दिया, जो किसानों के लिए बहुत

(15.00 बजे)

लाभकारी थे। माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धराजी के समय में हम सब लोग इजरायल गये थे, वहां टिश्यू कल्चर, जींस थेरेपी से रोग रहित पौधे पैदा करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज कभी धनिये की फसल पर रोग लगता है, कभी किसी फसल पर रोग लगता है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की स्थापना हमने की; दो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज हमने बनाई; एक गंगानगर में और एक झालावाड़ में। बहुत कामयाबी से चल रही थीं, डेढ़ लाख पौधे लग

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

गये और रोग-रहित पौधे तैयार होने जा रहे थे लेकिन किसानों का दुर्भाग्य था कि जो वैज्ञानिक वहां काम कर रहा था, उसका स्थानांतरण कर दिया। वे डेढ़ लाख पौधे भी जल गये और वह डेढ़ साल की मेहनत भी बेकार चली गई और उस टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी पर ताला लगा हुआ है।

दूसरी बात, आज पूरे विश्व में जैविक खेती की डिमाण्ड है और जैविक खेती की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसकी सबसे बड़ी पूर्ति राजस्थान कर सकता है, क्योंकि जितना बारानी क्षेत्र है, चाहे चूरू है, झुंझुनूं है, सीकर है, जहां भी हमारे दालें होती हैं, मूंग है, दूसरी दालें हैं, बहुत बड़ी डिमाण्ड है। कोई जैविक प्रमाणीकरण लेबोरेटरी नहीं थी हमारे पास। माननीय वसुन्धराजी के समय में हमने जैविक प्रमाण के लिए लेबोरेटरी चार करोड़ रुपये खर्च करके यहां स्थापित की। पिछली सरकार ने वह भी बंद कर दी। आज पूरे राजस्थान में जैविक खेती का इतना बड़ा स्कोप हो जाने के बाद भी, जैविक प्रमाण की कोई भी लेबोरेटरी हमारे पास नहीं है, जबकि विश्व में सबसे ज्यादा जैविक उत्पादों की मांग है और किसान को इसके रूप में बहुत बड़ा पैसा मिलता है।

इसके अलावा, हमने किसान भवन बनाये; किसान जो आयेगा, वह बेचारा शहरों में होटलों में चक्कर लगाता था; पहले सब संभाग मुख्यालयों पर बनाये, फिर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर बनाये। पिछली सरकार ने उन सबको भोजनालय में बदल दिया, ठेके पर दे दिया और आज उनकी जो हालत है, आप जाकर देखें कि वहां किस तरह की अव्यवस्था हो रखी है।

किसान के लिए जो सुविधाएं हमने दी थीं, वे सारी की सारी सुविधाएं उन्होंने हमसे ले लीं। हमने ओलिव कल्टिवेशन के लिए बस्सी में इंडो-इजरायल ओलिव कल्टिवेशन प्रोजेक्ट तैयार किया, वह बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहा था लेकिन पिछली सरकार ने उसको संभाला नहीं और जो ओलिव की खेती का एक बहुत बड़ा स्कोप हम इजरायल से लेकर आये थे, वह जो भी प्रगति होनी चाहिए थी, उसमें जो बजट और व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वे न होने के कारण आज वह भी बीच में पड़ा है और उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए।

आज किसी भी तरफ देख लें, अगर हम फूलों की खेती की बात करें तो फ्लोरीकल्चर का आज पूरे विश्व में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जो नीति फ्लोरीकल्चर के अन्दर बनी है, फूलों को प्रोसेसिंग करने के लिए, वह अव्यावहारिक है। क्योंकि उसके अन्दर, अगर कोई भी किसान फ्लोरीकल्चर,

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

प्रोसेसिंग करने के लिए कोई भी किसान लगाना चाहेगा तो उसमें करोड़-डेढ़ करोड़ रुपया खर्च होता है और उसमें 50 प्रतिशत, यानी पचास लाख रुपया बैंक लोन लेना पड़ता है। अब चार बीघा का किसान है, उसको पचास लाख रुपया बैंक देता नहीं है। केवल बड़े किसान उसका उपयोग कर सकते हैं। बड़े किसान बड़ी खेती करते हैं, यह तो छोटे किसान के लिए उपयोगिता थी। लेकिन आज उसकी अव्यावहारिकता के कारण छोटा किसान उसका कोई फायदा नहीं उठा सका और कोई बजट फ्लोरीकल्चर, प्रोसेसिंग पर काम नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने इस ओर भी बिलकुल ध्यान नहीं दिया।

मान्यवरजी, गंगानगर जिला पूर्ण रूप से खेती-बाड़ी पर आधारित है और नहरों में पानी ही वहां विकल्प है, क्योंकि नीचे का पानी सारा खारा है और इस कारण से जितना भी वहां खेती का सिस्टम है, वह नहरी पानी पर आधारित है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि पांच साल में, जिस जिले में 18,000 क्यूसेक्स पानी पंजाब से एंटर करता है, वहां एक भी बार सिंचाई मंत्री नहीं गये, एक भी बार, और वहां इतनी दुर्दशा है नहरों की कि नहरें जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं, पंजाब में सारी नहरें टूटी पड़ी हैं, कोई बजट का प्रावधान नहीं है। 40-40 दिन की पांच बंधियां सरकार ने लीं और एक नये पैसे का काम नहीं करवाया। उन चालीस दिनों में, खेती-बाड़ी में जो हमारे बाग़ लगे हुए थे, वे उजड़ गये, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं की। चालीस दिन की अव्यावहारिक बंदी ले ली और नहर का एक पैसे का काम नहीं हुआ। जो चालीस बुर्जियां एक साल में बन सकती हैं, एक बंधी में बन सकती हैं, पांच बंधियां लेने के बाद भी बाइस बुर्जियां बना पाए! यह इस सरकार का हमारे क्षेत्र के प्रति व्यवहार रहा।

माननीय वसुन्धराजी ने शुगर मिल हमारे यहां स्थापित करने के लिए उद्घाटन किया; जमीन एक्वायर कर ली, एम ओ यू हो गया; सरकार ने कहा कि नहीं, आपने तो कौड़ियों के भाव जमीन दे दी। उसके बाद एक नये पैसे का काम नहीं हुआ, पांच साल हो गये। सरकार यही सोचती रही कि यह शुगर मिल, हम कभी कहें, प्राइवेट सेक्टर में बनायेंगे; कभी कहे कि को-आपरेटिव सेक्टर में बनायेंगे; कभी कहें कि गवर्नमेंट एंटरप्राइज बनायेंगे, और आज तक उसके अन्दर एक पैसा नहीं लगा। मान्यवर, इतना किसानों का नुकसान हुआ। पूरा साठ प्रतिशत गन्ना किसानों को धुरी, पातड़ा और दिल्ली तक ले जाकर डेढ़-डेढ़ सौ किराये पर बेचना पड़ा। एक नया पैसा भी किसान उस खेती में

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

प्राप्त नहीं कर सका और इस सरकार ने पांच साल में उस शुगर मिल पर एक नये पैसे का बजट नहीं दिया। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री को, कि आते ही काम शुरु हो गया और एक साल में वह मिल तैयार हो जाएगी।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, हमारे क्षेत्र में डिग्गियों की बड़ी जरूरत है। हमारे समय में हमने कम्यूनिटी डिग्गियां शुरु कीं, दस लाख का बजट हमने उसका दिया। बहुत संख्या में किसानों ने डिग्गियां बनाईं। अब इन्होंने उठा कर उसका बजट सात लाख कर दिया। अब जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कम्यूनिटी डिग्गियां बनें; उस पर सौर ऊर्जा की मोटरें राज्य सरकार दे; किसान जो व्यर्थ पानी है, उसको डिग्गियों में जमा कर लें और जब जरूरत पड़े, तब उसको इस्तेमाल कर लें।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। 2008 में हमने सी ए डी में 538 करोड़ का बजट दिल्ली से मंजूर करवाया, उसकी बाद में वित्तीय स्वीकृति भी आ गई। आज उसकी स्थिति यह रही कि उस बजट में बीस प्रतिशत भी नहीं खर्च कर पाए। 121 कनिष्ठ अभियंता होने चाहिए थे, उस काम को देखने के लिए, लेकिन मात्र 21 कनिष्ठ अभियंता वहां हैं और सौ अभियंताओं की कमी के कारण सत्तर गांवों के खाले सी ए डी के रुके पड़े हैं। मान्यवर, मैंने अपने सिंचाई मंत्री से बात की थी, श्री सांवरलालजी से, तो उन्होंने तुरन्त इस ओर ध्यान दिया है और विश्वास भी दिया है कि हम शीघ्र ही, जहां पर एक्स्ट्रा कनिष्ठ अभियंता बैठे हैं, उनको हम भेजकर वहां सी ए डी के खालों का काम करायेंगे।

मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं कि इन आने वाले साठ दिनों में, हमारे जिले में जितनी भी, चाहे वह फ्लोरीकल्चर, या और बातें आई हैं, वे हमारे किसान को बहुत ही आगे बढ़ाने वाली हैं।

मैं राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए, समर्थन करते हुए, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री नरेन्द्र कुमार।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): माननीय सभापति महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर आपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

(श्री नरेन्द्र कुमार)

सदन में बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चिकित्सा, शिक्षा सभी के बारे में विचार-विमर्श हो चुका है, मैं थोड़ा सा ध्यान शेखावाटी अंचल की ओर दिलाना चाहता हूं। शेखावाटी अंचल एक ऐसा अंचल है जिसने पूरे देश में उद्योगपति दिये हैं, जिनसे हमारे देश का विकास होता है; शेखावाटी ने सबसे ज्यादा सैनिक दिये हैं, जो देश की रक्षा करते हैं; शेखावाटी ने चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा में महिला और पुरुषों द्वारा, सबसे ज्यादा, छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक दिये हैं। शेखावाटी ने कांग्रेस को आजादी के बाद सबसे ज्यादा बहुमत दिया है और आज तक राज भारत में ही नहीं, राज्य में भी कांग्रेस सरकार का रहा है। कांग्रेस ने शेखावाटी को क्या दिया है?

इस बारे में मैं सदन में आपके द्वारा कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमारे सबसे ज्यादा सैनिक हैं, सैनिक होते हुए भी हमारे झुंझुनूं जिले में एक रेलवे का जंक्शन नहीं है, एक नेशनल हाइवे नहीं है। शिक्षा के नाम से हम देखना चाहें, तो मण्डावा विधान सभा क्षेत्र तो अभी आजाद हुआ है कांग्रेस से, इसमें शिक्षा के नाम पर सरकारी कालेज तक नहीं है, जबकि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के पुरुष और महिलाएं सबसे ज्यादा सर्विस में हैं और शिक्षा में सबसे ज्यादा आगे हैं। मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के बारे में, यहां तक भी कहूं कि मण्डावा से झुंझुनूं जिले की जो सड़कें हैं, वे डबल रोड के अलावा, सिंगल रोड तक भी सही नहीं हैं। मण्डावा विधान सभा क्षेत्र तीन जिलों से जुडा हुआ है, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, वहां सिंगल रोड भी नहीं है। आज भी मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में कुण्डों द्वारा प्राकृतिक पानी पिया जाता है; चाहे कृत्रिम पानी मानो, चाहे सरकारी पानी मानो, अभी वह भी पीने के लिए नहीं दिया जाता है। राठौड़ साहब भी इस बात के गवाह हैं और आप भी शेखावाटी के बारे में जानते हैं, वहां कुण्डों द्वारा पानी पिया जाता है। नेशनल हाइवे भी नहीं है; शिक्षा में भी व्यवस्था नहीं है; सैनिकों के लिए न कोई सैनिक स्कूल है। वसुंधराजी के समय में एक सेंट्रल स्कूल खोला था। सैनिकों के लिए एक छोटी सी कैन्टीन है, जिसकी जमीन पर खड़े होकर ही भिखारी भिक्षा मांगते हैं, वहां सैनिक सड़क पर लाइन लगा कर कैन्टीन से सामान लेते हैं। कैन्टीन की भी समुचित व्यवस्था वहां नहीं है।

(15.11 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री नरेन्द्र कुमार)

मैं आपका ध्यान शेखावाटी अंचल की ओर दिलाना चाहता हूं कि शेखावाटी के विकास के लिए कुछ किया जाए। जिस सम्भाग से जो मुख्य मंत्री बने हैं, उसी सम्भाग को उन्होंने देखा है।

शेखावाटी सम्भाग के लिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जयपुर संभाग से शेखावाटी संभाग को अलग बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने मुझे जो मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, हमने दे रखा है; कल भी दिया था और आज भी दिया है। समय नहीं दो तो फिर यहां से जाएं। अब समय के लिए करना पड़ेगा क्या?

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, इनके सुराज आ गया। दो-दो, तीन-तीन माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सब बैठे हैं। आपके गिनो, कितने हैं?

श्री अध्यक्ष: बेनीवाल साहब, आप कितना समय लेंगे, यह बताइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पांच मिनट, और एकदम सही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: देख लीजिए घड़ी, मुझे कहने का मौका नहीं आये और टोकने का मौका नहीं आये। पांच मिनट के लिए यह प्रांगण आपके सुपुर्द किया जाता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं इतना अच्छा बोलूंगा, आप देखना।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया।

47 पेज में राज्यपाल महोदया के जिस अभिभाषण को व्यक्त किया गया है, इनमें से 17 पेज सिर्फ आरोपों से भरे पड़े हैं।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजस्थान की जनता ने निश्चित रूप से प्रचण्ड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से लोग तंग आ चुके थे इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया।

चुनावी घोषणा पत्र में आरटैट को खतम करने की बात थी; राजस्थान के नौजवानों को 15 लाख रोजगार देने की बात थी। अभी दो दिन पहले राजस्थान कालेज छात्र संघ का उद्‌घाटन समारोह था, उसमें सरकार के दो मंत्रियों का बयान आया कि 15 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे, एक लाख लोगों को ही रोजगार देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर प्रचण्ड बहुमत मिला है और उसमें अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है, तो राजस्थान के नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला था, इसलिए आपको 163 सीटें मिलीं। खींवसर को छोड़ कर, वहां नहीं डाला; वहां तो तीसरे नंबर पर धकेल दिया आपको।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के उस बयान का सारे लोग स्वागत करते हैं कि बदले की भावना से कार्यवाही नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ बदले की भावना से कार्यवाही हो रही है। (व्यवधान) मेरे को जितना आयेगा, उतना ही बोलूंगा। आपसे सीख लूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आपस में नहीं। आज आप बिलकुल व्यवस्थित बोलेंगे, यह आपने आज वादा किया है। आप इधर सम्बोधन कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि पिछले करीब एक महीने से नागौर के कलेक्ट्रेट पर 2000 किसान धरना देकर बैठे हैं और महापड़ाव डाले बैठे हैं। सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। सरकार की संवेदनशीलता के नाम पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया।

पूर्ववर्ती सरकार के समय में बार-बार आप लोग एक ही बात कहते थे कि आपके मंत्री जेल में थे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों को जेल में डाल दिया। समय आ जायेगा, आप एक को भी डालकर देख लेना। (व्यवधान) कौन बच गये? अभी थोड़े ही कह रहे हैं, समय आयेगा तब की कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, बिजली में बढ़ोत्तरी की बात की गई, 6 घंटे दिन में और 7 घंटे रात में बिजली देंगे और 24 घंटे गांव में बिजली देंगे, एक भी गांव में 24 घंटे बिजली दी हो तो बताओ। अब कह रहे हैं कि 10 फरवरी के बाद देंगे और फिर कह देंगे, आचार संहिता लग गई, अब लोक सभा चुनाव के बाद देंगे; जिस तरह कह दिया कि आरटैट को केन्द्र सरकार खतम करेगी, ताकि लोगों से जाकर केन्द्र के वोट भी मांग लें कि लोक सभा में वोट दे दो, कड़ी से कड़ी जोड़ दो। जिस तरह कांग्रेस की कड़ी से कड़ी जोड़ी थी और इस देश के हालात क्या हुए? कितनी महंगाई बढ़ गई! पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज के कितने दाम देश में बढ़े! इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब आप बार-बार यही कहोगे कि ये जिम्मेदार हैं। इसलिए तो यहां छोटी-सी जगह में सिमट गये। आप तो इस बात का ध्यान रखना।

आपके कोई गलतफहमी होगी कि आपकी कोई लहर चल रही है। आप लोक सभा चुनाव में अपनी लहर को नागौर में ले आना, इस लहर को जैसे खींवसर में ठंडा किया था, वैसे नागौर लोक सभा चुनाव में भी आपकी इस मोदी लहर को ठंडा कर देंगे। ले आना, आ जाना। आपने तो सभा कराई थी मेरे खिलाफ और मुझे हराने के पूरे प्रयास किये थे, फार्म भरवाने खुद मुख्य मंत्रीजी गये थे लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने से सिर्फ 500 वोट ज्यादा आये थे और भा ज पा और कांग्रेस के, दोनों के वोट मिला लें, उससे भी 20 हजार ज्यादा मेरे वोट आये थे।

अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को मैं चुनाव जीता। मैं मेरे काफिले से दसनाथजी के दर्शन करने जा रहा था आपके +++ मेरे काफिले पर पथराव हुआ। तीन नामजद मुकदमे +++ इस सरकार में दर्ज हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): यह अभिभाषण पर बोल रहे हैं या अपनी लड़ाई पर बोल रहे हैं? यह अभिभाषण पर बोल रहे हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...(व्यवधान) सरकार के सामने अपनी सुरक्षा की बात नहीं कहेगा तो कहां कहेगा?

श्री अध्यक्ष: यह +++ का नाम अपलोपित किया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आस्ट्रेलियन युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में +++ मौत हो जाए और सरकार उसकी जांच के आदेश नहीं दे...। उस युवती का नाम है...(व्यवधान) डेनी रोबिन...(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी): ...(व्यवधान) यह बात कल भी बोल चुके हैं, परसों भी बोल चुके हैं। कोई नई बात हो तो बताएं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह गलत है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ...(व्यवधान) अभिभाषण के कौन से पैरा पर बोल रहे हो आप? अभिभाषण में कहां लिखा है? माननीय सदस्य अभिभाषण के कौनसे पैरा पर बोल रहे हैं? यह क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिए। आसन पैरों पर है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय विधायक, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, आज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा सदन चला है। आज के इस सदन की विशेषता यह है कि अब दो महत्वपूर्ण भाषण होने वाले हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।

एक हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, फिर सदन की नेता, मुख्य मंत्री बोलेंगी। एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, जब कोई विधायक या मंत्री बोलते हैं तो यह प्रांगण उनके अधिकार में चला जाता है। जब प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, तो प्रांगण पर अधिकार उनका होगा। यह मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब वे भाषण दें, कोई इंटरवीन करना चाहता है, तो वे यील्ड करें, तभी आप बोलें, बाकी अन्यथा नहीं बोलें। जब मुख्य मंत्रीजी का भाषण हो, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, अगर वे यील्ड करें, तभी आप बोलें, अन्यथा नहीं बोलें। यह एक ऐसी व्यवस्था है, चाहे लोक सभा में हो, चाहे विधान सभा में हो। इस व्यवस्था का पालन करने से, हमारे यहां का जो भाषण होगा, वह बढ़िया होगा, ठीक ढंग का होगा और व्यवस्थित ढंग से होगा।

क्योंकि आज साढ़े चार दिन की बहस का निचोड़ आने वाला है, यह निचोड़ बिना किसी विघ्न के आए, इसलिए मैंने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता के अधिकार में जब प्रांगण चला जाए, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई इंटरवीन नहीं करें। जो इंटरवीन करना चाहे, अगर प्रतिपक्ष के नेता यील्ड करें, तभी करें। जब मुख्य मंत्रीजी का भाषण हो तो प्रांगण उनके अधिकार में चला जाता है। उस समय आप कोई भी इंटरवीन नहीं करें। अगर इंटरवीन करें तो वे

(श्री अध्यक्ष)

यील्ड करें, तभी करें। मैं विनम्र, विनम्र, विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस व्यवस्था का पालन करेंगे।

हां, आप और बोल दीजिए, दो-तीन मिनट। किसी का भी नाम मत लीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नाम मैंने पहले भी नहीं लिया था।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की बात करें, पूर्ववर्ती, पिछली सरकार थी, इसके दो मंत्री और एक विधायक अभी भी जेल के अन्दर हैं। निश्चित रूप से लास्ट के जो दो साल थे, उनमें अख़बार के पहले पन्ने पर भंवरी छाई रही, पूरे राजस्थान में। लेकिन पुराना कार्यकाल था 2003 से 2008 का आपका, उसमें भी कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। (व्यवधान) मैं तो हार गया था ।

श्री अध्यक्ष: कोई नहीं करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने आपको हराया था ना। आप थर्ड थे, मैं सेकण्ड था, बी जे पी फर्स्ट थी। भूल क्यों रहे हो आप इस बात को? ढूंढो ऐसे। 2003 में, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रावला, घड़साना, सोहेला, गुर्जरों के ऊपर गोलियां चलीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप 'तू-तू' क्या कह रहे हो? बोलना तो चाहिए, 'तू' से क्या मतलब है? इस तरह 'तू-तड़ाके' की क्या बात कर रहे हो आप?

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। शांत रहिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और किसको कह रहे हो, भड़ानाजी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इधर सम्बोधन कीजिए। खींवसर के माननीय विधायक, आप इधर सम्बोधन कीजिए, आसन को।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, दारासिंह जाट का एन्काउण्टर भी हुआ और कई पुलिस अधिकारी जेल के अन्दर हैं। तो कानून -व्यवस्था की स्थिति, 60 दिन के अन्दर आप आएं और इन 60 दिनों के अन्दर सीकर की जेल के अन्दर गोली चली। जयपुर जेल से उस व्यक्ति को

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तीन दिन पहले सीकर जेल में ट्रांसफर किया गया, योजनाबद्ध तरीके से। आनंदपाल सिंह, जो डीडवाना के अन्दर 2005-06 में जीवन गोदारा हत्याकाण्ड का मुख्य आरोपी है, करीब एक दर्जन से ज्यादा हत्या के मुकदमे उस पर चल रहे हैं और भरतपुर की सेवर जेल से उसने अपने मोबाइल से अक्टूबर और नवम्बर में डीडवाना के अन्दर कई व्यक्तियों से बात की, जिनके मोबाइल नवम्बर, काल डिटेल मैंने सारे निकलवाए हैं; इन चुनावों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांग रहा था।

अध्यक्ष महोदय, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी बात राजस्थान के अन्दर उठाई। मैं तो उस समय साथ ही था। आपने ब्लैक पेपर जारी किया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और 400 मामले उठाएं, करीब-करीब मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाएं, लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर आपने कहीं भी यह बात नहीं कही कि हम उन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेंगे कि नहीं करेंगे। या जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार के मुख्य मंत्री खाली मेसेज देते थे कि मैंने मेसेज दे दिया है, भ्रष्टाचार कर दिया। वे सदन में भी बोलते थे। अभी हमारे प्रद्युम्नसिंह जी बोल रहे थे पानी पी-पीकर, उसी तरह वे पानी पी-पीकर वहीं से बोलते थे और हर बार यही बात कहते थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया और मैं जांच करा रहा हूं। इस राजस्थान की जनता जानना चाहती है। हमने तो किसी पर कोई आरोप लगाए ही नहीं। आप ही बार-बार कहते हों कि भैरोंसिंह जी शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, मजबूत किया तो उनका कहना भी मान लो आप, जो आरोप लगाएं उनकी जांच करा लो। हमने कोई आरोप थोड़े ही लगाए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज सबको इस राजस्थान को आगे लाने का प्रयास मिल-जुलकर करना होगा। हमारे ऊपर क्या आरोप लगाते हैं, कि कांग्रेस वालों के साथ हैं। हम तो दोनों को हराकर आए हैं, इसलिए हैं। हम हमारी बात कहते हैं। कई बार आपको हमारी बात अच्छी लग जाती है और आपके ऊपर आती है, तब हम बुरे हो जाते हैं। हम हमारी लड़ाई हमारी जगह सही लड़ रहे हैं।

कल गुलाबचन्दजी कटारिया जैसे वरिष्ठ व्यक्ति हमें इस तरह धमका रहे थे। अध्यक्ष महोदय, बताओ, हमें क्या सीखने को मिलेगा इस सदन के अन्दर? हम आएं ...(व्यवधान).

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने जो सीखा वह सबको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तब हमें लगा था कि सदन में कुछ सीखने को मिलेगा; ...

श्री अध्यक्ष: सब माननीय विधायक...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विधान सभा में ऐसा होगा, विधान सभा में वैसा होगा, लेकिन हमारे यहां कोटा से आने वाले भवानीसिंह जी ने...

श्री अध्यक्ष: मुझको सम्बोधित कीजिए, उनको नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): चप्पल फेंकी। कई देखे हमने यहां पर। अब आप यूं बैठ गए, उधर जाकर कि राज कर रहे हैं हम। पिछले पांच साल के अन्दर सबसे ज्यादा अगर वेल में कोई आएं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर वेल में ही बैठे रहा करते थे। आपसे दुःखी होकर, मुझे आपको छोड़कर भागना पड़ा।

श्री अध्यक्ष: आज मत भागना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज विशेष रूप से...

श्री अध्यक्ष: घड़ी देखिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कांग्रेस सरकार के...

श्री अध्यक्ष: आप पर ही छोड़ा था मैंने।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। कांग्रेस सरकार की एक योजना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहें, शांत रहें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कांग्रेस सरकार की एक मुफ्त दवा योजना का मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में गरीब व्यक्ति को उससे फायदा मिला। अगर उसमें और ज्यादा सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से उस योजना को अच्छी योजना कह सकते हैं। बाकी तो कांग्रेस की योजनाएं खराब थीं, इसीलिए तो आपको मौका मिल गया।

अब आप बार-बार क्यों याद दिला रहे हो? यहां जो बैठे हैं, हम तो सब जीतकर आए हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। ठीक है ना? बार-बार हमें क्यों याद दिला रहे हो कि आप हार गए? अगर हम हारते तो बाहर होते, यहां अन्दर नहीं होते। ठीक है ना?

श्री अध्यक्ष: ठीक बात कही आपने।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्यों, केसाराम जी, पसंद आया?

अध्यक्ष महोदय, आप हमारे हितों को संरक्षित कर रहे हैं, हमारा ध्यान भी आप खूब रख रहे हैं, निर्दलीयों को खूब बोलने का मौका भी आपने दिया। मेरा फिर सरकार से आग्रह है कि बदले की भावना से या तो पूरे राजस्थान में काम करें, पूरे राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष: आप पटरी से उतर गए। आप पटरी से उतर गए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरे राजस्थान में अभियान चलाएं। बिजली चोरी रोकना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सिर्फ खींवसर में बिजली चोरी नहीं रोकोगे, पूरे राजस्थान में अभियान चलाकर बिजली चोरी रोको, तब आपको मानें। हनुमान जीत गया, इसलिए हनुमान के ट्रांसफार्मर्स उतार लो, उससे क्या हो जाएगा? आ जाओ लोक सभा के अन्दर, कर देंगे हिसाब बराबर।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सरकार को आप निर्देशित करें कि किसानों की समस्या को सुनें। घड़साना-रावला जैसी स्थिति नागौर के अन्दर हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगर यह तय ही कर लिया कि रावला-घड़साना वाली स्थिति करनी है तो...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए कृपया। आपका अनुशासन मैंने, स्थान ग्रहण कीजिए, मैंने आपके जिम्मे ही छोड़ा था।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये। फूलजी आपका नाम पुकारा था मैंने, फूलजी उस समय उपस्थित नहीं थे, उनको मैं अब अनुमति दे रहा हूं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 14वीं विधान सभा में महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार व धन्यवाद।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि मेवाड़ सम्भाग में पूर्व सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को और पूरे मेवाड़ को धोखा दिया। उन्होंने अपार वादे किये और वोट भी भरपूर लिये, मगर हमारे मेवाड़ के साथ में उन्होंने कुठाराघात किया। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री यू.आई.टी. के अन्दर जितना धन पड़ा था, उसको जोधपुर में ले आएं। वहां के जन-

(श्री फूलसिंह मीणा)

प्रतिनिधियों ने उसका विरोध किया। वापस वे पैसे नहीं आएं तो हमारे को उग्र आन्दोलन करना पड़ा, धरने पर बैठना पड़ा, तब जाकर हमारे पैसे उदयपुर आये। यू.आई.टी. में पैसे बहुत थे। हमारी पूर्व मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धरा राजे सरकार के अन्दर यू.आई.टी. ने इतना विकास करवाया जो आज दिन तक, 60 वर्षों में नहीं हुआ। इतना हमारी यू.आई.टी. ने काम किया। जो काम हमने स्टार्ट करके छोड़ा था, उसको भी उन्होंने अधूरा लटका कर छोड़ दिया।

मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रोड के मामले में हमारा सुकेर से लेकर प्रताप नगर तक का बाई-पास रोड था, उसको चार-लेन में बदलना था, हमने टेण्डर निकाल दिया था और ठेका हो गया था। उसके बाद में, इन्होंने तीन साल बाद में काम स्टार्ट किया और मात्र पांच किलोमीटर रोड बनाया। हमारे प्रतापनगर के बाई-पास के ऊपर ओवर-ब्रिज बनाने का प्रस्ताव पास हो गया था मगर उसको भी अभी तक लटका कर रखा। साथ में देबारी से काया तक बाई-पास निकालने की जो बात थी, सब कुछ सर्वे हो गया था, सर्वे होने के बाद में टेण्डर भी हो गया था, ठेकेदार ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, करोड़ों की मशीनें भी लाकर रख दीं, मगर उस ठेकेदार को वर्क-आर्डर नहीं दिया। पता नहीं, इस सरकार की क्या मानसिकता थी? वह ठेकेदार इंतजार करके अपनी मशीनें भी वापस अपने दूसरे काम पर ले गया।

मैं बताना चाहता हूं कि प्रतापनगर से बलीचा बाई-पास तक आये-दिन हमारे नौजवानों के एक्सीडेण्ट होते हैं और मौत का ग्रास बनते हैं। सिर्फ 10 किलोमीटर का रोड इन्होंने नहीं बनाया। उसके खातिर, 10 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम आधा घण्टा लगता है। डीजल का भी नुकसान होता है और समय का भी नुकसान होता है। अगर वह शहर की तरफ एक-दो गाड़ियां घूम जाती हैं तो हमारे आम नागरिकों को इतनी परेशानी होती है, जगह-जगह रोड जाम करके बैठ जाते हैं।

मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, खेल गांव के हमारे उदयपुर के अन्दर ऐसा प्रस्ताव लाकर, हमारी वसुन्धरा राजे सरकार ने हमारे वहां की भोली-भाली आदिवासी और गरीब जनता के लिए कि जयपुर और जोधपुर स्टेडियम में बड़े मैच होते हैं तो देखने के लिए नहीं जा पाते हैं, इसलिए वहां पर खेल गांव में हर-एक खेल का स्टेडियम बनाया। उसको हमने आज से आठ साल पहले स्टार्ट किया था मगर उसको अभी तक पूरा नहीं किया। मैंने अभी आते ही यू.आई.टी. में पूछा तो वह काम अब स्टार्ट किया। गुलाबजी भाई

(श्री फूलसिंह मीणा)

साहब ने जाकर देखा। उसकी स्थिति आज भी वही की वही है। पांच साल में इनकी मंशा नहीं थी कि यू.आई.टी. के पैसे को लगा दें। जोधपुर से हमने पैसे तो वहां लाकर रख दिये, मगर उन पैसों को ये खर्च नहीं करना चाहते थे। पता नहीं, इनकी मानसिकता में क्या था?

यही नहीं, विभूति पार्क, फतेह सागर की पाल पर विभूति पार्क के अन्दर हमने सारा काम कम्प्लीट कर दिया था, मगर अभी भी वह अधूरा का अधूरा है। उसको भी पूरा नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सूखा नाका के ऊपर पुलिया का हमने यू.आई.टी. से सब काम कम्प्लीट कर दिया था और उसका वर्क-आर्डर बाकी था; उस पुलिया के लिए हमारी एम.एल.ए. साहिबा ने, एक साल पहले जब बाढ़ आई थी, नाव में बैठकर फोटो तो खिंचवा दिया कि मैं एक साल के अन्दर आपको इस पुलिया के मार्फत इस समस्या का समाधान कर दूंगी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी वह पुलिया अधूरी पड़ी हुई है। हमारे 15-20 गांवों को वह फायदा मिलने वाला था। पैसे खूब हैं, मगर इनकी मानसिकता नहीं है। ये वोट लेकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और भोली-भाली जनता को गुमराह करते हैं।

मैं बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. परिवारों की बात आती है, बी.पी.एल. परिवारों में इन्होंने कनेक्शन करवाये। कनेक्शन करवाने की बात करके उनके खम्भे गाड़ दिये मगर वहां तार नहीं खींचे। तार खींचकर कनेक्शन दे दिये तो उनका बिल नहीं आया; जो बिल आया तो उसके आया, जिसके कनेक्शन ही नहीं है। मेरे पास एक महानुभाव आये कि विधायकजी, मेरे बिल आ गया और मेरे मीटर ही नहीं है, न लाइट है। मैं गिर्वा पंचायत की आम सभा में गया तो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के अधिकारियों को पूछा तो बोला कि हमारे तो वहां मीटर ही नहीं हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि पहले जो कनेक्शन दे दिये तो उनके मीटर कहां गये? और कनेक्शन कर दिया, उनका नौ महीने से बिल नहीं आया। जिनका कनेक्शन ही नहीं है, उनके बिल दे रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस सरकार का क्या बखान करूं आपको? पेरिफेरी के गांवों में इन्होंने वोट ले लिया, हम आपको पट्टा देंगे। वहां पर शिविर लगा दिया, गरीबों से पांच-पांच हजार रुपये ले लिये, हम पट्टा दे रहे हैं। मैं आपको उनकी क्या गाथा गाऊं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बेचारे मजदूरी करने वाले, पांच-पांच सौ रुपये वे दो दिन में कमाते हैं और पांच हजार रुपये उनको कनेक्शन के लिए उन्होंने दिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायकजी, अब समाप्त कीजिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं, समय की कमी है, मैं समय थोड़ा-सा लूंगा।

जंगल-जमीन के लिए, जहां इनके कोई, हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी आते थे तो भोली-भाली गरीब जनता को गुमराह करके बोलते थे, हम आपको पट्टा दे रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी आ रहे हैं, बेचारे छोटे बच्चों को छोड़कर, पूरा परिवार इनकी सभा को देखने के लिए और सफल बनाने के लिए भूखे-प्यासे आते थे। उनको पांच साल गुमराह किया। उनको जंगल-जमीन का पट्टा तक नहीं दिया, न उनका अधिकार दिया। वे बेचारे गरीब परिवार इनसे घबराकर, अब की बार 60 साल का रिकार्ड तोड़कर...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए, आपने अपनी बात कह दी। पहले मैंने नाम पुकारा था।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: पहले नाम पुकारा था, रामचन्द्रजी उस समय उपस्थित नहीं थे। अब आ गये हैं। आप अपनी बात कहेंगे, बहुत संक्षेप में।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक सूचना है। माननीय अध्यक्षजी, मेरे क्षेत्र की घटना है।

श्री अध्यक्ष: अभी नहीं। अब विराजें आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सिर्फ दो मिनट का समय दीजिए, सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं। अब विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ताजा घटना है, आज ही की घटना है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): ताजा घटना है, आकस्मिक, आज की घटना है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पहले नाम पुकार दिया उनका, उनकी बात पूरी होने दें पहले। (व्यवधान) बात पूरी हो जाए, उसके बाद में।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट। हां, पहले इनकी बात पूरी होने दें, उसके बाद में।

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्षजी, आभारी हूं आपका कि आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हेतु समय दिया।

(श्री रामचन्द्र)

मैं बात एक ग्रंथ के पहले एक श्लोक से शुरु करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री रामचन्द्र (डग): इसमें लिखा है-

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।
मामका: पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय।।

महाराज धृतराष्ट्र संजय से यह पूछ रहे हैं कि हे संजय! यह बताइये कि इस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। उधर कौरवों की सेना थी और इधर पाण्डवों की सेना थी, बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ बतिया रहे थे। अर्जुन से पूछा कि तुम्हें युद्ध तो करना ही है; तो अर्जुन ने कहा कि ये सब मेरे परिजन हैं, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता; लेकिन तब भगवान श्रीकृष्ण ने यह कहा था कि अर्जुन, यह युद्ध तो अवश्यम्भावी है क्योंकि ये आततायी लोग, ये व्यभिचारी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग और ये लोक-लुभावने, अराजकतावादी लोग, इनकी वजह से पूरी पृथ्वी संतप्त है और इस राज को बदलना होगा, यहां की प्रजा को सुख देना होगा और प्रजा को सुख देने के लिए वहां के राजा को बदलना आवश्यक है।

इसलिए यह मरुधरा और यह धरा 'वसुन्धरा' पुकार रही थी और 'नमो वसुन्धरा', 'नमो वसुन्धरा', 'नमो वसुन्धरा' करके पूरे राजस्थान के अन्दर, चार-भुजा नाथ के यहां से 4 अप्रैल, 2013 को यात्रा प्रारम्भ की थी और उस रथ पर, उस रथ की सारथी थीं वसुन्धरा जी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह 04 अप्रैल, चार-भुजा को सम्बोधित करता है; चार और अप्रैल चार, चार और चार, आठ; महारानी साहिबा का भी जन्म दिन आठ है, और 2013, माननीय सदन की नेता, कुल मिलाकर 14 होता है। उसी दिन तय हो गया था, चार-भुजा नाथ के वहीं पर कि 14वीं विधान सभा इन्हीं के नेतृत्व में, ये राजस्थान में शासन करेंगी और ये राजस्थान को एक ऐसा नेतृत्व देंगी जो वैभवशाली होगा, कीर्तिमय होगा, जिसका यश-गान पूरा भारत करेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आगाज है राजस्थान का, कि यहां से पूरे देश में जो यह राष्ट्र, जहां पूरे राष्ट्र के अन्दर कांग्रेस-लेस लीडरशिप, लीडरशिप-लेस कांग्रेस हो। एक ब्यूरोक्रेट जो इस देश के प्रधान मंत्री हैं, जो इस देश के गरीब और गरीबी को परख नहीं पाएं, ऐसे लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और जो लोग अभी सिर्फ शैशव-काल में हैं, वे बांहें चढ़ा-चढ़ा कर, बांहें

(श्री रामचन्द्र)

फड़का-फड़का कर देश के युवाओं को, इस देश की भोली-भाली जनता को भटका रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस आदमी ने गरीबी भोगी हो, उससे पूछें कि गरीब का हाल क्या होता है?

मैं एक गरीब परिवार से निकला हूं। मैं यह यश-गान करना चाहता हूं कि ये ही वे हैं, सदन की नेता, मैं इतने दिन, 8 तारीख से पहले मैं खुद नौकरी में था, इन्होंने मुझे चुना। इन्होंने मुझे उस जगह से टिकट दिया, जहां से मेरी जाति के वोट नहीं और 50,397 मतों से वहां से मैं जीता हूं। इनके वैभव और इनकी कीर्ति और इनके यश के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? उस जिले में इनके नाम का डंका बजता है। झालावाड़ जिला, जब कांग्रेस के पहले मुख्य मंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि झालावाड़ को गागरोन बना देंगे। झालावाड़ बिलकुल पाषाण युग में जीता था। ये ही इस सदन की नेता हैं, 2003 से लेकर 2008 तक जब इन्होंने शासन किया था, तब वहां पर कुछ नहीं था, आज गगनचुंबी इमारतें हैं; मिनी सचिवालय है; खेल-संकुल है; मेडिकल कालेज है; बड़ी-बड़ी कालेजेज हैं; सारी व्यवस्थाएं, 17-18 पेयजल परियोजनाएं हैं; सिंचाई परियोजनाएं हैं। वहां के लोगों का अगर किसी ने दु:ख हरा और पाषाण युग से अगर किसी ने बाहर निकाला, तो ये ही सदन की नेता हैं, जिनके नाम का डंका बजता है और इनके नाम से वोट मिलता है। पहले झालावाड़ में चलता था और आज पूरे राजस्थान में चलता है।

मैं गौरवशाली हूं कि मैं इनके जिले का रहवासी हूं और इनका चौकीदार बना हूं। मैं आज इस सदन से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान का अगर कोई वैभव और गौरव और गौरवान्वित करने की किसी में क्षमता है तो वह यशस्वी मुख्य मंत्री, राजस्थान की मुख्य मंत्री, ये ही होंगी।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री रामचन्द्र (डग): मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में एक नया राजस्थान, जो 2020 का राजस्थान है, जो इनका दृष्टिकोण है, जिसका इनके पास विजन है, वह ही ये राजस्थान बनाकर देंगी।

मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

आप दो मिनट में कुछ कहना चाहते हैं। दो मिनट से ज्यादा नहीं। बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें।

सूचना

ननेऊं ग्राम (फलौदी) में हिरण शिकारियों द्वारा वन्य जीव संरक्षक की हत्या

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कल रात को दो बजे फलौदी तहसील के डाम्बा थाना के पास में ननेऊं गांव में हिरण के शिकार की, गोली चलने की आवाज सुनने से वहां के स्थानीय ग्रामीण, शैतान सिंह पुत्र अर्जुन राम भादू ने शिकारियों को जब शिकार करने से मना किया, उनको टोका, तो उन शिकारियों ने ग्रामीण, शैतान सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शैतान सिंह की लाश को लेकर करीब दो-ढाई हजार ग्रामीण अभी भी उस घटना स्थल पर विराजमान हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि उस शैतान सिंह को शहीद सैनिक का दर्जा दिया जाए और उसके परिजन को उचित मुआवजा दिया जाए।

साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं कोलायत और फलौदी क्षेत्र में होती रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह वन्य जीव क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के शिकार की घटनाएं होती रही हैं। तो इस क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए और शिकार को रोकने के लिए स्थायी टास्क फोर्स का गठन किया जाए और साथ में जो शिकार से प्रभावित परिवार हैं, उनको आर्थिक सहायता दी जाए।

इसके अलावा, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में जो वन्य जीव प्रेमी लोग हैं, उनको हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं, जिससे वे इस प्रकार के शिकारियों का मुकाबला कर सकें।

श्री अध्यक्ष: बहुत है, आ गया। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय पर्ची के माध्यम से भी उठाना चाहता था। यह विषय बहुत गम्भीर है। शिकारियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं और पिछले महीनों में लगभग दो मौतें इसी प्रकार से, शिकारियों ने वन्य जीव प्रेमियों को मार दिया है। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम होनी चाहिए और तुरन्त प्रभाव से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। यह मैं मेरी मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपकी बात सरकार तक पहुंच गई है।

हां, कालूलालजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना बहुत ही दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। निश्चित रूप से दो-ढाई बजे शिकारियों की और शिकार की आवाज सुनकर, ये और इनके तीन-चार साथियों ने पीछा किया और उन्होंने गोली मारी, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई।

सरकार इस सारे प्रकरण की जांच भी करेगी और जो भी सरकार से सम्भव होगा, वह सहायता भी देंगे। और, उसको हम व्यवस्थित रूप से, आपकी और हम सबकी भावना के अनुसार कोई निर्णय करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 2)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2014 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 30 जनवरी, 2014 से 20 फरवरी, 2014 तक सदन में लिए जाने वाले अग्रेतर कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 30 जनवरी 2014 से बुधवार, दिनांक 05 फरवरी 2014 तक	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 06 फरवरी 2014	1. राजस्थान माल (उत्पादन, प्रदाय, वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण) विधेयक, 2014; 2. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2014;

(श्री कालू लाल गुर्जर)

	3. राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014; एवं 4. आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2014 - पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 07 फरवरी 2014 से बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2014 तक	बैठक नहीं होगी
गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2014	1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन; 2. वर्ष 2014-2015 के लिए लेखानुदान (वोट-आन-अकाउंट) सम्बन्धी विवरण का प्रस्तुतीकरण; 3. लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव का पारण; 4. लेखानुदान सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण; 5. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2013-2014 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन; 6. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2013-14 (द्वितीय संकलन) पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण; एवं 7. अनुपूरक अनुदान की मांगों सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

माननीय विधायक बंधुओं, मैंने थोड़ी देर पहले भी निवेदन किया था, अब यह प्रांगण प्रतिपक्ष के नेता के सुपुर्द करता हूं और आप में से कोई भी इन्टरवीन करना चाहे तो इनके यील्ड करने पर ही इन्टरवीन करें। यही स्थिति माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब अपना भाषण प्रारम्भ करेंगी, तो उनके सुपुर्द रहेगा सारा प्रांगण और आप में से अगर कोई इन्टरवीन करना चाहे तो उनके यील्ड करने पर ही इन्टरवीन करेंगे। यह मैं विशेष तौर से विनम्र, विनम्र निवेदन करता हूं।

माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस सदन की नेता और इनकी पार्टी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत ही बधाई देना चाहूंगा कि आपकी पार्टी को जनता ने बहुमत देकर इस सत्ता पक्ष में बिठाया। हमें हर पांच साल के अन्दर जनता के बीच में जाना पड़ता है। लोकतंत्र में हर पांच साल जनता के बीच में जाकर लेखा-जोखा पेश करना पड़ता है। हम भी राज में रहे हैं, आप राज में आये हो, राज में आना-जाना चलता रहता है। हमने पीछे कई सालों से राज किया, उस राज में भी हमने इस प्रदेश को कुछ दिया है, उस गरीब की झोंपड़ी को हमने उस विकास से जोड़ने का काम किया है।

आज मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूं माननीय अध्यक्षजी को और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही सकारात्मक सोच का है। आप इस सदन के बहुत ही पुराने और एक तजुर्बेदार विधायक रह चुके हैं। आपको इस सीट पर देखकर हमें भी आशा और विश्वास है, कि इस सदन में आपके द्वारा, जिस तरीके से हमें एक न्याय की बात, एक सही बात कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है और उसमें आपको पूरा श्रेय रहता है। मैं आपको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, राजस्थान के इतिहास में इस सदन में आप पहले दलित नेता इस आसन पर विराजमान हैं। मैं धन्यवाद

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

देना चाहता हूं सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को, कि उन्होंने एक सकारात्मक सोच, एक अच्छी सोच का परिचय दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 65 साल के इस लोकतंत्र में, चाहे सत्ता पक्ष में हम रहें, चाहे आप रहें। लोकतंत्र की मर्यादा बनाये रखने का हम सबका कर्तव्य और फर्ज बनता है और हम इसका निर्वाह करते हैं।

मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य एक बात कहने में चूके नहीं कि आपकी संख्या कम है, विपक्ष है ही नहीं। ये बातें कहना उचित नहीं है, हमें जनता ने समर्थन नहीं दिया। हम भी विकास के कामों में आपके साथ हैं और हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि राजस्थान के उस विकास के लिए आप अपनी अच्छी सोच का परिचय दें, हमारा सहयोग रहेगा। हम आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर, इस राजस्थान के विकास में हम लोग भी इसमें भागीदारी निभायेंगे।

अपन आज सत्ता की, सदस्यों की बात करें, 1998 में आपके स्व. भैरोंसिंहजी शेखावत, जिन्होंने इस राजस्थान के अन्दर इस भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की उनकी सोच थी, उन्होंने राजस्थान में इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूती की उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया; उनके टाइम में भी, आपको पता है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि उस वक्त 1998 के चुनावों में बी जे पी को 33.21 प्रतिशत वोट मिले थे, उस वक्त में आपकी 33 सीटें आई थीं और उसी वक्त में हमारे कांग्रेस को 40.67 प्रतिशत वोट मिले थे, उसमें हमारी 157 सीटें थीं। तो 157 और 163 सीटों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी उस समय 157 सीटें लेकर आये थे। हमने पांच साल जनता के बीच रहकर, उसी गांव की चौपाल में जाकर और गांव वालों के बीच में विकास की चर्चा करने का काम किया था। लेकिन समय और वक्त की बात है, जनता ने हमें मेंडेट नहीं दिया। 2003 से 2008, जो आपका कार्यकाल रहा, उस वक्त में आप 120 सीटों पर आये थे, कोई ज्यादा वोटों का अन्तर नहीं रहा। उस वक्त आपको 39.36 प्रतिशत वोट मिले थे और आप 120 सीटों पर आये थे; हमें वोट प्रतिशत मिला, वह वोट प्रतिशत मिला, 35.77 प्रतिशत; मात्र 3.63 प्रतिशत वोट कम थे, हम 57 सीटों पर रहे। तो मैं कह रहा हूं कि जनता का जो समर्थन है, उसमें आप बार-बार यह जो कह रहे हों, वह बिलकुल गलत है।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

राजस्थान के विकास की आपने भी जो कल्पना की थी, आपने उसी परिप्रेक्ष्य में 60 दिन की कार्ययोजना बनाई। आपने चुनाव प्रचार के दौरान सुराज संकल्प यात्रा भी निकालने का काम किया। उस सुराज संकल्प यात्रा में आपने लोगों के बीच में जाकर अपना मेनिफेस्टो, अपना संकल्प पत्र तैयार किया। उस संकल्प पत्र में आपने राजस्थान की जनता के बीच में जाकर राजस्थान की जनता से वादे किये हैं। हम यह परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि आपने जो घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र को पांच साल में, उस जनता की भावनाओं पर बिलकुल खरा उतरने का काम, हम यह चाहते हैं कि आप खरा उतरो; लेकिन पीछे भी, 2003-2008 के बीच में, उस वक्त भी आपने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उस परिवर्तन यात्रा के दौरान आपने भी जनता के बीच में घोषणा-पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र को, माननीय अध्यक्षजी के मार्फत आपको बताना चाह रहा हूं, उस घोषणा-पत्र को 50 प्रतिशत भी आप जनता की भावना के अनुसार पूरा नहीं कर सके थे।

मैं इस 60 दिवसीय कार्ययोजना के बारे में बात करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्षजी, 60 दिन की जो कार्ययोजना बनाई है, उस 60 दिन की योजना में, हमारी सरकार द्वारा किये हुए जो काम थे, हम जो फ्लैगशिप योजनाएं जनता के बीच में लेकर आयें, उन फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा, इस 60 दिन की कार्ययोजना में और कुछ नहीं है, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे उस किसान की बात हो, चाहे सहकारिता की बात हो, चाहे चिकित्सा और शिक्षा की बात हो। आपने 60 दिन की जो कार्य योजना बनाई है, जो आपने विजन डाकुमेंट जनता के बीच में पेश किया है कि हम 60 दिन के अन्दर ये कार्य करेंगे, फिर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हों। जिस तरीके से आपने संकल्प-पत्र जारी किया था, अभी तो पांच साल होने हैं लेकिन मैं मेरी तरफ से आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप पीछे सत्ता में आये, उस वक्त आपने जनता के बीच में जो घोषणा-पत्र जारी किया था, उस घोषणा-पत्र को 50 प्रतिशत भी पूरा नहीं किया। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार तो, इसको 100 में से 100 प्रतिशत, आपका जो संकल्प-पत्र है, उस संकल्प-पत्र को जनता की भावना के मुताबिक, आप जनता के बीच में विकास के कामों को अंजाम देने का काम करो।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी, सरकार के बारे में। हम राज में रहे पीछे, आपका राज आया। सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा कहा गया कि आपने पांच साल के अन्दर, चाहे ऊर्जा मंत्रीजी

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

की तरफ से कहा हो, चाहे सड़क मंत्रीजी की तरफ से कहा हो, चाहे कोई और, अन्य विभागों के मंत्रियों ने कहा है, कि पांच साल के अन्दर कांग्रेस के राज में किसी भी फील्ड के अन्दर कोई काम नहीं किया गया। मैं तुलनात्मक आंकड़े देना चाहता हूं, आपके 2003-2008 और हमारा 2008-2013, उन कामों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ऊर्जा के बारे में कहूंगा कि सबसे ज्यद्दा जरूरत राजस्थान की जनता को आज बिजली की है। बिजली के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि बिजली उस किसान की भी जरूरत है। आज हर आदमी को, उस झोंपड़ी में रहने वाला और ठेठ ढाणी में रहने वाला जो किसान है, जो खेतिहर मजदूर है, उसकी भी झोंपड़ी में लट्टू जलाने की मंशा है; वह चाहता है कि उसकी झोंपड़ी में लट्टू जले। आपके माननीय सदस्यों की तरफ से कहा गया कि एक भी झोंपड़ी के अन्दर लाइट नहीं लगाई गई, एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया और एक भी किसान को कनेक्शन देने का काम नहीं किया।

(16.00 बजे)

मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003 से 2008 और हमारी सरकार का जो है, उसमें मैं बताना चाह रहा हूं; आपने बिजली पैदा की, बिजली जनरेशन करने का काम, हमने पांच सालों के अन्दर राज्य की अन्य परियोजनाओं से 2,005 मेगावाट बिजली बनाने का काम किया और आपकी तरफ से 456.5, 2003 से लेकर 2008 तक। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेशकर्ताओं को हम लेकर आयें।

झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि आपने राजस्थान में एन.आर.आईज. को बुलाकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, उस सम्मेलन में करोड़ रुपये खर्च किये, हमने किया। हमने उनको इन्वाइट किया और इस राजस्थान की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए, उनसे यह निवेदन किया गया, राजस्थान एक बहुत अच्छा स्टेट है, इसमें आकर आप निवेश करो, जिससे राजस्थान की जनता को रोजगार मिले। इस सोच से उस निजी क्षेत्र के अन्दर भी 2,060 मेगावाट बिजली हमने बनाने का काम किया, और आपकी तरफ से जीरो मेगावाट बिजली बनी है।

पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी में हमने 2,058.5 मेगावाट बिजली बनाने का काम किया, आपकी तरफ से 545.9 मेगावाट। बायो गैस ऊर्जा परियोजनाओं से 60 मेगावाट, आपके कार्यकाल में 24.3 मेगावाट और केन्द्रीय परियोजनाओं से हम 722.5 मेगावाट उस टाइम में बिजली बनाने का काम किया, आपकी तरफ से 529.4 मेगावाट।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

हमने कुल बिजली जनरेशन का काम किया, वह 7,223 मेगावाट बिजली बनाने का काम किया, आपके इस कार्यकाल में 1,556.1 मेगावाट बिजली ...(व्यवधान) ये बिलकुल गवर्नमेंट के डाकुमेंट हैं।

घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का जो काम किया, आपकी तरफ से, माननीय सदस्यों की तरफ से यह कहा गया कि आपने एक भी घरेलू कनेक्शन नहीं दिया और एक भी एग्रीकल्चर कनेक्शन उस किसान को नहीं दिया, तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि हमने उस पांच साल के कार्यकाल में 23,98,269 डोमेस्टिक कनेक्शन देने का काम किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कनेक्शन 23 लाख कौन से दिये? एग्रीकल्चर कनेक्शन?

श्री अध्यक्ष: आप यील्ड कर रहे हैं?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, डोमेस्टिक कनेक्शन। आप सुन लो। सर, सुन लो। थोड़ी सुनने की क्षमता रखो।

हमने घरेलू कनेक्शन, डोमेस्टिक कनेक्शन, 23,98,269 कनेक्शन हमने घरेलू कनेक्शन किये हैं और आपके इस कार्यकाल में 12,49,651 मात्र कनेक्शन किये गये हैं। बी.पी.एल. परिवारों के घरेलू कनेक्शन, वे अलग हैं, उसमें हमने 7,01,238 कनेक्शन किये हैं; आपके द्वारा बी.पी.एल. के कनेक्शन 5,58,596, मैं बिलकुल सही आंकड़ा आपका भी बता रहा हूं, जो आपने किये हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपके द्वारा बिलकुल कनेक्शन नहीं किये गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप यील्ड कर रहे हैं?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): हां, ये आंकड़े आपके पास बिलकुल गलत हैं। I am sorry to say, जितने भी पावर प्लांट्स पिछले पांच सालों में आये, हमारे लगाये हुए आये। आप एक अपना पावर प्लांट बता दीजिए कि आपने विद्युत उत्पादन पिछले पांच साल में किया हो? और ढाणियों के कनेक्शन तो आपने बिलकुल बंद ही कर दिये। आप एक बता दीजिए मेरे को।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये बीच में बतायेंगे? सदन की नेता बोलेंगी, वे बतायेंगी। बीच में थोड़े बोलेंगे मंत्रीजी।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): साहब, आप एक पावर प्लांट बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने यील्ड किया था। जब विद्युत मंत्री बोल रहे थे तो इन्होंने यील्ड किया था। अभी आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं उसमें यह बताना चाह रहा हूं, इसके डाकुमेंट हैं, हमने कितनी बिजली बनायी, हमने कितनी इकाइयां लगायीं। इसका मैं पक्का प्रूफ, डाकुमेंट आपको पेश कर दूंगा।

तो मैं बता रहा था बी.पी.एल. परिवारों के घरेलू कनेक्शन के बारे में।

कृषि विद्युत कनेक्शन, इनके राज की तरफ से यह कहा गया कि आपने विद्युत कनेक्शन, कृषि कुओं पर किसान को एक भी कनेक्शन नहीं दिया, यह आपकी प्रोसीडिंग्स में भी होगा, कई माननीय सदस्यों का। इसके अन्दर मैं बताना चाह रहा हूं कि 2,94,207 किसानों को हमने कनेक्शन दिये हैं, आपकी तरफ से 1,41,758.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एक भी नहीं दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप बता रहे हों, राठौड़ साहब, हमने एक भी कनेक्शन नहीं दिया; आप यह कह रहे हों कि एक भी कनेक्शन नहीं दिया, तो ये डाकुमेंट तो गवर्नमेंट के हैं, कनेक्शन उसके हैं उसमें। (व्यवधान) आप सुनने की हिम्मत तो रखो, साहब। आप एक मिनट बैठो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें। प्रतिपक्ष के नेता ... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कृषि विद्युत कनेक्शन के 2,94,207 कनेक्शन हमने किये हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट स्थान ग्रहण करें।

देखिये, प्रतिपक्ष के नेता कोई असत्य कथन या गलत आंकड़े दे रहे हैं, तो अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सदन की नेता जब बोलें, आप अपनी सामग्री उनको सुपुर्द कर दें, जो उनके वक्तव्य को काउन्टर कर सकें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): कृषि विद्युत कनेक्शन जो किसानों को दिये गये हैं, उसमें आपके द्वारा भी 2003 और 2008 के कार्यकाल में आपने 1,41,758 कनेक्शन दिये हैं।

गांवों के विद्युतीकरण के बारे में, हमने राजस्थान के 2,648 गांवों को इलेक्ट्रिफाइड किया है, आपके द्वारा उस समय 2,103 । सौर ऊर्जा पम्पों की स्थापना, आज के समय को देखते हुए और समय की मांग को देखते हुए हमने सौर ऊर्जा पम्प किसानों को देने का काम किया 5,679 और आपके द्वारा जीरो। एक भी सौर पम्प आपके द्वारा नहीं लगाया गया।

नये 33 के.वी.ए. सब-स्टेशंस, 1,521 नये 33 के.वी.ए. के सब-स्टेशंस हमने बनाये, आपके द्वारा 873 । मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन, हम रोजाना, पांच साल के अन्दर, एक 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन तैयार करते थे। कितना, रोजाना, डेली। सुबह होते ही एक 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन हम तैयार करते थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे यील्ड नहीं कर रहे हैं, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। यील्ड नहीं कर रहे हैं, आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मेरी बिना इजाजत के रिकार्ड पर नहीं जायेगा। अगर वे यील्ड करें तो आप बोल सकते हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा कहने का मतलब है, माननीय अध्यक्षजी, हम 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन एक डेली, पूरे पांच साल में पर-डे हमने 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन एक बनाने का काम किया। 1,521 । आप कैलकुलेशन कर लो, 33 के.वी.ए. सब-स्टेशन, डेली का एक बैठता है।

132 के.वी.ए. सब-स्टेशन, हमने 132 के.वी.ए. के 100 सब-स्टेशन बनाने का काम किया, आपकी तरफ से 57 । नये 220 के.वी.ए. सब-स्टेशन हमने 28 बनाये, आपके द्वारा 16 बनाये गये। नये 400 के.वी.ए. सब-स्टेशन, हमने शुरुआत की, उस टाइम में जयपुर में एक ही था और उस शुरुआत से हमने राजस्थान में पांच 400 के.वी.ए. सब-स्टेशन बनाने का काम किया, आपके द्वारा दो 400 के.वी.ए. सब-स्टेशन बनाये गये।

नया 765 के.वी.ए. का एक जी.एस.एस., 400 से अलावा, राजस्थान में, उससे पहले 400 का एक जयपुर में, माननीय अध्यक्षजी, एक जी.एस.एस. हुआ करता था। उसमें हमने पांच और फिर 765 की शुरुआत की। हमने 765 के.वी.ए. के सब-स्टेशन राजस्थान को दिये, शुरुआत की, आपके उस राज में जीरो था।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में वृद्धि, क्योंकि हमने काम किया, उनको जब बिजली दी, तब प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में वृद्धि हमारे टाइम में 24.63 प्रतिशत थी और आपके टाइम में 20.88 प्रतिशत थी।

बिजली कम्पनियों को भी हमने सहायता दी, आर्थिक सहायता दी। उसमें 24,468 करोड़ रुपये बिजली कम्पनियों को दी गयी, प्रदत्त आर्थिक सहायता; आपके द्वारा 6,709 । तो यह बिजली का है।

2008 तक जितनी भी फाइलें थीं, जितने भी आवेदन थे, उन आवेदन को हमने पूर्ण किया। अब 2009 से आपको उसमें करना है। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि वास्तव में यदि किसानों के हितैषी हैं, तो आज जो किसान आपकी तरफ देख रहा है, आपको जनता ने जो समर्थन दिया है और वह किसान आपकी तरफ देख रहा है, इस आने वाले पांच सालों में उस किसान के जो आवेदन हैं, 2009 से लेकर 2013 तक, वे आप एक साथ कम्प्लीट निकाल दो। उसमें आपके 2013 से लेकर, इन पांच सालों में, क्योंकि किसान यह चाह रहा है कि हमारे कम से कम तीन साल के आवेदन निकलें। 2009, 2010, 2011 और 2012, यह चल रहा है 2014, मतलब चार सालों का, आज किसान यह चाह रहा है कि पिछले चार सालों के हमारे जो आवेदन हैं, वे आपके द्वारा निकाले जाएं। तब तो कोई जनता की भावनाओं पर आप खरा उतरोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, कृपया शांत रहें। (व्यवधान) आप विराज जाइये। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप तो हमारे साथी हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): पांच साल में एक कृषि कनेक्शन नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए। स्थान ग्रहण कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। उधर तो मैं निवेदन कर दूंगा, आप शांत रहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बिजली, क्षेत्र के अन्दर किसान की जो व्यवस्था आपकी साठ दिन की कार्ययोजना में की, उस किसान को रात्रि को हम देंगे सात घंटे लाइट और दिन में देंगे साढ़े छह घंटे लाइट, यह है आपकी योजना और गांव और शहरों को 24 घंटे डोमेस्टिक बिजली देंगे। आप दिन में साढ़े छह घंटे और रात को सात घंटे दोगे, तो यह बिजली रात

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

को क्या अलग से पैदा होती है क्या? आप उसको दिन में भी सात घंटे दो, उसको रात में भी सात घंटे दो।

मैं बताना चाहता हूं जब रावला और घड़साना में किसानों का आंदोलन चल रहा था, पानी को लेकर, उस वक्त आपके जल संसाधन मंत्री कौन थे, पता नहीं मेरे को, उस वक्त आपके जल संसाधन मंत्री वहां गये थे और उस वक्त किसानों के बीच लाठियों और गोलियों से भूनने का काम भी आपने किया था। उस वक्त पन्द्रह से ऊपर किसान पुलिस की गोलियों से मारे गये थे। वह सिंचाई का पानी मांग रहा था, वह अपना हक मांग रहा था, किसान को सिंचाई का पानी मिलना चाहिए। वह वहां सड़कों पर बैठा था, जब आपके माननीय मंत्रीजी गये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गोपालगढ़ का भी जिक्र कर दो, थोड़ा-सा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी गये थे और मंत्रीजी किसानों के बीच में नहीं बैठे। माननीय अध्यक्षजी, वह जाकर गेस्ट हाउस में बैठे और अपने अधिकारियों के बीच में चर्चा की। तब अधिकारियों ने कहा कि नहर जो है, इसमें इतना पानी है और यह पानी इस तरीके से अपन दे सकते हैं, इसके अलावा अपने पास पानी नहीं। तब माननीय मंत्रीजी ने कहा कि नहरें रात को नहीं चलती क्या? इनको रात को भी चलाओ। मतलब इनको यह पता था कि नहरें दिन-दिन में चलती हैं, रात को नहर चलती ही नहीं। मतलब मंत्रीजी जो हैं, उनको यह पता नहीं कि नहर दिन को चलती है, रात को चलती है। सत्ता पक्ष के सदस्य बैठे हैं, इनमें भी कइयों को यह पता नहीं होगा कि नहर जो है, रात को चलती है या दिन को चलती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए। शांत रहिए। प्रतिपक्ष के नेता का भाषण है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं, रात और दिन की बात आयी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान) मैंने माननीय विधायकों से पहले भी निवेदन किया था कि आप प्रतिपक्ष के नेता को डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर ये असत्य कथन कर रहे हैं तो अपनी नेता को आप अपनी सारी सामग्री दे दें, वे स्पष्ट कर देंगी, लेकिन आप हस्तक्षेप मत कीजिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद। जब रात और दिन की बात आयी कि रात को सात घंटे और दिन को साढ़े छह घंटे, तो उस बात पर मेरे को याद आ गया। (व्यवधान) मैं सदन की नेता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस किसान को, ठंडी पड़ रही है, किसान भी यह चाह रहा है कि हमें दिन में भी सात घंटे लाइट मिले, तो इसमें आप अच्छी सोच का परिचय देते हुए, उस किसान को आप संभालने का काम करें।

मैं शिक्षा के बारे में भी बात करना चाहूंगा। माननीय पूर्व सदस्यों ने बताया कि शिक्षा के नाम पर आपने पांच साल के अन्दर कुछ नहीं किया। मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूं, हमने राजस्थान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने का काम किया। (व्यवधान) वह इतिहास था कि जिन ढाणियों के अन्दर बीस बच्चे पढ़ने वाले मिले, उन बीस बच्चों के लिए हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलने का काम किया। राजस्थान के अन्दर हमने सोलह हजार से ऊपर स्कूलें खोलने का काम किया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): और पिछली बार दो हजार स्कूलें बंद कराईं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, हाउस आर्डर में लाइये आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने स्कूलें खोलने का काम नहीं किया, ...(व्यवधान) हमारी जो राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं थीं, उनका सिर्फ आपने नाम बदलने का काम किया। इसके अलावा, आपकी तरफ से कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): शिक्षा संकुल के अन्दर इन्हीं मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, साठ दिन की कार्ययोजना में सरकार ने जनता से वादा किया कि हम हर किलोमीटर पर प्राथमिक शाला देने का काम करेंगे, हम हर किलोमीटर में एक स्कूल खोलेंगे, मैं यह बताना चाह रहा हूं, अध्यक्षजी, आपके मार्फत से कि हमने ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी, जहां एक-एक किलोमीटर पर स्कूल नहीं हो। लेकिन आज भी कई जगह हैं, आबादी बढ़ी है, ढाणियां बढ़ी हैं, परिवार बढ़े हैं, उन परिवारों में, उन ढाणियों में आज भी जरूरत है, क्योंकि दूर-दराज

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

इलाका है। उन ढाणियों में आज भी जरूरत है स्कूल खोलने की। तो आप एक लक्ष्य बनाएं, इस साठ दिन की कार्ययोजना में जो बात आपने कही है, वह सही कही है, हम एक किलोमीटर के दायरे के अन्दर, बच्चे को एक किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े, हम एक-एक प्राथमिक शाला खोलें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जरूरत है उन ढाणियों के बच्चे को, उस गरीब परिवार के बच्चे को, उस गांव के दूरदराज इलाके में, जो मरुस्थल इलाके में रहता है, उस इलाके के अन्दर, उन ढाणियों में आज भी स्कूलों की जरूरत है।

तो एक किलोमीटर के अन्दर, आपने जो बात कही, आपने जो जनता से वादा किया, इस साठ दिन की कार्ययोजना में, मैं इसका समर्थन करता हूं। आप आने वाले पांच साल में एक-एक किलोमीटर में सारी स्कूलें, आप ऐसा कोई एरिया ना छोड़ें, तो हमारा पूरा समर्थन आपको रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत। आप बैठिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): घोषणा-पत्र में जो संकल्प इन्होंने किया, उसमें पन्द्रह लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की बात की।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): वह पांच साल में देंगे।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पांच साल में दोगे या एक साल में दोगे, यह तो आप जानो, अपना काम जाने; आपने अपने घोषणा-पत्र में पन्द्रह लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का लिख दिया लेकिन इन पन्द्रह लाख बेरोजगारों को आप कहां-कहां देंगे? नरेगा केन्द्र सरकार की चलाई हुई योजना है, उसमें भी आपके आज की तारीख में, मेरे समझ में, पन्द्रह लाख लेबर होगी ही नहीं पूरे राजस्थान में । तो इसमें आपने पन्द्रह लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही, तो इसमें कैसे दोगे? क्या करोगे? क्या नहीं करोगे? हमें यह नहीं लगता कि आप पन्द्रह लाख बेरोजगारों को रोजगार दे पाओगे।

इस घोषणा-पत्र में जो बातें लिखी हैं, साठ दिन की कार्ययोजना का, एक सिर्फ राजस्थान की जनता को बरगलाने का और उनको धोखा देने के अलावा इस साठ दिन की कार्ययोजना में कुछ नहीं है। जिस तरीके से पिछले इन पांच सालों में, जब इनका राज था, इन्होंने भी घोषणा-पत्र जारी किया था, मैं पूर्व में बता चुका हूं लेकिन इस लोक सभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से इस असेम्बली इलेक्शन में आप गये, उसमें भी लोगों के बीच में बैठकर, आपका दिमाग है, यह भगवान ने दिया है, असत्य बोलने का, लोगों को

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

बरगलाने का और लोगों को पूरा एक आइना दिखाने का। यह तो भगवान का गाड-गिफ्ट है आपको, आपको दिया है।

इसी विषय में, आपकी सोच के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2004 में मैंने जब पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, उसमें मेरे सामने जो उम्मीदवार उतारा, मैं सोच की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच की बात कर रहा हूं, 2004 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन मैंने लड़ा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया, वह फिल्मी कलाकार था, धर्मेन्द्र। यह तो आपकी सोच है। धर्मेन्द्र एक कलाकार हो सकता है, अच्छी फिल्म बना सकता है, अच्छा नाच सकता है, लेकिन एक अच्छी सोच का जन-प्रतिनिधि नहीं हो सकता।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको चुनाव में हरा नहीं सकता वह? आपको तो हरा दिया उन्होंने। आपको हराया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पूरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। शांत रहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बताना चाह रहा हूं, उस वक्त इन्होंने जिसको टिकट दिया, उस टिकट के कैंडिडेट की सोच बताना चाह रहा हूं। जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि आपकी इस कार्ययोजना के अन्दर श्मशान भूमि और भौमको में 20 करोड़ रुपये देने की बात की गयी थी कि हम 20 करोड़ रुपये से भौमका और श्मशान भूमि की बाउण्ड्री बनायेंगे, जन-सहभागिता योजना के तहत, मैं, अध्यक्षजी, उसमें बताना चाह रहा हूं कि मेरे सामने जो उम्मीदवार था, वह इन्होंने एक अच्छी सोच का परिचय देते हुए, फिल्मी कलाकार धर्मेन्द्र उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि मेरी 8 असेम्बली सेग्मेंट्स थीं, उसमें पाकिस्तान का बार्डर आता है; उसमें 3 असेम्बली सेग्मेंट, रायसिंहनगर, पीलीबंगा और सूरतगढ़, तीनों नहरी इलाके के विधान सभा क्षेत्र आते थे; उन क्षेत्रों में जब धर्मेन्द्र प्रचार करने गये तो उस इलाके की सबसे बड़ी समस्या, रायसिंहनगर के माननीय सदस्य ने भी उठायी थी कि हमारे इलाके में श्मशान भूमि और भौमका चक-प्लान में कटी हुई नहीं हैं। गांव में श्मशान भूमि है, वह कटी नहीं हुई है, तो आप पैसा कहां लगाओगे? तो श्मशान भूमि के बारे में बताना चाह रहा हूं। जब वे प्रचार करने गये तो पीलीबंगा में एक गोलूवाला मण्डी है; जब मैं भी

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

एम पी बना 1999 में और मैं जब उस इलाके में गया तो मेरे सामने भी यह समस्या आयी कि हमारे इलाके में यह समस्या है, भौमका की समस्या है, हमारे भौमका की जमीन नहीं कटी हुई है, आप यह जमीन कटवाकर हमारे यहां भौमका बनाओ। पूरे मुरब्बाबंदी हो गयी, कहीं खाली जगह नहीं, गवर्नमेंट की जमीन नहीं। आज भी उनके सामने यह समस्या है। गोलूवाला मण्डी में चुनाव प्रचार के लिए आम सभा थी। उस आम सभा में, जो लोगों ने मुझे कागज दिये, मांग की, वही धर्मेन्द्रजी के सामने की गयी; धर्मेन्द्रजी, हम आपको वोट देंगे, आप चुनाव जीतने के बाद...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता जिनका नाम ले रहे हैं, वे हाउस के मेम्बर नहीं हैं। हाउस में हैं नहीं। उनके बारे में क्या बोल रहे हो? विधान सभा की बात करो; उन्होंने आपको हराया, वह बात करो; आप हारे और वे जीते, यह बात करो, तो ठीक है... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप रुको तो सही। आपकी सोच के बारे में बात कर रहा हूं। आप सुनो तो सही। (व्यवधान) हमने आपकी बात सुनी है, हम आपकी बात सुनते आये हैं...(व्यवधान) हमारे सदस्यों ने बीच में आपके किसी सदस्य को टोका नहीं है....

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हम भी नहीं टोक रहे हैं लेकिन आप उनका नाम नहीं लोगे क्योंकि वे इस सदन में नहीं हैं। उनके बारे में आप नहीं बोलें, क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं। इस सदन में नहीं हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमें हाउस के अन्दर यह कहा गया कि आप तो कितने हो; आपके प्रतिपक्ष का नेता नहीं; यह नहीं। इसके बारे में बताना चाह रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी। गोलूवाला मण्डी में आपके उम्मीदवार को; चलो, नाम नहीं लेना है, आपके उम्मीदवार का तो कह सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ठीक।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जिस सोच के साथ आपने उम्मीदवार को उतारा, उसको वही कागज, वही पर्ची, वही एप्लिकेशन दी गयी; हम आपको वोट देंगे, उसके बाद आपको समस्या का समाधान करना है। आपके उम्मीदवार बोले कि मेरे को जो एप्लिकेशन दी है, उसमें भौमका बनाने

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

की बात है; आप मुझे वोट दें और मैं चुनाव जीतने के बाद आपके घर-घर भौमका बना दूंगा। 'घर-घर भौमका बना दूंगा', यह तो आपके उम्मीदवार का सोच है। उनको यह पता नहीं कि श्मशान भूमि और भौमका क्या होता है! तो आपके नेताओं की सोच यह है। मैं इसी सोच के बारे में बताना चाह रहा था। (व्यवधान) हां, वह भी बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): +++ ने कहा था..(व्यवधान) आपके नेता +++ ने कहा था...(व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री ने कहा था... (व्यवधान) आपके नेता +++ ने कहा था, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप काउंटर कर देना। आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): धर्मेन्द्रजी की बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। पुरानी कोई इस तरह की बातें हैं, जो एक-दूसरे पर आक्षेप किया है, उसको कृपया नहीं लायें तो ठीक रहे। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, बिना नाम लिए भी आप अपनी बात कह सकते हैं। आपसे भी निवेदन है कि नाम नहीं लें, केवल सन्दर्भ दे दें। (व्यवधान)

मदनजी, बैठो। यह नहीं हो सकता है। जब आपको मैंने बहुत शालीनता से निवेदन किया है कि प्रतिपक्ष के नेता का भाषण आप शांति से सुनिये; कोई ऐसी बातें आ रही हैं, जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो सदन की नेता तक वे बातें ले जाइये। वे उसका सार्थक जवाब दे देंगी। कृपया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम तो पहली बार सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा भाषण प्रतिपक्ष के नेता के मुख से तो पहली बार सुन रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ऐसे नासमझ अभिनेता ने ही चिपड़ी चेप दी इनके तो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले जब आपकी, आज जो सदन की नेता हैं, वे जब विपक्ष की नेता थीं, तो बोलती ही नहीं थीं। ये बोल तो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठो, बैठो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये बीच में कहां से आ गये?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो +++ का उदाहरण है साहब। यहां गलत उदाहरण दे दिया। यह तो +++ का उदाहरण है।

श्री अध्यक्ष: यह +++ के बारे में ड्राप किया जाये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अपन शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, शिक्षा के बारे में आज समय और वक्त बदल चुका है। आज हर माता-पिता इस बात को समझ चुका है कि हमारी जो नयी पीढ़ी है, वह जब तक अच्छी संस्कारित और शिक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें शिक्षा पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारा एक लक्ष्य बने कि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी शिक्षित और संस्कारित हो, तब हम राजस्थान को विकसित और नये राजस्थान की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

शिक्षा में, बहुत-सी योजनाएं हमने फ्लैगशिप योजनाओं के तहत चालू की हैं। आज गांव का बच्चा, जिसको पता नहीं, लैपटाप क्या होता है, उसके बारे में भी हमने एक योजना बनायी। लैपटाप वितरण का हमने काम किया। आज 1 लाख 11 हजार बच्चों को लैपटाप देने का काम किया। टैबलेट, पी सी, साढ़े 3 लाख गांव और शहर के बच्चों को देने का किया। साइकल वितरण की बात करें, इसमें भी 3 लाख 47 हजार 432 को साइकिल वितरण करने का काम किया। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना भी हमने लागू की है। 1 लाख 15 हजार 950 और टैबलेट, पी सी का आपके राज में जीरो है; लैपटाप वितरण में जीरो। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चे को अच्छी प्रतिस्पर्धा से जोड़ने का काम हमने किया। आज गांव और ढाणी का बच्चा यदि अच्छा पढ़ता है और क्लास में फर्स्ट आता है तो लैपटाप मिलने के बाद वह गांव में ले जाता है, वह गांव के चौपाल में ले जाकर के बताता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ा, मैं क्लास में फर्स्ट आया, उस वक्त में मुझे यह पी सी, लैपटाप मिला। उसे देखकर के दूसरे बच्चों में भी जाग्रति पैदा हुई, उन्होंने भी अपनी सोच बदलने की कोशिश की कि आने वाले समय में मुझे भी क्लास में फर्स्ट आना है। यह प्रतिस्पर्धा हमने उन बच्चों के अन्दर जगाने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, चाहे तकनीकी शिक्षा की बात हो, हमने हर क्षेत्र में कोई कोर-कसर छोड़ने का काम नहीं किया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): काहे का लैपटाप? बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी तक आपने नहीं दी है। (व्यवधान) आप लैपटाप की बात कर रहे हो?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने दिया है, माननीय सदस्या। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आपने किसको लैपटाप दिया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, विराजें। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): हमने लैपटाप दिया है। वह बच्चों के पास है और चलाते हैं। वे चलाना सीख गये हैं। आज के हाई-टेक जमाने में, चूंकि यह आई टी का जमाना है, अगर उस गांव के, ढाणी के बच्चे को हम इस समय के हिसाब से नहीं जोड़ेंगे तो हम राजस्थान की उस कल्पना को साकार नहीं कर सकते, हम राजस्थान को विकास की उन ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकते। हमने इसी सोच के साथ काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा के बारे में, हमने बीकानेर में 2-2 इंजीनियरिंग कालेज खोले और टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोली। आपके बारे में हमने यह सुना कि इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को आपने खुर्द-बुर्द कर दिया। मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि उस इलाके में, जो कि बोर्डर इलाका है, उस इलाके के अन्दर उस टेक्निकल यूनिवर्सिटी को खोलना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया से विशेष निवेदन है कि हमारा जो काम किया हुआ है, उस काम को आप पूरा करें।

अध्यक्ष महोदय, अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आप यह कह रहे हो कि रिजल्ट आ गया। ठीक, माननीय मंत्रीजी, आप यह कह रहे हो, रिजल्ट आपका भी आया हुआ है। आप भी 33 सीट पर थे और हम 157 सीटों पर थे। उस वक्त हमें भी जनता ने मेन्डेट दिया था। यह तो समय आ रहा है, 5 साल निकलने में नहीं, अभी लोक सभा का चुनाव भी आ रहा है। उस लोक सभा चुनाव में आप चाहे जीरो कहो या आप 20 कहो, वह आपकी मर्जी।

अध्यक्ष महोदय, आपको भी इस 60 दिन की कार्ययोजना को लेकर उस जनता के बीच में जाना है। आपने राजस्थान की जनता को जो विजन डाक्यूमेंट पेश किया है, उसको लेकर उस चौपाल में, उस गांव में जाना पड़ेगा कि हमने इस 60 दिन की कार्ययोजना में क्या काम किया। इस बात को जनता को बताना पड़ेगा। जनता समझ चुकी है, इन 3 महीनों में, 4 महीनों

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

में। इसमें आप उस भरोसे में मत रहना। मैं आपको चेताना चाह रहा हूं कि आप सत्ता के मद में चूर मत रहना। जनता जनार्दन है। जनता ने आपका पक्ष लिया है, आपको वोट किये हैं, हमें भी उस वक्त जनता ने ही वोट किये थे।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र का राज है। जब देश आजाद हुआ, उस वक्त प्रजातंत्र का राज कायम किया गया। उस प्रजातंत्र के राज में वोट का अधिकार दिया गया। यह वोट का अधिकार सत्ता में लाता है और वापस ले जाता है। प्रजातांत्रिक राज में घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी वहां बैठे हैं, हमने भी 50 साल से ऊपर राज किया है, उस राज के अन्दर हमने भी काम किया है। राजस्थान के अन्दर उस समय छकड़ा गाड़ी नहीं होती थी, वहां से लेकर आज राजस्थान, हिन्दुस्तान किन ऊंचाइयों पर पहुंचा है! आज यहां हवाई जहाज बनता है। सूई नहीं बनती थी, सूई। यह 60 साल का काम है।

अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता के मद में मत रहो, क्योंकि 5 साल निकलने में भी कोई समय नहीं लगता है। इन 5 साल के अन्दर आप जनता के बीच में रहकर जनता के हितों की रक्षा करोगे, जनता की भावनाओं पर खरा उतरोगे, तब जाकर जनता वापस दुबारा बैठा भी सकती है। इसलिए आप जनता की भावनाओं पर खरा उतरने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के बारे में ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): विपक्ष के नेता यह बतायें, हमारा तो मिशन 25 है; आपका मिशन 5 है, या 20 है, या 10 है? यह तो बतायें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो बी जे पी में ही नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो निर्दलीय हैं, इनका काहे का मिशन है? (व्यवधान) ये तो निर्दलीय हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपको तो बुलाया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका तो जीरो मिशन है, निर्दलीयों का तो। (व्यवधान) आप कब से आ गये बी जे पी में? आपको तो टिकट ही नहीं दिया। इनको तो टिकट ही नहीं दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप निर्दलीय हो। (व्यवधान) निर्दलीय हमारे साथ ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। नेता, प्रतिपक्ष को बार-बार टोकना, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता को नहीं बोलने देंगे, अगर इस तरह से किया गया तो। (व्यवधान) सदन को मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिपक्ष के नेता जब यहां अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो उस समय प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं, वे बार-बार इनको डिस्टर्ब करते हैं। यह अफसोस की बात है। चुप रहिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, अब कौन बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा आपका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 'हां पक्ष' के लोगों को भी समझाओ।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में आपको बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यद्दा काम करने की जरूरत है। हमने नि:शुल्क दवा योजना लागू की। अभी आपके भी माननीय सदस्य बता रहे थे कि यह योजना जनता के हित में है, उस गरीब परिवार के हित में है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जब यह योजना नहीं थी, तो उस वक्त उस ढाणी में बैठा हुआ जो गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार के बेटे में यह हिम्मत नहीं थी; यदि उसके माता-पिता बीमार होते हैं तो उसको पहले पड़ोस के अन्दर 5-7 हजार रुपये की व्यवस्था करनी पड़ती थी और फिर वह हास्पिटल की तरफ मुंह करता था। हमने उस गरीब बेटे के अन्दर हिम्मत जुटाने का काम किया था। हमारे राज के अन्दर हमने उस गरीब की पीड़ा को देखा। यदि उसके बूढे माता-पिता बीमार होते हैं तो उसको कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। उसकी सिर्फ यह जिम्मेवारी होती थी कि वह बताये, सरकारी एम्बुलेंस आयेगी और उसको हास्पिटल में भर्ती कराकर, उसका फ्री इलाज कर, उसको फ्री दवाई देकर, उसकी फ्री जांच करके, उसको ठीक

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

करके वापस उसके घर भेजने का काम हमारी पार्टी ने किया है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी योजना है। हम यह चाह रहे हैं कि सुचारु रूप से यह योजना चले। इसमें कोई कमियां हैं, तो उनको आप देखकर, उनको दूर करने का काम आप करें। यह बहुत बड़ी जनता को राहत का काम होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाह रहा हूं कि आप भी राज में रहे थे 2003 से लेकर 2008 तक और 2008 से 2013 तक हम रहे थे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उस क्षेत्र में भी हमने विकास के कामों में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसकी अगर हम तुलना करें तो उसके अनुसार हमने नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र बनाये 3,537 उस समय और आपके शासन में 1,025 बने; बेड, शय्याओं की वृद्धि, इसमें हमने 2,900 शय्याओं की वृद्धि की और आपने 2,297 की; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, उसमें हमारी तरफ से 219 और आपकी तरफ से, 84 आपके राज में हुए।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों और जिला चिकित्सालयों में ट्रोमा सेंटर, यह जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था, क्योंकि आजकल आये-दिन एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ रही है। हाईवे पर जो भी गांव, सिटी हैं उनमें आये-दिन एक्सीडेंटों की संख्या बढ़ रही है। उसमें आप आइडेंटिफाई करें, उसमें आज भी कई ऐसी जगह पड़ी हैं जिनमें ट्रोमा सेंटर्स की जरूरत है। हमने 33 ट्रोमा सेंटर खोले और आपके द्वारा उस वक्त में 8 खोले गये। नये मेडिकल कालेज हमने राजस्थान को 2 दिये और आपने एक दिया। पैरा-मेडिकल और तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में, आपने 15 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, हमने उस वक्त 8,431 पदों पर नियुक्ति दी और आपके राज में 1,805 को नियुक्ति दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नेता प्रतिपक्ष, मैं क्षमा चाहूंगा, आपके साथ किसी ने मजाक किया है, आंकड़े गलत दे दिये। इसलिए कह रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): गलत हैं तो वे दे देंगे न, सही। ये गलत कोई आंकड़े नहीं हैं, किसी ने मजाक नहीं की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं गैर-जिम्मेदारी से नहीं कर रहा हूं। रिकार्ड पर गलत बात न चली जाए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आप सरकार में हैं। मैं, माननीय सदस्य, आपको बताना चाह रहा हूं; मंत्रीजी, आप राज में हैं, आप राज में हैं, आप देख लो; उसमें कोई डाकुमेंट गलत है, आंकड़े मेरे पास कोई गलत हैं, तो आप राज में हैं। यह आपकी किताब में लिखा हुआ है कि उस वक्त में कितना काम हुआ है। यह लिखा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कौनसा प्रगति प्रतिवेदन लेकर आये हैं आप?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह आपको फेल करने की चाल है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): फेल आप होंगे या हम होंगे, यह जनता तय करेगी। हम यहां हाउस में बैठकर तय नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह जनता का काम है और जनता जनार्दन है। किसको फेल करेगी और किसको पास करेगी, यह जनता मन बना चुकी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पानी के बारे में भी, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बताना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर हमारी सोच थी, हमने एक कल्पना की और हमारा ध्येय और लक्ष्य था कि हमें उस ठेठ ढाणी को पीने के पानी से जोड़ने का काम करना है और उस ढाणी को हमें आवागमन के साधनों, सड़कों से जोड़ने का काम करना है और ढाणी को शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर से जोड़ने का काम करना है। यह हमने ध्येय रखा और उसके तहत हमने उस ढाणी को लाइट, बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा से जोड़ने का काफी हद तक काम किया है। मैं आगे यह चाह रहा हूं, हम यह नहीं कहते, आज भी वे सारी की सारी हमारे राजस्थान की ढाणियां हैं, राजस्थान के जो गांव हैं, क्योंकि परिवार बढ़े हैं, वह ढाणियों में आज भी लाइट, बिजली, शिक्षा, सड़क और चिकित्सा की जरूरत है, आज उस ढाणी में काम करें।

आज गांव के अन्दर आप ले लो, बिजली की व्यवस्था, आपने 24 घण्टे का कहा है, वह भी आज की तारीख में 24 घण्टे बिजली मिल नहीं रही है। उसके बारे में मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसको

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

अच्छी तरह से दिखवायें, बिजली आपने दी 7 घण्टे। बिजली 24 घण्टे कर दी, इन्होंने पीछे मेन स्विच तो खींच दिया, लेकिन बिजली पूरी की पूरी 24 घण्टे कैसे मिले? आज भी राजस्थान के अन्दर नई बिजली पैदा करने की जरूरत है। बिजली की कमी है, दिन-प्रतिदिन बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है। तो आप एक साथ चालू करें, 4 ब्लाक को एक साथ नहीं चला सकते, इवन दो ब्लाक भी एक साथ नहीं चला सकते हैं। इन्होंने वह मीटर खींच दिये, 60 दिन की कार्ययोजना में वह मीटर खींचते ही जो 400 वोल्टेज रहता था, वह वोल्टेज आ गया 50 पर। न तो कोई घर के, न घाट के। इसलिए आज बिजली की क्वालिटी...

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): आप खराब सिस्टम छोड़कर गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): तो आपने बिगाड़ दिया, खराब सिस्टम को। हम यह कह रहे हैं, उस वक्त में, जब 2003 से 2008 के अन्दर आपका राज था, तो आप तो कोई बिजली का सिस्टम छोड़कर ही नहीं गये। हमने कुछ आपको सिस्टम दिया तो है। उस सिस्टम को भी आप चलाओ, उस सिस्टम को भी आप ठीक करो। जनता ने इसलिए आपको वोट दिया है कि उस सिस्टम को ठीक करके, आज पूरे राजस्थान में इस बिजली के क्षेत्र में ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि बिजली की खपत बढ़ी है, जनरेट करने की जरूरत है। तो मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें रात और दिन मेहनत करेंगे, तब जाकर यह सुधार होगा।

अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इनके पास रिपोर्ट आई हुई थी, शिक्षा मंत्रीजी के पास में; मेरे पास स्कूल की रिपोर्ट आ गई थी, उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा नहीं और सदन में आ गया। अब रिपोर्ट तो सदन में पढ़कर आनी चाहिए थी। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने मामला उठाया। तो आपको रात को सोने की जरूरत नहीं है, आपको 24 घण्टे काम करने की जरूरत है, यह मेरा सुझाव है। 24 घण्टे आप रात और दिन काम करेंगे तो ही कुछ जनता की भावनाओं के ऊपर खरा उतरेंगे। नहीं तो, तीन महीने और रहे हैं, इन तीन महीनों के अन्दर आपका भी हिसाब और लेखा-जोखा हो जायेगा। सदन की माननीय नेता बैठी हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह आपसे हिसाब चाहेगी इस लोक सभा चुनाव में, एक-एक माननीय सदस्य को पूछेगी कि आपका क्या हुआ। तो यह जो आप रात और दिन मेहनत करो।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल योजनाओं के बारे में आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। हमने ऐसी कई योजनाएं, बहुत बड़ी योजनाएं, जो नागौर जिला है, नागौर जिले के अन्दर, क्योंकि वहां पूरा का पूरा फ्लोराइड है, उसके अन्दर हमने उस वक्त योजना बनाई थी। आई जी एन पी कैनाल के अन्दर जो हिमालय से सीधा मीठा पानी उस नहर के अन्दर आता है, उस नहर का पानी नागौर जिले के प्रत्येक गांव और प्रत्येक ढाणी के अन्दर, यह जो हमारा सपना था, उस सपने के मुताबिक हमने योजना बनाई और उस योजना के मुताबिक, आज नागौर के अन्दर जो है, उसी हिमालय का जो मीठा पानी है, उस मीठे पानी का भी हमने किया। (व्यवधान) आपने तो सिर्फ शिलान्यास किया था, हमने वह योजना बनाई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, वे कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नेता प्रतिपक्ष से मेरा निवेदन है कि इतना असत्य कथन तो मत कहो कि वह नागवार गुजरे। इन्होंने एक बार भी, एक बार भी ध्यान दे लिया होता तो आज नागौर की स्थिति यह नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वसुन्धरा राजेजी के पिछले कार्यकाल की यह योजना थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी परम्परा है? यह कौनसी परम्परा है?

श्री अध्यक्ष: आपको परम्परा मालूम नहीं है। यील्ड किया है इन्होंने, इसलिए अनुमति दी है। इनको पता है, यील्ड किया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट बोलने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना 2,750 करोड़ रुपये, 1,384 गांव, 11 कस्बे, माननीय वसुन्धराजी के कार्यकाल में शुरु हुई और वहां नागौर तक हम पानी ले आये। पिछले पांच साल में अगर नेता प्रतिपक्ष यह प्रूव कर दें कि इनके कार्यकाल में एक इंच भी बढ़ी है तो हम दोनों, मतलब एक इंच भी नहीं बढ़ी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) यील्ड नहीं कर रहे, ये यील्ड नहीं कर रहे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सदन का समय बढ़ाना है। बैठो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर के मामले में बोलने दें हमको। 600 करोड़ रुपये के काम तो अकेले खींवसर विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। राजस्थान नहर का मीठा पानी है, 600 करोड़ का काम खींवसर विधान सभा क्षेत्र में हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आप आसन ग्रहण कीजिये। समय बढ़ाने का प्रस्ताव आ रहा है, स्थान ग्रहण कीजिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की नेता का जवाब आकर, धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो, तब तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित। समय बढ़ाया गया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलूंगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अब बोलेंगे?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): आप डूडी साहब, नेता प्रतिपक्ष हो और आप जिस तरीके से यहां व्याख्यान दे रहे हो हर इश्यू के ऊपर, अब आपकी हालत क्या हुई चुनाव में, यह तो देख लो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो पता है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): आप बढ़ा-चढ़ाकर किसके बीच में कहना चाह रहे हो? नागौर जिले के अन्दर हिमालय का पानी अगर आया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी की वजह से आया है। उसके बाद अशोकजी गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान की जितनी भी पेयजल योजनाएं हैं, उन सबका सत्यानाश करने का श्रेय जाता है तो आपके तत्कालीन मुख्य मंत्री को जाता है। अगर वसुन्धराजी मुख्य मंत्री होतीं तो उन 5 साल में हर जगह जनता को पानी मिलता।

(श्री सांवर लाल)

सतही वाटर, जो हिमालय का पानी कहते हैं, आपके जायल के अन्दर मातासुख की जो खान थी कोयले की, उसके अन्दर हमने आर ओ लगाकर पानी शुद्ध करके पिलाना शुरु किया। अभी हम यात्रा में और बीच में गये, जहां मुख्य मंत्रीजी के सामने, वसुन्धराजी के सामने कहा कि इसमें कोयले की बदबू आ रही है। शर्म आनी चाहिए। आप फिल्टर करके भी जनता को पानी नहीं दे सके और यहां पर सुना किसको रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सदन को इतना गुमराह करने की कोशिश न करें।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात कह दी, आप आसन ग्रहण कीजिये।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): यह सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप पिछली विधान सभा में नहीं थे, उस टाइम में इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, अपने को सब मालूम है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये, कृपया।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हर योजना की क्या हालत हुई? इसीलिए तो 21 पर आ गये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई यील्ड नहीं करें। नेता प्रतिपक्ष।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी को जो कुछ कहना था, कह दिया और कोई बाकी है तो आप कह लो, लेकिन नागौर जिले को, उस नहर का पानी देने का हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, हमने बनाया, हमने पैसा मंजूर किया। ठीक है, जनता ने हमें मैंडेंट नहीं दिया। उस वक्त में आप कहां थे? आपको उस नागौर जिले में 2003 के अन्दर पानी देना था, वह पानी दिया 2008 के अन्दर। 2008 के अन्दर दिया। (व्यवधान) मैंने नागौर जिले को ...(व्यवधान) मैं नहीं बोलता गलत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस नागौर जिले को 2003 में पानी देना चाहिए था, 2003 में।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): 5 वर्ष में मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत को क्या करना चाहिए था? यह बता दीजिए आप कि हमको क्या

(श्री सांवर लाल)

करना था और क्या कर दिया? हमारी ऐसी दुर्गति नहीं हुई, जैसी अभी आपकी पार्टी की हुई है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपके प्लास्टिक के पाइप फट गये और उनसे पानी बाहर आ गया, सब जगह। जहाजपुर में तो बहुत हालत खराब है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जहाजपुर के माननीय विधायक, विराजिए। प्रतिपक्ष के नेता चालू रखिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सरकार के नुमाइंदों को कि आप जो कह रहे हो, वह योजना हमारी बनायी हुई है। हमारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट था, उसमें हमने पैसे मंजूर किये।

आपका राज आने के बाद, क्योंकि सारी की सारी योजना बनायी हुई थी, यदि आप नागौर की जनता के हित को सोचते तो नागौर की जनता के हित में, आप राज में आते ही, आपको सीधा नागौर को पानी भेजना चाहिए था। जब विधान सभा के इलेक्शन आये, उस इलेक्शन के 5-6 महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री जाकर वहां शिलान्यास करते हैं रातोंरात, रात-दिन काम हुआ। उस वक्त में, पूरे गजनेर लिफ्ट से लेकर नागौर में जो पाइपलाइन ले जायी गयी, वह मात्र 4-5 महीने के अन्दर पूरा काम कर दिया। आप 5 साल नींद में सोते रहे। आपको 2003 के अन्दर नागौर जिले की जनता को पानी पिलाना चाहिए था। इसमें इन्होंने कोताही बरती। इन्होंने वापस इसी राजस्थान की जनता को ठगने का काम, बरगलाने का काम...(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): माननीय नेता महोदय, नागौर सिटी में 5 साल काम नहीं हुआ। 5 साल में नागौर सिटी का काम ही नहीं हुआ पूरा। आपने कहां से काम शुरु कर दिया?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 5 साल के बाद उस नागौर की जनता को पानी पिलाया है। (व्यवधान) आप बैठें, कुछ सुनने का माद्दा रखो, मैं असत्य नहीं बोल रहा। मैं बिलकुल सही बोल रहा हूं। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी भी नागौर से आते हैं, इनको भी अच्छी तरह पता है कि...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): नागौर में काम हुआ है।

श्री अध्यक्ष: खींवसर के माननीय विधायक।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 2003 में आपका राज आते ही, उस वक्त पानी देना चाहिए था। आज भी हमारे जो 900 के करीब गांव हैं नागौर के अन्दर, जिनको इस राजस्थान नहर का, इंदिरा गांधी नहर का मीठा पानी, हिमालय का 984 गांवों को देना है; हमने जो शिलान्यास कर रखा है, जायल के अन्दर हमने उसका शिलान्यास किया है, हमारी माननीय अध्यक्षा, सोनिया गांधी जी शिलान्यास करके गयी थीं, शिलान्यास किया हुआ है, उसकी पूरी योजना बनायी हुई है, आप कल से काम चालू करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। यदि आपकी सोच नागौर की जनता को पानी पिलाने की है तो आप जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए 5 महीने के अन्दर गजनेर से लेकर उस नागौर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक आप पाइपलाइन ले जाकर पानी की शुरुआत कर सकते थे, उसी सोच के अनुरूप, आप इस लोक सभा के चुनाव को मत देखो, आपकी सोच यह होनी चाहिए कि...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): नेता प्रतिपक्ष, आपने 7.5 करोड़ को 350 करोड़ कर दिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपको नागौर की जनता को हर हालत में समय रहते पानी पिलाना है। आज माननीय मंत्रीजी बोल रहे थे कि मातासुख के अन्दर, मैं एक सांसद के रूप में उस इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं उस वक्त में, उस इलाके में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। हमने कोशिश की, उसमें आर ओ सिस्टम लगाकर; वहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसमें आर ओ सिस्टम लगाकर हमने देखा, यह पानी मीठा होगा; वह आर ओ सिस्टम, सही तरीके से काम नहीं किया। तो आप उसी सोच के अनुरूप, जो पानी जनता के पीने योग्य नहीं है, हमने इस नहर की कल्पना की।

आज, माननीय मंत्रीजी, आप गांव और ढाणी से आते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप आसन को सम्बोधित कीजिए। आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी, आप भी गांव और ढाणी से आते हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, आसन को सम्बोधित कीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी और मेरी सोच एक होनी चाहिए। अध्यक्षजी, आज जिस तरीके से हमारी एक सकारात्मक सोच

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

होनी चाहिए, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, हमें राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए भेजा है, तो हमारा ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले समय में राजस्थान को उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करें। राजस्थान की जनता आज भी आपसे कुछ मांग रही है, हमें देने का काम उस जनता के सामने करना चाहिए। जो भी दिक्कत और समस्या है, उन दिक्कत और समस्याओं का समय रहते निवारण करना, हम सबका, पूरे सदन का फर्ज और कर्तव्य बनता है। उसी सोच के अनुरूप हम आगे आने वाले समय में काम करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पानी की बात की, आज पानी की बात के बारे में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाह रहा हूं, नोखा क्षेत्र में हमने जो योजना बनायी, वह उसी नहर का पानी लेने का सेकण्ड फेज है। वही नागौर में सेकण्ड फेज का पानी जाएगा। उस पर 400 करोड़ रुपये हमने मंजूर कर रखे हैं और उसके टेण्डर भी लगा दिये हैं, उसके टेण्डर लगे हुए हैं, टेण्डर खुलने हैं। इसलिए आपसे विशेष हाथ जोड़कर निवेदन है कि उसको भी, आगे विधान सभा चुनाव कब आएगा, उसको देखते हुए लिंगर-आन मत करना, उसको टालना मत, क्योंकि उस इलाके की जनता भी आपको देख रही है।

जल संसाधन के बारे में बात हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत बताना चाह रहा हूं, यह बहुत बड़ा राजस्थान का इलाका है, पाकिस्तान का बोर्डर इलाका लगता है, उस इलाके का किसान आज भी इस खेती के पानी के लिए तरसता है। वह स्थिति वापस आ रही है जो इनके राज में आयी थी। जो घड़साना और रावला का आंदोलन हुआ था, आज भी ऐसी स्थिति है, आज भी किसान को नहर का समुचित पानी अपनी खेती के लिए मिल नहीं रहा है। इन्होंने चार ग्रुप में चला दिया, एक महीने तक उस किसान को अपने खेत में पानी नसीब नहीं होगा। हमने हमारे राज के अन्दर उस किसान को 7 दिन के अन्दर पानी देने का काम किया है, 7 दिन के बाद फिर पानी देने का काम किया।

फिर अभी खड़े होंगे, मैं आपके ही उम्मीदवार के बारे में बताना चाह रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उसी उम्मीदवार के बारे में बताना चाह रहा हूं। वे भी उस वक्त नहरी इलाके में गये थे, लोगों ने कहा कि हमारे 7 रोजा बारी होनी चाहिए। इनको पता नहीं है, सांवरलालजी को पता थोड़े ही है, क्योंकि ये नहरी इलाके से नहीं आते; इनको पता नहीं कि एक रोजा, 7 रोजा,

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

10 रोजा, 15 रोजा क्या होता है। सरदार साहब को जरूर पता है, इनको पता है कि 7 रोजा बारी क्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपकी मार्फत कि उस वक्त इनके उम्मीदवार के सामने यह कहा गया कि आप जीतोगे तो हमारे सात रोजा बारी करना। (व्यवधान) आपकी बात नहीं है, आप नहरी इलाके में नहीं आते। उस वक्त में जो माननीय उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि वोट तो देओ, मुझे जिताओ तो सही और जीतने के बाद एक रोजा बारी कर दूंगा। अब एक रोजे में दो महीने बाद बारी आती है। यह हालत थे।

श्री अध्यक्ष: आप कितना समय लेंगे? प्रतिपक्ष के नेता, आप कितना समय लेंगे?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं, सदन की नेता से निवेदन करना चाह रहा हूं कि रावला और घड़साना के अन्दर जो हालात हुए, वे हालात वापस पैदा न हों, उसके लिए पहले से आपको जाकर कुछ सोचना चाहिए, उन किसानों के बीच में बैठना चाहिए। उन किसानों की समस्याओं के बारे में आपको जानने की जरूरत है और जानकर उन किसानों की समस्याओं का समय रहते आपको निवारण करने का काम करना है। नहीं तो, स्थिति इतनी भयंकर हुई थी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कितना समय और लेंगे?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): बस, अब थोड़ा सा है। सुनने में दिक्कत है क्या? कृषि और पशुपालन के बारे में बताना चाह रहा हूं। मैं एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिए। कृपया शांत रहिए। स्थान ग्रहण कीजिए। ये समाप्त करने ही वाले हैं, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कृषि और पशुपालन के बारे में बताना चाह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में पशु सबसे बड़ी धरोहर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसींद के माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पशुओं और खेती पर अपनी इकोनोमी टिकी हुई है। आज पशुओं के बारे में बताना चाह रहा हूं, हमने हमारे राज के अन्दर फ्लैगशिप योजना के तहत मिनखों की दवाई फ्री करने के साथ-

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

साथ पशुओं की दवाई भी फ्री की। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ठगोरी पार्टी है और

(17.00 बजे)

जनता के बीच में जाकर यह फ्री दवाई का इन्होंने सुरसुणा फेंका है, रेवड़ी बांटी है। यह नेताओं ने बीच में जाकर कहा। हमने उन आदमियों की दवाई फ्री करने का काम किया। मैं पूछना चाह रहा हूं आप सभी से कि पशुओं के कौन से वोट लगते हैं? क्या गाय, भैंस, बकरी के, भेड़ के वोट लगते हैं? हमने उनकी भी दवाई फ्री करने का काम किया, क्योंकि देश के अन्दर श्वेत क्रांति लाने की जरूरत है। आज जो एक डेयरी फार्मिंग की बात अपन कर रहे हैं, तो पशुओं की, इसी सोच के अनुरूप पशुओं की दवाई फ्री करने का काम हमने अच्छी सोच का परिचय देते हुए किया था।

मैं आपको यह बात कहूं, ये आंकड़े बहुत हैं, इसमें यदि बात करूं तो आप फिर उठोगे और फिर यह कहोगे कि आंकड़े आपके झूठे हैं। यह सरकार का जो डाक्यूमेंट है, इसमें कम्प्लीट आप अपने-अपने विभाग में जाकर देख लें कि हमने क्या किया था और आपने क्या किया था।

इसमें मैं दुबारा सड़क के बारे में माननीय मंत्रीजी को आपके मार्फत बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस वक्त में यह कहा था कि इनके राज के अन्दर न तो कोई पैच-वर्क हुए थे, न कोई नई रोड बनी थी, न इन्होंने कोई काम किया, न इन्होंने कोई रिनोवेट किया और एक किलोमीटर रोड इन्होंने नई नहीं बनाई। यह बात माननीय सदस्य और मंत्री महोदय के द्वारा भी कही गई थी। मैं उसमें निवेदन करना चाह रहा हूं आपको, सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में, कि इसमें 2008 और 2013, 2004 और 2008 के बारे में, सड़कों के निर्माण के बारे में समग्र व्यय जो हमने किया, उसमें हमने 13,049 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण पर खर्च किये और आपके द्वारा 2003 से 2008 के बीच में सिर्फ 9,157 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का काम, उसमें हमने 11,034 किलोमीटर किया था, मान्यवर, उसमें इनके द्वारा 9,445 किलोमीटर किये गये थे।

तो मैं यह कह रहा हूं, आप किलोमीटर की बात करें तो आज जो किलोमीटर की, अन्य जिला और ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण, उसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि हमने उसमें 26,492 किलोमीटर का काम किया, इनके द्वारा 14,164 का।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

तो और भी हैं। काफी धार्मिक स्थलों की हमने शुरुआत की। आप जो राम का नाम लेते हैं, राम के नाम से वोट लेकर आते हैं लेकिन उस राम को संभालने का काम हम लोगों ने किया। उस वक्त आपके धार्मिक स्थलों को हमने सड़कों से जोड़ने का काम किया। हमने 559 जो धार्मिक स्थल थे, हमारी जो धरोहर थी, हमारी उस धरोहर को और उन मंदिरों को जोड़ने का, 559 धार्मिक स्थलों को हमने जोड़ने का काम किया।

ढाई सौ से 449 की आबादी के गांवों को, उस आबादी को, 556 रोड्स, आपके उन गांवों को जोड़ने का काम किया। तो उस सड़क के बारे में, और भी कई रोड पड़ती हैं। तो गांव जो है, तो गांव, जो एक दूरी गांव की कम है और उसको ....

श्री अध्यक्ष: कितना टाइम और लेंगे आप?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पांच मिनट और लूंगा।

उसमें 15 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है। तो माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, उनमें भी आप चिह्नित करें और उन गांवों को, जो लम्बे समय से उनके सामने दिक्कत और समस्या है, उसका समाधान आप एक अच्छी सोच के साथ करें। (व्यवधान)

वित्तीय प्रबंधन की अपन बात करें, हमारा वित्तीय प्रबंधन भी कोई कम नहीं है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कितनी बार और लोगे, यह तो बता दो। (व्यवधान) सुनो, मैंने 17 हजार रुपये चन्दे की रसीद कटाई है, उसका हिसाब-किताब आज तक नहीं आया। रामजी के नाम से चन्दा इकट्ठा करके ले गये और कितने चुनाव लड़े आपने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राम की बात आ गई ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खींवरस के माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जो एक महत्वाकांक्षी योजना जो राजस्थान को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए हम ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना लेकर आए थे, उस परियोजना के अन्दर, जो बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में बात हुई, बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में माननीय सदस्य झोटवाड़ा, उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट वाएबल नहीं है; मेट्रो ट्रेन को फेल बता दिया। उस बाड़मेर रिफाइनरी को बिलकुल फेल बता दिया। तो उसमें विशेष निवेदन है कि राजस्थान की जनता के हितों को देखते हुए, हम एक बहुत ही मेहनत और कोशिश करके, हमने जो बाड़मेर की रिफाइनरी लाने का काम किया, आज यह बता रहे हैं कि 37 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है, आपने उसमें 56 हजार करोड़ रुपये लगा दिये। तो उसके विषय में भी मैं यह बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान की जनता के हितों की बात करें; राजस्थान के विकास की अपन बात करें तो ऐसे प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे और उसका दूरगामी फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा। इसलिए पूरा का पूरा वाएबल प्रोजेक्ट है और उसमें आप कोई छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि जनता के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह जो है, आज राजस्थान की उस रिफाइनरी पर अंगुलियां उठाने का काम कर रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूं, गुजरात सरकार की तरफ से, वेस्ट बंगाल के अन्दर टाटा जो आया, उस टाटा नैनो, जो प्रोजेक्ट लगाने का वहां काम किया, उस प्रोजेक्ट को जो वहां की सरकार...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसको पढ़ा हुआ मान लें न। अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लें। साहब, पौने दो घंटे।

श्री अध्यक्ष: हां, बस, वे समाप्त कर रहे हैं। आप विराजिए। बस, समाप्त कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पौने दो घंटे।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। बस समाप्त कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): आप तो सुधरने का समय मांग लो, कितना समय चाहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जो गुजरात के अन्दर टाटा नैनो के बारे में बात करना चाह रहा हूं, जो गुजरात में मोदीजी लेकर आए, जो आप मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हों, उन्हीं मोदीजी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। वे गुजरात के मुख्य मंत्री हैं और उन्होंने, गुजरात में जब नैनो टाटा का प्लांट आया, उस प्लांट के बारे में बताना चाह रहा हूं, अध्यक्ष

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

महोदय, उस प्लांट के बारे में, यह जो राजस्थान में बाड़मेर की रिफाइनरी है, यह तो वाएबल हो या न हो लेकिन उस गुजरात सरकार के बारे में ...

एक माननीय सदस्य: यह नाम नहीं ले सकते आप।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): नैनो प्रोजेक्ट लाने की, उन्होंने उस प्लांट को शिफ्ट करने के लिए सिर्फ मात्र, 7 सौ करोड़ रुपये उस टाटा को फ्री देने का काम किया, 7 सौ करोड़ रुपये। वह प्रोजेक्ट, टाटा का जो प्रोजेक्ट था, वह मात्र 2 हजार करोड़ रुपये का था, उस 2 हजार करोड़ के अन्दर, गुजरात सरकार ने उस टाटा मोटर्स को 11 सौ एकड़ जमीन दी जिसमें 725 एकड़ फैक्टरी...

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान से गुजरात की नैनो का क्या लेना-देना?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): लेना-देना तो, मोदीजी से आपका लेना-देना नहीं है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका बीच में क्या लेना-देना?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मोदीजी का, आपका कोई लेना -देना नहीं है? मोदीजी आपके हैं, आपके नेताजी हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आज के इस सदन में मोदीजी का कोई लेना-देना नहीं है। आप तो अभिभाषण पर बोलिए। राज्यपाल के अभिभाषण में आए हो ...(व्यवधान) यहां न मोदीजी हैं, न गुजरात है, और कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर बोलना है, गुजरात का क्या लेना -देना?

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं, एक शिकायत है नैनो के बारे में कि इस प्रोजेक्ट के बारे में 11 सौ एकड़ जमीन इन्होंने टाटा को दे दी।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): अध्यक्ष महोदय, ज्यादा मोदीजी का नाम लेंगे, तो पिछली बार ये धर्मेन्द्र के सामने लड़े, इस बार हेमा मालिनी को लड़ा देंगे, इनके सामने। लोक सभा की तैयारी कर रहे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। विराजिए। अब आप समाप्त कीजिए, प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 465 करोड़ रुपये, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) 11 सौ एकड़ जमीन किसानों की दे दी। किसानों से लेकर जमीन, यह जमीन ली इन्होंने 12 सौ रुपये वर्ग मीटर में। किसान से जमीन खरीद रहे हो और उस टाटा को 465 करोड़ में दे रहो हो। मतलब, किसान की, एक तो उसकी जमीन ले ली, उसको पूरे पैसे नहीं दिये गये हैं और पूरी की पूरी जमीन खरीद कर... यदि कोई भी प्राइवेट कम्पनी आती है तो खुद जमीन खरीद कर अपना प्रोजैक्ट लगाती है। (व्यवधान) एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि यह 2 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था, इस प्रोजैक्ट में आपने ...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में खतम कर रहे हैं। कृपया शांत रहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): जमीन दी गई अहमदाबाद के पास में; सौ एकड़ जमीन आपने बिलकुल फ्री टाटा टाउनशिप बनाने के लिए दे दी।

अब मैं बताऊं, अध्यक्ष जी, यह बहुत चौंकाने वाला फिगर है, आप जो है, इस गुजरात सरकार का 2008 का बजट था और बजट मात्र ...

श्री अध्यक्ष: आप चुप रहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): वह बजट मात्र 42,061 करोड़ रुपये का था और उसका टाटा को जो रिलेक्सेशन दिया गया, उसमें उस बजट का 23 प्रतिशत था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 प्रतिशत। उस 23 प्रतिशत से करीब 30 हजार करोड़ रुपये की उस टाटा को वे सुविधाएं, रिलेक्सेशन दे दिया।

आज मैं पूछना चाह रहा हूं आपके मार्फत से, अध्यक्ष महोदय, आज जो बाड़मेर की रिफाइनरी का हमने एच पी सी एल के साथ एग्रीमेंट किया, वह एच पी सी एल, वह भारत सरकार का उपक्रम है। इनकी नीति और नीयत में खोट है। मैं बताना चाह रहा हूं कि कहीं न कहीं, उस एच पी सी एल का जो एम ओ यू है, उसको खारिज करके और किसी प्राइवेट कम्पनी को, चाहे रिलायंस हो, चाहे और हो, उसको आप लाना चाह रहे हों। यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान की जनता से जुड़ा हुआ है, इस प्रोजेक्ट को आप एक अच्छे मन से जल्दी से जल्दी चालू करें जिससे कि राजस्थान की जनता का हित हो सके।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिये। अब समाप्त कीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अपराध की भी अपन बात करें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? आप बैठिये। प्रतिपक्ष से मुझे फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके भाषण में आप दखल दे रहे हैं। यह अफसोस की बात है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके नेता इसमें सक्षम नहीं हैं क्या, जो आपको बार-बार बोलना पड़ रहा है, धीरजजी?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है। मेरे पास में कई डिपार्टमेंट हैं पर आपका निवेदन शिरोधार्य है, क्योंकि आपका हमारे ऊपर पूरा स्नेह है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, दुबारा आप सबको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि 21वीं सदी में नया राजस्थान, विकसित राजस्थान हो, यह सरकार करे और श्रेय ले। हम अपोजिशन में सकारात्मक सोच के आधार पर अपना विरोध करेंगे और प्रदेश को 21वीं सदी में आगे बढ़ाने की कल्पना करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक यह कल्पना साकार नहीं हो, तब तक राज्यपाल महोदया द्वारा दिये गये अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव झोटवाड़ा (जयपुर) से आने वाले माननीय सदस्य, श्री राजपाल सिंह शेखावत ने रखा था और जिसका समर्थन शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक, श्री राव राजेन्द्र सिंहजी ने किया था, मैं और हमारी पार्टी की तरफ से इनका किसी भी हालत में समर्थन नहीं कर सकते। हम इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता ने जिस गम्भीरता और शालीनता से अपना वक्तव्य यहां रखा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं।

एक बार फिर आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि वक्ता जब बोलता है तो उसका एक प्रवाह होता है, प्रभावशीलता होती है, लेकिन जब उसमें बार-बार हस्तक्षेप किया जाए तो वह प्रवाह भी रुकता है और बोलने में आसानी नहीं रहती। मुझे अफसोस हुआ कि प्रतिपक्ष के नेता जब बोल रहे थे तो प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ही अगर हस्तक्षेप कर रहे थे, तो यह उचित प्रवृत्ति नहीं है। कई बार इनके भाषण को बाधित किया है।

अब मैं यह प्रांगण बहुत ही विनम्रता से सदन की नेता, श्रीमती वसुंधरा राजे को समर्पित करता हूं, जो मुख्य मंत्री हैं और आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि आप सत्ता पक्ष की ओर से इनके भाषण के बीच में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करें। यह मेरी विनम्र, विनम्र, विनम्र अपील है। सत्ता पक्ष की नेता को सुनें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के ऊपर मैं बहुत आभार देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों का मार्गदर्शन किया। महिला मुख्य मंत्री जब पहली दफा बनी थी, तब उस समय भी माननीय महामहिम राज्यपाल, महिला ही थीं। इस बार भी वही सुखद संयोग है और मैं यह विश्वास करती हूं कि आने वाले समय के अन्दर, हम दोनों मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण, उत्थान में कुछ काम कर पायेंगे।

यहां उपस्थित सब सदस्यों को मैं जनता के प्रतिनिधि के नाते बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं कि सब लोग अच्छी लड़ाई लड़े हैं और जीतकर अपनी जनता की आवाज को इस सदन के अन्दर उठाने के लिए यहां पहुंचे हैं। आप सबको मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, हम सबकी ओर से, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही प्रचण्ड और ऐतिहासिक बहुमत हमको मिला है। मैं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से जनता को आभार देना चाहती हूं, जिन्होंने अपना प्यार जताया, अपना विश्वास जताया और अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आपके द्वारा उनको धन्यवाद पहुंचाना चाहती हूं और मैं यह भी विश्वास उन सबको दिलाना चाहती हूं कि उनकी बातों के ऊपर हम सब खरे उतरेंगे, उनकी आवाज को ऊपर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके काम में कोई कोताही नहीं बरतने देंगे। यह विश्वास आपके द्वारा मैं उनको पहुंचाना चाहूंगी।

आभार और धन्यवाद मैं पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को देना चाहती हूं, सब पार्टियों के जो सदस्य बैठे हैं, जिन्होंने पिछले चार दिन की डिबेट के अन्दर, करीबन 80 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने भाग लिया और जिन्होंने पुरजोर तरीके से अपने क्षेत्र की बात, राजस्थान की बात को सदन में लाये।

राजस्थान का जो इतिहास है, एक स्वस्थ परम्परा है, एक सौहार्द्र, एक भाईचारा, एक समन्वय का वातावरण बनाने की हमने यहां राजस्थान में कोशिश की है, पर पिछले कुछ सालों से यह देखने को मिल रहा है कि सदन के बाहर और सदन के भीतर इसको ठोस नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसका साक्षी पूरा प्रदेश है, क्योंकि प्रदेश ने भी इसको देखा है, बड़े करीब से देखा है। कीचड़ उछालने की जो प्रवृत्ति, राजनीति के प्रतिशोध, आरोप-प्रत्यारोप और यह जो हमको देखने को मिला है, मैं समझती हूं कि वह अच्छी बात नहीं है। जनता के दु:ख को कैसे मिटाया जाए, इसके ऊपर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। परन्तु हमने यहां देखा कि हमारे प्रतिपक्ष को किस तरीके से दु:खी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किया जाए, वह पिछले पांच साल के अन्दर इस सदन के नेता ने करने की कोशिश की। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पिछले पांच सालों के अन्दर इतना कीचड़ उछाला गया, इतना कीचड़ उछाला गया कि मुझे यह सोच कर खुशी होती है कि जितना कीचड़ उछाला गया, उतने ही कमल खिले, पूरे राजस्थान के अन्दर कमल खिले। इसीलिए मैं बार-बार उस जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं जिसने इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों का साथ दिया।

पिछली सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया, वह सबके सामने है। हम लोगों ने क्या किया, और क्या नहीं किया, वह भी सब लोगों के सामने है। इसकी तुलना जनता ने अपने तराजू में करके उसका फैसला हम सबको सुना दिया और वह आप सबके सामने है।

अध्यक्ष महोदय, 13वीं विधान सभा में जो वातावरण पैदा हुआ है, वैसे फिर न हो, इसका मैं पूरा ख्याल करूंगी। भगवान ने सब लोगों को जुबान दी है, हम लोग भी बोल सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं परन्तु मैंने यह मान रखा है कि मर्यादा और शालीनता एक बहुत बड़ा आभूषण है और मैं निरन्तर उसे धारण करूंगी। इसलिए यह कोशिश रहेगी कि इस सदन के अन्दर हम सब की ओर से हम इस सदन की गरिमा रखने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे।

मैं पहले भी आप लोगों के सामने यह बात दोहरा चुकी हूं और फिर कहना चाहूंगी कि हमारा मंत्र है विकास का। हमने विकास में राजनीति नहीं की। हम यह कहना चाहते हैं कि राजनीति के अन्दर हम विकास के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि राजनीति के अन्दर विकास हो, उलटा नहीं। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि प्रदेश में बदले की राजनीति नहीं हो; हम चाहते हैं कि प्रदेश को बदलने की राजनीति जरूर हो। उसका विश्वास मैं करना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बदले की राजनीति हो रही है, नागौर कलेक्टरेट में। वहां पर हजारों किसान बैठे हुए हैं। बदले की बात करते हो! (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके वश की बात नहीं है। हनुमानजी, आपके वश की बात ही नहीं है, आप समझ ही नहीं सकते। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आपको सबको याद होगा, आपको याद होगा कि चुनाव की शुरुआत के पहले एक विज्ञापन का दौर चालू हुआ

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

था। अगर आप अख़बार के किसी पन्ने को पलटते तो एक बहुत बड़ा पोस्टकार्ड जैसा विज्ञापन आपको दिखता, जिसमें लिखा होता कि 'ऐसा पहली बार हुआ'। मैंने उसमें चैक किया तो करीबन साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये इस चीज पर खर्च हुए। आप लोगों के सामने मैं यह कहना चाहूंगी कि जनता ने भी पहली बार ऐसा करारा जवाब दिया, वह सब लोगों को पूरे राजस्थान के अन्दर मालूम पड़ गया है।

मैं यह बात भी कहना चाहूंगी कि ऐसा पहली बार हुआ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 81.5 परसेंट सीट्स मिलीं। अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा पहली बार हुआ राजस्थान के अन्दर कि इतना जोरदार बहुमत किसी पार्टी को मिला। यह ऐसा पहली बार हुआ, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक दो विधायक बनकर इस हाउस में आये। उनका एक भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही अल्पसंख्यक विधायक यहां जीतकर आये हैं। यह पहली बार इस राजस्थान के अन्दर हुआ है कि राजस्थान में एस.सी. की जो 34 सीटें थीं, उनमें से 32 सीटें हम लोग जीते और जीतकर यहां आये। अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है, राजस्थान के अन्दर, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार हुआ और विधान सभा के अन्दर, अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठापूर्ण पद के ऊपर आप माननीय इस कुर्सी पर आये। ऐसा पहली बार राजस्थान की जनता ने किया है और उनको मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि यह एक अभूतपूर्व चीज राजस्थान के अन्दर हुई है।

अब 156 की बात आपने कही, पर अब 163 के आगे जाना पड़ेगा। यह भी आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है और बिना काम के यह काम नहीं होता है, यह हम विश्वास रखते हैं। आते हैं लोग, जाते भी हैं लोग, परन्तु हमको सबको ध्यान रखने की जरूरत है कि जनता हमें देख रही है। हम लोगों को अपना पैर जमीन के ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम ऊपर उठने लगते हैं, वैसे ही जनता हम लोगों को छोड़ने का काम कर देती है।

राजस्थान की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अन्दर अपनी आस्था रखती है और इसीलिए जो जोरदार निर्णय उसने लिया, उसका संदेश बहुत दूर-दूर तक गया है। 13 दिसम्बर को जब मुख्य मंत्री पद की हमने शपथ ली, उस दिन मैंने पूरे राजस्थान को संदेश दिया कि हमारी सरकार सियासत की नहीं, सिद्धान्त की सरकार है और हम जनता की सेवा करने के लिए यहां चुनकर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आये हैं, वह सेवा हम लोग करेंगे। हमने पहली ही घोषणा के अन्दर यह कह दिया कि हमारी सरकार सादगी के साथ काम करेगी। अब कुछ लोग यह कहते हैं, यह 13 दिसम्बर की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने किन्हीं-किन्हीं लोगों से सीख ली, परन्तु हमें किसी लोग से सीख लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो भी सीख है, अध्यक्ष महोदय, वह जनता से आती है।

राजस्थान के दु:ख और तकलीफ को हमने अपनी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बहुत करीब से देखा है। 78 दिन की यात्रा थी, 14,500 किलोमीटर हम लोगों ने रास्ता निकाला था और आपने देखा, गर्मी भी थी, बरसात भी हुई, परन्तु ऐसे में हम लोगों ने 6-7 महीने चला-चलाकर इस कार्यक्रम को पूरा किया। लोग कितने दु:खी थे, वह भी हमको देखने को मिला। यह कोई यहां अपन बैठकर बात नहीं कर रहे हैं; जो आंखों देखा हाल है, उसका बयान आपके सामने हम कर रहे हैं। इतने सारे लोग क्यों दु:खी होकर हम लोगों के पास आयें? वे इसलिए आयें क्योंकि सरकार की गलत नीतियां थीं। मायूस सबके चेहरे थे, सब तरफ बेचैनी छाई हुई थी, सब लोग परेशान थे और आशा-भरी निगाहों से हम लोगों को देख रहे थे। उस आशा से, मैं तो मानती हूं, मुझे तो डर लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा आशा, इतना ज्यादा विश्वास, इतना होप कि भाई, आप लोग हमको इसमें से निकालने का काम करोगे; यह हमने उनकी आंखों के अन्दर देखा और उस परेशानी को देखने के बाद, हमने अपने मन में संकल्प लिया कि हमारी तरफ से, जितनी मजबूती के साथ हम मदद कर सकते हैं, उसमें हम कमी नहीं छोड़ेंगे।

अब कैसा राजस्थान बनना चाहिए और क्या-क्या भावी योजनाएं हम लोगों को सामने लाने की जरूरत है, हमने सब समाज, सब वर्गों से बात की और बात करने के बाद सुराज संकल्प पत्र सबके सामने रखा और पहले मंत्रिमण्डल के अन्दर ही उसको सरकारी दस्तावेज के रूप में माना और हमारे सामने वह रखा है।

हमारे पिछले घोषणा पत्र के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ कहा। मैं यह कहना चाहती हूं, बड़ा क्लीयर करना चाहती हूं, क्योंकि यह तो रिकार्ड का मामला है। यह कोई वाद-विवाद का मामला नहीं है। रिकार्ड है कि हमारी इतनी जो घोषणाएं थीं, उनमें से मुझे लगता है कि चार को छोड़कर, जिनमें से एक दिल्ली का काम था और तीन हम लोग मैनेज नहीं कर पाये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

थे, रेस्ट, पूरे के पूरे हम लोगों ने कम्प्लीट करके छोड़े। वह रिकार्ड का मामला है। इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

सुराज के बिना राजस्थान प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। यह आप भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं और इसीलिए सबसे पहले हमने अपने आफिसर्स, अपने कलेक्टर्स, अपने पुलिस अधीक्षकों, उन सबको बुलाकर, मंत्रिमण्डल के साथ बैठकर, जोरदार विचार-विमर्श किया और एक चरणबद्ध, समयबद्ध कार्यक्रम बनाया। एक 60 दिवसीय कार्ययोजना हम लोगों ने बनाई। हर विभाग को चिह्नित करके उसका लक्ष्य उसको दिया और काम की शुरुआत वहां से करवाई। नये राजस्थान की परिकल्पना, उसको साकार करने के लिए विजन-2020 का डाक्यूमेंट हमने बनाया, जिसको पूरी तरह से हम लोगों ने, सबने मिलकर डिस्कस किया।

67 साल निकल गये, अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के। इसके अन्दर, अगर आप आदरणीय भैरोंसिंह साहब के 10 साल छोड़ दीजिये और पांच साल मेरे वाले छोड़ दीजिये, तो यह मानिये कि 51 वर्ष पूरे कांग्रेस को मिले हैं। इन 51 वर्ष में राजस्थान की क्या स्थिति बनाकर रख दी है, वह सबके सामने है। एक तरफ आप गुजरात को देख लीजिये, 15 साल के अन्दर गुजरात कहां से कहां पहुंच गया; एक तरफ मध्य प्रदेश को देख लीजिये, छत्तीसगढ़ को देख लीजिये, 10 साल के अन्दर वे कहां से कहां पहुंच गये और एक तरफ आप यह देख लीजिये कि राजस्थान के 51 वर्ष निकल गये और हमारी जनता किस दु:ख और दर्द के अन्दर पड़ी हुई है, इस कांग्रेस की सरकार की वजह से। यह किसी से छिपी हुई नहीं है।

इसीलिए मैं सब लोगों को कहना चाह रही हूं कि ये जो मूलभूत सुविधाएं जो सरकार नहीं दे पाई, उन मूलभूत सुविधाएं को पिछले पांच वर्ष में, यानी 2003 से 2008 तक हम लोगों ने सब लोगों को देने की कोशिश की। यही मूलभूत सुविधाओं के बारे में, लोगों ने हमको सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर बार-बार चिह्नित किया। चाहे वह बिजली का काम हो, चाहे वह सड़क का काम हो, चाहे वह पानी का काम हो, रोजगार का हो, डाक्टर्स नहीं रहना, टीचर्स नहीं रहना, ये लगातार, जो भी यात्रा में थे, उन्होंने सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया। सब्र का बांध तो टूटना ही था। आखिर में हम महंगाई कितनी सहेंगे? भ्रष्टाचार कितना सहेंगे? जब ये मूलभूत सुविधाएं कोई हमको देने वाला नहीं है, जब कृषि के अन्दर कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है; अब

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आप देख लीजिये, मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर 13.33 प्रतिशत है और राजस्थान की कृषि विकास दर 0.25 प्रतिशत। अब आप बताइये, कहां जायेगा? हम लोग रोजगार के अवसर लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। अपने टाइम में 10 लाख लोगों की बात करके हमने सरकारी और गैर-सरकारी तरीके से नौकरी देने का काम किया, 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलीं। यहां कहा गया कि हम इतनी नौकरियां देंगे, परन्तु मैं समझती हूं, मुश्किल से हजारों की तादाद में नौकरी किसी को मिली है, तो बहुत गनीमत है।

आर्थिक ढांचा, क्या स्थिति करके छोड़ गये! पहले भी छोड़ गये थे। वह बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ठीक किया। अभी भी उसी तरीके से स्थिति बिगाड़कर छोड़ रखी है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी सब लोगों को कि हम लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में जादू नहीं है; हम भी सब मनुष्य हैं, हमें भी यहां आये हुए एक-डेढ़ महीना ही हुआ है, एक-डेढ़ महीने के अन्दर हम पूरी व्यवस्था को बदल नहीं सकते परन्तु हमने काम चालू कर दिया है, कोशिश जारी है हमारी और हमें विश्वास है कि आने वाले पांच साल के अन्दर हम उसको बदलकर छोड़ेंगे। परन्तु डेढ़ महीना हुआ है। हम भी वही बात कर रहे थे, जो आप आज वह बात कर रहे हैं। तो आपको तो वह समझ में आ रही है। वह व्यवस्था तो वही थी जो आप छोड़ गये हो। उसी व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि इसको बदलना है, तो हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, कोई एक पार्टी या कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है।

शुरुआत में ही मैंने पहले कहा कि बदलाव दिखाना है तो यहां शुरुआत सिम्पल चीजों से करें। सबसे पहले हमने कहा कि शहरों की सफाई शुरु कर दें, पुताई करा दें; अपने छोटे अस्पताल जैसे सी एच सी, पी एच सी, हमारे प्राइमरी स्कूल के बाथरूम ठीक करा दें। उससे कुछ फायदा हो जायेगा, लोगों को लगेगा कि हां, ठीक है। अगले 15 दिन के अन्दर तो ये तुरन्त ही काम हो सकते हैं। उसको लेकर हम लोगों ने काम शुरु किया।

अब यह कहना चाह रही हूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, 60 प्रतिशत रेगिस्तान है, ज्यादातर अकाल का प्रकोप है, इसको ध्यान में रखकर, विशेषज्ञों के साथ बैठकर हम लोगों ने जल संग्रहण और उसका किस तरीके से सदुपयोग हो, उसके लिए बैठकें कीं। सरस्वती नदी, जो विलुप्त हुई है, उसका भी काम हम लोगों ने शुरु किया है। जनता की सुनवाई के लिए गुड

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गवर्नेन्स एक्ट लाने की बात की। 'राजस्थान सम्पर्क' के द्वारा निश्चित समय के अन्दर हमने ब्लाक, डिस्ट्रिक्ट्स से लेकर ऊपर तक सिर्फ सुनवाई ही नहीं, लेकिन इश्यूज के निस्तारण करने की बात भी कही।

हम सबने यह तय किया कि अब सरकार जनता के पास जायेगी। अभी आप बात ही कर रहे थे, चौपाल की बात कर रहे थे, बिलकुल सही कह रहे हो, क्योंकि वहां जाना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम जयपुर में नहीं बैठे रहेंगे, जैसे दूसरी सरकारें करती हैं। हमने यह तय किया है कि हम लोग जायेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स पर जायेंगे, सम्भाग हैडक्वार्टर्स पर जायेंगे और यह सोचकर कि पिछली बार हमारा भरतपुर सम्भाग रह गया था, इसलिए भरतपुर सम्भाग से फरवरी के महीने में हम उस काम को चालू करने वाले हैं। पूरा मंत्रिमण्डल जायेगा, भरतपुर के अन्दर रहेंगे, वहां के चारों डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर घूमेंगे, उसके बाद वहां कैबिनेट मीटिंग भी होगी। वहां हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उनके छोटे-मोटे काम हैं, उनको हम समझकर उसको आगे बढ़ायें और जो काम, ऐसा लगता है कि वहां होने की जरूरत है, उसको अपने कार्यक्रम के अन्दर जोड़ने का काम करेंगे।

दिसम्बर, 2013 हमको जो राजस्थान मिला, उसकी विकास दर की जो मात्रा थी, वह पांच परसेंट थी। जो राजस्थान हमारे समय में विकास की दृष्टि से टाप टेन स्टेट्स के अन्दर था, वह अब निचले पायदान के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। मैं खुद यह नहीं कह रही हूं, मेरी बात नहीं है; यह जो बात मैं कह रही हूं, भारत सरकार की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट है, उसके अन्दर से बात कह रही हूं।

भ्रष्टाचार के मामले में इस पांच साल के अन्दर देश में हम पहले नम्बर पर आ गये; अपराध में हम देश में दूसरे नम्बर पर आ गये; महिला उत्पीड़न में हम नम्बर दो पर आ गये; आदिवासी उत्पीड़न में नम्बर दो पर आ गये; दलित अत्याचार में हम नम्बर एक पर आ गये। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह नेशनल क्राइम ब्यूरो कह रहा है। तो यह हमारी बात नहीं है। महिला साक्षरता, सबसे निचले स्थान पर आकर हम खड़े हो गये हैं। यह तो आपका रिपोर्ट कार्ड है। बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले पांच साल के अन्दर, जिसकी वजह से 163 को जिता कर जनता ने भेजा है। वह कुछ सोच-समझ कर ही किया होगा।

मैं यह कहना चाहती हूं कि कितनी भी परिस्थिति विषम हो और कितना भी प्रशासनिक ढांचा चरमराया हो, आज की स्थिति क्या है, पद है तो

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कर्मचारी नहीं; और है तो उसका सदुपयोग नहीं; उपकरण हैं तो जांच करने वाला नहीं है; योजना कागज में चल रही है, राशि खर्च हो रही है पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा; भर्ती कर ली तो मामला न्यायालय में जाकर अटका हुआ है। अब इतनी राशि हम लोगों ने खर्च कर दी है तो लोगों को सेटिसफाई होना चाहिए था। क्यों लोग इतने असंतुष्ट हैं? क्यों लोग इतने दुःखी हैं? और क्यों नौजवान भाइयों का जो हमारा है, उनका मनोबल टूटा है!

पिछले दिनों हमने जो अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठकें कीं, इसके माध्यम से जो प्रशासनिक अव्यवस्था है, उसकी एक भयावह तस्वीर निकल कर आई है। मैं अपना फर्ज समझती हूं कि इसके बारे में मैं सबको आगाह करूं; पर इसके साथ-साथ, प्रदेश की जनता को यह भी मेरा वादा है कि इस अव्यवस्था को मैं जल्दी दूर करूंगी और सकारात्मक पहल में, आर्थिक संसाधनों की, जितने की भी जरूरत पड़ती है अच्छे काम के लिए, उसमें कोई कमी नहीं रहने दूंगी। यह भी मैं आप सब को विश्वास यहां दिलाना चाह रही हूं।

2003 के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, हम सरकार में आये थे, तब यह प्रदेश 'बीमारू' कहलाया जाता था। आते ही हम लोगों ने मेहनत करके पहले ओवरड्राफ्ट खतम किया; उसके बाद वेज एण्ड मीन्स में एडवांस जो था, वह खत्म किया; उसके बाद, रेवेन्यू डेफिसिट, जो चौदह साल से चल रहा था, उसको खतम किया, फिस्कल डेफिसिट, वह तीन परसेंट आफ जी एस डी पी पर लाकर छोड़ दिया और हमारे पुराने शासनकाल के अन्दर, 2006-07 में करीबन 638 करोड़ और 2007-08 में 1,652 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस बनाकर हम छोड़ कर गये।

गत सरकार द्वारा कुछ माह पहले एक बहुत बड़ा विज्ञापन निकला, वह करोड़ों रुपये खर्च हुए उसके ऊपर भी, दो करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ है और कहता है वह, कुशल वित्तीय प्रबंधन; ऐसा करके एक बहुत बड़ा एड निकला था। मालूम नहीं, आप लोगों को याद होगा। मैं यह कहना चाहती हूं इसमें कि पिछली सरकार ने जिस गैर-जिम्मेदारी के साथ यह वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग किया है, अध्यक्ष महोदय, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता को सालों-साल के लिए भुगतना होगा और कुशल वित्तीय प्रबंधन तो छोडिए, अध्यक्षजी, पिछले पांच वर्षों के अन्दर शासन का इतिहास वित्तीय कुप्रबंधन की मिसाल के रूप में देखा जायेगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं यहां यह कहना चाह रही हूं, थोड़ा सा ब्रेक-अप बता दूं, जो इन्क्रीज आफ डैट है 2008-09 से 2013-14, स्टेट गवर्नमेंट में जो हम लोगों को मिला था मार्च 2008 के अन्दर, वह था 77,138, इनके समय के अन्दर वह 1,31,484 के ऊपर पहुंच गया है, डैट। जो लोन आफ पावर यूटिलिटिज था, वह हमारे टाइम में करीब 15 हजार करोड़ था और थोड़ा सा उसके पहले का था, उसको जोड़ कर करीबन 23 हजार करोड़ था, उसको 95,704 करोड़ तक ले गई है पिछली सरकार। अब जो यह स्टेट गवर्नमेंट का डैट है, वह 70 परसेंट तक बढ़ा है और यह जो लोन आफ पावर यूटिलिटिज है, वह 300 परसेंट बढ़ा है। थ्री हण्ड्रेड परसेंट! राजस्थान रोडवेज के अन्दर जो लोन और डैट वगैरह थे, वह 149 करोड़ है, आपके, 857 करोड़ तक आपने उसको पहुंचा दिया; 450 परसेंट! मैं तो यह कहना चाहूंगी कि वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2013 में कर्ज भार दुगना हो गया। 1,01,182 से 2,28,055 करोड़ पर हम पब्लिक डैट को ले गये हैं, यह आपने बहुत अच्छा काम अपने पिछले पांच वर्षों के अन्दर किया है।

आखिर यह कर्ज का इतना सारा पैसा गया कहां? कोई तो बतायेगा। कहीं तो दिखेगा। क्योंकि कर्ज अगर लिया जाता है तो कोई तो परिसम्पत्ति बनती है, कुछ तो दिखाई देगा। राजस्थान के अन्दर इतना पैसा आपने लिया है तो गया कहां?

पिछले पांच साल में वित्तीय प्रबंधन की यह स्थिति रही कि 2007-08 का जो फिस्कल डेफिसिट था 3,408 करोड़, वह बढ़कर 10,203 करोड़ रुपये हो गया और अगर वह जो आप प्रेरित होकर, जो आनन-फानन में लागू कर दी थीं योजनाएं, उनको भी अगर जोड़ दें तो वह 18 हजार करोड़ रुपये; एडिशनल अथाराइजेशन, कमिटेड लायबिलिटिज को अगर जोड़ दिया जाय तो fiscal deficit will go upto 28,052 crores. सिम्पल मैटर, ज्यादा नहीं है?

इसी तरीके से, मैं मेट्रो के बारे में थोड़ा-सा आपको कहना चाहूंगी। यह मेट्रो के बारे में आपको लगता है कि आपका ही बहुत अच्छा आइडिया था? यह तो हमने भी उसके बारे में सोचा था। दिल्ली का मेट्रो शुरु हो गया था। जो भी सरकार में आये थे 2003 के अन्दर, तो हमने यह सोचा कि भई, मेट्रो यहां लग सकती है, तो हम इसके बारे में पूछेंगे। यही मिस्टर श्रीधरन से हम लोगों ने बात की 2004-05 के अन्दर और उन्होंने हमको यह कह दिया कि 2025 तक this is economically unviable. इसके बावजूद भी सरकार ने 11,732 करोड़ रुपये की जयपुर मेट्रो परियोजना को प्रारम्भ किया और कितने के लिए,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फर्स्ट फेज के अन्दर 11 किलोमीटर; 11 किलोमीटर के ऊपर, you are going to spend 3,400 crores of rupees. मैं यह पूछना चाहती हूं, और यह आश्चर्य का विषय है कि everywhere else, जहां भी यह हुआ है, वहां यह पी पी पी मोड पर कार्य हुआ है; यहां राजस्थान की सरकार ने अपने संसाधन लगाने का काम किया है। यह क्यों नहीं पी पी पी माडल पर किया गया? मुझे समझ में नहीं आता। इतनी जल्दी थी। और मैं यह और बताऊं आप लोगों को कि अगर 3,400 करोड़ रुपये हमने लगा लिए होते तो इससे करीबन 110 से ज्यादा फ्लाई-ओवर बन जाते और 5 हजार किलोमीटर और रोड लिंकेज हो जाता। कहां वह है, कहां 11 किलोमीटर मेट्रो का 3,400 करोड़ रुपये का, विदाउट पी पी पी मोड, आप लोग यहां करने जा रहे हैं! इस पर कोई सोच करेगा कि नहीं करेगा?

और फिर, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह तो हैरिटेज सिटी है, टूरिज्म के लिए यहां लोग आते हैं, देखना चाहते हैं पिंक सिटी को, इसकी स्काई-लाइन फेमस हो गई है और यहां आप लोगों ने ऐसे बड़े-बड़े, पिलर और ऐसे बड़े-बड़े, वह फ्लाई-ओवर खड़ा कर दिया है जिसके ऊपर से यह मेट्रो जायेगी, कि जयपुर सिटी के अन्दर कोई सड़क के ऊपर खड़ा होकर ऊपर देखे तो you can’t see the sky. ऐसी सिटी बना दी है।

और भी, एक बात और है, अगर यह मान लें, आपकी यह फर्स्ट फेज में जो चल जाती है तो यह ऐसे नहीं चलेगी, चल पड़ेगी तो पचास करोड़, 50 crores of rupees per year is the running cost only. मतलब इस तरीके से, इतने सोच-विचार के साथ काम हुआ है।

फिर गत सरकार का वित्तीय प्रबंध, जो इतना है कि जे डी ए, जो ज्यादा कभी रैड में आता नहीं है, यहां सैलेरी देने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहां से हमने पैसे निकाल-निकाल कर मेट्रो को दिये हैं। इसी तरीके से, आर एस एम एम ऐसी संस्था है जहां हमेशा प्रोफिट रहा है, 150 करोड़ रुपये तक आपका प्रोफिट जाता है। यह पूरा प्रोफिट निकाल करके आप लोगों ने अपने-अपने दूसरे प्रबंधन के अन्दर खर्चा कर दिया है, जो कभी होता ही नहीं है और ना किसी को करना चाहिए। You can not have the freedom, यह करने के लिए।

फिर आऊं मैं रिफाइनरी पर, आप रिफाइनरी के बारे में बहुत नेचुरली इंटरेस्टेड हो, जब भी कोई फैक्टरी लगती है तो जो दोनों अगर पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में होता है तो कोशिश यह होती है कि भई, फायदा दोनों का हो।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नहीं तो पार्टनरशिप क्यों हो? यह देश के अन्दर सम्भवत: पहली रिफाइनरी है, अध्यक्ष महोदय, जिसमें किसी राज्य सरकार द्वारा इतनी भारी राशि देने का निर्णय हुआ है। अब आप देखिए, घाटे का सौदा। जमीन आपकी 12 हजार करोड़ रुपये, तीन सौ, चार सौ करोड़ तो वही होगा; तेल आपका, उसका पेमेंट आपको आ रहा है 3,700 करोड़ रुपये, वह आपने तय कर दिया है कि विदआउट इंटरेस्ट लोन आप देने जा रहे हैं, 3,700 करोड़ रुपये, 4,000 हजार करोड़ रुपये आप उसको देने जा रहे हो वापस। The total amount of loan over 15 years without interest is 56,040 crores of rupees. जो आपकी रिफाइनरी की कास्ट है, that is 37,229 crores of rupees. तो यह घाटा नहीं हुआ, सौदे का? पूरा घाटा हुआ है। मैं यह कह रही हूं कि जमीन आपकी, तेल आपका, पैसा भी आपका और आप बने, 26 परसेंट खाली उस कंपनी के शेयरहोल्डर हुए। ओनली 26 परसेंट! इतना सब कुछ देने के बाद? अब इसका तो अपन छोड़ दें, यह तो बहुत बार आप लोगों ने कर ली है, इश्यू तो यह है कि अभी रिफाइनरी लगाने के साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में केयर्न इण्डिया से सम्बन्धित विचाराधीन तेल के सेल पाइन्ट के ऊपर विवाद चल रहा है। यह वर्तमान में उसकी अभी हमको जो राशि प्राप्त होती है, हमको वैट की भी एडिशनल राशि मिल जाती, अगर यह केस अच्छी तरह से सुलझ जाता है। परन्तु लग ऐसा रहा है कि इनके बीच में नूरा-कुश्ती चल रही है। कौन इसका बेनिफिशियरी है, यह नहीं मालूम; परन्तु सर्टेनली राजस्थान स्टेट बेनिफियशरी नहीं है। यह है केयर्न की स्थिति।

अब आप आ जाओ ऊर्जा पर। मुझे नहीं मालूम, कहां मैं ऊर्जा पर शुरु करूं? आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग फिगर्स दे दी हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कि कैसे उनको रिफ्यूट किया जाए? परन्तु यह है कि आपकी सरकार तो आपके अपने पूरे पांच साल के अन्दर पूरी तरह से इस बिजली के तंत्र में नाकाम रही। मैं वहां से शुरु करती हूं पहले। हमने पिछली बार 1 हजार 560 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जो है, उसको सृजित किया और राज्य क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु 1 हजार 70 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हम लोगों ने शुरु कीं। आप देखेंगे कि जो भी ये परियोजनाएं हैं, चाहे वह गिराल लिग्नाइट हो, चाहे वह छबड़ा वन-टू हों, चाहे वह कोटा हो, चाहे सूरतगढ़ हो, चाहे वह छबड़ा थ्री एण्ड छबड़ा फोर हों, चाहे वह रामगढ़ वैस्ट, दोनों हों और चाहे वह कालीसिंध हो, ये सब तो हमारे टाइम में स्टार्टेड हैं, जिनमें से पांच करीबन आलरैडी लाइन पर आ गये हैं और जिनमें से अभी, मतलब, डिले में चल रहे

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हैं। मैं इसीलिए, सब लोग जानना चाह रहे थे कि कौनसा ऐसा एक प्लांट है। जिसको पिछली सरकार ने चालू किया हो, जिसको हमको अपनी विरासत में छोड़ा हो। वह नाम ही बता दें तो हम खुश हो जाएं।

इसमें एक और बात हुई है। अध्यक्ष महोदय, आप देखो कि अपने नेताओं को कितना खुश सब लोग करना चाहते हैं, परन्तु उसकी भी हद होती है। गत सरकार को यह कालीसिंध दिखा, यह इलेक्शन के टाइम की बात है, इलेक्शन के अन्दर राहुल गांधीजी को बुलाकर के उसका उद्घाटन करना था, जल्दबाजी थी, क्योंकि यह कार्य यहां कालीसिंध का पूरा ही नहीं हुआ है, तो तेल बाहर से लाया गया, टर्बाइंस फायर किये गये, चार दिन तक यह चला। Only 4 days! And now it is lying closed. यह तो आप कह रहे हो, कालीसिंध का, यह स्थिति है, सिर्फ चार दिन। खाली यह दिखाने के लिए राहुल गांधीजी को कि हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं राजस्थान के अन्दर। राहुल गांधी को मालूम न पड़े कि यहां स्थिति क्या है, यह इन्होंने नाटक किया है और वह है झालावाड़ में ही, तो वह तो मेरी नाक के नीचे ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई बहुत दूर जाने की पड़ रही हो।

अब यह जो नार्मली सिंक्रेनाइजेशन होता है, हम लोग, जब प्लांट्स खड़े हो जाते हैं, उन पर बिजली का उत्पादन हो जाता है तो हम कोशिश यह करते हैं कि साइड-बाई-साइड प्रसारण तंत्र भी खड़ा हो जाए, ताकि उसको इवैक्युएट करने का काम भी हम लोग कर सकें। अब आप देखेंगे कि प्रसारण तंत्र तो बढ़ता गया, परन्तु उत्पादन नहीं हुआ। हम यह पूछना चाहते हैं कि इतना सारा पैसा, करीबन 22-25 हजार करोड़ रुपया जो लगा, इस प्रसारण तंत्र को बनाने में, यह कहां गया, किसके पास गया और किसके लिए वेस्ट हुआ? जब आपके पास बिजली नहीं थी उसमें से पास करने के लिए, तो इस प्रसारण तंत्र को खड़ा करने से आपको फायदा क्या मिला?

यह होता है समयबद्ध कार्यक्रम मानिटरिंग। हम लोगों ने पिछली सरकार के अन्दर भी और इस टाइम भी बिजली की मानिटरिंग को प्रायोरिटी दी है। क्योंकि कुछ प्रोमिसेज हमने किये हैं और जब हमने छोड़ा था तो फर्स्ट टाइम 8 हजार करोड़ रुपये का फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम हमने चालू कर दिया था। छीजत जो करीबन 32 प्रतिशत हो गई थी, या उससे ज्यादा थी, उसको हम 20 प्रतिशत तक ले आये थे और सबको कह दिया था कि जो-जो लोग 20 प्रतिशत से नीचे आ जाते हैं, उनको 24 आवर्स सिंगल फेज की बिजली

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हम देंगे। वहां से सिंगल फेज की बिजली हमने चालू की। फोर-द-फर्स्ट-टाइम-इन-राजस्थान-हिस्टरी बिजली सिंगल फेज की अलग से हमने घरों के अन्दर देने का काम शुरु किया। मैं यह मानती हूं कि वह सक्सेसफुल रहा। परन्तु हर चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए मानिटरिंग करने की जरूरत है। अगर मानिटरिंग नहीं करेंगे तो वह तंत्र वैसे ही गिर के खतम हो जाता है। इसीलिए यह फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत हमने 36 हजार गांवों से ज्यादा को निकटतम शहर के समान बिजली देने का काम किया और यह ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग तो काल सेंटर्स रखकर के रेगुलरली लोगों से बातचीत करके, हमारे सरपंचों से बातचीत करके फीडबैक लेने का काम करते थे। हमारे सब अधिकारी जानते भी हैं कि कोई हमको ऐसा लिखकर के नहीं दे सकता था कि पांच सौ हमने कर दिये। इतनी स्ट्रिक्ट मानिटरिंग हुआ करती थी।

परन्तु अब क्या हुआ है, ट्रांसफार्मर्स, केबिल्स, इन सबका किसी का रख-रखाव नहीं हुआ है। 33 के वी सब-स्टेशनों की फीडर मीटर प्रणाली जो है, वह पूरी तरह से तहस-नहस हो गयी हैं; जो सर्किट-ब्रैकर्स लगने चाहिए थे, वे सर्किट-ब्रैकर्स नहीं लगे हुए हैं; जो रोस्टर-स्विचेज की प्रणाली, वगैरहा थी, वह पूरी तरह से खतम हो चुकी है। तो इतना जोरदार कुप्रबंधन रहा है कि यह पूरा बिजली तंत्र उसका शिकार हो गया है।

अब उसको पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा करना और लोगों को उस हिसाब से ढाणियों के अन्दर लाइट दिलवाना, सिंगल फेज की बिजली को उन तक पहुंचाना और सिक्स सिक्स-एण्ड-ए-हाफ आवर्स, सेवन आवर्स तक फार्म हाउस की बिजली उनको देना, यह कोई आसान काम नहीं होगा। परन्तु हम लोग मिलकर उसको करने की कोशिश करेंगे, जितना बिगाड़ा हुआ है उस बिगाड़ा को सुधारने की कोशिश करेंगे और फिर उसको आगे ले जाकर के ठीक करने की कोशिश करेंगे।

मैंने यह भी कहा अपनी इस यात्रा के अन्दर कि वी सी आर के माध्यम से किसानों से वसूली की गई जो अनियमित राशि है, उसकी जांच करेंगे। हमने इंटरनल आडिट को बिठाने का काम कर दिया है और मैं मानती हूं कि इस राशि का समायोजन आगामी बिलों के अन्दर कर दिया जाएगा। अब इस प्रक्रिया में समय लगेगा, आप मेरे को, कल जब मैं हाउस से निकलूंगी, मत कहना, क्या हुआ उसका? क्योंकि उसके लिए समय लगेगा, हर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चीज के लिए समय लगता है, परन्तु मैंने यह कह रखा है कि सभी पीड़ित पक्षकारों को राहत प्रदान करने का काम हम लोग अवश्य करेंगे।

अब आप सड़क पर आ जाइए। सड़क का तंत्र जो है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने उस हिसाब से नहीं कहा था; नहीं, उस हिसाब से नहीं कहा था मैंने।

2000 में आपकी बिजली की कंपनियां गठित हुई थीं। 2003 में हमारी सरकार जब आई थी, 2008 में हम लोग पैसा, जिसका जितना लोन रह गया था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और जो मुख्यमंत्री-सबके-लिए-बिजली-योजना थी, जो बंद कर दी आप लोगों ने; इलेक्शन के तीन महीने पहले 1 लाख 50 हजार एप्लिकेशंस ले तो लीं परन्तु यह जानते थे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश हुई है और वह जनता ने जो आपको अच्छा जवाब दे दिया है, वह देखने को मिला है। बड़ी-बड़ी बातें जब होती हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, तभी ये इक्कीस सीट पर आना पड़ता है। अपने को यह सोच लेना चाहिए कि अपन उतना ही कहें, या उतना ही करें, जो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो भी किया है, उसको सीमित तरीके से जनता तक पहुंचाने की बात हमने रखी है और हम उसको, कोशिश करेंगे, जनता के पास लाएंगे।

गत बार हम लोगों के कार्यकाल में सड़क के तंत्र में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से हम लोगों ने 1 हजार 53 किलोमीटर की लम्बाई के नार्थ-साउथ मेगा हाईवे का निर्माण किया था और यह भी एक पी पी पी में रिडकोर कंपनी बनाई थी हमारी आई एल एन एफ एस के साथ और उसके द्वारा हम लोगों ने मेगा हाईवे का काम किया था। अब हम लोग ईस्ट-वैस्ट मेगा हाईवे बनाने की फिराक में हैं।

अभी जो तुलनात्मक व्यय है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। वर्ष 2003 और वर्ष 2008 तक जो हमने पैसा खर्च किया है, वह 5 हजार 153 करोड़ थे और हमने जो लम्बाई बनाई, वह 36,271 किलोमीटर थी और गांव जो हमने जोड़े, वे करीबन 9536 गांव थे। वर्ष 2008 से 2013 तक जो पैसा खर्च किया गया, वह 2,699 था और जो लम्बाई थी किलोमीटर में, वह 11,447 थी और जो गांव जोड़े गये थे, वे 1,378 थे। अब बताइये, इतना ही काम हुआ है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मैं 14 हजार किलोमीटर जो चली हूं, जो सड़क की हालत है, वह सबके देखने लायक है। बिलकुल ऐसे रोड्स बने हैं, गांव के लोगों ने बताया भी कि साहब, आप आगे चलते जाओगे तो लग रहा है कि अच्छी सड़क बनी है, पर पीछे से वह उखड़ती जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर खाली पेवर का ही लगा दिया गया है, यह बरसात में रुकेगी नहीं। यह तो लोगों का कहना था।

अब हमने यह तय किया है कि जो पंचायत समितियां हैं, उसमें सबसे बड़ा गांव जो है, वह प्रथम चरण में दस हजार और इससे अधिक आबादी की ग्राम पंचायत को मुख्यालय से जोड़ने का काम हम सड़क का करेंगे और वह 'ग्रामीण गौरव पथ' योजना के तहत उसको जोड़ने का काम हम करेंगे। पहले हमने यह 'गौरव पथ सिटीज' के अन्दर किया था, परन्तु अब इस 'गौरव पथ' को हम गांव में ले जाने की कोशिश करेंगे। एक लेन का जो मुख्य जिला सड़कों का काम है, उसको क्रमोन्नत करके राज्य राजमार्ग घोषित करके और उसको चौड़ा करने का, सुदृढ़ीकरण करने का हम काम करवाएंगे। आगामी साठ दिवस के अन्दर, जो पूरी डामर सड़क है, करीबन 56,000, उसमें पहले तो पैच मरम्मत कार्य का सत्यापन करेंगे और उसके बाद 6,000 किलोमीटर लम्बाई में पैच मरम्मत कार्य को पूर्ण करने का काम करेंगे।

जहां तक पेयजल का सवाल है, वहां अब आपने बहुत सारी बातें रखीं, तो मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि हनुमानगढ़ के अन्दर, क्या आपको मालूम है, कई नहरों का पानी हरियाणा जा रहा था? और पिछले पांच साल से जा रहा था। लम्बी-लम्बी पाइपलाइनें हैं जो अंडरग्राउंड चलती हैं और हरियाणा तक जाकर अपना पानी डालती हैं। इन सबको अब ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं।

आपको मैं याद दिला दूंगी कि 2003 के अन्दर, जब हम पहली दफा आये, तो बहुत सालों बाद आई जी एन पी कैनाल की रिपेयर और डिसिल्टिंग का काम हम लोगों ने किया और हम उसके लिए जो मशीन लाये थे, जो डिसिल्टिंग के लिए बड़ी-बड़ी मशीनें थीं, क्रेन्स थीं, उनका मैंने पता किया कि पिछले पांच साल में क्या हुआ, क्योंकि अभी फिर सिल्ट आ गया, तो यह कहा कि साहब, पेट्रोल और डीजल के अभाव में हमने इनको चलाया ही नहीं। इतने महंगे उपकरण वैसे ही आपने रख दिये हैं बिकाज आपके पास डीजल और पेट्रोल नहीं था। क्या हालत थी सरकार की! एक तरफ तो इतना पैसा खर्च हो रहा था और दूसरी तरफ हमारे पास पैसे नहीं थे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसी तरीके से, नर्मदा के अन्दर, कितने सालों बाद, 600 करोड़ रुपये देने के बाद, गुजरात से पानी लाने का काम हम लोगों ने किया और काफी दूर तक उस पानी को बूंद-बूंद फव्वारा सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। वह आप सबके सामने है।

नागौर का काम आपने बताया, अब इसका मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूं क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं कि पहले परिवर्तन यात्रा के अन्दर जब नागौर में आयी थी तो मैंने नागौर के वासियों को यह कहा था, सबने कहा था कि हिमालय का पानी आप पिलाओगे तो हम मानेंगे, हम लोगों ने हिमालय का पानी, आई जी एन पी से पानी लेकर सीधे नागौर तक लाने का काम किया। 2,700 करोड़ की यह बहुत बड़ी योजना थी और फर्स्ट फेज में नागौर को पानी पिलाने का काम हम लोगों ने तय किया था, हम ले आये थे वहां तक। पांच साल के अन्दर, ये जो पांच सौ गांव इसके आजू-बाजू थे, उनको ही पानी पिला दिया होता तो मैं समझती हूं कि बहुत अच्छी बात होती। परन्तु चुनाव में सोनिया गांधीजी को लेकर आये और सोनिया गांधीजी से वहां इन्होंने कोई पत्थर लगवाया, मैदान के अन्दर पत्थर लगवाया। आज वह पत्थर गायब है, कोई उठा कर वह पत्थर भी ले गया। न तो टंकियां बनी हैं, न पाइपलाइन्स लगी हैं। वह तो बनना तो है ही नहीं। वह खाली, जिस तरीके से वहां राहुल गांधी को किया, यहां सोनिया गांधीजी को करने का काम किया और इस वजह से हम नागौर में इतने अच्छी तरह से जीते हैं। वह आपको सबको देखने को मिला है। क्या है कि, कभी-कभी जितना भी हम लोगों के सामने बातें करते हैं, तो सब लोग, जो सच्चाई है, उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं।

इसके साथ-साथ, करीबन बाइस ऐसी परियोजनाएं थीं, जिनका खाली मैं चलते में नोट करूंगी, बाइस परियोजनाएं ऐसी थीं जिनके अन्दर 3,184 करोड़ रुपये व्यय होने के बावजूद भी, उन परियोजनाओं को ये अपने पांच साल में पूरा कर ही नहीं सके।

अब हम लोगों ने एक अभिनव प्रयास किया है, अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने साइंटिस्टों के साथ, विशेषज्ञों के साथ बैठ करके, आगामी क्या हम पानी का करेंगे, उसके बारे में हमने सोचा है। यह शोर्ट टर्म से कोई मतलब हम लोगों को मिलता नहीं था, यह तो थोड़े दिन के लिए हम लोग पानी निकाल लेते हैं हैंडपम्प के द्वारा, परन्तु वह पानी फिर सूख जाता है, फिर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फ्लोराइड हो जाता है, फिर सेलाइन हो जाता है। इसलिए एक लोंग टर्म सोल्यूशन इसमें क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने बैठ कर सोचा था और यह तय किया कि पहले पायलट प्रोजेक्ट के अन्दर माही बेसिन और चम्बल रिवर बेसिन को हम लेंगे और उनका पूरी तरह से मैपिंग करके, उसके अन्दर चैक डैम्स, कैचमेंट, ट्रीटमेंट्स एंड टैंक्स बनाने का काम करेंगे ताकि वाटर स्टोरेज भी हो, गर्मी में पानी कम न हो, ग्राउंड-वाटर ऊपर आ जाए, नदी और नाले पुनर्जीवित हो जाएं और वाटर ग्रिड का निर्माण सम्भव हो। ऐसे 12 हमारे रिवर बेसिन्स हैं, जिनमें से सात रिवर बेसिन्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत मजबूत हैं और जिनको हम आगे ले जा सकते हैं, इस तरीके से। जब ये सब रिवर बेसिन्स हमारे कम्प्लीट हो जाएंगे, वाटर ग्रिड के तौर पर अगर ये एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ग्राउंड-वाटर पुनर्जीवित होना, इस नदी-नाले का वाटर ग्रिड का निर्माण होना; सेलाइन एंड फ्लोराइड वह तभी होता है जब पानी बिलकुल नीचे चला जाता है, वह समस्या समाप्त हो जाएगी और अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा, इर्रिगेशन की इंटेंसिटी बढ़ेगी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। यह सोच करके हमने एक बहुत ही अभिनव प्रयास यह चालू किया। इसको हम लोग अब ये बेसिन्स के अन्दर ट्राई करेंगे और यह काम अच्छी तरह से चल जाएगा और मुझे लगता है कि चलेगा, तो हम दूसरे बेसिन्स के अन्दर भी इसको ले जाने का काम करेंगे और राजस्थान की जो पेरेनियल प्रोब्लम है, पानी की, उसको बहुत हद तक खतम करने की हम कोशिश इसके द्वारा करेंगे।

इसके साथ-साथ, रोजगार हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और हम लोगों ने अपने समय में 'आरमोल' करके एक यूनिट का गठन किया था, जिसका नाम, राजस्थान मिशन आन लाइवलीहुड। इसके द्वारा हमने युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, इस 'आरमोल' को खड़ा किया और यह इतना अच्छा प्रयास था कि केन्द्र सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 'राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन' का नाम देकर उसकी स्थापना की, 2008-09 के अन्दर। गत सरकार ने, अब वह तो क्या है कि बी जे पी की सरकार ने जो भी काम किया था, उसको तो खतम करना है, चाहे उसका नाम बदलना है, चाहे उसको डिले कर देना है, चाहे कुछ भी कर लो, उसको नहीं करना है, चाहे वह जनता के लिए अच्छा हो। नार्मली क्या होता है कि सरकार एक दूसरे को बैटन पास बड़े स्मूथली

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करती है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे एक पार्टी की हो या दूसरी पार्टी की हो, यह जरूरी होता है कि जनता को ध्यान में रखते हुए, हम लोग आराम से एक दूसरे को पास-आन कर दें। ये मेरी योजना या तेरी योजना नहीं है, यह हम सबकी योजना है और अगर अच्छी योजना है तो इसमें कोई शर्म नहीं है, जनता तक ले जाने में और उसको आगे बढ़ाने में।

इसीलिए मैं यह कह रही हूं कि 'आरमोल' एक ऐसी योजना थी जिसको सब लोग मानते थे। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है, तो हमारी सरकार ने क्या किया, उसका नाम बदला और उसका नाम दिया 'मिशन आन स्किल एंड लाइवलीहुड'। फिर उसके बाद, उसके अन्तर्गत एक और 'राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डवलपमेंट कारपोरेशन' यानी एक निगम और बना दिया, जिसके अन्दर मुख्य मंत्री का भी रोल रहता है, परन्तु इसकी आज तक एक भी बैठक नहीं हुई। तो फिर फायदा क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आता है।

यह मिशन क्योंकि 'आरमोल' के नाम से पूरे राजस्थान के अन्दर पहचाना जाता है, इसलिए हमने तय कर लिया है कि इसका नाम फिर से वह ही 'आरमोल' रहे और इसके द्वारा, 2005-06 दिसम्बर से 2008 तक, करीबन 1,461 कार्यक्रम हम लोगों ने पूरे करके करीबन 35,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके आगे बढ़ाया था। अब गत सरकार ने 2012-13 और 2013-14 में पांच लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, इन दो वर्षों में पचास हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षण तो दिया है परन्तु इसमें मात्र 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया। पिछले एक माह हमने 6,412 युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया और 1,500 को रोजगार भी उपलब्ध करा दिया है और आठ हजार युवा फिर अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अगले पांच वर्ष के अन्दर पन्द्रह लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का हमने संकल्प लिया है और उसको हम पूरा करेंगे। पिछली बार दस लाख किये, इस बार हम पन्द्रह लाख करेंगे।

पिछली सरकार ने युवाओं के रोजगार पर कुठाराघात करते हुए एफ डी आई-इन-मल्टीब्रांड-रिटेल के लिए अपनी सहमति बिना सोचे-समझे दे दी थी। हमने युवाओं की पीड़ा को समझते हुए और सत्ता सम्भालने के बाद मंथन किया और फिर उसके बाद यह निर्णय लिया कि एफ डी आई-इन-मल्टी-ब्रांड-रिटेल का हम विरोध करेंगे और इस सम्बन्ध मे हमने दिनांक 25.1 को भारत सरकार को पत्र लिख दिया है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(18.00 बजे)

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बिना तैयारी के। पूरा समय दिया हुआ है कि जुलाई, 2014 तक आप फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर सकते हैं, परन्तु राजस्थान में जो भी काम होते हैं वे चुनाव से जोड़े जाते हैं और इसलिए चुनाव को सोच कर हम लोगों ने आनन-फानन में तैयारी कर दी और 2 अक्टूबर, 2013 को उसको लागू भी कर दिया, बिना व्यवस्था के लागू कर दिया। यहां तक कि, जो प्रशासन का मुखिया था, वह उद्घाटन करने भी चला गया। आज भी वह योजना सही ढंग से लागू नहीं है। यह सब लोग आपको बतायेंगे। भारी मात्रा में त्रुटिपूर्ण दोहरा चयन हुआ है, बहुत जगह पर डुप्लिकेशन आप देखेंगे। आपके एरिये में भी आप लोग सुनेंगे तो आपको आदमी बतायेंगे कि इसमें दोहरा चयन हुआ है और कहीं-कहीं जिनको लाभ मिलना चाहिये था, वे वंचित रह गये हैं। मैंने जब इसकी समीक्षा की तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुल चयन संख्या 100 प्रतिशत, 102 प्रतिशत और 118 प्रतिशत चयन हो गया है। यह कैसे हो सकता है? आनन-फानन में जो यह काम हुआ है, उससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है, मुझे लगता है कि वह आप लोग नहीं जान रहे हैं। यह चुनौतीपूर्ण व्यवस्था आपने हमको विरासत में दी है। गरीब को अपना हक दिलवाने का काम हम करेंगे और इसके लिए पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं।

राशन कार्ड की जो स्थिति है, आप देख लीजिए, आप लोग पूरे राज्य में डिजिलाइज्ड राशन कार्ड बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, पर अगेन चुनाव और इसमें लाभ लेने के लिए जल्दबाजी। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी गम्भीरता से नहीं लिया गया। चुनाव के लिए, जितनी जल्दबाजी कर सकते हो, उतनी करो। जो राशन कार्ड चार माह में तैयार कर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना था, वह अभी 8 महीने तक भी तैयार नहीं है और असर यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की क्रियान्विति के ऊपर भी इसका बहुत जोरदार असर पड़ा हुआ है। इस मुसीबत को भी हमको किसी तरह से ठीक करना पड़ेगा। हमने तो उपभोक्ताओं के व्यापक हित में यह निर्णय ले लिया है और इस समस्या को दिनांक 23.1.2014 की मंत्रिमण्डल की बैठक में डाल दिया है और इसे उप-समिति को सौंप कर, बहुत जल्दी उसके सुधार के सुझाव लेने के लिए बैठे हैं।

Prevention is better than cure, लोग कहते हैं। हम तो मानते हैं कि अगर इम्यूनाइजेशन हो, अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, अगर हैल्थ और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सेनिटेशन, इंश्योरेंस, तो फिर बीमारी कम हो जायेगी। आप अभी बोल रहे थे कि मुफ्त दवा योजना का बहुत ही अभिनव प्रयास हुआ था, हो सकता है, मैं क्यों उसको क्रिटीसाइज करूं? मैं तो खाली उतना ही आपको बताऊंगी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जनता से जो मैंने सुना है। दवाई की क्वालिटी, क्योंकि जल्दबाजी में था, इसलिए दवाई की क्वालिटी की पूरी तरह से जांच नहीं हुई है। झुंझुनूं में आप देखेंगे तो इंजेक्शन में कांच मिला। यह तो अखबार में भी आया था। जोधपुर के चिकित्सालय में जो भर्ती मरीज थे, उनके आई वी फ्लूड में फंगस मिला। इस तरीके से, बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। आपूर्ति अपर्याप्त और समय पर नहीं होने की वजह से मरीज को पूरी दवाइयां नहीं मिलीं और जो भंडार-गृह थे, उनमें करोड़ो रुपये की दवाइयां एक्सपाइरी डेट की वहां पड़ी हुई मिलीं, जो जनता के पास नहीं पहुंचीं।

अब आप मुफ्त जांच सक्सेस करोगे तो कैसे करोगे? अगर इक्विपमेंट्स नहीं हैं, अगर प्रशिक्षित टेक्निकल स्टाफ नहीं है, अगर डाक्टर्स नहीं हैं, अगर स्पेशलिस्ट नहीं हैं, टेक्निशियंस नहीं हैं, यह सब नहीं है, तो कौन करेगा यह? इसीलिए जब आप मेरे को कह रहे हो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल हो सकता था परन्तु इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि इसको जमीन के ऊपर लाने का जो काम था, वह सही तरीके से नहीं हो पाया।

हम लोगों ने वर्ष 2006 में राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए policy to promote private investment in health-care facilities लाये और इसके तहत हमने नये मेडिकल कालेज, नये डेंटल कालेज और प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा मल्टी-स्पेशलटी हास्पिटल खोलने का काम किया है। इस बार भी हमारा यही प्रयास पी पी पी मोड के द्वारा होगा।

हम लोग जैसे ही आये, वैसे ही हम लोगों ने यह तय किया कि सबसे पहले पुताई, बाथरूम को ठीक करना, सब सी एच सी, पी एच सी में हमने थोड़ा-सा पैसा देकर वहां वह काम चालू करवाया।

आप देखेंगे कि यह 108 एम्बूलेंस, उस 108 एम्बूलेंस को भी चुस्त-दुरुस्त करने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो था, वह आज नहीं है। पिछले पांच साल में उसकी कंडिशन बहुत खराब हुई है। मैं जब यात्रा में थी तो जिस व्यक्ति को पहली एम्बुलेंस की चाबी हमने दी थी, वह हमें मिला और उसने मुझे कहा कि कई एम्बुलेंस तो ऐसी खड़ी हैं जिनके अन्दर का जो सामान है, वह सब कैन्निबेलाइज हो गया, यानी इसका निकाल कर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसमें लगा दिया, उसका निकाल कर इसमें निकाल दिया और कई ऐसी व्हिकल्स हैं जो चल नहीं रही हैं। it's a shame, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम था, 20-25 मिनट में हम किसी मरीज को समय पर हास्पिटल लाकर उसकी जान बचा सकते थे। आज उसको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का काम हमको करना है।

पिछले कार्याकाल में हमने न केवल विद्यालय खोले, क्रमोन्नत ही नहीं किये पर हमने खोले और क्रमोन्नत भी किये; क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की और टीचर्स की भर्तियां भी कीं। आपके ग्रेड-थ्री के 60,517 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। यहां आपने क्रमोन्नत तो कर दिये, परन्तु अध्यापक नहीं हैं और क्वालिटी प्रभावित हुई है। स्कूल में या तो अध्यापक नहीं है, या फिर बच्चे नहीं हैं। ऐसी स्थिति है, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है।

जब ''Annual status of education report'' को पढ़ा गया तो उसमें यह बताया गया कि 11 से 14 वर्ष की लड़कियां जो स्कूल नहीं जाती हैं, उनका प्रतिशत करीब 12.1 परसेंट है, जो देश में सबसे ज्यादा है। पहली कक्षा के 60.4 प्रतिशत बच्चे अक्षर को पहचान नहीं सकते हैं और 54.1 प्रतिशत बच्चे 1 से 9 के अंक को भी नहीं पहचान सकते। अगर यह स्थिति एजुकेशन की है तो राजस्थान आगे कहां जायेगा? हमारे बच्चों को स्वस्थ और एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। वही तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। वह ह्यूमन रिसोर्स आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में हम कहां जायेंगे? विद्यालय साफ हो, बच्चों को अच्छा न्युट्रिशन मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, विवाद-रहित अध्यापकों की भर्ती हो, तब तो एजुकेशन आगे बढ़ सकेगा और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है।

गत वर्ष गत सरकार ने बेरोजगारों को एक तरफ तो अध्यापक-पात्रता-परीक्षा और दूसरी तरफ पंचायती राज-शिक्षक-परीक्षा का प्रावधान किया और ये सब केसेज न्यायालय में फंसे हुए हैं। अब केन्द्र द्वारा टैट को शुरु कर दिया गया है। राज्य और केन्द्र में एक ही सरकार होने के बावजूद भी ये सही प्रबन्धन नहीं कर पाये। सरकार वहां भी आपकी और यहां भी आपकी है। आप वहां भी कर सकते थे, उसका ठीक प्रबन्धन भी कर सकते थे पर आश्चर्य की बात तो यह है कि पांच साल तो कुछ नहीं बोले, एक जूं नहीं रेंगी, कोई नहीं मालूम पड़ा आपको और एकदम से, एक-डेढ़ माह के बाद ही, आप लोग बहुत संवेदनशील हो गये हों। यहां टैट के लिए आप हल्ला भी मचा रहे हों, वाक-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आउट भी कर रहे हों, सब कुछ कर रहे हों, पहले क्यों नहीं किया? अगर यह सब कर दिया होता तो आज हमें शायद यह जो टैट की समस्या है, उसको देखने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए मैं कह रही हूं कि टैट की परीक्षा की समीक्षा करके, इसकी बाधाओं को दूर करने हेतु, एक समिति का हमने गठन कर दिया है और इसकी सिफारिश के अन्दर, हम लोग बहुत जल्दी उसका सुधार करेंगे। शिक्षा मंत्रीजी ने शायद इसके बारे में प्रश्न का भी उत्तर दिया है। मैं कहना चाहूंगी कि इसका प्रबन्धन हम लोग अवश्य करेंगे, बाधा दूर करेंगे, परन्तु पांच साल की अव्यवस्था को ठीक करने के लिए समय तो लगेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक मिनट।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): No. I do not yield. आप बैठिए, प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया नहीं, जवाब दिया नहीं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): ...(व्यवधान) मैं इसमें क्लीयर कर दूं, अभी आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, क्योंकि पांच साल जब बोलना था, तब बोलना चाहिये था। मैं आपको यहां यह आश्वासन देना चाह रही हूं कि 2013 से, हमारे वादे के अनुसार, कैंडिडेट से केवल एक ही परीक्षा ली जायेगी; 2013 से एक ही परीक्षा ली जायेगी और हम आप जैसे नहीं करेंगे, जो दो-दो परीक्षा करके और फिर यहां आकर वाक-आउट करके सबको दिखाना चाह रहे हों कि हम आपके कितने खैरख़्वाह हैं। यह पांच साल में करने की जरूरत थी। एक परीक्षा के आधार पर जो भी होगा, वह देखने वाली चीज है, क्योंकि इस कानून के तहत, अभी हम कुछ चेंज नहीं करने वाले हैं, इस कानून के अन्दर ही इसका समाधान निकाल कर हम छोड़ेंगे। मैं यह कहना चाहती हूं कि आपने बार-बार अखबारों में लिख कर बताया कि आपकी सरकार बहुत संवेदनशील है तो फिर आपने अभी तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? क्यों बच्चों के जीवन को खराब किया? अगर यही बात थी तो पहले ही कर देते; हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती।

अब गत सरकार ने 8 विश्वविद्यालय खोले, इन विश्वविद्यालयों के लिए न तो जमीन है, न भवन है और न फैकल्टी है। एक विषय के ऊपर हम लोगों ने विश्वविद्यालय खोल दिया है। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूं कि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आठ साल से हम लोग तीन विश्वविद्यालयों के पीछे पड़े हुए हैं, जिनकी सख्त जरूरत है, भरतपुर वाला, सीकर वाला और अलवर वाला। इन तीन विश्वविद्यालयों की चार साल तक किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। एकदम से चौथे साल में जागे; अब इलेक्शन आ रहा है, चौथे साल में जागे और उन्होंने तय कर लिया, जून 2013 के अन्दर वी सी का अपाइंटमेंट कर दिया। हमने तो ओ एस डी कर भी दिया था उसका। वी सी का अपाइंटमेंट जून 2013 के अन्दर कर दिया। 24 अगस्त, 2012 को उसका आर्डिनेंस आप फिर लाए और फिर अक्टूबर में उसका नाम चेंज करने की बात की। आप इसी में चलते रहे। आज तक कन्स्ट्रक्शन के अन्दर कोई काम भरतपुर के अन्दर नहीं; कोई काम सीकर के अन्दर नहीं; बाउण्ड्री-वाल में पार्शल काम आपने किया, अलवर के अन्दर। पोस्ट सैंक्शन आपने जरूर 53 की हैं, बट, कोई अपाइंटमेंट आज तक नहीं हुआ है। इसी के चक्कर में आप लोगों ने, अगर करना ही है तो इसको पहले ही कर देते, पांच साल वेस्ट नहीं करते। इतने सारे बच्चों का फायदा हो जाता।

मैं यह कहना चाहती हूं कि साउण्ड एजुकेशन के बिना हमारी भावी पीढ़ी क्या करेगी? आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हमारे पांच साल निकल जाने का काम आप लोगों ने किया है, मैं समझती हूं कि बहुत ही खराब बात हुई है। इसको जितना जल्दी हो सके, हम लोग लाइन पर लाना चाहते हैं, ताकि अब अगले पांच के अन्दर हमारे लोगों को सफर करने की जरूरत नहीं हो।

अब अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक एवं कर्मचारी, इनका तो आपने राज्य सरकार के अन्दर समायोजन कर लिया, बहुत अच्छी बात हुई, परन्तु करोड़ों की वह जमीन, जो इन संस्थाओं को आपने एक रुपये के हिसाब से दी, उसकी आनरशिप का क्या हुआ? क्या कर लिया उसका? क्या हुआ? कहां गया? एक रुपये पर आपने दिया था। तो कौन ये इंडिविजुअल्स हैं जिनको यह फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है?

मैं आखिर में यह भी कहना चाहूंगी, चुनाव आए तो एक साथ 34 कालेज की घोषणा हो गई और तब के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि कालेज हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि यह हमारी घोषणा थी, हम कालेज खोलने वाले थे और हमने इन कालेजेज को, हमने अब हमारी उपलब्धि बता दी, क्योंकि हमने उनको बनाकर छोड़ दिया है। हमने पता किया कि ये कालेज कहां हैं, हमें मालूम तो हो। ना तो हम उनकी जमीन देख रहे हैं, ना हम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसकी बिल्डिंग देख रहे हैं, ना उसमें कोई स्टूडेंट्स हैं। तो कहां हैं ये? फिर बताया कि नहीं, धर्मशाला के अन्दर दो कमरे हैं; प्राइमरी स्कूल के अन्दर चार कमरे हैं; सेकण्डरी स्कूल के अन्दर पांच कमरे हैं। ऐसे कालेज बनते हैं? ऐसी उपलब्धियां होती हैं? किसको घोषणा कहते हैं? किसको उपलब्धि कहते हैं? कुछ भी कह दो और उसको उपलब्धि कह दो। 177 पोस्टकार्डस आप लोगों ने निकाले, उन पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए और कह दिया कि पहली बार राजस्थान के अन्दर यह काम हुआ। मैंने कह दिया, मैंने घोषणा कर दी, तो मेरी उपलब्धि हो गई। यह उपलब्धि नहीं है। ये 34 कालेज कहां खोले, क्या खोलें, यह अब हम लोगों को देखना पड़ेगा और उनको किस तरीके से फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, वह देखेंगे।

सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर हमने वहां की बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था को बड़े करीब से देखा। बहुत सारी शिकायतें मिलीं। वर्ष 2013 में पूरे राजस्थान में जो आई पी सी आफेंसेज थे, वे 13.8 प्रतिशत बढ़े। जोधपुर के अन्दर 58.57, अजमेर के अन्दर 28.50, जयपुर में 26.59 परसेंट, ये बढ़े। जोधपुर और जयपुर कमिश्नरेट प्रणाली आप लोगों के बनाने के बाद भी, क्राइम कंट्रोल में कोई विशेष उपलब्धि हम लोगों को दिखाई नहीं दी। 2013 में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध 30 परसेंट बढ़े हैं। यह उपलब्धि है? मैं आपको कहना चाहती हूं, इन सब चीजों को कन्ट्रोल करने का काम, अब आपने यह हमको विरासत में दिया है। डेढ़ महीने में हमने ऐसा हाथ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा? उसके अन्दर हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको लगना पड़ेगा। मैं कह रही हूं, उसमें आप सब लोगों को लगना पड़ेगा, हम सब मिलकर लगेंगे तो मैं समझती हूं कि इसके अन्दर कोई फर्क होगा।

अब मैं कुछ थोड़े से अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगी। सबसे पहले राजस्थान सर्बोडिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सलेक्शन बोर्ड। इसके बारे में पूरे कार्यकाल में हमने महसूस किया कि आर पी एस सी की चयन प्रक्रिया के मार्फत जो सभी श्रेणियों में भर्तियां हो जाती हैं, तो उसमें बहुत समय लगता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा गति लाने के लिए और उसको थोड़ा पारदर्शी बनाने के लिए हमने राजस्थान सर्बोडिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सलेक्शन बोर्ड का गठन किया था।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गत सरकार द्वारा न्यायालय में, मैंने यह देखा कि बहुत सारी भर्तियां अलग-अलग विभागों के माध्यम से और अलग-अलग मापदण्डों से हो रही थीं, इसलिए न्यायालय के अन्दर प्रकरण भी दायर हो गए और भर्ती की निष्पक्षता के ऊपर भी सवाल उठ गया। तो हम लोगों ने निर्णय किया, सरकार ने आते ही, कि जो वर्ष 2008 में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड था, उसका फिर से गठन करके, पिछले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निरस्त कर दिया था उसको, 2010 के अन्दर निरस्त किया था, हमने फिर से अपने नोटिफिकेशन, आज जारी हो जाएगा और उसको हमने फिर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है।

माननीय सदस्य, सांगानेर से, मीसाबंदियों के लिए पिछली बार बात कर रहे थे, मैं अपनी बात उसके साथ जोड़ते हुए यह कहना चाहूंगी कि 2008 में राजस्थान मीसा और डीआर बंदियों के लिए हमने पेंशन नियम 2008 जारी किए गए थे, इसमें 6 हजार रुपये प्रति माह पेंशन और 600 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता देने का प्रावधान था, गत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में इसको निरस्त कर दिया गया; हमने 03 जनवरी, 2014 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मीसाबंदियों की पेंशन योजना को बहाल करके उसका निर्णय ले लिया।

अनुसूचित क्षेत्र में एक अलग सेवा नियम, जिसको टी एस पी क्षेत्र हम कहते हैं, वहां स्थानीय आदिवासियों को राजकीय सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए हमने 2007 में, राज्य सेवाओं को छोड़कर, सभी सेवाओं में स्थानीय आदिवासियों के लिए 45, एस सी के लिए 5 और अदर्स, सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित, 50 परसेंट करने का हमने सोचकर रखा था। अनुसूचित क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रिक्त पद पड़े हुए हैं और प्रोब्लम हमारी हो जाती है कि वहां लोग आ जाते हैं, उनका चयन हो जाता है, वे वहां आ जाते हैं, थोडे दिन के लिए वहां रुकते हैं, फिर वहां से निकलकर वहां चले जाते हैं और वे पद खाली के खाली रह जाते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां के लोग आएंगे, अगर वहां चयनित हो जाते हैं तो इस सेवा के द्वारा उस क्षेत्र को सम्भालेंगे, यह हमारा सोच है। यह सेवा नियम बनने के पश्चात, अनुसूचित क्षेत्र के मिनिस्ट्रियल एंड सर्बोडिनेट सर्विसेज की अधीनस्थ सेवाओं के लिए अलग सेवा नियम लागू हो जाएंगे। इन कैटेगरिज में पदस्थापित अधिकारी और कर्मचारी, अनुसूचित क्षेत्र के अलावा कहीं भी उनका

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्थानान्तरण नहीं हो सकेगा; उनको वहीं रहना पड़ेगा, वहीं उनको काम करना पड़ेगा। यह सेवा नियम हैं, इनको आज हम लोगों ने जारी कर दिया है।

एक महाराणा प्रताप बटालियन, हमने अपने गत शासन काल के अन्दर, 2007-08 में महिलाओं के लिए एक सशस्त्र बल हाडी रानी आर्म्स बटालियन का गठन किया था। ऐसा राजस्थान में पहली बार किया गया था। हमने सुराज संकल्प 2013 के घोषणा पत्र में राजस्थान के महाराणा प्रताप के नाम पर राज्य के आदिवासी क्षेत्र में एक आर्म्स बटालियन खड़ी करने की एक परिकल्पना की है। उसी के अनुरूप आज सदन में इस बटालियन के गठन की औपचारिक घोषणा मैं कर रही हूं। आर्म्स बटालियन का जो मुख्यालय होगा, जिसमें जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लगभग एक हजार युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी, वह प्रतापगढ़ रहेगा।

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्दर कुछ संशोधन हम करने जा रहे हैं। वर्ष 2013 में, गत वर्ष, राजस्थान के वन अधिनियम 1953 को संशोधित कर छोटे-मोटे अपराध जैसे मवेशी चराना, घास काटना, हैड लोड लेना, छोटे-छोटे काम थे, इसका जुर्माना पहले 500 रुपये हुआ करता था, उसको बढ़ाकर आपकी सरकार ने 25 हजार रुपये कर दिया। अब गरीब आदिवासियों का यह रोजमर्रा का जीवन जीना ही कठिन हो जाता है। यह सोचकर के, उनकी पीढ़ा को समझकर के, हमने वन अधिनियम में पुन: संशोधन करके जुर्माना राशि को 25 हजार रुपये से लेकर 500 रुपये तक लाने का काम किया।

वे लोग, जिन्होंने एक परसेंटेज के ऊपर टैट में स्कोर किया है, तो यह सम्पूर्ण राज्य में लागू होने पर, तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का प्रथम स्तर पर 20 हजार से अधिक व्यक्तियों का रिक्रूटमेंट होगा।

वर्तमान में राजस्थान राज्य में 14,970 एस.टी.सी. छात्रों के लिए ही प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हम मानते हैं कि 2014-15, क्योंकि डिमाण्ड बहुत है, तो 2014-15 में गवर्नमेंट एस.टी.सी., राजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 छात्र के स्थान पर सौ छात्र प्रति विद्यालय में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से उपलब्ध है, तो हम कर सकेंगे। यह प्रयास सिर्फ सरकारी ही नहीं, परन्तु निजी क्षेत्र भी इसके अन्दर जोड़ा जाएगा।

आखिर में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि पिछले चार साल के अन्दर कुछ विशेष काम नहीं किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूं कि यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

काम अच्छा हुआ है और जनता को दूं, परन्तु ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सब चीज, चार साल कुछ नहीं हुआ, फिर आखिरी एक-डेढ़ साल के अन्दर, आनन-फानन के अन्दर, बहुत सारी लोक-लुभावनी योजनाओं की घोषणा हो गयी और लोगों ने यह सोचा कि हो सकता है, इसकी वजह से हम लोगों के पास लोग आ जाएंगे और इनका वोट हमको मिल जाएगा। ज्यादातर योजनाओं के द्वारा पैसे बांटें, समाज और सभी वर्गों को रिझाने का प्रयास भी किया परन्तु यहां भी सफलता नहीं प्राप्त हुई। अब पी.सी. टैबलेट, तो पी.सी. टैबलेट दे दो, उसकी जगह छह हजार रुपये दिये। पी.सी. टैबलेट किसी ने खरीदा, नहीं खरीदा, यह कौन उसको एस्टेब्लिश कर सकता है? साड़ी और कम्बल की जगह 1,500 रुपये दे दिये, सी.एफ.एल. का वितरण हुआ; युवाओं को रोजगार के किट दिये। कामगारों को साइकिल के बजाय पैसे दिये। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफार्म देने की जगह फिर पैसे दिये। इस तरीके से बहुत कोशिश हुई कि किसी भी तरीके से हम लोगों को लुभा कर उनको अपनी तरफ ले आएं। यह योजनाबद्ध तरीके से चुनावी साल के अन्दर घोषणाएं हुई हैं। परन्तु मैं मानती हूं कि राजस्थान की जनता के स्वाभिमान के ऊपर यह कुठाराघात हुआ और कुठाराघात करने का जोरदार प्रयास भी हुआ। प्रदेश की जनता ने इसका अच्छी तरह से जवाब दे दिया। लोग विकास चाहते हैं। उनको किसी भी तरीके से स्वाभिमान से रहना है। उनको कहीं यह लगे कि कोई आ रहा है, हम इस तरीके से काम कर लेंगे, तो वे तो वैसे भी लोगों को झिड़कते।

फिर मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बात को प्रूव करने के लिए फेसबुक के ऊपर एक बात आई, दो हैं, जो उनके बारे में मैं पढ़ना चाहूंगी। एक 21 जुलाई का है, मैं यात्रा पर थी, ये सब वितरित हो रही थीं, वितरण हो रहा था, तब मैंने इसको पढ़ा। तो मैंने अपनी पब्लिक मीटिंग में भी इसको लिया। एक लड़के ने लिखा, 'मुफ्त में लैपटाप ले लो, मुफ्त में चावल ले लो, मुफ्त में साइकिल ले लो, मुफ्त में बिजली तक भी दे रहे हो, लेकिन रोजगार नहीं देंगे और न ही अच्छी सरकार देंगे। देश को भिखारी बनाकर, हर हाथ में कटोरा थमा कर ही दम लेंगे'। यह फेस-बुक है, ओ.के.। उसके बाद 15 अगस्त, यह तो जुलाई का था, और यह 15 अगस्त का। उसमें भी यही लिखा, 'फ्री में लैपटाप ले लो, मुफ्त में चावल ले लो, मुफ्त में साइकिल और स्कूटी भी ले लो, यहां तक कि अब तो बिजली भी मुफ्त देने की बात लोग करने लगे हैं। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन देशवासियों के हाथ में कटोरा थमाकर भिखारी बनाये जाने की बात हो रही है, ताकि एक बार फिर इस देश की जनता को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

गुलाम बनाया जा सके। हमें भीख नहीं, हमें रोजगार चाहिए'। यह है कारण, और मैं फिर से कहना चाहती हूं, जिसकी वजह से लोग दु:खी हुए और लोग पूर्ववर्ती सरकार से अलग हुए।

पर फिर मैं यह भी कहना चाहती हूं, जो मैंने जनता के बीच में भी कहा, आप लोगों के बीच में भी कह रही हूं, कोई भी एक व्यक्ति इस चीज को कर नहीं सकता है। हम सबको लेकर इस राजस्थान को बनाना है, क्योंकि यह राजस्थान जितना हमारा है, उतना ही आपका है। इसके लिए मैं कहती हूं कि 'टीम राजस्थान' ही प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करेगी, 'टीम राजस्थान' ही सुराज के संकल्प को पूरा करेगी और 'टीम राजस्थान' ही हमारे प्रदेश को देश के अग्रणी प्रदेशों के बीच में जाकर, उसको खड़ा करेगी। इस 'टीम राजस्थान' के अन्दर मुख्य मंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सामाजिक संगठन भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, अपोजिशन की पार्टियां भी हैं, प्रदेश की पूरी जनता है। यह पूरी एक टीम है, यह 'टीम राजस्थान'। हम सब मिलकर जब कड़ी मेहनत करेंगे, तब राजस्थान के नवनिर्माण को हम आगे ला सकेंगे, उसको जुटा पाएंगे। फिर हमारा प्रदेश देश के विकसित राज्यों की अग्रिम कतार में खड़ा होगा। हम प्रदेश को देंगे, एक चुस्त प्रशासन, एक सक्षम सरकार और एक समृद्ध राजस्थान।

इसीलिए इस पुण्य मिशन के अन्दर मैं आप सबको, मैं सबको कहना चाहती हूं कि हम सब लोग मिलकर साथ चलें और इस पुण्य मिशन को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करें। यह सपना है हम सबका। मैं आपके सामने रखती हूं:-

हर चेहरा हो हंसता-गाता,
हर चेहरे पर हो मुस्कान,
नया गगन हो, पंख नये हों
और सामने नई उड़ान।
नया सोच हो, नई कल्पना,
नये नीड़ का नवनिर्माण,
सपने हों साकार सभी के,
सब बोलें, जय-जय राजस्थान।

जय-जय राजस्थान। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): किसान धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके वश की बात नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप एक शब्द तो नहीं बोल पाए इसके अन्दर कि आप किसानों को क्या देने जा रहे हो। आपकी संवेदनशीलता, राजस्थान का किसान सड़क पर बैठा हुआ है। आपने एक शब्द भी अपने इस उत्तर के अन्दर नहीं कहा।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री अध्यक्ष: बहुत प्रभावशाली भाषण हुआ।

राज्यपाल को हम सब, इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं; यह जो हमको भेजना है राज्यपाल महोदय को, इसके बारे में मैं प्रश्न कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 06 फरवरी, 2014 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.28 बजे दिनांक 06 फरवरी, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

रामगढ़ अभयारण्य सीमा क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का बुनियादी विकास

55. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982 की अधिसूचना के तहत विधान सभा क्षेत्र बून्दी शहर व बून्दी खटकड़ रोड पर अधिकांश भाग रामगढ़ अभयारण्य सीमा में आने के कारण क्षेत्र का बुनियादी विकास रुका हुआ है? क्या सरकार इस अधिसूचना को अपास्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त अधिसूचना के कारण जनता में व्याप्त आशंका के निवारण हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विकास प्रभावित हुआ है परन्तु जहां तक राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 11 (17) राजस्व-8/79 दिनांक 20.05.1982 को अपास्त कराने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्योंकि अभयारण्य क्षेत्र में गैर-वानिकी गतिविधियों की श्रेणी में आने वाले विकास कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानानुसार एवं सर्वोच्च न्यायालय के प्रचलित आदेशानुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कराये जा सकते हैं।

(2) अधिसूचना से सम्बन्धित सभी प्रकार की आशंकाओं का निवारण स्थानीय वन्य जीव कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय में किया जा सकता है। इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रदेश में अध्यापक भर्ती के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

56. श्री अर्जुन लाल (बिलाडा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2013 तक कुल कितने एवं किस-किस ग्रेड के अध्यापकों की कब-कब भर्ती की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल)

(2) उक्त भर्तियों में से कितनी-कितनी भर्तियों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा कितनी भर्तियों का न्यायालय द्वारा निस्तारण कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भर्तियों में से कितने-कितने पदों पर भर्तियां आर.पी. एस.सी. के तहत तथा कितनी-कितनी भर्तियां जिला परिषदों के माध्यम से की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2013 के मध्य अध्यापकों के विभिन्न संवर्गों के पदों पर की गई भर्तियों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) उक्त भर्तियों में से निम्नांकित पदों की भर्तियां माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं:-

क्र. सं.	भर्ती हेतु विज्ञापित पद	विज्ञापित पदों की संख्या
1.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय	20,96
2.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III भर्ती वर्ष 2008 (बैकलाग)	405
3.	अध्यापक तृतीय श्रेणी सीधी भर्ती वर्ष 2013	20,000
	योग	22,498

(3) उपरोक्त भर्तियों में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निम्न संवर्गों के पदों पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित-अनुसार राज्य सरकार द्वारा भर्तियां की जाती हैं :-

1. प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय;
2. व्याख्याता;
3. वरिष्ठ अध्यापक;
4. शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II; एवं
5. शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से वर्ष 2012-13 में 37,317 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की गई है।

परिशिष्ट—क

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों के पदों पर की गई सीधी भर्तियों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	विभाग द्वारा की गयी नियुक्तियों का वर्षभार विषयवार विवरण						योग
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	प्रधानाध्यापक मावि*	-	-	-	-	-	1520	1520
2	व्याख्याता	-	-	1128	419	729	103	2379
3	वरिष्ठ अध्यापक	-	-	-	8836	11070	71	19977
4	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II	-	-	-	-	-	334	334
5	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III	-	-	-	-	-	1759	1759
6	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III	-	-	-	-	-	766	766
7	तृतीय श्रेणी अध्यापक	-	-	-	-	37317	-	37317
	योग			1128	9255	49116	4553	64052

*माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन

राजसमन्द जिले के खनिज उद्योग से प्राप्त राजस्व

57. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :- क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजसमन्द जिले में वर्तमान में खनिज उद्योग की क्या स्थिति है तथा कौन से प्रमुख खनिज उपलब्ध हैं एवं विगत 5 वर्षों में उनका कितनी मात्रा में खनन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत 5 वर्षों में जिले में खनन क्षेत्रों में संरचना विकास में क्या कार्य किये गये हैं एवं भावी योजना क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में नवीन खनिजों एवं खनन क्षेत्रों की खोज एवं विकास के लिये क्या कार्य किये जा रहे हैं एवं भावी योजना क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार जिले में खनन प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिले में मार्बल मण्डी की स्थापना के लिये क्या प्रयास किये गये हैं?

(6) सरकार को विगत 5 वर्षों में खनन कार्यों एवं प्रसंस्करण इकाइयों से प्रति वर्ष कितना अधिशुल्क (रायल्टी), भूमि कर, मूल्य वर्धित कर एवं अन्य राजस्व प्राप्त हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में वर्तमान में खान उद्योग के अन्तर्गत प्रधान खनिजों के 799 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 1,280 खनन पट्टे एवं खनिज बजरी की तीन कार्यानुमतियां प्रभावी हैं। प्रमुख खनिजों एवं उनकी विगत 5 वर्षो की खनिज उत्पादन मात्रा का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विगत 5 वर्षों में राजसमन्द जिले में खनन क्षेत्रों में संरचना विकास (Infrastructure development) हेतु निम्नांकित कार्य किए गए हैं :-

(i) ग्राम काकरोद में पावर ग्रिड सब-स्टेशन बनाया गया;

(ii) मोखमपुरा से निजरना तक 3.5 कि.मी. सड़क बनाई गई; एवं

(iii) केलवा से सापोल तक 14.89 कि.मी. सड़क बनाई गई।

विभाग की भावी योजना यह है कि खनन क्षेत्रों एवं खनिज आधारित उद्योगों का अधिक से अधिक विकास हो।

(खान मंत्री)

(3) जिला राजसमन्द में नवीन खनिजों एवं खनन क्षेत्रों की खोज व विकास के लिये गत पांच वर्षों में किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर तथा इस हेतु भावी योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जिले में खनन प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा आयात नीति हेतु केन्द्र सरकार को राज्य हित में हर वर्ष प्रस्ताव भेजे जाते हैं।

(5) जिले में मार्बल मण्डी की स्थापना हेतु रीको के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(6) विगत 5 वर्षों में खनन कार्यो एवं प्रसंस्करण इकाइयों से राज्य में प्राप्त हुए रायल्टी, भूमि कर, वैट एवं पर्यावरण-स्वास्थ्य उपकर का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में निःशुल्क दवाइयों के वितरण पर व्यय राशि

58. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश के चिकित्सालयों में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं? यदि हां, तो इस योजना के शुरू होने से अब तक दवाइयों पर कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत राजकीय अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले रोगियों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। इस योजना के शुरू होने से दिनांक 27 जनवरी, 2014 तक दवाइयों पर 694.95 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

दौसा जिले में महिला सहकारी समितियों की अनियमितता की जांच

59. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) व **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दौसा जिले में राशन सामग्री का वितरण महिला सहकारी समितियों द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो

(श्रीमती गीता वर्मा)

किस-किस सहकारी समिति द्वारा किस-किस पंचायत में उक्त कार्य किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लालसोट क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा बने सभी FPS डीलरों की राशन वितरण व्यवस्था छीनकर महिला सहकारी समितियों को दे दी गई हैं, जिन्होने PDS की सामग्री की भारी कालाबाजारी की है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सहकारी समितियों को भंग करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महिला सहकारी समितियों के वितरण में भारी अनियमितताओं एवं कालाबाजारी की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध जांच कर E.C. Act में कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। दौसा जिले में राशन सामग्री का वितरण महिला सहकारी समितियों द्वारा भी कराया जा रहा है, जिनकी सूची पंचायतवार परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। लालसोट क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा बने सभी एफ.पी.एस. डीलरों की राशन वितरण व्यवस्था छीनकर महिला सहकारी समितियों को नहीं दी गई है, अपितु पी.यू.सी.एल. बनाम यूनियन आफ इण्डिया में न्यायाधिपति बाधवा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश, भारत सरकार के निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों में महिला समूह एवं सहकारी समितियों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नई उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु आदेश दिनांक 27.04.2012 के द्वारा इस आदेश के क्रम संख्या 3 (क) द्वारा प्रथम चरण में प्राथमिकता क्रम 1 के आधार पर नवीन उचित मूल्य दुकानों के चयन बाबत महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो तथा आवेदक आबंटन की अर्हताएं पूर्ण करता है, तो उस आवेदक का चयन किया जावेगा। प्राथमिकता क्रम-2 पर सहकारी समितियां, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, तो उस आवेदक का चयन किया जावेगा। आदेश दिनांक 27.04.2012 (यथा संशोधित आदेश दिनांक 06.03.2013) की पालना

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर एवं कार्यक्षेत्र का विभाजन कर उन्हें प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

अनियमितता पाये जाने पर वितरण व्यवस्था हेतु जारी प्राधिकार पत्र धारक के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अनुरूप निलम्बन/ निरस्तीकरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। जिन सहकारी समितियों की कालाबाजारी सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन्हें निलम्बित किया जा चुका है एवं जांच प्रक्रिया जारी है। जांच के निर्णयानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं यदि अंतिम रूप से दोषी पाया गया तो सहकारी समितियों को नियमानुसार भंग करने की अभिशंसा सहकारिता विभाग को भेजी जावेगी। सूची परिशिष्ट- "ग" पर संलग्न है।

(3) जी हां। दौसा जिले में जिन महिला सहकारी समितियों के विरुद्ध वितरण में भारी अनियमितताएं एवं कालाबाजारी के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके विरुद्ध ई.सी. एक्ट के तहत कार्यवाही कर निलम्बित किया जा चुका है एवं जांच प्रक्रिया जारी है। जांच के निर्णयानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। सूची परिशिष्ट-"ग" पर संलग्न है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामा से धूमला माता आहौर मंदिर को सड़क सेवा से जोड़ने हेतु कार्य-योजना

60. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में धार्मिक स्थलों को सड़क से जोडने की कोई योजना संचालित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना के तहत रामा से धूमला माता आहौर मंदिर को सड़क सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में देवस्थान विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने की कोई योजना संचालित नहीं है।

(देवस्थान मंत्री)

(2) धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृतियां वर्ष 2010-2011 में नाबार्ड द्वारा वित्त-पोषित योजना आर.आई.डी.एफ. में जारी की गई थी। इस योजना में रामा से धूमला माता आहोर मंदिर को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी नहीं की गई थी। भविष्य में इस सड़क की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रिक्त पद

61. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में राज्य के विभिन्न विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के दिनांक 31.12.2013 को स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	प्राथमिक	90974	19234
2	उच्च प्राथमिक	128000	15760
3	माध्यमिक सेटअप	12391	6171
	योग	**231365**	**41165**

जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" तथा "ख" पर संलग्न है।

परिशिष्ट-"क"

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	तृतीय श्रेणी अध्यापक	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	अजमेर	7720	895
2	टोंक	4981	756
3	भीलवाड़ा	9004	1525
4	नागौर	10432	1227
5	कोटा	4831	1038

क्र. सं.	जिले का नाम	तृतीय श्रेणी अध्यापक	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद
6	बारां	4207	895
7	बूंदी	4197	673
8	झालावाड़	5804	704
9	जयपुर	14149	1983
10	सीकर	7858	1083
11	दौसा	4764	641
12	अलवर	10790	1153
13	भरतपुर	7231	1127
14	धौलपुर	3913	1214
15	करौली	4495	626
16	सवाई माधोपुर	3794	641
17	बीकानेर	6445	1296
18	चूरू	5828	757
19	झुन्झुनू	6200	680
20	गंगानगर	5961	692
21	हनुमानगढ़	4280	658
22	जोधपुर	10314	1860
23	पाली	7576	689
24	बाड़मेर	11402	2209
25	जैसलमेर	3213	845
26	जालोर	5893	1348
27	सिरोही	3252	689
28	उदयपुर	10597	1782
29	राजसमन्द	5547	502
30	चित्तौड़गढ़	6419	1142
31	प्रतापगढ़	3664	807
32	डूंगरपुर	6382	1448
33	बांसवाड़ा	7831	1409
	योग	**218974**	**34994**

परिशिष्ट-ख

क्र. सं.	जिले का नाम	अध्यापक ग्रेड-3	
		स्वीकृत	रिक्त
1	अजमेर	423	185
2	भीलवाड़ा	438	269
3	नागौर	584	307
4	टोंक	217	110
5	पाली	458	254
6	जालोर	258	144
7	सिरोही	211	109
8	भरतपुर	441	315
9	धौलपुर	188	112
10	करौली	299	149
11	सवाई माधोपुर	263	135
12	कोटा	399	147
13	बारां	260	154
14	बूंदी	264	123
15	झालावाड़	355	175
16	जोधपुर	506	181
17	बाड़मेर	312	221
18	जैसलमेर	73	48
19	चूरू	404	232
20	झुंझुनूं	441	132
21	सीकर	519	250
22	उदयपुर	617	343
23	बांसवाड़ा	365	114
24	चित्तौड़गढ़	314	183
25	डूंगरपुर	289	181
26	राजसमन्द	233	154
27	प्रतापगढ़	113	76
28	बीकानेर	367	140

क्र. सं.	जिले का नाम	अध्यापक ग्रेड-3	
		स्वीकृत	रिक्त
29	हनुमानगढ़	330	151
30	श्रीगंगानगर	346	166
31	जयपुर	968	359
32	अलवर	792	374
33	दौसा	344	178
	योग	**12,381**	**6171**

अलवर जिले में बन्द खानों के रवन्ने जारी करने की प्राप्त शिकायतें

62. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में गत पांच वर्षों से बंद पड़ी खानों के रवन्ने जारी करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई है? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्व क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के ग्राम खोह व दुंदपुरी में बंद खानों के रवन्ना जारी करने की एक शिकायत खनि अभियंता, अलवर को प्राप्त हुई। उक्त शिकायत पर की गई मौका जांच की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई। अत: इसमें कोई दोषी नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बड़ी सादड़ी के चिकित्सालयों में रिक्त पद

63. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं तथा किस-किस पद पर चिकित्सक एवं कार्मिक पदस्थापित हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोतम कुमार)

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित किस-किस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों की जांच हेतु क्या-क्या उपकरण उपलब्ध हैं तथा क्या उक्त उपकरण उपयोग में लिये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन केन्द्रों पर मरीजों की जांच हेतु उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जो पदोन्नति के पद हैं जैसे विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, इत्यादि, वे पदोन्नति होने के पश्चात् एवं अन्य रिक्त पद स्थानान्तरण अथवा रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती होने के पश्चात् भरे जा सकेंगे।

(3) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की जांच हेतु उपलब्ध उपकरणों के नाम, उनकी वर्तमान स्थिति एवं उपयोगिता का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर आवश्यकता के अनुसार उपकरण उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा के भू-जल को दूषित होने से रोकने हेतु कार्य योजना

64. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, टपूकड़ा, कमालपुर, सिलारपुर में स्थापित उद्योगों द्वारा दूषित

(श्री मास्टर मामन सिंह यादव)

पानी को बोरिंग के द्वारा जमीन में डालकर भू-जल को दूषित किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन से उद्योगों द्वारा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त औद्योगिक क्षेत्रों के अमृत-तुल्य भू-जल को इस प्रकार खतरनाक रसायनों से मुक्त रखने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को किसी उद्योग विशेष के विरुद्ध दूषित पानी को बोरिंग के द्वारा जमीन में डालकर भू-जल को दूषित किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि उच्च अधिकार प्राप्त प्राक्कलन समिति, राजस्थान विधान सभा, जयपुर की दिनांक 08.08.2012 को भिवाड़ी में सम्पन्न हुई बैठक के दौरान श्री नीरज तंवर, एडवोकेट, भिवाड़ी द्वारा ज्ञापन दिया गया था जिसमें यह संभावना अभिव्यक्त की गयी थी कि रीको द्वारा अधिरोपित शून्य निस्त्राव की शर्त के कारण औद्योगिक इकाइयां भूमि के अन्दर बोरिंग कर औद्योगिक प्रदूषित जल को डाल रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की शिकायत ग्रामीण विकास समिति, भिवाड़ी एवं अन्य स्त्रोतों से लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त हुई थी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों के समय-समय पर किये गये निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है, जिसमें कि औद्योगिक इकाई भूमि के अन्दर बोरिंग कर प्रदूषित जल को डाल रही हो।

(2) राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के समय-समय पर किये गये निरीक्षणों के दौरान दूषित पानी को बोरिंग के द्वारा जमीन में डालकर भू-जल को दूषित किये जाने का कोई भी प्रकरण नहीं पाये जाने के कारण राज्य प्रदूषण मण्डल स्तर पर किसी उद्योग के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, टपूकड़ा, खुशखेड़ा, आदि के लिए जल प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही की जावेगी।

भादरा के विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद

65. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक व्याख्याताओं एवं अन्य कर्मचारियों के पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से विद्यालयों में और किस-किस के कितने-कितने पद? विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा (हनुमानगढ़) में संचालित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक, व्याख्याताओं एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण

66. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दिनांक 5 अगस्त, 2011 से खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो चुका है? यदि हां, तो करौली जिले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियमों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में कितने लाइसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन जारी किये गये? पंचायत समितिवार जारी लाइसेन्सों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या करौली जिले में खाद्य सुरक्षा लाइसेन्स प्राप्त किये बिना खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा है? यदि हां, तो कहां-कहां व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत करौली जिले में अब तक कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं एवं दर्ज प्रकरणों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून दिनांक 5.8.2011 से लागू किया गया। करौली जिले में खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत किये गये रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेन्सों का पंचायत समितिवार एवं वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार की तरफ से दिनांक 4 फरवरी, 2014 तक के लिए रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेन्स बनवाने की छूट प्रदान की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। करौली जिले में खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेन्स के बिना खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 05.08.2011 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कुल 61 मिस्ब्राण्ड/सबस्टैण्डर्ड प्रकरण पाये गये हैं, जिनमें से 34 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। शेष 27 प्रकरणों में अनुसंधान व पत्रावली पूर्ण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में से 15 प्रकरणों में दण्ड से दण्डित कर रुपये 1 लाख 42 हजार की जुर्माना राशि वसूल की गई है। शेष प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। विवरण की सूचना परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण, प्रति व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर नगर परिषद द्वारा जारी स्टेट ग्रांट के पट्टे

75. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 तक कितने भूखण्डों का नियमन किया गया? कृषि भूमि, कच्ची बस्ती और स्टेट ग्रांट के पट्टों का मय खसरा संख्या पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगर परिषद क्षेत्र में राशि जमा कराने के उपरान्त भी अनेक प्रकरणों में पट्टे जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा वर्ष 2009 से दिसम्बर, 2013 तक 9,735 भूखण्डों का नियमन किया गया है। कृषि भूमि, कच्ची बस्ती और स्टेट ग्रान्ट के पट्टों का मय खसरा संख्या के पूर्ण विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ", ''ब'' एवं "स" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आचार संहिता लागू होने व नियमानुसार औपचारिकताओं के पूरा नहीं होने के कारण कुल 102 प्रकरणों में राशि जमा होने के उपरान्त भी पट्टे जारी नहीं हो पाये हैं। ऐसे लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण 31 मार्च, 2014 तक किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले के उप-खण्ड मुख्यालयों पर अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना

76. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दूरदराज एवं मरूस्थलीय क्षेत्र में आगजनी से कई ढाणियां नष्ट होती हैं तथा अग्निशमन वाहनों की कमी के कारण समय पर मदद नहीं पहुंचने पर जान-माल की क्षति भी होती है? यदि हां, तो बाड़मेर जिले के कितने अग्निशमन वाहन कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिले में सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री हमीरसिंह भायल)

(3) क्या सरकार जिले के सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह आंशिक रूप से सही है कि कभी-कभी प्रदेश में दूरदराज एवं मरूस्थलीय क्षेत्र में आगजनी से कुछ ढाणियां नष्ट होती हैं तथा अग्निशमन वाहनों की कमी के कारण समय पर मदद नहीं पहुंचने पर जान-माल की क्षति भी होती है। वर्तमान में बाड़मेर जिले के बालोतरा एवं बाड़मेर नगरीय निकाय में क्रमश: तीन व छह अग्निशमन वाहन हैं। इसके अतिरिक्त, बाड़मेर में नागरिक सुरक्षा विभाग के पास भी एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में जिले के दो ही उपखण्ड मुख्यालयों, बाड़मेर एवं बालोतरा में अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं। जिले के शेष छह उपखण्ड मुख्यालयों पर नगरीय निकाय नहीं हैं।

(3) जिले के सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर नगरीय निकाय नहीं होने से अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जयपुर शहर में रेलवे क्रासिंग व चौराहों पर पुलिया/अण्डरपास का निर्माण

77. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कई रेल क्रासिंग व चौराहों पर पुलिया या अण्डरपास बनाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में अब भी कई रेल क्रासिंग व चौराहों पर पुलिया व अण्डरपास निर्माणाधीन व प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से और इनका कब तक निर्माण पूरा कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार सिविल लाइन रेलवे क्रासिंग चौराहे पर अण्डरपास निर्माण करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में अप्रैल, 2009 से लेकर अब तक जे.पी. फाटक क्रासिंग पर हल्के वाहनों के लिये एक अण्डरपास का निर्माण किया गया है।

(2) जी हां। जयपुर शहर में निम्न रेल-क्रासिंग चौराहों पर पुलिया व अण्डरपास निर्माणाधीन व प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

निर्माणाधीन पुलिया एवं अण्डरपास

1. जयपुर एल.सी.-110 (चौमूं)-आरयूबी - मई, 2014 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

2. जयपुर एल.सी.-89 (दादी का फाटक) - जून, 2014 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

3. जयपुर एल.सी.-228 (खिरणी फाटक) - जून, 2014 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

4. जयपुर एल.सी.-82 (अर्जुन नगर) - मार्च, 2015 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

5. जयपुर एल.सी.-83सी (कल्याण नगर) - मार्च, 2015 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित पुलिया एवं अण्डरपास

1. जयपुर एल.सी.-200 (बस्सी) - फीजिबिलिटी आंकलन के उपरान्त उपयुक्त होने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

2. जयपुर एल.सी.-214 (इंडुनी फाटक) - फीजिबिलिटी आकलन के उपरान्त उपयुक्त होने पर ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) जी हां। विभिन्न विचाराधीन प्रस्तावों के फीजिबिलिटी आकलन के उपरान्त उपयुक्त होने पर आवश्यकता, गुणावगुण व संसाधनों के आधार पर अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

भीम को पंचायत से नगरपालिका बनाने हेतु कार्य योजना

78. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार पंचायत समिति भीम को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

पंचायत समिति, भीम को नगरपालिका बनाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में रेत व बजरी खनन से प्राप्त अधिशुल्क

79. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में रेत एवं बजरी खनन के लिए क्या नीति निर्धारित है तथा इस हेतु पट्टा अथवा अनुज्ञा किस आधार पर जारी किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में प्रदेश के प्रत्येक जिले में रेत एवं बजरी खनन कितना हुआ एवं उससे कितना अधिशुल्क प्राप्त हुआ?

(3) सरकार द्वारा प्रदेश में रेत एवं बजरी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए गत तीन वर्षों में क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

(1) राज्य में खनिज बजरी (रेत) के खनन हेतु राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में प्रावधान हैं, जिसके अनुसार खनिज बजरी के खनन पट्टे निविदा/नीलामी के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए आबंटित किये जावेंगे। विभाग द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 35 के प्रावधानों के अनुसार खनिज बजरी के क्षेत्रों के प्रीमियम राशि निर्धारण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाकर उच्चतम प्रीमियम निविदादाता के पक्ष में नियम 8(1) के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे स्वीकृत करने के मंशा-पत्र जारी किये गये हैं। खनन पट्टों के स्वीकृति आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं, परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2013 की पालना में 80 मंशा-पत्र धारकों को दिनांक 28.2.2014 तक बजरी खनन की कार्यानुमति जारी की गई है।

(2) राज्य में विगत 3 वर्षों में बजरी खनन की मात्रा व उससे प्राप्त अधिशुल्क कार्यालयवार अधिशुल्क संग्रहण ठेकों के तहत हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में बजरी (रेत) की पर्याप्त उपलब्धता के लिए किये गये प्रयास निम्नानुसार हैं :-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिशुल्क संग्रहण ठेकों की बजाय खनन लीजों के तहत खनन करने के निर्णय दिनांक 27.2.2012 की पालना में अधिसूचना दिनांक 23.5.2012 से नियमों में संशोधन किया गया;

2. बजरी की खनन लीजें प्रभाव में आएं, तब तक बजरी खनन चालू रखने हेतु अधिसूचना दिनांक 21.6.2012 जारी की गई;

(खान मंत्री)

3. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 30.3.2013 के आदेश से राज्य में बजरी खनन निषेध कर देने पर यथोचित पैरवी कर दिनांक 18.4.2013 को खनन कार्य शुरू करने के आदेश पुन: प्राप्त किए;

4. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के आदेश दिनांक 21.10.2013 से पर्यावरण क्लीयरेंस व खनन पट्टा आबंटन के अभाव में राज्य में बजरी खनन बंद कर देने पर इसकी अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2013 की पालना में पर्यावरण क्लीयरेंस हेतु आवेदन करने वाले 80 एल.ओ.आई. धारकों को खनन कार्यानुमति जारी कर राज्य में बजरी उपलब्धता सुनिश्चित की गई; एवं

5. बजरी आपूर्ति काफी अंतराल बाद शुरू होने से बजरी के दामों में बढ़ोतरी हो जाने पर एल.ओ.आई.-होल्डर, ट्रांसपोर्टर्स, इत्यादि से समझाइश कर दरों में कमी लाई गई।

परिशिष्ट-1

क्रं. सं.	**नाम कार्यालय**	**3 वर्ष में उत्पादन (टन में)**	**3 वर्ष में अधिशुल्क की राशि (लाख रुपये में)**
1	खअ, धौलपुर	362000	103.00
2	खअ, करौली	91000	135.00
3	सखअ, सवाई माधोपुर	13500000	3035.00
4	खअ, भरतपुर	42000	11.00
	कुल	**13995000**	**3284.00**
5	खअ, जोधपुर	9482653	1756.84
6	खअ, सिरोही	2404338	437.15
7	खअ, सोजत	6284823	1256.96
8	खअ, बाड़मेर	3760322	752.06
9	खअ, जालोर	9269561	1737.26
10	खअ, बालेसर	0	0.00
	कुल	**31201697**	**5940.27**
11	खअ, जयपुर	1340500	134.38

क्रं. सं.	नाम कार्यालय	3 वर्ष में उत्पादन (टन में)	3 वर्ष में अधिशुल्क की राशि (लाख रुपये में)
12	खअ, सीकर	20153180	5038.29
13	खअ, अलवर	1425000	306.51
14	सखअ, टोंक	20652805	4700.26
15	सखअ, कोटपूतली	19976540	4177.75
16	सखअ, दौसा	4684500	900.25
	कुल	**68232525**	**15257.44**
17	खअ, उदयपुर	4658355	1024.27
18	खअ, प्रतापगढ़	0	0.00
19	खअ, डूंगरपुर	226559	38.52
20	खअ, बांसवाड़ा	406700	81.34
21	सखअ, ऋषभदेव	0	0.00
22	सखअ, सलूम्बर	98343	34.28
	कुल	**5389957**	**1178.41**
23	खअ, भीलवाड़ा	13678422	3191.63
24	खअ, बिजौलिया	1274243	291.31
25	खअ, चित्तौड़	8183025	436.60
26	सखअ, निम्बाहेड़ा	345944	69.19
	कुल	**23481634**	**3988.73**
27	खअ, राजसमन्द-।	0	0.00
28	खअ, राजसमन्द-।।	275700	44.59
29	खअ, आमेट	378140	45.43
	कुल	**653840**	**90.02**
30	खअ, कोटा	183056	36.61
31	खअ, रामगंजमण्डी	542229	108.45
32	खअ, बून्दी-द्वितीय	69686	18.88
33	सखअ, झालावाड़	3645575	559.67
34	सखअ, बारां	521791	104.37
	कुल	**4962337**	**827.98**

क्रं. सं.	नाम कार्यालय	3 वर्ष में उत्पादन (टन में)	3 वर्ष में अधिशुल्क की राशि (लाख रुपये में)
35	खअ, बीकानेर	16879029	3147.53
36	खअ, जैसलमेर	743948	77.45
	कुल	**17622977**	**3224.98**
37	खअ, अजमेर	22413200	1832.32
38	खअ, मकराना	782151	163.07
39	सखअ, गोटन	4828193	677.11
	कुल	**28023544**	**2672.50**
	महायोग	**193563511**	**36464.33**

तिजारा में अवैध खनन

80. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा की अरावली पर्वत श्रृंखला में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी अवैध खनन हो रहा है तथा अवैध खनन किया गया पत्थर डम्परों एवं ट्रैक्टर-ट्राली से हरियाणा जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र तिजारा में अरावली पर्वत श्रृंखला के वन खण्ड क्षेत्रों में अवैध खनन की गम्भीर समस्या है एवं अवैध उत्पादित खनिज हरियाणा राज्य में मुख्यतया ले जाया जाता है।

(2) जी हां। अवैध खनन पर नियंत्रण व मोनिटरिंग हेतु राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित है एवं जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित है। अवैध खनन रोकने हेतु समय-समय पर संयुक्त रूप से अभियान चलाये जाकर अवैध खनन रोकने की कार्यवाही की गई है तथा आगे भी की जाएगी। विगत तीन वर्षो में अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। अवैध खनिज निर्गमन के विरुद्ध

(खान मंत्री)

हरियाणा क्षेत्र में यथोचित कार्यवाही कर सहयोग करने हेतु राज्य सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को पत्र लिखे गए हैं। सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने हेतु भरतपुर में अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता), अलवर में खनि अभियंता (सतर्कता) तथा तिजारा में सहायक खनि अभियंता (सतर्कता) के नये कार्यालय सृजित किये गये हैं। सभी कार्यालयों में अवैध खनन रोकने हेतु तकनीकी स्टाफ की भर्ती की गई है जिससे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के प्रयासों में तेजी आयेगी। इसके अलावा, तहसील तिजारा के गांव कहरानी की 69.0085 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव दिनांक 26.12.2012 को वन विभाग को प्रेषित किये गये हैं। वन मंत्रालय से उक्त भूमि का डायवर्जन प्राप्त होने पर क्षेत्र को डेलीनियेटेड कर खनन पटटे आबंटित किये जावेंगे, जिससे अवैध खनन का दबाव कम होगा।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अलवर

तहसील तिजारा में अवैध खनन/परिवहन को रोकने हेतु वर्ष 2011-12 से 2013-14 में निम्न अभियान चलाये गये

1. 17.1.2011 से 28.2.2011
2. 20.6.2011 से 20.7.2011
3. 25.8.2011 से 28.8.2011
4. 18.9.2011 से 31.3.2012
5. 23.4.2012 से 15.6.2012
6. 16.6.2012 से 31.7.2012
7. 1.8.2012 से 31.10.2012
8. 15.5.2013 से 30.6.2013

उपरोक्तानुसार समय-समय पर वन, राजस्व, पुलिस, खान, परिवहन, एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल विभागों के निम्न अधिकारियों की देख-रेख में अभियान चलाये गये एवं अवैध खनन स्थलों पर 70 बोर्डर होमगार्डो को लगाया गया:-

1. अति. जिला कलक्टर प्रथम व द्वितीय अलवर।
2. उपखण्ड अधिकारी, तिजारा।

3. सचिव नगर विकास न्यास भिवाड़ी।
4. तहसीलदार तिजारा।
5. नायब तहसीलदार तिजारा।
6. खनि अभियन्ता अलवर।
7. खनि अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर।
8. खनि अभियन्ता (सतर्कता) मुख्यालय उदयपुर।
9. सहायक खनि अभियन्ता, अलवर।
10. खनि कार्यदेशक।
11. उप वन संरक्षक, अलवर।
12. ऐ. सी. एफ. वन विभाग, अलवर।
13. रेन्जर समस्त रेंज जिला अलवर।
14. जिला परिवहन अधिकारी अलवर।
15. परिवहन निरीक्षक भिवाड़ी, अलवर।
16. सहायक अभियन्ता प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल भिवाड़ी।
17. अति. पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी।
18. उप पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी।
19. थानाधिकारी टपूकड़ा, भिवाड़ी, भिवाड़ी फेज।।।, भिवाड़ी फूलबाग, चौपानकी, खुशखेड़ा, तिजारा।

तहसील तिजारा में अधिकांशतः अवैध खनन वन क्षेत्र की पहाड़ियों में होता है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक नं. 14(1) खान/ग्रुप-2/2012 जयपुर दिनांक 9.2.2012 (प्रदर्श अ) के अनुसार वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की है, एवं इसके लिए सम्बन्धित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेदार है। फिर भी खान विभाग द्वारा संयुक्त अभियान के तहत निम्नानुसार अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

क्रम सं.	वर्ष	अवैध खनन/ निर्गमन कर्ताओं के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. संख्या	अवैध खनन/ निर्गमन कर्ताओं से वसूल की गई राशि	अवैध खनन कर्ताओं की जब्त वाहन/मशीन/ओजार व अन्य का विवरण।
1.	2011-12	41	31.60 लाख	41 वाहन, 8 ट्रैक्टर मय कम्प्रेशर के तथा 418 औजार, 2 एक्सवेटर मशीन, 4 जे.सी.बी.
2.	2012-13	144	42.80 लाख	1. 167 वाहन जब्त किए गए 2. 3 कम्प्रेशर 3. 3 जैकहैमर 4. 61 ड्रिल रोड 5. 150 किलो बारूद्व 6. 2.5 बण्डल जिलेटिन 7. 1 जे.सी.बी.
3.	2013-14	91	23.96 लाख	1. 113 वाहन जब्त किये गये 2. 1 जे. सी. बी. 3. 1 ट्रैक्टर

एम.एल. मरमट

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु. प्रथम)

वन विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में तिजारा क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	कम्पाउण्ड किए गए प्रकरण	न्यायालय में प्रस्तुत किए गए चालान	लम्बित	क्षतिपूर्ति की राशि
2011-12	295	223	62	50	22.07
2012-13	384	56	324	4	18.05
2013-14 (दिनांक 30.12.13 तक)	334	--	302	32	

किशनगढ़ बास के थानों में विद्युत उपकरण चोरी के दर्ज प्रकरण

81. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के थानों में विगत पांच वर्षों में ट्रांसफार्मर/विद्युत उपकरण चोरी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थानों में दर्ज एफ.आई.आर. में चोरी किये गये सामान के किस-किस प्रकरण में मुलजिम पकडे गये? उक्त पकड़े गये मुलजिमों से कितनी-कितनी राशि की सामग्री बरामद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चोरियों को रोकने के लिये कोई ठोस कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में विगत पांच वर्षों में विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर/विद्युत उपकरण चोरी के दर्ज कुल 282 प्रकरणों की थानेवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) थानों में दर्ज एफ.आई.आर. में चोरी गये सामान के प्रकरणों में पकड़े गये मुलजिमों की संख्या एवं बरामद की गई सामग्री का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त चोरियों को रोकने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जा रही है:-

1. विद्युत सामान चोरी करने वाले अपराधियों को चिह्नित कर उन पर निगरानी रखी जाती है;
2. सी.एल.जी. के सदस्यों की मीटिंग ली जाकर चोरी रोकने हेतु समझाइश की जाती है;
3. पुलिस द्वारा प्रभावी गश्त की जाती है;
4. जिस क्षेत्र में ज्यादा विद्युत सामान चोरी होता है, उनको चिह्नित किया जाकर प्रभावी पुलिस गश्त की जाती है; एवं
5. ग्रामीण क्षेत्रों में गृह रक्षा दल बनाने हेतु प्रेरित किया जाता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से ट्रांसफार्मरों को ऊंचे स्थानों पर लगाने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में होम गार्ड के पद पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण

82. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में होम गार्ड के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार होम गार्ड के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में होम गार्डस के कुल 28,050 पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से 1,150 पद रिक्त तथा बोर्डर होम गार्डस के 2,664 पद स्वीकृत हैं व इनमें से 44 पद रिक्त हैं।

(2) जी नहीं। होम गार्ड स्वयंसेवकों को होम गार्ड रूल्स, 1962 के तहत स्थायी करने का प्रावधान नहीं है।

खान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

83. श्री मोहन लाल गुपता (किशनपोल) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में खान विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कितने प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई? दर्ज प्रथम सूचना-रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कितने प्रकरणों में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति हेतु कार्मिक विभाग को पत्र भिजवाये गये? अधिकारी का नाम व दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तीन वर्षों में कितने प्रकरणों में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये एवं शेष के विरुद्ध चालान प्रस्तुत नहीं किये जाने के क्या कारण रहे व अब कब तक चालान प्रस्तुत कर दिये जावेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों (2011, 2012 व 2013) में खान विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर में 22 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गईं। दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार संलग्न हैं।

(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री)

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से 1 प्रकरण कार्मिक विभाग को अभियोजन स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" में अंकित है। इसके अतिरिक्त, विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु भिजवाये गये प्रकरणों का भी विवरण अधिकारी के नाम, पद, विभाग एवं दिनांक सहित संलग्न परिशिष्ट "ख" में अंकित है।

(3) उक्त तीन वर्षों में दर्ज प्रकरणों में से 2 प्रकरणों में सम्बन्धित न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार हैं-

क्र. सं.	**प्रकरण संख्या**	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम**	**दिनांक**
1	48/2012	श्री विशम्भर दयाल गुप्ता, समूह महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि., बीकानेर।	18-07-2013
2	258/2012	श्री सत्यनारायण मोची, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय खनि अभियंता-द्वितीय, राजसमंद।	03-11-2013

शेष 20 प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**प्रकरणों की स्थिति का विवरण**	**प्रकरणों की संख्या**
1	अंतिम प्रतिवेदन	1
2	अभियोजन स्वीकृति में विचाराधीन	4
3	अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रारूप तैयार में	1
4	चार्जशीट प्रस्तुत की जा रही है	1
5	अन्वेषणाधीन	13
	योग	**20**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरणों में अंकित आरोप काफी जटिल प्रकृति के होते हैं, जिनकी जांच में विभिन्न कानूनी पहलुओं से परीक्षण, सम्बन्धित विभागों से अभिलेखादि एकत्रित/अवलोकन करने एवं उनका नियमों के अनुरूप विश्लेषण/परीक्षण करने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण करवाने, इत्यादि में समय लगना स्वाभाविक है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

गंगापुर सिटी कारागृह का स्थानान्तरण

84. श्री मान सिंह (गंगापुर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी की जेल शहर के मध्य स्थित है? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा की दृष्टि से उक्त जेल को शहर के बाहर अन्यत्र स्थान पर स्थान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। जिला कारागृह, गंगापुर सिटी शहर के मध्य स्थित न्यायालय एवं जिला अस्पताल से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से बंदियों को पेशी हेतु न्यायालय तथा चिकित्सा हेतु चिकित्सालय ले जाने एवं लाने में सुविधा रहती है। जिला कारागृह, गंगापुर सिटी में नवीन जेल भवन निर्माण के कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

वल्लभनगर में पटवारियों के रिक्त पद

85. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में वर्तमान में पटवारियों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में पटवारियों के 67 पद स्वीकृत हैं, उनमें से 35 पद रिक्त हैं।

(2) उदयपुर जिले में 136 पटवारियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

भूदान की आबंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार

86. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भूदान की आबंटित भूमियों का कृषकों को खातेदारी अधिकार दिये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों/उपनियमों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(2) जयपुर एवं अलवर जिले में गत पांच वर्षों में भूदान की भूमि पर काश्त कर रहे कितने कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये? गांव एवं कृषक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भूदान की आबंटित भूमियों का कृषकों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 16 मई, 2008, परिपत्र दिनांक 26.3.2009 व परिपत्र दिनांक 18.11.2010 जारी हुए हैं, जिनकी छाया प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(2) जिला अलवर में भूदान की भूमि नहीं है एवं जिला जयपुर में गत पांच वर्षों में भूदान की भूमि पर काश्त कर रहे कृषकों को निम्न तहसीलों में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं:-

क्र.सं.	नाम तहसील	कृषकों की संख्या
1	आमेर	79
2	फुलेरा	13
3	दूदू	26
4	चौमूं	47
	कुल योग	**165**

ग्राम एवं कृषकों के नाम सहित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

करौली जिले के वन क्षेत्र में अवैध खनन

87. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा करौली जिले के वन क्षेत्र में कौन-कौन से विकास कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं तथा उनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अपूर्ण हैं? कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में वन क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां पर एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि में हुए अवैध खनन के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में करौली जिले के वन क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) विगत पांच वर्षों में करौली जिले के वन क्षेत्र में अवैध खनन की प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) अधिकारियों/कर्मचारियों पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर कम्प्यूटर की अनिवार्यता

88. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितनी दुकानें चालू हैं एवं कितनी रिक्त हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उचित मूल्य की दुकानें चलाने वाले के पास कम्प्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसी कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं जिन पर कम्प्यूटर द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में स्वीकृत प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर कम्प्यूटर रखने एवं उसी के द्वारा समस्त लेन-देन किया जाना अनिवार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में कुल 25,706 उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत हैं, जिनमें से 24,474 दुकानें चालू हैं एवं 1,232 दुकानें रिक्त हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश दिनांक 27.04.2012 द्वारा निर्देश जारी किया जाकर रिक्त/नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की आबंटन प्रक्रिया में उचित मूल्य दुकान चलाने वाले के पास कम्प्यूटर में न्यूनतम जानकारी

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

आर.के.सी.एल. या अन्य समकक्ष संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

प्रदेश में वर्तमान में कम्प्यूटर द्वारा कार्य सम्पादित की जा रही उचित मूल्य दुकानों की संख्या शून्य है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। राशन कार्ड डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विभिन्न चरणों में दुकानों पर कम्प्यूटर आधारित हैण्ड-हेल्ड टर्मिनल या तत्समय तकनीकी रूप से उपयुक्त उपकरण स्थापित कराये जाने की योजना है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

फुलेरा के कस्बों में नवीन गैस एजेन्सी खोलने की कार्य योजना

89. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में कौन-कौनसी गैस एजेंसियां कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन कस्बों में नई गैस एजेन्सी खोलने हेतु जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2013 तक विभिन्न कम्पनियों द्वारा कब-कब आवेदन मांगे गये और उनमें से किन-किन को एजेन्सी का कब-कब आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने हेतु आवेदन मांगे गये थे और आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आबंटन निरस्त कर दिया गया और अन्य को आबंटित कर दी गई? यदि हां, तो किसको व अब कब तक उक्त एजेन्सी का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न कस्बों में नवीन गैस एजेन्सी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में संचालित गैस एजेंसियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	नाम	प्रारम्भ दिनांक
1	मैसर्स बधाल इंडेन ग्रामीण वितरक, ग्राम बधाल, तहसील फुलेरा	02.12.2011
2	मैसर्स बजरंगबली एचपी गैस एजेन्सी राजीव गांधी ग्रामीण वितरक, कांचरोदा, तहसील सांभर	17.09.2013
3	मैसर्स रेनवाल इंडेन राजीव गांधी ग्रामीण वितरक, रेनवाल, तहसील सांभर	07.11.2013
4	मैसर्स अन्नपूर्णा भारत गैस, नरायणा, तहसील सांभर	14.07.2004
5	मैसर्स शहीद आनन्द गैस सर्विस, एचपीसीएल, सांभरलेक	30.06.2001
6	दी वेस्टर्न रेलवे एम्पलायज कन्ज्यूमर कापरेटिव सोसायटी लि., फुलेरा आईओसीएल	21.08.1995
7	कृषि महाविद्यालय गैस सर्विस, जोबनेर	फरवरी, 2000

नोट:- क्रम संख्या 6 एवं 7 पर अंकित गैस एजेन्सियों द्वारा स्वयं के कैम्पस के कर्मचारियों को ही गैस आपूर्ति की सेवाएं दी जाती हैं।

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में नई गैस एजेन्सी खोलने हेतु भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बी.पी.सी.) द्वारा सितम्बर, 2013 में आवेदन मांगे गये हैं। आबंटन अभी तक नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया चालू है।

(3) जी हां। राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग), राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार किशनगढ़-रेनवाल कस्बे में नई गैस एजेन्सी स्थापित करने हेतु आवेदन मांगे गये थे और आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त तेल विपणन कम्पनी के विभागीय कारणों से चयनित उम्मीदवार का चयन निरस्त कर दिया गया। उसके पश्चात् उक्त उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया पर माननीय

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

न्यायालय से 'स्टे' प्राप्त कर लिया, जिसके फलस्वरूप नई गैस एजेन्सी का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सकता है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में नवीन गैस एजेन्सी खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, अन्य किसी कस्बे में गैस एजेन्सी खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

सरदारशहर के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पद

90. श्री भंवरलाल (सरदारशहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के विभिन्न राजकीय सामुदायिक केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सब-सैंटर व अस्पताल में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने पद कहां-कहां कब-कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का, रिक्ति दिनांक सहित, संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जो पदोन्नति के पद हैं जैसे विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी इत्यादि, वे पदोन्नति होने के पश्चात् एवं अन्य रिक्त पद स्थानान्तरण अथवा रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती होने के पश्चात् भरे जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम के भवन-विहीन चिकित्सालय

91. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विगत पांच वर्षों में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में खोले गये स्वास्थ्य केन्द्रों के पास स्वयं के भवन की व्यवस्था है अथवा वैकल्पिक भवनों में संचालित हैं? क्या सरकार

(श्री घनश्याम)

भवन-रहित स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में ग्राम भनकपुरा, पंचायत समिति टोडाभीम एवं ग्राम कैमला (नई), पंचायत समिति नादौती में वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत 5 वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उक्त खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों में संचालित हैं।

जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भनकपुरा एवं कैमला के भवन निर्माण करवाये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

प्रदेश के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

92. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं? उक्त केन्द्रों पर चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अनेकों पदस्थापित चिकित्सक चिकित्सालयों में उपस्थित नहीं होते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) प्रदेश में 2,081 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण), 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी), 194 शहरी डिस्पेन्सरी एवं 563 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त केन्द्रों में वरिष्ठ विशेषज्ञों के 9, कनिष्ठ विशेषज्ञों के 943, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 231, चिकित्सा अधिकारी के 854 तथा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के 74, इस प्रकार कुल 2,111 पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदोन्नति वाले पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर यथासम्भव भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची में से पात्र अभ्यर्थियों के पदस्थापन के समय अथवा स्थानान्तरण द्वारा यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण द्वारा यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापित जो चिकित्सक अपने पदस्थापन स्थान से अनुपस्थित चल रहे हैं, उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मथुरादास माथुर चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु रोग केन्द्र के भवन निर्माण में अनियमितता

93. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु रोग केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य कराया गया है? यदि हां, तो कब, कितनी राशि से व किस फर्म के द्वारा यह कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग एवं विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण निर्माण के कुछ समय पश्चात् ही भवन में दरारें व प्लास्टर बाहर दिखने लग गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच करवाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी स्वीकृति शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) के पत्रांक प.18(1)एम.ई./(ग्रुप-प्रथम)/09 दिनांक 09.02.2011 के द्वारा राशि 34.91 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

थी। (इसमें पूर्व वर्ष 2009-10 में जारी की गई 100.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी सम्मिलित है।) उक्त निर्माण में सिविल कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जिन फर्मों द्वारा किया गया है एवं अब तक व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

फर्म का नाम	व्यय राशि (राशि करोड़ रु.)
1. मैसर्स मानस इन्टरप्राइजेज, जोधपुर	0.81 (प्रोरेटा सहित)
2. मैसर्स आनन्दीलाल लालपुरिया, सिविल लाइन, जयपुर	14.14 (प्रोरेटा सहित)
3. मैसर्स नींव इन्फ्रास्ट्रक्चर, मुम्बई	12.08 (प्रोरेटा सहित)

(2) जी नहीं। उक्त भवन निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्य किया गया। भवन में एक्सपेशंन जोइंट की जगह ही दरार (गेप) दिख रही है, जो तापमान में उतार-चढ़ाव की वजह से भवन फैलाव व सकुड़न होने की वजह से तकनीकी रूप से रखा जाता है तथा इससे भवन की संरचना को कोई खतरा नहीं है, बल्कि सुरक्षित रहता है। निर्माण कार्य के दौरान समय-समय पर जोधपुर स्थित उच्चाधिकारियों के अलावा, गुण नियंत्रण खण्ड, जोधपुर द्वारा भी समय-समय पर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई।

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा भी दिनांक 28.04.2012 एवं 15.03.2013 को भवन का निरीक्षण किया गया। प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा भी माह अगस्त, 2013 में निरीक्षण किया गया था।

प्रदेश के चिकित्सालयों में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति

94. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश के सभी बड़े चिकित्सालयों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पास प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का पद रहता है, जिस कारण वे अपने मूल कार्य को सही रूप में अंजाम नहीं दे पाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी बड़े चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राज्य के सभी बड़े चिकित्सालयों में वरिष्ठतम वरिष्ठ विशेषज्ञ/ चिकित्सक को प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कार्य संपादित करने हेतु आदेशित किया जाता है। सम्बन्धित चिकित्सक को अपने स्वयं के कार्य के साथ-साथ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का कार्य करने से उनका मूल कार्य प्रभावित होने से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य के सभी बड़े चिकित्सालयों में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते की राशि में वृद्धि

95. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं क्या-क्या पात्रता रखने वाले नवयुवकों को कितनी-कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में देय बेरोजगारी भत्ते की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिनांक 1-7-2012 से दिया जा रहा है। यह योजना माननीय मुख्य मंत्री महोदय की वित्तीय वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा में की गई घोषणा के अनुसरण में प्रदेश में लागू की गई है। राज्य के ऐसे बेरोजगार स्नातक युवाओं, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक है, को आवेदन से पूर्व पंजीयन होने पर 500 रुपये प्रति माह की दर पुरुष एवं महिला प्रार्थी को एवं विशेष योग्यजन बेरोजगार स्नातक युवाओं हेतु 600 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। योजना की प्रति परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

झालावाड़ जिले के भवन-विहीन विद्यालय

96. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालावाड़ जिले के किस-किस प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के किस-किस प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति दयनीय है तथा कौन-कौन से विद्यालय भवन विहिन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में 692 राजकीय प्राथमिक, 368 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 107 माध्यमिक विद्यालय, कुल 1,167 विद्यालयों में खेल मैदान नहीं हैं। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जिला झालावाड़ में 03 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन की स्थिति दयनीय है। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। 16 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन-विहिन हैं। सूची परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। कोई भी माध्यमिक विद्यालय भवन-विहिन एवं दयनीय स्थिति में नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अलवर के भवन-रहित विद्यालय

97. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में भवन-रहित विद्यालय कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित विद्यालयों को भवन उपलब्ध करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में 08 राजकीय प्राथमिक तथा 07 उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुल 15 विद्यालय ऐसे हैं जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं। इनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय स्वयं के भवन अथवा किराए के भवनों में संचालित हैं तथा ऐसा कोई राजकीय विद्यालय संचालित नहीं है जो भवन रहित हो।

(शिक्षा मंत्री)

(2) भूमि की उपलब्धता होने पर सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षों की कार्ययोजना में विद्यालय भवनों के निर्माण के अनुमोदित लक्ष्यों की सीमा में भवन उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के वे राजकीय विद्यालय जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं, का विवरण

क्रम संख्या	भवन रहित विघालय का नाम
1	राप्रावि सोनावा
2	राप्रावि भगवानपुरा
3	राप्रावि रामगंज
4	राप्रावि जुबलीवास
5	राबाप्रावि मन्नी का बड़
6	राप्रावि मालन की गली
7	राप्रावि शिकारीवास
8	राप्रावि खदाना
9	राबाउप्रावि एनईबी अरावली विहार
10	राबाउप्रावि दाउदपुर
11	राउप्रावि प्रतापबास
12	राउप्रावि नवाबपुरा
13	राबाउप्रावि स्कीम नं. 02
14	राउप्रावि बसन्त बिहार
15	राबाउप्रावि नयाबास

बड़ी सादड़ी में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितता

98. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में किस-किस स्तर के कितने-कितने विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोतम कुमार)

(2) उक्त क्षेत्र में संचालित विभिन्न श्रेणी के राजकीय विद्यालयों में से किस-किस विद्यालय में कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद किन कारणों से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्ष में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कितने शिक्षकों को नियुक्ति दी गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के कई विद्यालयों में रिक्त पद नहीं होने के उपरान्त भी शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है? यदि हां, तो कब तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 204 राजकीय प्राथमिक, 89 उच्च प्राथमिक, 62 माध्यमिक तथा 27 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने, कार्मिक की मृत्यु होने, स्थानान्तरण व सेवानिवृत्ति के कारण उक्त पद रिक्त हैं।

(3) तृतीय श्रेणी अध्यापक तथा प्रबोधक के पद पंचायती राज विभाग द्वारा चयनित कार्मिक उपलब्ध करवाये जाने पर भरे जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग व विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जा सकेगा।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में कुल 508 तृतीय श्रेणी अध्यापको को नियुक्तियां दी गई हैं, जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	पंचायत समिति	अध्यापकों की संख्या
1	बड़ी सादड़ी	202
2	डूंगला	157
3	भदेसर	57
4	प्रतापगढ़	92
	कुल	508

(5) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के कई विद्यालयों में रिक्त पद नहीं होने के उपरान्त भी वर्ष 2012-13 में 46 शिक्षकों को पदस्थापित किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषद स्तर पर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत रिक्त पद नहीं होने के उपरान्त भी शिक्षकों को नियुक्ति दिए जाने का कोई प्रकरण नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आहौर के विद्यालयों में रिक्त पद

99. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व वर्तमान में कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर के राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिवीक्षा-काल पूर्ण कर चुके प्रबोधकों को विशेष वेतन वृद्धि

100. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक पैराटीचर से प्रबोधक बने कार्मिकों को राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा तृतीय संशोधित सेवा नियम, 2008 के नियम 37 (क) के अनुसार उनकी पुरानी संविदा सेवा अवधि के बदले परिवीक्षा-काल पूर्ण होने पर प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तर पर एक विशेष वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा चुका है? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2009 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कोटा जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां खोले गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गई है, कितने विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई है व कितने विद्यालयों की भवन निर्माण की स्वीकृति जारी होना शेष है, कितने विद्यालयों को जमीन आबंटित की गई है व कितने विद्यालयों को नहीं की गई है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा विभाग में कार्यरत पैराटीचर जो प्रबोधक बन गये थे, को प्रबोधक भर्ती नियम, 2008 के नियम 37(क) के अनुसार वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के प्रावधानान्तर्गत जिन प्रबोधकों को लाभ दिया गया है, उनका जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2009 से 2013 तक की अवधि में कोटा जिले में खोले गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट ''ख'' तथा परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है। इसी प्रकार, माध्यमिक सेटअप में उक्त अवधि में कोटा जिले में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट '''घ'' पर संलग्न है।

(3) सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वार्षिक कार्ययोजना में विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति भूमि उपलब्ध होने पर दी जाती है। वर्ष 2009

(शिक्षा मंत्री)

से 2013 तक सरकार द्वारा भवन विहीन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन कराने हेतु किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट ''ड़" पर संलग्न है। कोटा जिले में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013 तक की अवधि में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कुल 13 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण की योजना भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत स्वीकृतियां जारी की गईं व अनुमोदित योजना में से भवन निर्माण की कोई स्वीकृति जारी किया जाना शेष नहीं है। वर्षवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''च" पर संलग्न है। भवनविहिन विद्यालयों में से कोटा जिले में 4 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भूमि आबंटन हो चुका है एवं 37 राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भूमि चयन/आबंटन के प्रयास किये जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्रवार व विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ''छ" पर संलग्न है।

माध्यमिक सेटअप में वर्ष 2009 से 2013 तक कोटा जिले में नव-क्रमोन्नत विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा पृथक से कोई कार्य-योजना नहीं बनाई गई है तथा उक्त अवधि के दौरान भवन निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गई है तथा न ही भूमि का आबंटन हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उनियारा (टोंक) में ड्राइविंग लाइसेंस केन्द्र की स्थापना

101. श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) टोंक जिले में वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस कहां-कहां बनाये जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार लोगों की परेशानियों को मध्यनजर रखते हुए उनियारा, जिला टोंक में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टोंक जिले में जिला परिवहन कार्यालय टोंक में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जा रहे हैं।

(2) उनियारा में उप परिवहन कार्यालय स्वीकृत है परन्तु वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। अत: कार्यालय के क्रियाशील होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

परबतसर के रोडवेज बस सेवा से वंचित ग्राम

102. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि परबतसर विधान सभा क्षेत्र के कई ग्राम व पंचायत समिति मुख्यालय रोडवेज बस सेवा से नहीं जुडे हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त ग्रामों व पंचायत समिति मुख्यालयों को अविलम्ब रोडवेज बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति कुचामन के ग्राम लिचाणा व पंचायत समिति परबतसर के ग्राम बिदियाद, बस्सी, बंवाल व हरनांवा को रोडवेज बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) परबतसर विधान सभा क्षेत्र में परबतसर पंचायत समिति स्थित है, जो निगम बस सेवा से जुडी हुई है। लेकिन इस पंचायत समिति में स्थित 22 ग्राम पंचायतों में निगम बस सेवा संचालित नहीं है, जिनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम की मिडी बसें आबंटित की जाकर वंचित ग्राम पंचायतों को राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजनान्तर्गत शीघ्र ही बस सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। पंचायत समिति कुचामन के ग्राम लिचाणा एवं पंचायत समिति परबतसर के ग्राम बिदियाद व हरनांवा को ग्रामीण परिवहन सेवा योजनान्तर्गत पी पी पी मोड पर शीघ्र ही बस सेवा से जोड़ दिया जावेगा। पंचायत समिति परबतसर के ग्राम बस्सी के लिए अजमेर-बस्सी मार्ग पर एवं बंबाल के लिए अजमेर-बंबाल मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन किया जा रहा है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम
1	बड़ू
2	बाजवास
3	बिठवालिया

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम
4	भादवा
5	बिदियाद
6	चिताई
7	ढाढोता
8	गुलर
9	हरनावां
10	जंजीला
11	जावला
12	किनसरिया
13	कुण्डरी
14	कुराडा
15	नैणिया
16	नैतियास
17	पीह
18	पीलवा
19	राबडियाद
20	रिड
21	टापरवाडा
22	रूणिजा

कोटा के न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय में रिक्त पदों पर भर्ती

103. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजगण्डी) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय, कोटा में सरकार द्वारा माह फरवरी, 2013 में 11 रिक्त पदों के लिए आवश्यक अस्थायी तौर पर नर्सिंग स्टाफ के लिये आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो सरकार उक्त पदों पर कब तक नियुक्ति देने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न के उत्तर बिन्दु संख्या 1 के अनुरूप लागू नहीं।

प्रदेश में जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा

104. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि देश के अनेक राज्यों में जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है? यदि हां, तो किन-किन प्रदेशों में कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा भी जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया था? यदि हां, तो कब से? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य में जैन समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देश के किन-किन राज्यों में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, इससे सम्बन्धित सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा इस क्रम में अधिसूचना क्रमांक एफ 7(4)(9)असआ/विकास/सकवि/02/62784 दिनांक 19.9.2003 जारी की गई थी (परिशिष्ट-अ)। नियत समयावधि में विधान सभा में इस बाबत विधेयक प्रस्तुत ना होने के कारण उक्त अधिसूचना व्यपगत हो गई थी (परिशिष्ट-ब)।

(3) अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा-2 (III) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित समुदाय को ही राज्य में अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। (परिशिष्ट-स)। केन्द्र सरकार के कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 अक्टूबर, 1993 के द्वारा जिन समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, उनमें जैन समुदाय शामिल नही है (परिशिष्ट-द)।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, जो पढ़े माने गये

फतेहपुर में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को कारित क्षति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की नियमावली के नियम 295 के तहत राज्य सरकार एवं पशुपालन मंत्री का ध्यान आम जन, किसानों एवं व्यापारियों को आवारा पशुओं से हो रही भारी परेशानी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों एवं आम जन के साथ पूरे प्रदेश के किसानों व आम जन को आवारा पशुओं से परेशानी हो रही है। राज्य सरकार परेशानी से निजात दिलाने के लिए अनुदानित गौशालाओं के माध्यम से व अन्य आवारा पशुओं के कैम्प लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार की योजना चलाकर आवारा पशुओं की उचित व्यवस्था करे, जिससे किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से हो रहे भारी नुकसान व आम जन को हो रही परेशानी व दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।

सरकार का मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसानों, व्यापारियों व आम जन को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की समुचित व्यवस्था की जाए व इस समस्या का समाधान किया जाए। इन आवारा पशुओं की वजह से हाइवे तथा अन्य गतिशील मार्गों पर अनगिनत दुर्घटनाएं हो रही हैं जिनसे आम जन को भारी जान-माल का नुकसान उठाना पड रहा है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार उक्त लोक महत्व के विषय को गम्भीरता से लेते हुए शीघ्र कार्यवाही कराने का श्रम करे।

नन्द किशोर महरिया

(फतेहपुर)

पचपदरा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में जगह-जगह सड़कें टूटी-फूटी होने के कारण आम जनता को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इन क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण कई दुर्घटनाएं होकर लोग मौत के ग्रास बन गये और कई महिलाओं का सुहाग उजड़ चुका है और कई लोग विकलांग हुए। पिछली सरकार ने इन सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई तथा न ही 30 किमी. सड़क भी 5 साल में शुरू कराने के बाद भी पूरी नहीं कीं। इन क्षतिग्रस्त सड़कों के प्रस्ताव सरकार के पास वर्क-आर्डर हेतु अब विचाराधीन हैं।

माननीय वसुंधराजी की सरकार में स्टेट हाइवे की घोषणा हुई थी लेकिन पिछली सरकार 5 वर्षों में सिर्फ विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में 6 किमी. सड़क का ही निर्माण कर पाई। इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। 20-25 बसों का आना-जाना लगा रहता है तथा सैकड़ों छोटे-मोटे वाहन चलते हैं, लकिन अभी तक इस अधूरी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है।

अत: मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से विन्रम निवेदन है एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान जन हित में आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की सड़कों का निर्माण एवं स्टेट हाइवे समदड़ी से बालोतरा का निर्माण अतिशीघ्र ही डामरीकरण कर पूरा करने के आदेश फरमायें।

अमराराम

(पचपदरा)

कोटपूतली में सड़कों की दयनीय स्थिति

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं जयपुर जिले के कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की दयनीय स्थिति की ओर राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में ग्राम पावटा से वाया टसकोला-रामपुरा-द्वारिकापुरा-शुक्लावास-खड़ब-नारेड़ा-बनेठी-बनार-देवता से हरियाणा राज्य में प्रवेश करने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस सड़क से तकरीबन 20 ग्राम पंचायतें जुडी हैं, जहां के निवासियों को इस सड़क की दुर्दशा के चलते भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गम्भीर बीमार व्यक्तियों को अस्पताल तक पंहुचाने में ही इतना समय व्यर्थ लगता है कि कई बार तो उनकी जान पर बन आती है। रोजाना अप-डाउन करने वाले स्थानीय ग्रामवासियों को भी इस सड़क की खस्ता हालत के कारण समय की बरबादी से परेशानी का सामना करना पड रहा है।

इसी प्रकार कोटपूतली से गोपालपुर-चिमनपुरा-बनेठी सड़क भी जगह-जगह से टूटी-फूटी हालत में है। आम जन का सड़क पर चलना तक दुश्वार हो रहा है। सडक की दुर्दशा की स्थिति यह है कि पांच कदम भी बिना हिचकोले खाये गाड़ियां नहीं गुजर सकती है।

ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की उक्त सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाये जाने के आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जायें।

इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि यदि ग्राम पावटा से हरियाणा की ओर जाने वाली सड़क को यदि स्टेट हाइवे अथवा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में कन्वर्ट किया जाता है तो हरियाणा की ओर जाने वाली राजस्थान रोडवेज एवं हरियाणा रोडवेज की बसें इस रास्ते से गुजर सकती हैं जिससे कम दूरी एवं कम समय में रास्ता तय हो सकता है और इससे ग्रामीण जनता को बहुत अधिक फायदा होगा।

अतः क्षेत्रवासियों की इस जायज मांग के लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरन्त प्रभाव से इन सड़कों को दुरुस्त एवं नवीनीकृत किया जाए तथा पावटा से जाने वाली सड़क को स्टेट हाइवे/मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तब्दील किये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें।

राजेन्द्र सिंह यादव

(कोटपूतली)

परबतसर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में परबतसर कस्बे में हजारों की संख्या में छात्र/छात्राएं उच्च शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। परबतसर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने की वजह से छात्र/छात्राओं को कुचामन सिटी और किशनगढ़ में जाना पड़ता है। किशनगढ़ परबतसर से लगभग 50 किलोमीटर है और कुचामन सिटी परबतसर से लगभग 40 किलोमीटर है, जिससे उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परबतसर में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने की वजह से कई अभिभावक विशेष रूप से छात्राओं को कुचामन सिटी और किशनगढ़ में नहीं भेज पाते हैं और इस वजह से कई छात्राएं शिक्षा से वंचित हो रही हैं।

मेरा निवेदन है कि आप परबतसर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय, जिसमें सभी संकायों की शिक्षा दी जा सके, खोलने की कृपा करें, जिससे परबतसर कस्बे और उसके आसपास के क्षेत्र के हजारों छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के अध्ययन की सुविधा मिल सके।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि आप परबतसर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने के आदेश प्रदान कर अनुगृहीत करें।

धन्यवाद।

मानसिंह किनसरिया

(परबतसर)

प्याज भण्डारण इकाइयों के लिए वर्ष 2012-13 की देय अनुदान राशि का किसानों को भुगतान

प्रदेश में प्याज कई जिलों में बहुत मात्रा में पैदा होता है और सरकार ने किसानों को फसल के समय बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए प्याज भण्डारण इकाई के लिए अनुदान दिये जाने की योजना प्रारम्भ की है। इसमें किसानों को 70,000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें कृषि विभाग द्वारा 50,000/- रुपये तथा 20,000/- रुपये राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिये जाते हैं। किन्तु, मान्यवर, कृषि विभाग द्वारा तो समय पर किसानों को 50,000/- रुपये का अनुदान दे दिया जाता है, परन्तु कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि, वर्ष 2012-13 की, अभी तक भी नहीं दी जाने से किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि किसानों को कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली वर्ष 2012-13 की अनुदान राशि दिलवाये जाने के आदेश प्रदान कर कृषकों को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

नरेन्द्र कुमार

(मण्डावा)

नये राशन कार्डों में दृष्टिगोचर भारी त्रुटियां

प्रदेश में लम्बे इन्तजार के बाद जून, 2012 में राज्य सरकार द्वारा नये राशन कार्ड बनाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कराई गयी थी, जिसके क्रम में राज्य कर्मचारियों की सहायता से घर-घर सर्वे कराकर पूर्णत: स्पष्ट आवेदन

पत्र भरवाये गये थे। लगभग डेढ़ वर्ष की समयावधि में तैयार कराकर गत नवम्बर माह से नये राशन कार्डस का वितरण प्रारम्भ किया गया है। परन्तु इनमें भारी त्रुटियां सामने आ रही हैं।

राशन कार्ड रसद विभाग एवं सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज होने के अतिरिक्त, निवास प्रमाण पत्र व पारिवारिक सदस्यों के विवरण की पुष्टि, आदि के लिए भी एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में काम में लिया जाता है।

परन्तु इतनी लम्बी समयावधि में तैयार हुए राशन काड्र्स में मुखिया व परिवार के सदस्यों के नाम, पता, आयु, आदि गलत अंकित होने के अतिरिक्त, पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्ध भी गलत अंकित होने के जानकारियां सामने आ रही हैं। इसके अतिरिक्त, कई बी.पी.एल. कार्डों को ए.पी.एल. कार्डो में बदल दिया गया है तथा परिवार के सदस्यों के नाम तक हटा दिये गये हैं। कई क्षेत्रों के राशन कार्ड तो अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में जानकारी जुटाने के लिए क्षेत्रवासियों को इधर-उधर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

ऐसे त्रुटिपूर्ण राशन काड्र्स को देखकर स्पष्ट होता है कि जिन फर्मों/ एजेंसियों से ये तैयार कराये गये हैं, उनके द्वारा घोर लापरवाही व अनियमितता बरती गयी है। साथ ही, सम्बन्धित विभाग द्वारा भी राशन कार्ड तैयार कराये जाने की प्रक्रिया में उदासीनता बरती गयी है।

नये राशन कार्ड का इन्तजार कर रहे प्रदेशवासियों को इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण कार्ड मिलने से मायूसी हाथ लग रही है तथा उन्हें रसद विभाग व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से अब भी वंचित रहने की चिन्ता सता रही है।

अत: मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि राशन कार्ड तैयार कराने की इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की जांच करायी जाए तथा दोषियों व सम्बन्धित फर्म/ एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कराते हुए उनको किये गये/किये जाने वाले भुगतान पर रोक लगाते हुए, त्रुटिपूर्ण राशन कार्डस में तत्काल सुधार कराये जाने के साथ ही, जिन क्षेत्रों के कार्ड अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, उनके भी कार्ड शीघ्र तैयार कराने की व्यवस्था करवाकर नागरिकों को राहत प्रदान की जाए।

धन्यवाद।

वासुदेव देवनानी
(अजमेर उत्तर)

राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के शिक्षण ढांचे में सुधार व विभिन्न शुल्कों में कमी

निवेदन है कि वर्तमान में महिलाओं की तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। इसी कमी को पूरा करने के लिये अजमेर में माननीय मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी द्वारा उत्तर भारत के प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय की नींव रखी गई। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय उत्तर भारत का प्रथम महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय है, किन्तु शिक्षण शुल्क ज्यादा होने के कारण महिलाएं गैर-तकनीकी पाठ्यक्रम की ओर ज्यादा आकर्षित हैं।

वर्तमान में उपरोक्त महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिनमें कम्प्यूटर अभियांत्रिकी-120 सीटें, सूचना प्रौद्योगिकी-60, इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन अभियांत्रिकी-120 सीटें, इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी-60 सीटें, इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी-60 सीटें, मेकेनिकल अंभियांत्रिकी-60 सीटें हैं।

राजकीय महाविद्यालय होने के उपरांत भी उपरोक्त सभी सीटें स्व-वित्त पोषित हैं। एक भी सीट अनुदानित नहीं है। जिसके कारण शिक्षण शुल्क सालाना 60,000 है एवं छात्रावास शुल्क मिलाकर यह वार्षिक खर्च 1,00,000 से ज्यादा होता है। मध्यम वर्ग की बालिकाओं के लिए यह शुल्क दे पाना कठिन है। जबकि राज्य अनुदानित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थी का शिक्षण शुल्क मात्र 18,000 है।

महाविद्यालय में 90% प्रतिशत छात्राएं 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण हैं। मेधावी छात्राओं को राजकीय महाविद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा देने का आश्वासन सुराज संकल्प यात्रा के समय दिया गया था। अत: मेरा आग्रह है कि उपरोक्त शुल्क ढांचे की पुन: समीक्षा की जावे।

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या : फ.18(5) त.शि/2004 के अनुसार राज्य अनुदानित पाठयक्रमों में अनु. जाति एवं जनजाति तथा महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शुल्क की 50 प्रतिशत राशि, जो कि 9,000 सालाना होती है, देय होगी, इसकी अनुपालना भी नहीं हो रही है।

महाविद्यालय स्ववित्त पोषित है और इसी आय से महाविद्यालय के जरूरी कार्य पूरे किये जाते हैं, जैसे कर्मचारियों/शिक्षकों का वेतन, विकास

कार्य, इत्यादि। बजट की कमी के कारण न तो पर्याप्त शिक्षक हैं, न ही कोच हैं। स्थायी परिवहन के साधन एवं छात्रावास की सुविधा के अभाव में पूरे राजस्थान भर से आने वाली छात्राओं को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है।

शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क, आर टी यू शुल्क, परीक्षा शुल्क, छात्र बीमा शुल्क, एल्यूम्नी शुल्क, डिग्री शुल्क, प्रोजेक्ट शुल्क, जमानती राशि, कुल मिलाकर, प्रथम वर्ष बी टेक में यह शुल्क 72,750 द्वितीय वर्ष में 63,250, तृतीय वर्ष में 57,250, चतुर्थ वर्ष में 53,050 होती है, जिसे एक मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा अपनी बेटी पर खर्च किया जाना बहुत मुश्किल होता है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के शिक्षण ढांचे में सुधार करते हुए इसे कम किया जावे।

अनिता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

लालसोट में गत तीन वर्षों में सर्व सामान्य उपभोक्ताओं को राशन सामग्री की अनुपलब्धता

मेरे विधान सभा क्षेत्र लालसोट में पिछले तीन वर्षों से सर्व सामान्य उपभोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं मिल रही है। समूची वितरण प्रणाली पर षड्यंत्रपूर्वक माफियाओं द्वारा कब्जा कर बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है।

पूर्ववर्ती सरकार में षड्यंत्रपूर्वक, फर्जी तरीके से कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, दौसा द्वारा रिद्धि-सिद्धि योजनान्तर्गत जिला चयन समिति द्वारा लालसोट में पूर्व सहकारिता मंत्री के दबाव में करीबन 31 महिला सहकारी समितियां बनाई गईं; जिनकी प्रक्रिया पूर्णतया त्रुटिपूर्ण तो थी ही, उन्हें अपने चहेतों को मात्र राशन सामग्री बांटने की ओट में कालाबाजारी करने हेतु डीलर बनाया गया था। पुराने सभी F. P. S. डीलरों को हटा दिया गया तथा अपने चहेतों, यथा, प्राथमिक महिला सहकारी समिति, बिदरखा के सरपंच की भाभी को प्राथमिक महिला सहकारी समिति, देवली की अध्यक्ष; वहां के वर्तमान सरपंच कंवरपाल की पत्नी, चौंडियावास के सरपंच, ईश्वरलाल मीणा की पत्नी को प्राथमिक महिला सहकारी समिति, चौंडियावास की अध्यक्ष; महारिया के सरपंच की पूत्रवधू को अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति, महारिया

की अध्यक्ष; प्राथमिक महिला सहकारी समिति मण्डावरी में पूर्व रसद मंत्री की भाभी को अध्यक्ष; डूंगरपुर में एक अध्यापक की पत्नि को अध्यक्ष; कृषि उपज मण्डी लालसोट के चेयरमैन एवं सरपंच की धर्मपत्नी को राहुवास बहुउद्देशीय महिला सोसायटी की अध्यक्ष बना दिया। इसी प्रकार, बहुउद्देशीय सहकारी समिति, हेमल्यावाला, पालूंदा, कंवरपुरा, आदि की अध्यक्ष, सरपंच एवं पंचों की धर्मपत्नियों को बनाया गया। इसमें पूर्ववर्ती सरकार ने दल विशेष के कार्यकर्ताओं को ही महिला सहकारी समितियों का अध्यक्ष बनाकर रसद सामग्री बांटने की जिम्मेदारी सौंप दी, जो पूर्व सरकार के प्रभाव के चलते बड़े पैमाने पर रसद सामग्री की कालाबाजारी करते रहे। अब भी, शासन बदलने के बावजूद, उनका यह गोरखधन्धा चालू हैं।

अत: सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि एक दल विशेष द्वारा अपने राजनैतिक कार्यकताओं को उपभोक्ता सामग्री लूटने की जो छूट दे रखी है, उन सभी महिला सहकारी समितियों सहित, अन्य डीलरों के गबन की SOG द्वारा जांच कराई जाकर, दंडित कर, उपभोक्ताओं तक सामग्री पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।

डा. किरोड़ी लाल

(लालसोट)

सवाई माधोपुर शहर के लिए RUIDP के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की पूर्णता

महोदय,

मैं, प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सवाई माधोपुर शहर में आर्थिक विकास प्रक्रिया को सुदृढ़, स्वचालित बनाने एवं जीवन स्तर में सुधार लाने एवं मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यों की स्वीकृति के द्वितीय चरण में राजस्थान सरकार के माध्यम से राशि 93.50 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई थी। यह सब कार्य 31 दिसम्बर, 2013 तक पूरे हो जाने चाहिये थे। इन कार्यों में जल-मल निस्तारण, शहरी यातायात, ठोस कचरा निस्तारण, सामाजिक मूलभूत व्यवस्था, शहरी जल निकास, सांस्कृतिक विकास संरक्षण में सहयोग, आदि कार्य शामिल हैं। परन्तु इनमें से इस तरह का कोई कार्य पूर्ण रूप से तथा ढंग से नहीं किया गया है और ना ही इन कार्यों में कोई गुणवत्ता का ध्यान रखा गया, जिसे कि वर्तमान स्थिति बताती है और आगे भी काफी महीने इन कार्यों को पूरा करने में लगने की सम्भावना है।

सवाई माधोपुर वैसे भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और यहां पर्यटन ही जीवन का मुख्य आधार है। ऐसे में शहर में सड़क, पानी, कचरे, जल-मल निकासी की व्यवस्थाएं खराब हो जाने से शहर का मूल स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। शहर के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि पर्यटन की दृष्टि से तथा अन्य उद्योगों के आगमन की दृष्टि से सवाई माधोपुर का विकास हो सके। परन्तु उक्त राशि का कितना कार्य बकाया है और उस कार्य की गुणवत्ता क्या है, यह सब देखना एक महत्वपूर्ण एवं सोचनीय प्रश्न तथा बिन्दु है।

मैं सरकार का इन कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के लिए ध्यान आकृर्षित कराना चाहती हूं।

राजकुमारी दिया कुमारी
(सवाई माधोपुर)

सरदारशहर में 132 केवी के नये जी एस एस का निर्माण व रिक्त पदों का भरा जाना व नवीन पदों का सृजन

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं।

सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में दो उपखण्ड कार्यालय हैं, एक शहरी और दूसरा ग्रामीण उपखण्ड कार्यालय। ग्रामीण उपखण्ड कार्यालय के अधीन 35,000 उपभोक्ता हैं तथा शहरी उपखण्ड कार्यालय में 20,000 उपभोक्ता हैं, जबकि विभागीय नोर्म्स के अनुसार 8,000 उपभोक्ताओं पर उपखण्ड कार्यालय खोले जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान की पालना होती है तो वहां ग्रामीण क्षेत्र में चार व शहरी क्षेत्र में दो उपखण्ड कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, तीन उपखण्ड कार्यालयों पर एक खण्ड कार्यालय खोले जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत दो खण्ड कार्यालयों की आवश्यकता सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में है।

ग्रामीण क्षेत्र में चार उपखण्डों के जितने उपभोक्ताओं की संख्या है, इसके कारण से वहां पर 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं की आवश्यकता है; जबकि वर्तमान में मात्र तीन कनिष्ठ अभियन्ता ही कार्यरत हैं। एक उपखण्ड में लगभग 16 लिपिकों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में मात्र तीन लिपिक ही कार्यरत हैं। जिसके कारण से रोकड शाखा से सम्बन्धित कार्य

पेंडिंग पड़े रहते हैं और उपभोक्ताओं की विद्युत बिलों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान तुरन्त नहीं हो पाता है।

ग्रामीण उपखण्ड कार्यालय का कार्यक्षेत्र काफी फैला हुआ है और इस कारण वहां वाहनों की आवश्यकता भी ज्यादा है, जबकि वहां पर मात्र एक ही पुराना वाहन है। वहां पर इमरजेंसी सर्विस एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु अच्छे वाहनों का होना आवश्यक है।

वहां ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत लाइनों में फाल्ट की समस्या भी आम है। इस समस्या के निराकरण हेतु वहां पर सी सी ए/लाइनमैन कार्यरत नहीं हैं। इस कारण से फाल्ट दूर करने का काम नहीं हो पाता है। विभागीय नोर्म्स के अनुसार, हर 11 केवी फीडर व प्रत्येक गांव का एक सी सी ए होना चाहिए। विभागीय प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक 33 केवी जी एस एस पर छह कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए, जबकि वहां पर वर्तमान में मात्र दो-दो ही कर्मचारी हैं।

इसी प्रकार सरदारशहर उपखण्ड कार्यालय के स्टोर में सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर (25 के वी ए, 16 के वी ए) उपलब्ध नहीं होने के कारण जले हुए ट्रांसफार्मर्स को बदलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार, थ्री-फेज कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर्स भी बदले नहीं जा रहे हैं। इसलिए वहां पर सिंगल-फेज व थ्री-फेज के ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता है।

वहां पर 132 केवी के जी एस एस भानीपुरा तथा मीतासर में बनाये जाने निगम स्तर पर प्रस्तावित हैं, जो आज तक विचाराधीन हैं। ग्रामीण क्षेत्र में वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु दोनों जी एस एस को जल्दी से जल्दी बनाये जाने की आवश्यकता है। भानीपुरा में तो 132 केवी के जी एस एस का निर्माण लगभग डेढ़ साल से लम्बित पड़ा है।

सरदारशहर के उपखण्ड कार्यालयों में प्रति माह दस करोड़ रुपयों का राजस्व आता है। इस राजस्व को संभालने के लिए मात्र एक ए आर ओ ही है। वहां पर ए आर ओ की संख्या भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

सरदारहशर के उपखण्ड कार्यालयों में लगभग 1,000 कृषि कनेक्शन लम्बित हैं, कुल 3,500 कृषि कनेक्शन हैं तथा 30,000 दूसरी श्रेणियों में लम्बित हैं। इस पेंडेंसी को तुरन्त खतम करवाये जाने की आवश्यकता है।

मैं नियम 295 के तहत माननीय ऊर्जा मंत्री से रिक्त पदों को भरने, नवीन पद सृजित करने, नया वाहन उपलब्ध करवाने, ट्रांसफार्मर्स उपलब्ध करवाने, दो नये 132 केवी के जी एस एस का निर्माण, इत्यादि समस्याओं का

समाधान तुरन्त करवाकर स्थानीय जनता को राहत दिलाये जाने हेतु निवेदन करता हूं।

भंवरलाल शर्मा

(सरदारशहर)

देवली-उनियारा स्थित बीसलपुर विस्थापित पुनर्वास कालोनियों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में स्थित बीसलपुर विस्थापित पुनर्वास कालोनियों में बनी हुई सड़कें कई वर्षो से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। इन पुनर्वास कालोनियों के निवासियों द्वारा अनेक बार प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी, बजट के अभाव में इन कालोनियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को वर्षों से आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, इन कालोनियों में निवास करने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने के कारण कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की बीसलपुर विस्थापित पुनर्वास कालोनियों में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु बजट आबंटित करने तथा इन कालोनियों में शीघ्रातिशीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने का श्रम करें।

राजेन्द्र गुर्जर

(देवली-उनियारा)

भीम व देवगढ़ की सी एच सीज में कनिष्ठ विशेषज्ञों व ट्रोमा सेंटर भीम में रिक्त पदों पर पदस्थापन

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भीम व देवगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित हैं, जिनको पिछली वसुन्धरा सरकार द्वारा वर्ष 2006 में क्रमोन्नत किया गया था। इन दोनों सी एच सी चिकित्सालयों में 14-14 कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं सी.एम.ओ. एवं ए.मो. के पद स्वीकृत किये गये थे, आज 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं लेकिन उक्त चिकित्सालयों में केवल एक क.वि. भीम में एवं S.M.O. देवगढ़ में सेवारत हैं।

भीम C.H.C. में वर्ष 2007 में ट्रोमा यूनिट स्वीकृत होने के पश्चात्

ट्रोमा यूनिट का चिकित्सा सम्बन्धित भवन एपरेटर्स ब्लड बैंक, आदि सभी सुविधाओं से सुसज्जित है, लेकिन आर्थोपेडिक एवं एनस्थेशिया के चिकित्सक नहीं होने से भवन एवं सभी सर्जिकल औजार धूल चाट रहे हैं। मेरा क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित होने से आये-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सम्बन्धित चिकित्सक नहीं होने से हमेशा दुर्घटना में घायल होने वाले पीड़ित अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं।

इसके अलावा, रात्रि में किसी भी चिकित्सक की व्यवस्था नहीं होने पर, आपातकाल में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से भी आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए तत्काल चिकित्सक की रात्रि सेवा प्रारम्भ कराई जावें।

साथ-साथ ही, दोनों ही C.H.C. में महिला गायनिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं होने से कई महिला रोगी शर्म के कारण अपनी व्यथा और पीड़ा किसी पुरुष चिकित्सक को नहीं बता पातीं, जिसकी वजह से वे महिला रोगी भी मृत्यु की आगोश में चली जाती हैं।

अत: आपके माध्यम से मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध है कि तत्काल कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं अन्य रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भर कर मेरे क्षेत्र की जनता को चिकित्सा राहत दिलाने का श्रम करावें।

हरिसिंह रावत
(भीम)